VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

अर्थव्यवस्था

क्लासरूम स्टडी मटेरियल

(अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023)

www.visionias.in 8468022022, 9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias.upsc /vision _ias VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद बेंगलोर भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2025

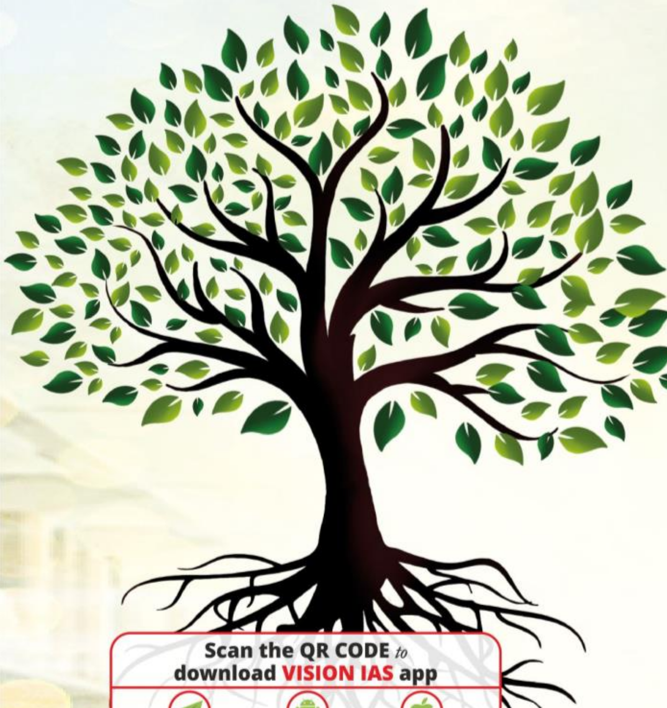

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन

- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

DELHI: 5 मार्च, 1 PM | 20 फरवरी, 1 PM

BHOPAL: 11 जून

LUCKNOW: 5 जून

JODHPUR: 7 मार्च

JAIPUR: 21 फरवरी

Lakshya
PRELIMS MENTORING PROGRAM 2024

UPSC प्रीलिम्स 2024 के लिए एक रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और मेंटरिंग प्रोग्राम

1 मार्च 2024

समयावधि: 2.5 माह

- निरंतर सहायता और मार्गदर्शन के लिए अत्यधिक अनुभवी एवं योग्य मेंटर्स की टीम
- प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन, CSAT और करेंट अफेयर्स के रिवीजन हेतु एक सुनियोजित योजना
- तैयारी के लिए आवश्यक रिसोर्सेज, जैसे– विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs), क्विक रिवीजन मॉड्यूल (QRMs), और PT–365 का बेहतर तरीके से उपयोग
- रिसर्च पर आधारित व विषयवार स्ट्रैटजी डॉक्यूमेंट्स
- रणनीति पर चर्चा, लाइव प्रैक्टिस और अन्य प्रतिस्पर्धियों से चर्चा के लिए पूर्व निर्धारित ग्रुप–सेशन
- अधिकतम अंक दिलाने वाले विषयों और टॉपिक्स पर विशेष ध्यान
- तैयारी को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने हेतु मेंटर्स के साथ वन–टू–वन सेशन
- अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन एवं सुधार
- तैयारी से संबंधित सलाह और प्रेरणा हेतु टॉपर्स एवं ब्यूरोक्रैट्स के साथ इंटरैक्टिव सेशन

अर्थव्यवस्था (Economy)

विषय-सूची

1. संवृद्धि और विकास (Growth and Development) _____ 4
1.1. भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुमान _____ 4
1.2. राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक - अद्यतन _____ 5
1.3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण _____ 7
1.4. स्वयं-सहायता समूह _____ 8
1.4.1. स्वयं-सहायता समूह बैंक लिंकेज (SHG-BL) परियोजना _____ 9
2. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) _____ 11
2.1. राज्य वित्त _____ 11
2.1.1. राज्यों का पूंजीगत व्यय _____ 11
2.2. सार्वजनिक ऋण _____ 12
2.2.1. बजटेतर उधारियां _____ 14
2.3. चालू खाता घाटा _____ 14
2.4. दिनांकित प्रतिभूतियां _____ 15
2.5. वस्तु एवं सेवा कर _____ 17
2.6. कर आधार का विस्तार _____ 19
2.7. आधिकारिक सांख्यिकी _____ 20
3. श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास (Labour, Employment and Skill Development) _____ 22
3.1. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण _____ 22
3.2 अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (2023): श्रम बल में महिलाएं _____ 23
3.3. गिग अर्थव्यवस्था _____ 24
4. बैंकिंग और मौद्रिक नीति (Banking and Monetary Policy) _____ 27
4.1. वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात _____ 27
4.2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशेष अंतरण _____ 28
4.3. 'लंदन इंटरबैंक ऑफ़र्ड रेट (LIBOR)' पर निर्भरता की समाप्ति _____ 29
5. भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (Payment Systems and Financial Markets) _____ 32
5.1. सीमा-पार भुगतान _____ 32
5.2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड _____ 33
5.3. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश _____ 35
5.4. कॉर्पोरेट ऋण बाजार _____ 37
5.5. निवेशक सेवा कोष और निवेशक सुरक्षा कोष _____ 38
5.6. सोशल स्टॉक एक्सचेंज _____ 40
6. बाह्य क्षेत्रक (External Sector) _____ 42
6.1. भारत में विनिमय दर प्रबंधन _____ 42
6.2. विदेश व्यापार नीति 2023 _____ 43
6.2.1. व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता, FTP 2023 44
6.2.2. विदेश व्यापार नीति-2023 के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें _____ 45
6.2.3. विदेश व्यापार नीति-2023 के तहत शुरू की गई अन्य पहलें _____ 46
6.3. भारत के मुक्त व्यापार समझौते _____ 48
6.4. वैश्विक ट्रेड बैरियर्स _____ 49
6.5. विश्व व्यापार संगठन _____ 51
6.6. वि-डॉलरीकरण _____ 52
6.7. रेमिटेंस/ विप्रेषण _____ 54
6.7.1. उदारीकृत विप्रेषण योजना _____ 55
6.8. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां _____ 56
6.9. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कोटे में वृद्धि _____ 58
7. कृषि (Agriculture) _____ 60
7.1. भारत में उर्वरक क्षेत्रक _____ 60
7.1.1. फास्फोरस _____ 60
7.2. लघु सिंचाई _____ 61
7.3. भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड _____ 62
7.4. बीज प्रमाणीकरण _____ 63
7.5. भारत में खाद्य भंडारण _____ 63
7.6. भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन _____ 65
7.7. जलीय कृषि क्षेत्रक _____ 67
7.8. अंतर्देशीय मात्स्यिकी _____ 69
7.9. पशुधन क्षेत्रक के लिए क्रेडिट गारंटी योजना _____ 69
7.10. राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड _____ 71
7.11. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) {National Bank for Agriculture and Rural Development: NABARD} _____ 72
7.12. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research: ICAR) _____ 73

© Vision IAS

8. खनन और उद्योग (Mining and Industry) ____ 75
8.1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 ____ 75
8.2. महत्वपूर्ण खनिज ____ 76
8.3. अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 ____ 77
8.4. नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल ____ 78
8.5. विशेष आर्थिक क्षेत्र ____ 78
8.6. उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना ____ 80
8.6.1. आई.टी. हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन 2.0 (PLI 2.0) योजना (PLI 2.0 for IT Hardware Scheme) ____ 81
8.7. भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग ____ 81
8.8. राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 ____ 82
8.9. राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 ____ 83
9. अवसंरचना (Infrastructure) ____ 86
9.1. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ____ 86
9.2. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति ____ 87
9.2.1. लीड्स रिपोर्ट 2023 ____ 88
9.3. पी.एम. गति शक्ति पहल ____ 89
9.4. समर्पित माल ढुलाई गलियारा ____ 90
9.5. रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना ____ 92
9.5.1. कोच्चि वाटर मेट्रो ____ 92
9.6. नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ____ 93
9.7. मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 ____ 94
9.7.1. हरित पत्तन दिशा-निर्देश 2023 ____ 95
9.8. भारत में रेलवे सुरक्षा ____ 95
9.9. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ____ 97
9.10. भारत में महापत्तन की कार्य-प्रणाली ____ 98
10. सेवा क्षेत्रक (Services) ____ 101
10.1. बीमा क्षेत्रक ____ 101
10.1.1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ____ 102
10.2. चिकित्सा और आरोग्य/ कल्याण पर्यटन ____ 102
10.3. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ____ 103
11. ऊर्जा क्षेत्रक (Energy) ____ 105
11.1. राष्ट्रीय विद्युत योजना ____ 105
11.1.1. अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्क ____ 106
11.1.2. विद्युत क्षेत्रक में शुरू की गई अन्य पहलें ____ 107
11.1.2.1. विद्युत क्षेत्रक में सुधार के लिए राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन ____ 107
11.1.2.2. मार्केट कपलिंग ____ 107
11.1.2.3. विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 ____ 108
11.1.2.4. हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल ____ 108
11.2. राष्ट्रीय गैस ग्रिड ____ 108
12. व्यवसाय, नवाचार और उद्यमशीलता (Business, Innovation and Entrepreneurship) ____ 110
12.1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ____ 110
12.1.1. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) पर भारतीय कंपनियां ____ 111
12.2. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 ____ 112
12.3. जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 114
12.4. ट्रांसफर प्राइसिंग ____ 114
12.5. वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2023 ____ 115
12.6. भारत में स्टार्ट-अप्स ____ 116
12.7. भारतीय मानक ब्यूरो ____ 117

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है, ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

इन्फोग्राफिक्स: महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के साथ प्रासंगिक इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो।

विभिन्न रंगों का प्रयोग: टॉपिक्स के आसान वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को रेखांकित तथा याद करने के लिए इस डॉक्यूमेंट में कई रंगों का उपयोग किया गया है।

क्विज़: अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2024

ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट

ENGLISH MEDIUM 2024: 25 FEBRUARY
हिन्दी माध्यम 2024: 25 फरवरी

ENGLISH MEDIUM 2025: 3 MARCH
हिन्दी माध्यम 2025: 3 मार्च

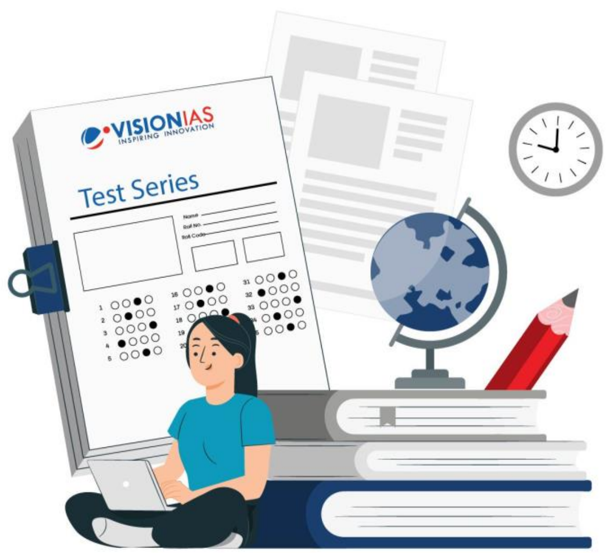

1. संवृद्धि और विकास (Growth and Development)

1.1. भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुमान {Gross Domestic Product (GDP) Estimation in India}

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून अवधि के दौरान भारत की रियल **GDP वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत** थी।

भारत में GDP गणना की मौजूदा विधियां

- **रियल और नॉमिनल GDP:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)[1] **स्थिर कीमतों** और **चालू कीमतों** के आधार पर प्रत्येक तीन माह में **सकल मूल्य वर्धन (GVA)** की गणना करता है। रियल GDP की गणना के लिए स्थिर कीमतों (आधार वर्ष: 2011-12) और नॉमिनल GDP की गणना के लिए चालू कीमतों का उपयोग किया जाता है।
- **GDP अपस्फीतिकारक (Deflator):** यह रियल GDP और नॉमिनल GDP का अनुपात होता है।
    - यह अनुपात बताता है कि उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों के चलते **GDP में किस सीमा तक वृद्धि** हुई है।

GDP की गणना के लिए दृष्टिकोण

- **उत्पादन या 'मूल्य-वर्धित' विधि[2]:** इस विधि में उत्पादन के **प्रत्येक चरण में हुए "मूल्य-वर्धन" को जोड़ा** जाता है।
- **आय विधि (Income approach):** इस विधि के अंतर्गत **उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित कुल आय** का मापन किया जाता है।
- **व्यय विधि (Expenditure approach):** इस विधि में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर **वस्तुओं और सेवाओं पर सभी इकाइयों द्वारा किए गए कुल व्यय** का मापन किया जाता है।

आदर्श रूप से, **उपर्युक्त तीनों विधियों में संवृद्धि दर समान होनी** चाहिए। हालांकि, **डेटा के संग्रह और उसके प्रसंस्करण में भिन्नता** के कारण, इन तीनों विधियों में अक्सर **अंतर** आ जाता है।

2014-15 में GDP की गणना के तरीके में बदलाव किए गए

- 2015 में, **केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)** ने **राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखला** की शुरुआत की।
- GDP गणना का **आधार वर्ष** पहले 2004-05 था, जिसे **संशोधित** करके **2011-12** कर दिया गया।
    - अर्थव्यवस्था में हो रहे **संरचनात्मक परिवर्तनों** को ध्यान में रखने और **अर्थव्यवस्था की सही स्थिति** को दर्शाने के लिए आधार वर्ष को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- नई श्रृंखला में **राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, 2008[3]** की नवीनतम सिफारिशों तथा **राष्ट्रीय खातों के संकलन पर अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों** को शामिल किया गया है।

विकास को मापने के लिए GDP एक अच्छा संकेतक क्यों नहीं है?

- इसकी गणना में आर्थिक अपराध, प्रदूषण, असमानता और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे **बाह्य कारकों (Externalities) को ध्यान में नहीं रखा जाता है।**
- **शांति, पर्यावरण संरक्षण या पारिवारिक जुड़ाव** सहित **कई प्रमुख कारकों की गणना GDP के जरिए नहीं की जाती** है।
- **सामाजिक नुकसान से होने वाले आय की भी गणना:**
    - उदाहरण के लिए- किसी ट्रेन दुर्घटना में ट्रैक की मरम्मत जैसी आर्थिक गतिविधियां भी GDP में शामिल की जाती हैं।
- इसमें लोगों के जीवन के सामाजिक पहलुओं या प्राकृतिक पूंजी का लेखा-जोखा शामिल नहीं होता है। जैसे- स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता आदि।

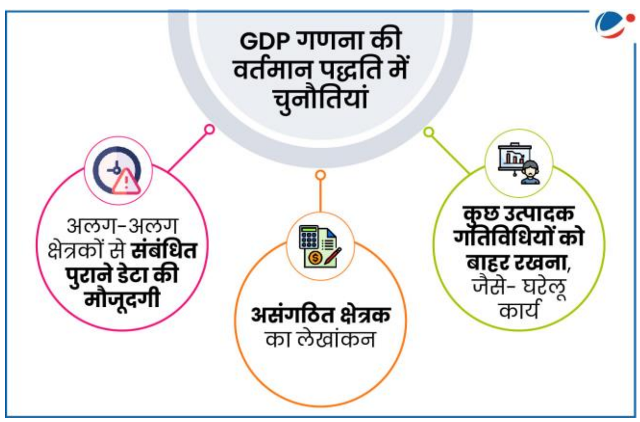

[1] Ministry of Statistics and Programme Implementation

[2] Production or 'Value-added' Approach

[3] System of National Accounts, 2008

1.2. राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक {National Multidimensional Poverty Index (MPI)} - अद्यतन

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग ने “2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी[4]” नाम से एक डिस्कशन पेपर जारी किया है। बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए इसमें **राष्ट्रीय MPI** का उपयोग किया गया है।

इस डिस्कशन पेपर यानी चर्चा-पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **पॉवर्टी हेड काउंट रेश्यो (Poverty Headcount Ratio: HCR) में भारी गिरावट** दर्ज की गई है। यह **2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28%** हो गया है।
  - पिछले 9 वर्षों में **24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं।**
  - **गरीबी की गहनता में भी कमी आ रही है,** जिससे पता चलता है कि वंचित आबादी के बीच अभाव का स्तर कम हो रहा है।
  - **गरीबी के सकल अनुपात में गिरावट का स्तर** 2005-06 से 2015-16 की तुलना में **2015-16 से 2019-21 के बीच अधिक तीव्र रही थी।**
- **उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, और राजस्थान राज्यों में बहुआयामी गरीबी में तेजी से गिरावट** दर्ज की गई है।
- सभी **12 बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) संकेतक** सुधार के महत्वपूर्ण संकेत दर्शा रहे हैं।
  - अभाव का सबसे अधिक स्तर- **खाना पकाने के ईंधन** और **आवास** संबंधी संकेतकों में है।
  - अभाव का सबसे कम स्तर- **बाल एवं किशोर मृत्यु दर, बिजली** और **बैंक खाते** के संकेतकों में है।
- यह संभावना व्यक्त की गई है कि भारत **सतत विकास लक्ष्य (SDG)-1.2 को 2030 से काफी पहले** हासिल कर सकता है। **SDG 1.2** में बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे तक कम करने का उल्लेख है।

MPI के बारे में

- NFHS-4 से लिए गए आंकड़ों के आधार पर, **पहली बार** राष्ट्रीय MPI **2021 में जारी किया गया** था।
- **सरकार की GIRG[5] पहल** के तहत, नीति आयोग MPI हेतु नोडल एजेंसी है।
  - **GIRG पहल** कई महत्वपूर्ण **सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन की निगरानी** करती है।
- **भारत के राष्ट्रीय MPI की गणना हेतु उपयोग की जाने वाली विधि {अल्किरे-फोस्टर (AF) पद्धति:** यह **दोहरे कट-ऑफ काउंटिंग पद्धति** के आधार पर लोगों को निर्धन या गैर-निर्धन के रूप में चिन्हित करती है।
  - AF पद्धति के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का **अभाव/ वंचन स्कोर** (Deprivation score) भारत के राष्ट्रीय MPI **निर्धनता कटऑफ (33.33%) के बराबर या उससे अधिक** है, तो उसे **MPI निर्धन माना जाता** है।

क्या आप जानते हैं?

> **अल्किरे–फोस्टर** (AF) **विधि** से गरीबी का प्रसार (संख्या) और गहनता (तीव्रता), दोनों दिखाई जा सकती है।
>
> > अल्किरे–फोस्टर विधि गरीबी के विभिन्न संकेतकों में एक व्यक्ति या परिवार द्वारा उस समय अनुभव की जाने वाली अभावों या ओवरलैपिंग वाले अभावों की संख्या की गणना करती है। यह विधि गरीबी या खुशहाली को मापने के लिए एक लचीली तकनीक है।

राष्ट्रीय MPI के उप-सूचकांक:

- **हेड काउंट रेशियो (H): कितने व्यक्ति निर्धन हैं?**
  - जनसंख्या में मौजूद बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों का अनुपात वस्तुतः बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों की संख्या को कुल जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। (MPI= बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों की संख्या / कुल जनसंख्या)।

[4] Multidimensional Poverty in India since 2005-06

[5] Global Indices to drive Reforms and Growth/ सुधार और संवृद्धि के लिए वैश्विक सूचकांक

© Vision IAS

- **निर्धनता की व्यापकता/ तीव्रता (A): निर्धनता का स्तर क्या है?**
    - इसका आकलन बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले अभावों के औसत अनुपात से किया जाता है।
    - व्यापकता/ तीव्रता की गणना के लिए, सभी निर्धन लोगों की अभावग्रस्तता के भारित स्कोर (Weighted deprivation scores) को जोड़ा जाता है और फिर उसे निर्धन लोगों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है।
- **हेड काउंट रेशियो (H)** और **निर्धनता की व्यापकता/ तीव्रता (A)** का गुणा करके **MPI मान** निकाला जाता है। यह **निर्धनता के दायरे में शामिल लोगों** और उनके **अभाव/ वंचन (Deprivations) के स्तर, दोनों को दर्शाता** है।

भारत के राष्ट्रीय MPI के संकेतक

- **राष्ट्रीय MPI मॉडल** में **वैश्विक MPI मॉडल** के 10 मूल संकेतकों का उपयोग किया गया है। हालांकि, इनके अलावा इसमें दो अन्य संकेतक, **मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता** जोड़े गए हैं।

आयाम	12 संकेतक (भारांश)	कोई परिवार वंचित माना जाएगा, यदि-
स्वास्थ्य (1/3)	पोषण (1/6)	• घर का **एक भी सदस्य कुपोषित** हो। • परिवार में कोई भी 15 से 49 वर्ष के बीच की महिला या 15 से 54 वर्ष के बीच के पुरुष का **बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 18.5 कि.ग्रा./मी^{2}** से कम हो। • **0 से 59 माह** के बीच का कोई भी बच्चा **कुपोषित** हो।
	बाल एवं किशोर मृत्यु दर (1/12)	• सर्वे की तारीख से पांच साल पहले की अवधि में परिवार में **18 साल से कम के किसी बच्चे या किशोर की मृत्यु** हो गई हो।
	मातृ स्वास्थ्य (1/12)	• सर्वे की तारीख से पांच साल पहले की अवधि में कोई महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया हो और उसने **कम-से-कम चार प्रसवपूर्व देखभाल**[6] प्राप्त न की हो।
शिक्षा (1/3)	स्कूली शिक्षा के वर्ष (1/6)	• परिवार का **10 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक भी सदस्य 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा** पूरी नहीं कर पाया हो।
	स्कूल अटेंडेंस (1/6)	• **स्कूल जाने योग्य एक भी बच्चा** उस उम्र तक स्कूल नहीं जा पाया हो जब तक उसे **कक्षा 8** में होना चाहिए।
जीवन स्तर (1/3)	कुकिंग फ्यूल (1/21)	• परिवार **गोबर, कृषिगत फसलों, झाड़ियों, लकड़ी, चारकोल या कोयले** से भोजन पकाता हो।
	सैनिटेशन (1/21)	• परिवार के पास **साधारण या कोई भी सैनिटेशन सुविधा** नहीं हो, या उसके पास बेहतर सुविधा तो है लेकिन वह अन्य परिवारों के साथ साझा करता है।
	पेयजल (1/21)	• परिवार के पास **पेयजल की बेहतर सुविधा नहीं** है या पेयजल की अच्छी व्यवस्था घर से **कम-से-कम 30 मिनट** की दूरी पर है।
	विद्युत (1/21)	• घर में **बिजली की सुविधा नहीं है।**
	आवास (1/21)	• परिवार के पास **उपयुक्त आवास नहीं** हो अर्थात् फर्श, प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई गई हो और/ या छत या दीवारें मिट्टी या लकड़ी की हैं।
	परिसंपत्ति (1/21)	• परिवार के पास निम्नलिखित में से एक से अधिक संपत्ति नहीं है: **रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल या रेफ्रिजेरेटर और कार या ट्रक।**
	बैंक खाता (1/21)	• परिवार के **किसी भी सदस्य के पास** बैंक खाता या डाकघर खाता नहीं है।

(*नोट: प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा को MPI संकेतक के रूप में शामिल नहीं किया जाता है।)

[6] Antenatal care visits

PT 365 - अर्थव्यवस्था

© Vision IAS

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (ग्लोबल MPI) 2023

- इसे 2010 से **'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (UNDP)** और **'ऑक्सफोर्ड निर्धनता तथा मानव विकास पहल' (OPHI)**[7] द्वारा जारी किया जाता है।
- **MPI** वस्तुतः **110 देशों में 10 संकेतकों के आधार पर अभावों (Deprivations) को ट्रैक करता है।**
- **ग्लोबल MPI- 2023 के मुख्य बिंदु:**
  - 110 देशों में **6.6 अरब आबादी में से 1.1 बिलियन लोग** बहुआयामी निर्धन की श्रेणी में शामिल हैं।
- कुल निर्धन लोगों में से लगभग दो-तिहाई (73 करोड़) लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं और कम आय वाले देशों में MPI का केवल 10% हिस्सा रहता है।

1.3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer: DBT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** को अपनाकर 2014 से 2023 तक करदाताओं के 2.73 लाख करोड़ रुपये बचाए हैं। गौरतलब है कि DBT के तहत लक्षित लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में धन भेजकर वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है।

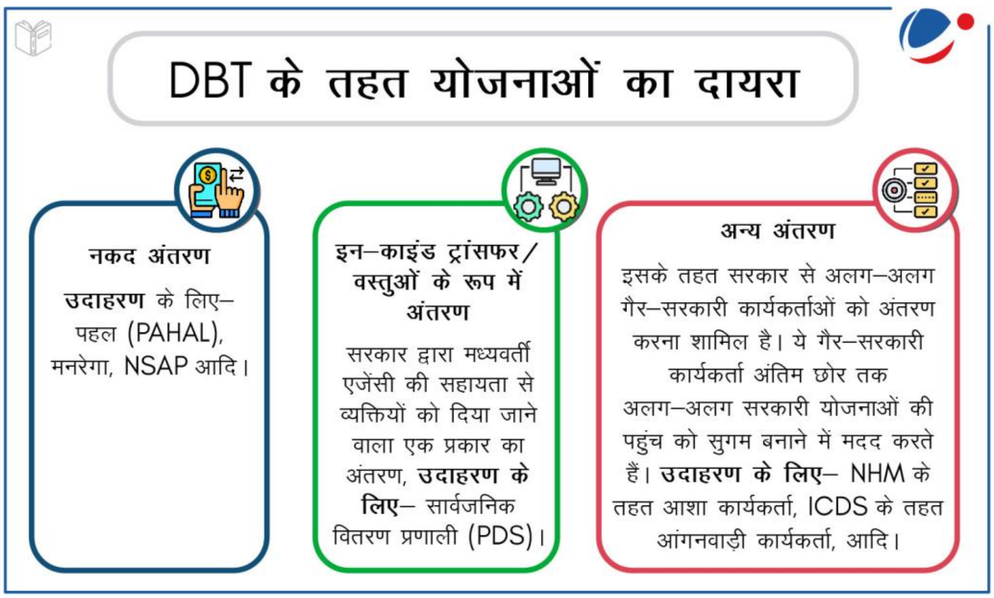

DBT के बारे में

- **उद्देश्य:** केंद्र सरकार द्वारा **लाभार्थियों को आवंटित धन के वितरण में पारदर्शिता लाना और हेर-फेर की गुंजाइश को समाप्त** करना।
- **शुरुआत:** इसे **2013** में देश के चुनिंदा जिलों में शुरू किया गया था। बाद में इसे 2014 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था।
- **नोडल एजेंसी:** DBT मिशन और उससे संबंधित मामलों को मंत्रिमंडल सचिवालय में **सचिव (समन्वय और लोक शिकायत)** के अधीन रखा गया है। लोगों को धन का भुगतान **लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS)**[8] के माध्यम से किया जाता है।
- **आधार की अनिवार्यता:** DBT योजनाओं में **आधार अनिवार्य नहीं** है।
  - चूंकि, आधार एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसलिए **आधार को प्राथमिकता** दी जाती है तथा लाभार्थियों को **आधार रखने के लिए प्रोत्साहित** किया जाता है।

DBT को सक्षम बनाने वाले घटक

- **JAM (जन-धन, आधार और मोबाइल) ट्रिनिटी:** JAM त्रयी की सहायता से लाभ अंतरण में **रिसाव की समस्या समाप्त** हो गई है, **लक्षित** लोगों तक योजना का लाभ पहुंचने लगा है। साथ ही, इससे **नकदी रहित और समयबद्ध** ढंग से लाभ का हस्तांतरण संभव हो पाया है।

[7] Oxford Poverty and Human Development Initiative

[8] Public Finance Management System

- **बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BC) इंफ्रास्ट्रक्चर:** बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभार्थियों को **समय पर, उनके घर पर ही और पूरा पैसा** ट्रांसफर किया जाए।
- **भुगतान बैंक:** इसके चलते देश के दूर-दराज के इलाकों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार में वृद्धि हुई है।
- **मोबाइल मनी:** पहचान के लिए आधार का उपयोग करके मोबाइल प्लेटफॉर्म पर **कैशलेस लेन-देन हेतु एक व्यापक इकोसिस्टम विकसित** करना।

1.4. स्वयं-सहायता समूह (Self Help Groups: SHGs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा घोषणा की गई कि **'लखपति दीदी' योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं** को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य **महिलाओं को सूक्ष्म-उद्यम (Micro-enterprises) शुरू करने के लिए प्रोत्साहित** करना है।

लखपति दीदी योजना के बारे में

- वर्ष 2023 में, **ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह पहल शुरू** की थी।
- **उद्देश्य: ग्रामीण SHG से जुड़ी महिलाओं को प्रति वर्ष कम-से-कम 1 लाख रुपये कमाने** में सक्षम बनाना।
- **दृष्टिकोण:** यह पहल **महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण** पर आधारित है।
- **शामिल की गई गतिविधियां:** महिलाओं को **प्लंबिंग, LED बल्ब बनाने तथा ड्रोन के संचालन और उसकी मरम्मत** करने जैसे कौशल प्रदान किए जाएंगे।

स्वयं-सहायता समूह (SHG) के बारे में

- SHG गांव-आधारित **अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति** होती है। यह आमतौर पर 10-20 स्थानीय महिलाओं से मिलकर बनी होती है।
- यह प्रकृति में **स्वैच्छिक** होती है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत में लगभग **12 मिलियन SHGs** कार्यरत हैं। इनमें से 88 प्रतिशत SHGs की सभी सदस्य महिलाएं हैं।
- भारत में SHG की सफलता के कुछ उदाहरणों में- केरल में **कुदुम्बश्री,** बिहार में **जीविका**, महाराष्ट्र में **महिला आर्थिक विकास महामंडल, लद्दाख में लूम्स** आदि शामिल हैं।
- **सामूहिक जिम्मेदारी:** किसी SHG में, समूह के सभी सदस्य किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की जिम्मेदारी लेते हैं।

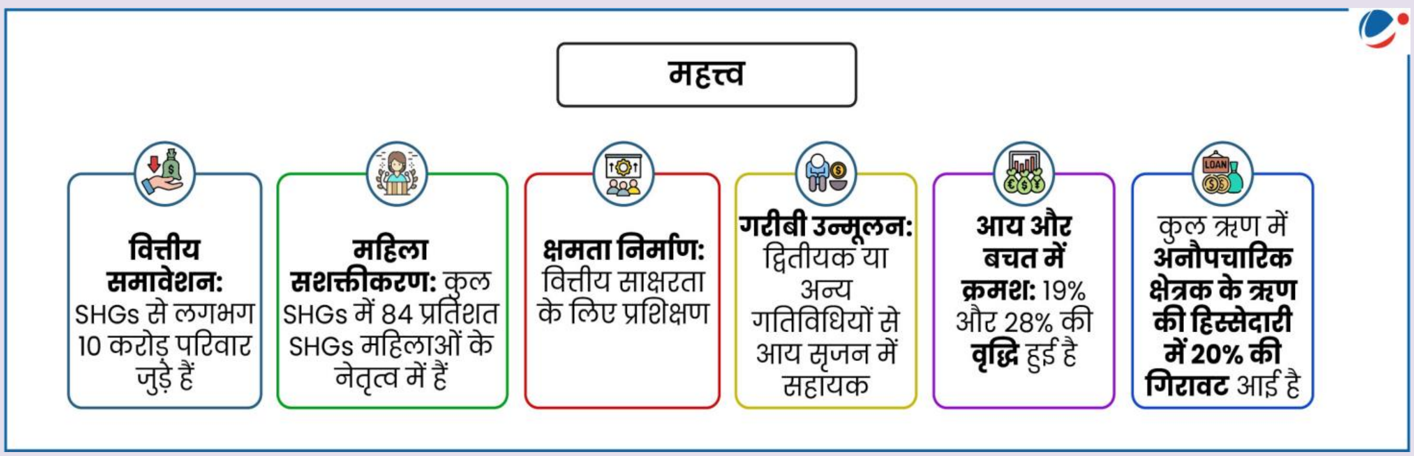

SHGs को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहलें		
पहल	**वर्ष/ एजेंसी**	**प्रमुख विशेषताएं**
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)	2011 में NRLM के रूप में/ ग्रामीण विकास मंत्रालय	गरीब ग्रामीण महिलाओं को SHGs से जोड़ना और उनको लगातार बढ़ावा तथा सहायता प्रदान करना। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर DAY-NRLM कर दिया गया।
स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)	2016/ DAY-NRLM के तहत उप-योजना	गैर-कृषि क्षेत्रकों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने में SHGs को सहायता प्रदान करना।
महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP)	2011/ DAY-NRLM के तहत उप-योजना	कृषि में शामिल महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सुनियोजित निवेश करके उन्हें मजबूत बनाना। साथ ही, ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि-आधारित आजीविका का निर्माण करना और उसे बनाए रखना।
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)	2014/ DAY-NRLM के तहत उप-योजना	15 से 35 वर्ष की आयु के सबसे गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करना।
वुमनिया पहल (Womaniya Initiative)	2019/ गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)	GeM पोर्टल पर अनौपचारिक क्षेत्रक से महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भागीदारी को प्रोत्साहित करना
महिला स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंदीय क्षेत्रक की योजना	2023/ ग्रामीण विकास मंत्रालय	2023-24 से 2025-2026 की अवधि के दौरान 15,000 चयनित SHGs को ड्रोन प्रदान करना, ताकि कृषि कार्य के लिए किसानों को किराये पर ड्रोन सेवा प्राप्त हो सके

1.4.1. स्वयं-सहायता समूह बैंक लिंकेज (SHG-BL) परियोजना {Self Help Group Bank Linkages (SHG-BL) Project}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, SHG-BL प्रोग्राम के तहत वित्त वर्ष 2013-14 से नवंबर, 2023 तक SHGs को लगभग **7.68 लाख करोड़ रुपये** का बैंक ऋण दिया जा चुका है।

SHG बैंक लिंकेज (SHG-BL) परियोजना के बारे में

- SHG-BL **बचत आधारित सूक्ष्म-वित्त का एक मॉडल** है। इसकी शुरुआत **1992** में **नाबार्ड (NABARD)**[9] ने की थी।
  - इस कार्यक्रम के तहत, बैंकों को स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के लिए **रियायती ब्याज दर पर ऋण देने व बचत खाते खोलने हेतु अधिकृत** किया गया था।
- **SHG-BL के घटक**
  - सदस्यों को प्रशिक्षित करना और बैंक शाखा-प्रबंधकों के साथ समन्वय।
  - ग्रामीण बैंक शाखाओं में बैंक सखियों का प्रशिक्षण और पदस्थापन।
  - ग्रामीण बैंक शाखाओं में "समुदाय आधारित पुनर्भुगतान तंत्र" **(CBRM)**[10] आरंभ करना।
  - SHGs का क्रेडिट लिंकेज यानी बैंकों से ऋण मिलना।

[9] National Bank for Agriculture and Rural Development/ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

[10] Community Based Repayment Mechanism

कार्यक्रम के तहत विभिन्न चरणों का विकास

- **चरण-1 (1990-2005): चरण 1 (1990-2005):** नाबार्ड ने SHG-बैंक लिंकेज प्रोग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई है। RBI ने बैंकों को अनुमति दी कि वे SHGs को ऋण दें। हालांकि, दिए जाने वाले ऋण मुख्य तौर पर सब्सिडी आधारित हैं।
- **चरण-2 (2006-2012):** नीतिगत बदलाव के तहत व्यक्तियों को लक्षित करने के बजाय समूह को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **चरण-3 (2012 से अब तक):** DAY-NRLM का शुभारंभ ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पेशेवर श्रमबल हेतु समर्पित व्यवस्था स्थापित की जा रही है।
  - पूंजीगत सब्सिडी को हटाया गया है और ब्याज सब्सिडी की शुरुआत की गई है।

संबंधित सुर्खियां

भारत में सूक्ष्म वित्त (Microfinance in India)

- हाल ही में, **माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क (MFIN)** ने **"माइक्रो मैटर्स: मैक्रो व्यू"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
  - MFIN **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थानों (NBFC-MFIs)**[11] का एक संघ है। इसे **2009** में स्थापित किया गया था।
  - यह देश के **सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) का शीर्ष निकाय** है।
- **सूक्ष्म-वित्त** से आशय निम्न आय वाले ऐसे व्यक्तियों या समूहों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है, जो आमतौर पर किसी कारणवश **पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित नहीं** हुए हैं।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**
  - **NBFC-MFIs** अन्य विनियमित संस्थाओं की तुलना में **सर्वाधिक मात्रा** में सूक्ष्म-वित्त प्रदान करते हैं।
  - MFIs की **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs)**[12] में गिरावट आई है। ये वित्त वर्ष 2022 के 5.6% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में **2.7%** पर आ गई हैं।
  - सूक्ष्म-वित्त प्रदायगी में **पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी** में कमी दर्ज की गई है। इनकी हिस्सेदारी पिछले साल 37.7% थी, जो इस साल घटकर **34.9%** रह गई है।

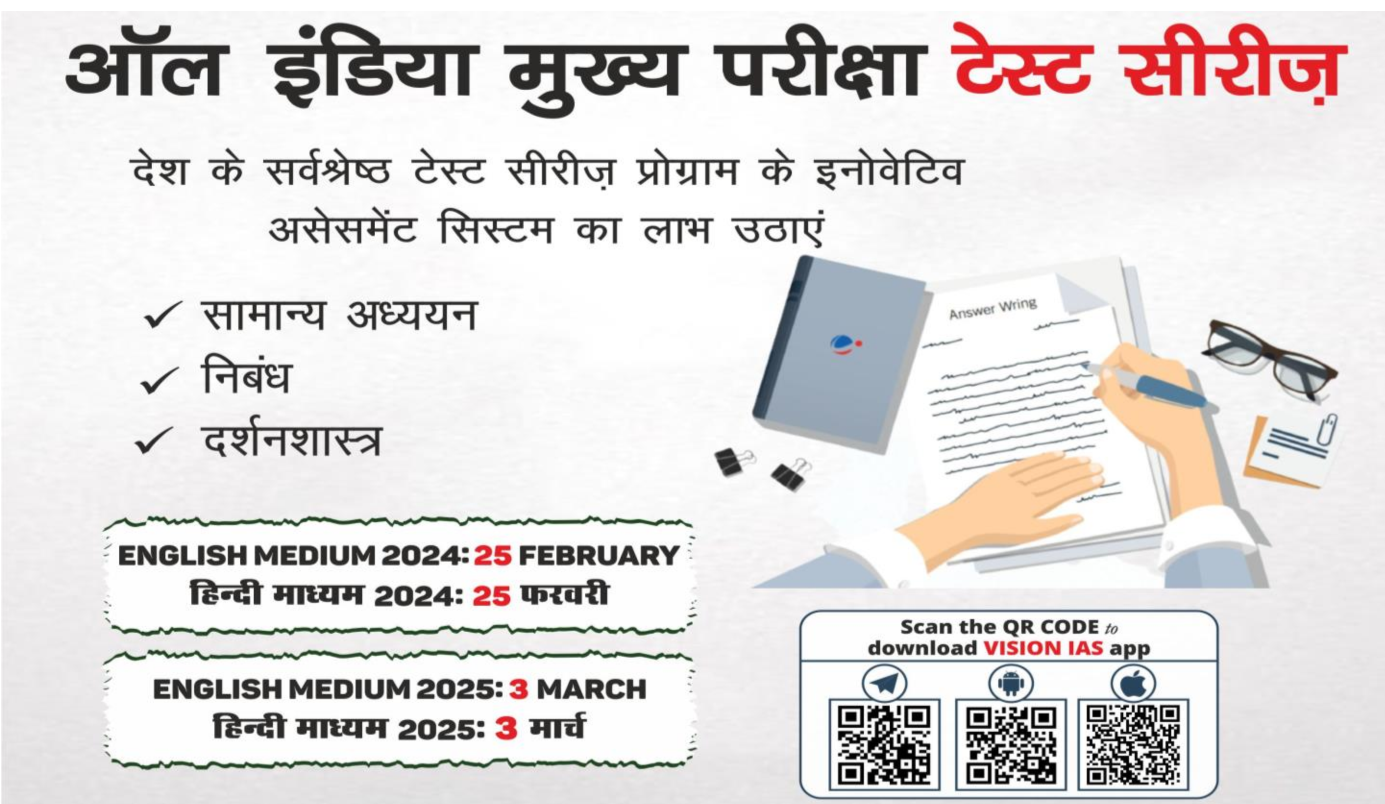

[11] Non-Bank Finance Company Micro Finance Institutions

[12] Non-Performing Assets

2. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

2.1. राज्य वित्त (State Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने **'राज्य वित्त: 2023-24 के बजट का अध्ययन[13]'** शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की थीम है- **'भारतीय राज्यों की राजस्व डायनामिक्स और राजकोषीय क्षमता[14]'।**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- बजटीय अनुमान के अनुसार, 2023-24 में पूंजीगत परिव्यय में **42.6% की वृद्धि** होगी। यह GDP के 2.9 प्रतिशत के बराबर है।
- राज्यों का **ऋण-GDP अनुपात** मार्च 2023 के अंत तक **कम होकर 27.5%** रह गया। **मार्च 2021 के अंत में यह 31%** था। राजस्व सुधारों यानी राजस्व संग्रह और राजस्व व्यय में सुधारों ने इस कमी में मुख्य भूमिका निभाई है।
- **'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP)** की तुलना में राज्यों के **'सकल राजकोषीय घाटा' (GFD) अनुपात में गिरावट** आई है। यह अनुपात **2020-21 में 4.1% था, जो कम होकर 2021-22 में 2.8%** हो गया। इस गिरावट की मुख्य वजहें हैं- राजस्व व्यय में कमी तथा राजस्व संग्रह में वृद्धि।
- **कर संग्रह में उछाल (Tax Buoyancy): वस्तु एवं सेवा कर (GST)** के लागू होने से राज्यों के **कर उछाल** में वृद्धि हुई है।
  - राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात में कर संग्रह में वृद्धि को टैक्स बोयेंसी **(कर उछाल)** कहते हैं।
    - टैक्स बोयेंसी के 1 से अधिक होने से आशय है- राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में कर राजस्व अधिक तीव्र दर से बढ़ रही है।

एन. के. सिंह समिति की सिफारिशें

- केंद्र और राज्यों का संयुक्त **"ऋण-GDP अनुपात"** 2023 तक कम करके 60 प्रतिशत किया जाना चाहिए। इसमें **केंद्र के लिए 40 प्रतिशत और राज्यों के लिए 20% की सीमा** निर्धारित थी।
- समिति ने **'एस्केप क्लॉज'** का प्रावधान करने का भी सुझाव दिया था। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, आपदा जैसी विशेष परिस्थितियों में राजकोषीय लक्ष्यों (राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा संबंधी) में छूट दी जा सकती है।

2.1.1. राज्यों का पूंजीगत व्यय (States' Capital Expenditure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के **व्यय विभाग** ने **चालू वित्त वर्ष में 16 राज्यों में 56,415 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश** प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह मंजूरी **"पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता[15], 2023-24" योजना** के तहत दी गई है।

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (2023-24) योजना के बारे में

- **योजना की शुरुआत:** इस तरह की योजना पहली बार **वित्त मंत्रालय ने 2020-21** में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की थी।
- **उद्देश्य:**
  - **राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा** देना,
  - साथ ही, इसका उद्देश्य पूंजीगत व्यय के **उच्च गुणक प्रभाव** (Multiplier effect) को प्राप्त करना है।
- **सहायता:** इस योजना के तहत **राज्य सरकारों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता** प्रदान की जा रही है।

[13] State Finances: A Study of Budget of 2023-24

[14] Revenue Dynamics and Fiscal Capacity of Indian States

[15] Special Assistance to States for Capital Investment

© Vision IAS

* **योजना के भाग:** इस योजना के आठ भाग हैं। भाग-I के तहत सर्वाधिक यानि एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। योजना के अन्य भाग या तो सुधारों से जुड़े हैं या क्षेत्रक-विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित हैं।
    * **भाग-I के तहत राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में** राशि आवंटित की गई है। यह आवंटन 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया है।

राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure: Capex) के रुझान

* **उच्चतर सब्सिडी व्यय:** राज्यों के पूंजीगत व्यय में वित्त **वर्ष 2022 में 29% की वृद्धि** हुई थी, जबकि वित्त **वर्ष 2023 में वृद्धि सामान्य** या सपाट रही है।
    * वित्त वर्ष 2023 में पूंजीगत व्यय में कमी आने के बावजूद **सब्सिडी पर राज्यों का खर्च तेज गति से** बढ़ा है।
    * **कैपेक्स को पूंजीगत व्यय के रूप में भी जाना जाता है।** यह सरकारी खर्च का ऐसा हिस्सा है जो स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, सड़कों, पुलों, बांधों, रेलवे लाइनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण में व्यय होता है।
* **पूंजीगत व्यय का लक्ष्य:** बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अध्ययन के अनुसार, 25 राज्यों ने वित्त वर्ष 2023 में समग्र रूप से अपने **पूंजीगत व्यय के निर्धारित लक्ष्य का 76% हासिल** कर लिया है।
* **पूंजीगत परिव्यय-GDP अनुपात[16]:** राज्यों का पूंजीगत परिव्यय-GDP अनुपात 2021-22 के 2.3% से बढ़कर 2022-23 में 2.9% होने की उम्मीद है।

इस योजना के अन्य भाग

भाग – II	पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु प्रोत्साहन।
भाग–III	नगर योजना निर्माण संबंधी सुधार।
भाग–IV	शहरी स्थानीय निकायों में वित्त–पोषण संबंधी सुधार।
भाग–V	पुलिस स्टेशन के आस–पास के इलाके में पुलिस कर्मियों हेतु आवास की सुविधा।
भाग–VI	राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु यूनिटी मॉल का निर्माण करना।
भाग–VII	बच्चों और किशोरों के लिए समर्पित पुस्तकालय एवं डिजिटल अवसंरचना।
भाग– VIII	राज्य सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विक्रेताओं और लाभार्थियों को समय पर धनराशि जारी करने हेतु प्रोत्साहन।

पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय

* **निधियों को शीघ्र जारी करना:** वित्त वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा करने की बजाय केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने में मदद करने के लिए **कर हस्तांतरण की किस्तें शुरुआत में ही जारी** कर रही है।
* केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 से संविधान के **अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों के ऋणों को विनियमित** भी किया है।
    * केंद्र ने राज्यों की वार्षिक निवल ऋण/ उधारी सीमा के हिस्से के रूप में **ऑफ-बजट उधारों** को शामिल करके राज्यों के लिए **उधार मानदंडों को सख्त** कर दिया है।
        * **ऑफ-बजट उधार** का तात्पर्य **राज्य सरकार की संस्थाओं, विशेष प्रयोजन वाहनों आदि द्वारा लिए गए ऋण से** है, जहां मूलधन और ब्याज का भुगतान उधार लेने वाली संस्थाओं के नकदी प्रवाह या राजस्व से करने के बजाय राज्य सरकार के अपने बजट से किया जाता है।
* **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना:** इसके तहत 14 प्रमुख क्षेत्रकों में उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु पूंजीगत व्यय किया जाता है।

2.2. सार्वजनिक ऋण (Public Debt)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)[17] ने अपनी **एनुअल आर्टिकल IV कंसल्टेशन रिपोर्ट** जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य सरकारी स्तर पर भारत का **सार्वजनिक ऋण-GDP अनुपात** वर्ष 2005-06 के 81% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 84% हो गया। हालांकि, यह वर्ष 2022-23 में पुनः 81% हो गया।

---

[16] Capital outlay-GDP ratio

[17] International Monetary Fund

अन्य संबंधित तथ्य

- **IMF के आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट के अनुच्छेद IV के तहत** आमतौर पर IMF हर साल सदस्यों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करता है।
- इस रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है कि मैक्रोइकोनॉमिक एवं वित्तीय स्थिरता के कारण **भारत में ठोस आर्थिक संवृद्धि** देखने को मिलेगी।

सार्वजनिक ऋण के बारे में

- सार्वजनिक ऋण **केंद्र सरकार की देनदारियों** को दर्शाता है। इसका भुगतान **भारत की संचित निधि** से किया जाता है, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के **अनुच्छेद 292** में है।
- **भारत में सार्वजनिक ऋण की वर्तमान स्थिति:**
    - मार्च 2023 के अंत तक **केंद्र सरकार का सार्वजनिक ऋण** इसके **सकल घरेलू उत्पाद का 57.1%** था।
    - **2022-23 में सामान्य सरकारी ऋण, सकल घरेलू उत्पाद का 81%** था।
        - **सामान्य सरकारी ऋण** सरकारी क्षेत्रक (केंद्र, राज्य सरकारें और विधायिका वाले केंद्रशासित प्रदेश) की ऋणग्रस्तता को दर्शाता है।
    - मार्च 2022 के अंत में **आंतरिक/ घरेलू ऋण, सार्वजनिक ऋण का 94.6%** था।

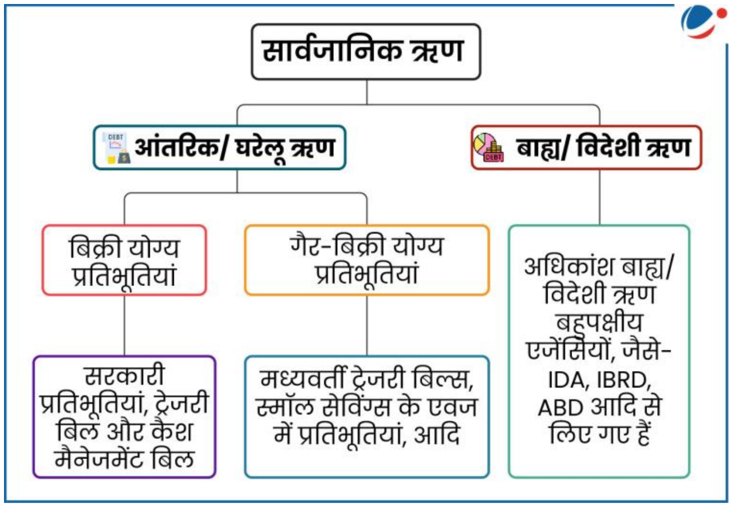

उच्च सार्वजनिक ऋण के कारण और इसके निहितार्थ	
कारण	**निहितार्थ**
• कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए **राजकोषीय प्रोत्साहन** दिया गया। • भारत द्वारा आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए **अवसंरचना से जुड़ी हुई परियोजनाओं में निवेश** को बढ़ाया गया है। • **राजस्व प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि के बिना सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर जारी रखने के कारण** सरकार को और अधिक ऋण लेना पड़ सकता है। • **ब्याज चुकाने की लागत में होने वाली वृद्धि।**	• इससे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ग्रीन ट्रांजीशन जैसी उभरती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए **राजकोषीय संसाधन सीमित** हो जाते हैं। • **भारत में, ब्याज भुगतान पर GDP का 5% खर्च होता है।** यह उभरते बाजारों और विकासशील देशों के औसत से लगभग दोगुना है। • **इससे क्राउडिंग आउट प्रभाव पड़ता है** यानी इससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण निवेश संबंधी निजी व्यय में कमी आती है।

संबंधित सुर्खियां

बाह्य ऋण पर विश्व बैंक रिपोर्ट

- विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक **'इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट (IDR), 2023'** जारी की है।
- इस रिपोर्ट में **निम्न और मध्यम आय वाले 122 देशों (LMICs)**[18] **के विदेशी ऋण से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण** किया गया है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
    - **ऋण में ऐतिहासिक वृद्धि:** LMIC द्वारा **सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत (PPG)**[19] ऋण भुगतान (मूलधन + ब्याज) 2022 में **कुल 443.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था।
    - **ऋण भुगतान करने से जुड़ी लागत:** बढ़ती ब्याज दरों और विनिमय दर में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण बाह्य ऋण को चुकाना कठिन हो सकता है।
        - 2022 में **भारत की ऋण भुगतान लागत इसकी सकल राष्ट्रीय आय (GNI) की 2% थी।**
    - **प्राथमिकताओं में कमी:** ऋण चुकाने से **विकास संबंधी अन्य प्राथमिकताओं (स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) पर खर्च में कमी** आ सकती है।
    - **धन का बाहर जाना:** उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में **सख्त मौद्रिक नीति** के कारण निवेशकों को **अमेरिकी और यूरोपीय बॉण्ड बाजारों में आकर्षक रिटर्न** मिल रहा है।

[18] Low and Middle-Income Countries

[19] Public and publicly guaranteed

© Vision IAS

2.2.1. बजटेतर उधारियां (Off-Budget Borrowings: OBBs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (CSEP) ने **"भारत सरकार द्वारा बजटेतर उधारियों"** पर एक रिपोर्ट जारी की है।

OBBs के बारे में

- बजटेतर (Off-Budget) उधार से आशय **उन उधारियों से है, जिनका बजट में उल्लेख नहीं होता है,** भले ही **उनके पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग** किया जाता हो।
  - इस प्रकार, राजकोषीय निहितार्थों के बावजूद बजटेतर उधार **राजकोषीय संकेतकों की गणना का हिस्सा नहीं है।**
- **सरकार प्रत्यक्ष रूप से बजटेतर उधार नहीं लेती है,** बल्कि उसके निर्देश पर **किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा उधार** लिया जाता है।
  - उदाहरण के लिए- **खाद्य सब्सिडी बिल का भुगतान करने के लिए FCI द्वारा लिया गया उधार** (यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 से बंद कर दी गई है)।

सरकार द्वारा बजटेतर उधार का सहारा लेने के पीछे कारण

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को दरकिनार** करना।
- संविधान के **अनुच्छेद 293(3) के तहत उधार लेने की सीमा से बचना।**
  - इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य सरकारों के पास केंद्र का कोई बकाया ऋण है या ऐसे ऋण हैं जहां **केंद्र गारंटर** है, तो उस स्थिति में **राज्यों को नए ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।**
- **केंद्रीय अनुदान में देरी** या राजस्व के अन्य स्रोतों में कटौती से **बचना।**

OBB के अधिक होने के प्रभाव

- **यह एक अदृश्य देनदारी** है जो **सरकार के लिए ऋण जाल** का कारण बन सकती है।
- **इससे जवाबदेही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है** क्योंकि आम तौर पर इसकी जांच नहीं की जाती है।

बजटेतर उधार के तरीके: राष्ट्रीय बचत योजनाएं, सरकारी फुल सर्विस्ड (गारंटी प्राप्त) बॉण्ड, घरेलू/ विदेशी बाजार से उधार लेना आदि।

2.3. चालू खाता घाटा (Current Account Deficit: CAD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा (CAD) बढ़कर 9.2 बिलियन डॉलर हो गया, जो पहले 1.3 बिलियन डॉलर था। हालांकि, बाद में यह दूसरी तिमाही (2023-24) में घटकर GDP के 1% पर आ गया।

CAD के बारे में

- **भुगतान संतुलन (Balance of Payments: BoP):** इसमें किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच किसी विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेनदेन को शामिल किया जाता है।
- **चालू खाता** भुगतान संतुलन (BoP) के दो खातों में से एक है। इसमें **वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात एवं आयात** तथा **अंतरण भुगतान** को दर्ज किया जाता है।
  - **अंतरण भुगतान** (Transfer payments) ऐसी **प्राप्तियां** हैं, जो **निवासियों द्वारा** किसी वर्तमान या भावी भुगतान के बिना, 'निःशुल्क' **प्राप्त** की जाती हैं। इसमें प्रेषण, उपहार और अनुदान शामिल हैं।
- **पूंजी खाता** में एक विशिष्ट समय, आमतौर पर एक वर्ष में संपत्ति की अंतर्राष्ट्रीय खरीद और बिक्री, जैसे- धन, स्टॉक, बॉण्ड्स, आदि को दर्ज किया जाता है।

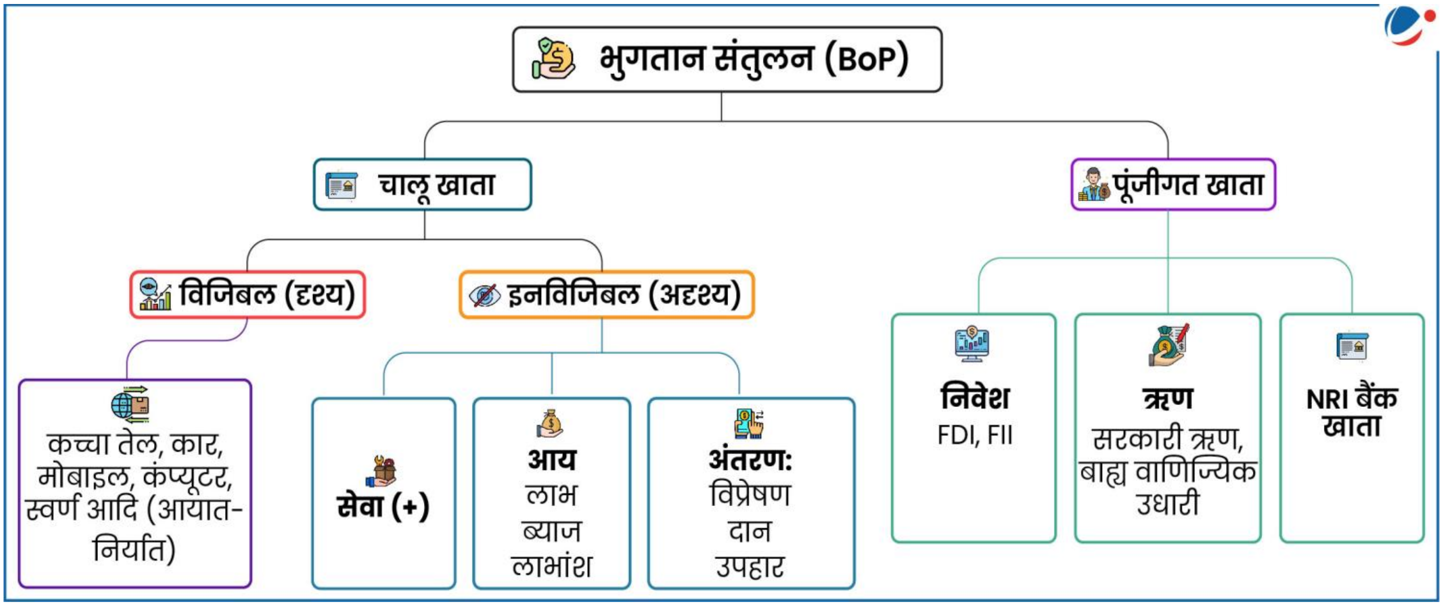

भारत के CAD में हुई वृद्धि के पीछे कारण

- **उच्च व्यापार घाटा:** बढ़ते आयात और घटते निर्यात के कारण CAD बढ़ा है।
- **सेवा प्राप्तियों (Services Receipts) में गिरावट:** मुख्य रूप से कंप्यूटर, यात्रा और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में कमी के कारण निवल सेवा प्राप्तियों में कमी आई है।
- **वैश्विक कारकों का प्रभाव:** धीमी वैश्विक संवृद्धि का भारत की निर्यात-उन्मुख सेवाओं और रेमिटेंसेस पर प्रभाव पड़ता है, जिससे CAD के स्तर को कम-से-कम बनाए रखने में चुनौतियां बढ़ जाती हैं।
- **तेल की बढ़ती कीमतें:** तेल की कीमतों में प्रत्याशित वृद्धि से वाणिज्यिक व्यापार घाटा बढ़ जाता है। तेल की ऊंची कीमतों के कारण आयात की लागत बढ़ती है, जिससे समग्र CAD भी प्रभावित होता है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में गिरावट:** निवल FDI में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे समग्र भुगतान संतुलन प्रभावित हुआ है।

CAD बढ़ने से संभावित खतरे

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर, भारत किसी बाह्य क्षेत्रक संकट में आए बिना **GDP के 2.5-3.0% के CAD को बनाए रख सकता है** (आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22)। हालांकि, **बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम, वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि, कोविड-19 के नए वेरिएंट का डर और अमेरिकी मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के खतरों** के साथ निम्नलिखित अन्य खतरे CAD को बढ़ा सकते हैं:

- **विदेशी निवेश:** विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अपनी पूंजी निकाला जाना या सीमित पूंजी का ही निवेश।
- **विनिमय दर:** लंबी अवधि के लिए उच्च चालू खाता घाटा मुद्रा की वैश्विक मांग को कम कर देता है। इससे मुद्रा विनिमय दर में तीव्र गिरावट की स्थिति पैदा हो सकती है।
- **मुद्रास्फीति: मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं** के कारण घरेलू बचत में और गिरावट आना, जिससे निवेश में कमी आती है या विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी उधार लेना पड़ता है।
- **भुगतान असंतुलन:** इससे **भुगतान असंतुलन या भुगतान संकट** की स्थिति पैदा हो सकती है, जैसा कि **एशियाई वित्तीय संकट** (1997) और हाल ही में **श्रीलंकाई संकट** के दौरान देखा गया।

2.4. दिनांकित प्रतिभूतियां (Dated Securities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में बाजार से **6.55 ट्रिलियन रुपये** उधार लेगी। इस बाज़ार उधारी से सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करेगी, जो कि GDP का 5.9% है।

सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs) क्या हैं?

- G-Sec **केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य लिखत (Tradeable instrument) है।** यह सरकार के ऋण दायित्व से जुड़ा होता है।
- सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से चूक का कोई जोखिम नहीं होता है और इसलिए, इन्हें **जोखिम मुक्त गिल्ट-एज लिखत** कहा जाता है।
- दिनांकित G-Secs **ऐसी प्रतिभूतियां होती हैं जिनमें एक निश्चित ब्याज दर या फ्लोटिंग कूपन (ब्याज दर) प्राप्त होता है।** इसका भुगतान अर्द्ध-वार्षिक आधार पर **अंकित मूल्य** पर किया जाता है।
  - आमतौर पर, दिनांकित प्रतिभूतियों की **अवधि 5 वर्ष से 40 वर्ष तक** होती है।

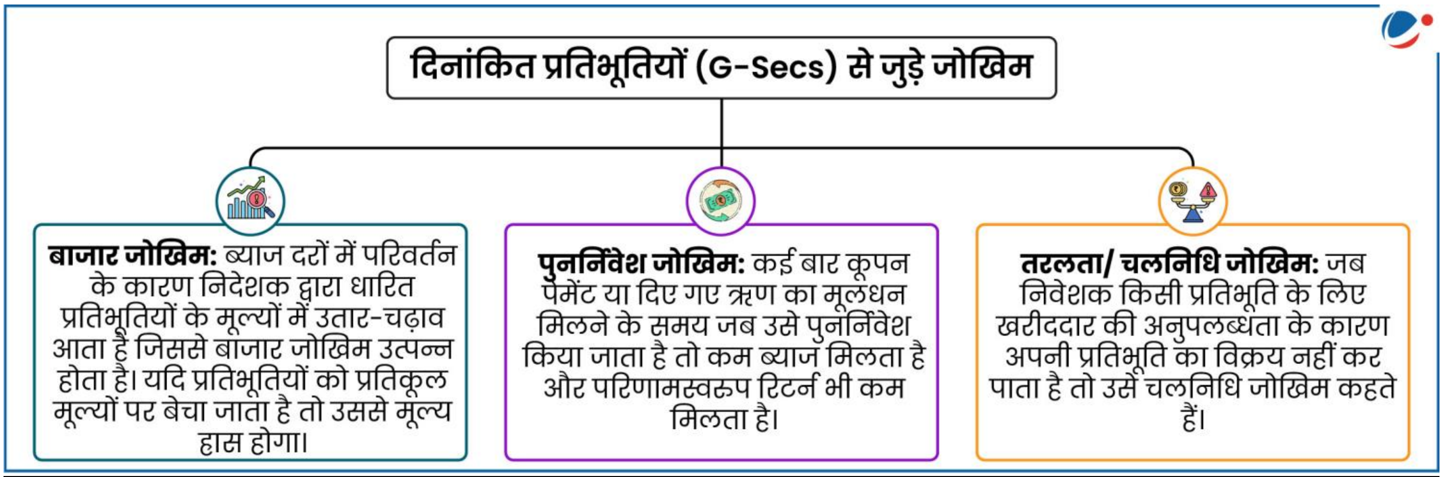

G-Secs के अन्य प्रकार	
ट्रेजरी बिल (टी-बिल):	• ट्रेजरी बिल्स मुद्रा बाजार से संबंधित विपत्र होते हैं। इसलिए ये **भारत सरकार द्वारा जारी अल्पावधिक ऋण विपत्र** होते है। वर्तमान में **91 दिवसीय, 182 दिवसीय आऔर 364 दिवसीय** ट्रेजरी बिल्स जारी किये जाते हैं। • ट्रेजरी बिल्स **शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ** होती हैं और उन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। • ये **अंकित मूल्य से कम पर (बट्टे पर) जारी किए** जाते हैं और इनका मोचन (Redeemed) अंकित मूल्य पर होता है।
कैश मैनेजमेंट बिल्स (CMBs)	• CMBs, T-बिल के ही समान होते हैं, हालांकि **इन्हें 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी** किया जाता है।
राज्य विकास ऋण (State Development Loans: SDLs)	• SDLs दिनांकित G-Secs के समान ही होते हैं। ये राज्य सरकारों द्वारा सामान्य नीलामी के माध्यम से जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियां होती हैं।

सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs) कैसे जारी की जाती हैं?

- **जारी करने का तरीका: सरकारी प्रतिभूतियों को RBI द्वारा ई-कुबेर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म** पर आयोजित **नीलामी के जरिए** जारी किया जाता है।
- **भागीदारी:** RBI के तहत फंड्स अकाउंट (चालू खाता) और सिक्युरिटीज अकाउंट धारण करने वाले वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, प्राइमरी डीलर्स, बीमा कंपनियां और प्रोविडेंट फंड्स **ई-कुबेर के सदस्य** होते हैं और वे **नीलामी में भाग लेते हैं।**
  - **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs)** और कार्पोरेट्स को भी **G-Secs बाजार में भाग लेने की अनुमति** होती है।
  - इन्हें समय-समय पर तय की गई मात्रात्मक सीमा के अनुसार जारी किया जाता है। इसमें भाग लेने के लिए **अनुसूचित बैंक, प्राथमिक डीलर या विशिष्ट स्टॉक एक्सचेंज** के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाती है।
- RBI **ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMOs)** के तहत बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या बाजार से इनकी खरीद करता है। RBI देश की अर्थव्यवस्था में **पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए** ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल करता है।

संबंधित सुर्ख़ियां

बॉण्ड यील्ड (Bond Yield)

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **सरकारी प्रतिभूतियों** (G-Sec) को **ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के जरिए बेचने** का फैसला लिया है। इससे वित्त वर्ष 2023-24 में **बॉण्ड यील्ड बढ़कर अपने उच्चतम स्तर** पर पहुंच गया है।
- बॉण्ड यील्ड वह **रिटर्न** है जो एक **निवेशक** इसकी संपूर्ण परिपक्वता अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त करने की **उम्मीद करता है।**
    - यील्ड को आमतौर पर **ब्याज दर,** या **जारीकर्ता के लिए "उधार प्राप्त करने की लागत"** के रूप में भी जाना जाता है।
- किसी बॉण्ड की यील्ड उसकी **कीमत के व्युत्क्रमानुपाती** होती है। जब किसी बॉण्ड की कीमत कम होती है, तो यील्ड बढ़ती है।

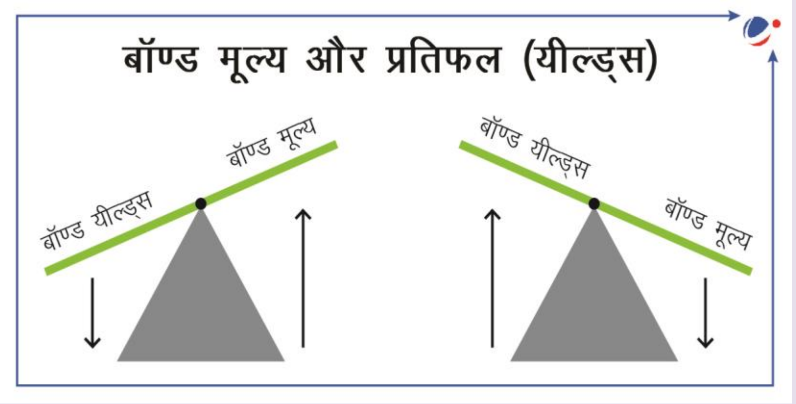

2.5. वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax: GST)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, GST परिषद[20] की 50 वीं बैठक में **ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग** तथा **कैसीनो** पर 28 प्रतिशत GST लागू करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र

- **कर की दर:** इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर **28 प्रतिशत की दर से** GST लागू किया गया है। यह GST दर गेम में एंट्री के दौरान **भुगतान की गई प्रारंभिक राशि पर** लगाया जाएगा, न कि लगाए गए प्रत्येक दांव के कुल मूल्य पर।
    - **स्किल** एवं **लक या चांस** दोनों के आधार पर खेले जाने वाले खेलों को कवर करता है। दोनों प्रकार के खेलों में जीत पर **30% का TDS भी काटा** जाता है।
- **ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर-आरोपण:** भारतीय गेमर्स को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसी कंपनियों को स्वयं को **GST प्राधिकरणों के पास पंजीकृत** कराना होगा और **कर का भुगतान** करना होगा।
    - इसे लागू करने के लिए **एकीकृत जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 में संशोधन** किया गया है।

ऑनलाइन गेम्स के प्रकार

- **गेम ऑफ स्किल:** ऐसा गेम जिसका परिणाम **प्लेयर की विशेषज्ञता, अभ्यास एवं अनुभव** पर निर्भर करता है न कि केवल संयोग (चांस) पर।
- **गेम ऑफ चांस:** ये ऐसे गेम्स हैं, जिनके **रिजल्ट संयोगवश या अकस्मात घटनाओं** (Randomised events) द्वारा निर्धारित होते हैं। इन्हें सट्टेबाजी, जुआ और हॉर्स-रेस के समान माना जाता है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के बारे में

- GST पूरे देश के लिए **एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून** है। यह एक **बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर** है। यह वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है।
- इसे **1 जुलाई, 2017 को 101वें संवैधानिक संशोधन** के जरिए भारत में उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष करों की जगह लागू किया गया।
    - **अप्रत्यक्ष करों पर गठित केलकर टास्क फोर्स** ने भारत में **राष्ट्रव्यापी स्तर पर एकल GST** को लागू करने का विचार **पहली बार वर्ष 2000 में प्रस्तावित** किया था।
- **प्रतिदिन (Pratidin):** यह GST के लिए एक वेब आधारित दैनिक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली है। इसे हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तहत स्थापित किया गया है।

[20] Goods and Services Tax Council/ वस्तु और सेवा कर परिषद

© Vision IAS

GST की संरचना

- **केंद्रीय GST (CGST):** यह **केंद्र सरकार द्वारा** किसी राज्य के भीतर होने वाली बिक्री (Intra-state) पर **वसूला** जाता है।
  - इसके तहत एकत्रित राजस्व केंद्र और राज्य के बीच समान रूप से साझा किया जाता है।
- **राज्य GST (SGST):** यह **राज्य सरकार द्वारा** राज्य के भीतर होने वाली बिक्री (Intra-state) पर **वसूला** जाता है।
  - राजस्व केंद्र और राज्य के बीच समान रूप से साझा किया जाता है।
- **अंतर-राज्यीय GST (IGST):** यह **केंद्र सरकार द्वारा** एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाने वाली बिक्री (Inter-state) के लिए **वसूला** जाता है।
  - केंद्र सरकार वस्तु के गंतव्य के आधार पर राज्यों के साथ IGST राजस्व को साझा करती है।

GST की आवश्यकता क्यों?

एकल राष्ट्रीय बाज़ार की स्थापना	**जटिल कराधान व्यवस्था**	**टैक्स कैस्केडिंग** जैसे मुद्दे	**प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल** की आवश्यकता	**ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस** का सीमित होना	**कर संग्रह की उच्च लागत**

GST से संबंधित संस्थान/ निकाय	
GST नेटवर्क (GSTN)	• GSTN एक **गैर-लाभकारी कंपनी** है। इसे करदाता पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान सहित **GST प्रणाली के लिए एक आई.टी. आधार** के रूप में विकसित किया गया है। • GSTC ने **GSTN को सरकारी कंपनी** में बदलने की मंजूरी दे दी है। अतः GSTN में **100% शेयर स्वामित्व** सरकार का होगा। इसमें **50% शेयर केंद्र सरकार के पास** और 50% शेयर संयुक्त रूप से राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास होगा।

GST अपीलीय अधिकरण (GSTAT)	• GSTAT, **केंद्रीय GST अधिनियम, 2017** के तहत एक **वैधानिक निकाय है।**
	• यह GST कानूनों के तहत **अपील का दूसरा मंच** है और केंद्र एवं राज्यों के बीच **विवाद समाधान का पहला साझा मंच** है। पहले स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण हैं।
	  ○ यह **अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण** द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करेगा।
	• **केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) (GSTAT) अधिनियम, 2023 में कुछ** बदलाव पेश किए गए।
	  ○ **GSTAT के सदस्यों के लिए योग्यता में बदलाव:** यह **कम-से-कम 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त** करने का प्रावधान करता है। उसे **अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों में पर्याप्त अनुभव** होना चाहिए।
	    ▪ GSTAT के **सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष** होगी।
	  ○ GSTAT के **अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों के लिए 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष** की गई है।

GST परिषद (GSTC)	• **संविधान के अनुच्छेद 279A के उपबंधों के अधीन GST परिषद** की स्थापना की गई है। इस प्रकार, यह एक **संवैधानिक निकाय** है। अनुच्छेद 279A को **101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है।
	• यह **केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच** है।
	  ○ **अध्यक्ष:** केंद्रीय वित्त मंत्री।
	  ○ **सदस्य:**
	    ▪ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री या राजस्व प्रभारी।
	    ▪ वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।
	• **कार्य:** GST के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करना।

	○ **मतदान के माध्यम से निर्णय लेना:** निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के **3/4 बहुमत** की आवश्यकता होती है। ▪ डाले गए मतों में केंद्र की हिस्सेदारी **33%** होती है। • परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर दरों, छूट और राजस्व बंटवारे सहित **GST के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय करती है।**

2.6. कर आधार का विस्तार (Widening Tax Base)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने आयकर विभाग से **कर आधार को विस्तृत करने के लिए तीन व्यापक सिद्धांतों-'पारदर्शिता, निष्पक्षता और करदाता-अनुकूल व्यवस्था'** का पालन करने के लिए कहा है।

कर आधार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **बैंक खातों और आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करने** से सरकार को बैंकों की सहायता से सभी औपचारिक लेन-देन को ट्रैक करने में मदद मिली है।
- **नए TDS[21] कोड की शुरुआत**, जो पिछले आठ वर्षों में 36 से बढ़कर 65 हो गई है।
- वित्तीय लेन-देन विवरण (SFT)[22] में **नए डेटा स्रोतों की शुरुआत**, जैसे- लाभांश, ब्याज, आदि।

भारत में कराधान की वर्तमान स्थिति

- **कर-GDP अनुपातः** यह **किसी देश की GDP की तुलना में उस देश के कर राजस्व (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर)** का अनुपात होता है।
    - **GDP की तुलना में कर का अनुपात:** वित्त वर्ष 2023 में 11.1%
        - **प्रत्यक्ष कर: 6%**
        - **अप्रत्यक्ष कर: 5.1%**
    - यह **किसी देश की** अर्थव्यवस्था के आकार के संबंध में **कर राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता की एक उपयोगी माप है। सामान्यता देश के कर-GDP अनुपात में कमी धीमी आर्थिक संवृद्धि दर को दर्शाती है।**
- **आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले:** कुल जनसंख्या का 5.3%
    - **भारत में सबसे पहले आय कर की अवधारणा 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वह ब्रिटिश भारत सरकार के प्रथम वित्त मंत्री** थे।
    - **1865-1886 के बीच इस कर को अस्थायी तौर पर निरस्त कर दिया गया था।** हालांकि, इसके बाद से यह कर लगातार आरोपित / वसूला जाता रहा है।
- **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी किए गए प्रमुख आंकड़े:**
    - वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में **निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह 121.18% बढ़ गया** है।
    - **प्रत्यक्ष कर-GDP अनुपात** वित्त वर्ष 2013-14 के 5.62% से बढ़कर **वित्त वर्ष 2021-22 में 5.97% हो गया** है।
    - **प्रत्यक्ष कर में 2.52% का उछाल**[23] दर्ज किया गया, **जो पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है।**

कम कर आधार के कारण

- **वृहत आकार के अनौपचारिक क्षेत्रक की उपस्थिति:** इस क्षेत्रक में लेन-देन अक्सर नकदी में किया जाता है, जिससे उनका पता लगा पाना काफी कठिन हो जाता है।
- **कृषि आय पर कर छूट:** यह क्षेत्रक लगभग 60% भारतीयों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत है।
- **कर मुकदमेबाजी की अधिक घटनाएं:** देश में कर मुकदमेबाजी के चलते लगभग 5 लाख मामले लंबित हैं।
- **तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों (वित्तीय और जन शक्ति) की कमी:** इसके परिणामस्वरूप **कर प्रशासन** कम प्रभावी है।

---

[21] Tax Deducted at Source/ स्रोत पर कर कटौती

[22] Statement of Financial Transactions

[23] Direct tax buoyancy

© Vision IAS

संबंधित सुर्ख़ियां

एंजेल टैक्स (Angel Tax)

- **वित्त मंत्रालय ने एंजेल कराधान में बदलाव** का प्रस्ताव दिया है। साथ ही, उन **विदेशी संस्थाओं** को भी अधिसूचित किया है, जिन्हें कर प्रावधानों से छूट प्रदान की जाएगी।
- **एंजेल टैक्स** को 2012 में प्रस्तुत किया गया था। इसे **गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया** जाता है।
    - इसका उद्देश्य **क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयरों की खरीद के माध्यम से गैर-हिसाबी धन के सृजन व उपयोग को रोकना है। निवेशक यह खरीद उस कंपनी के शेयरों के उचित बाजार मूल्य की तुलना में उच्च मूल्य पर करते हैं।**

2.7. आधिकारिक सांख्यिकी (Official Statistics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)[24] ने **"आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति (NPOS)"** का संशोधित मसौदा तैयार किया है।

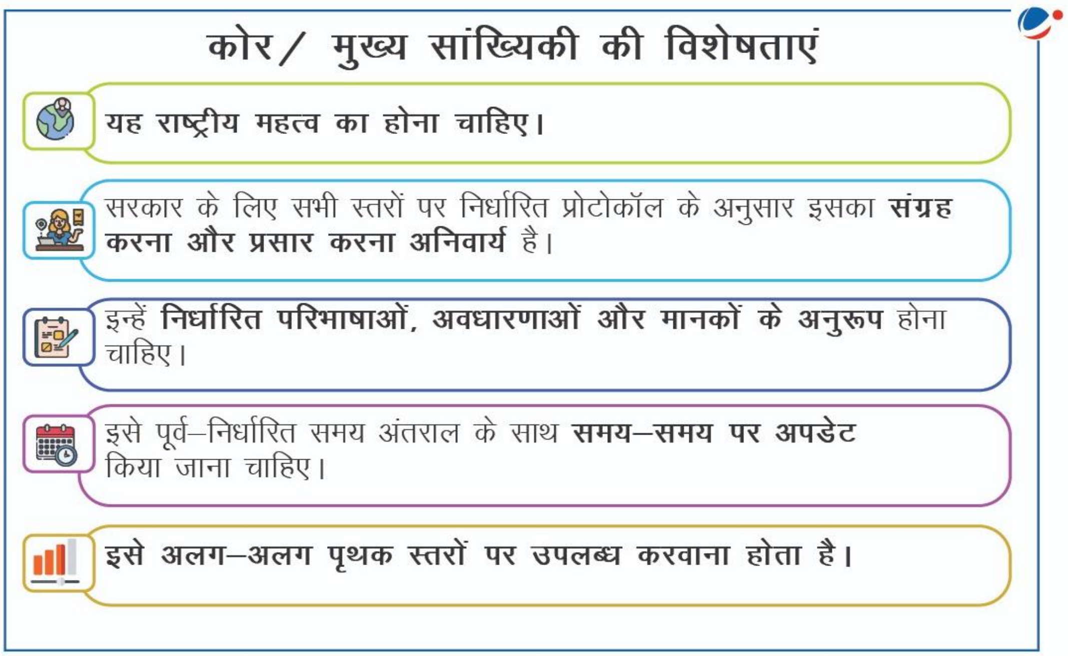

अन्य संबंधित तथ्य

- यह नीति **आधिकारिक सांख्यिकी पर संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों (UNFPOS)**[25] का समर्थन करती है। भारत ने **2016** में UNFPOS को अपनाया था।
- **नीति में उल्लिखित मुख्य पहलें/ महत्वपूर्ण क्षेत्र**
    - **एकीकृत डेटा प्रणाली (IDS) का निर्माण:** IDS (MoSPI के नेतृत्व में) द्वारा **डेटासेट्स को बिना किसी बाधा के आपस में जोड़ा** जाएगा। यह राष्ट्रीय और राज्य/ UTs स्तर पर डेटा उत्पन्न करने वाली विभिन्न प्रणालियों के बीच ताल-मेल सुनिश्चित करेगा।
    - **नवाचार केंद्र:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के लिए।
    - **कोर आधिकारिक सांख्यिकी:** मुख्य सांख्यिकीय उत्पादों, जैसे- GDP, मूल्य सूचकांक, SDGs आदि को **कोर सांख्यिकी** के रूप में डिजाइन किया जाएगा।

भारत में आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली की वर्तमान स्थिति

- **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** राष्ट्रीय स्तर पर देश में सांख्यिकीय प्रणाली के एकीकृत विकास की योजना बनाने के लिए **नोडल एजेंसी** है।

[24] Ministry of Statistics & Programme Implementation

[25] United Nations Fundamental Principles of Official Statistics

- शीर्ष स्तर पर, **आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (DES)**[26] राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करता है।
- **राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC)**[27]: यह **सांख्यिकीय मामलों पर एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है।** केंद्र सरकार ने 2006 में NSC का गठन किया था।
    - इसे **सी. रंगराजन आयोग** की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था।
- **सातवीं अनुसूची में स्थान:** 'सांख्यिकी' विषय **संघ सूची (सूची-I) की प्रविष्टि 94** और **समवर्ती सूची (सूची-III) की प्रविष्टि 45** में शामिल है।
- **कानून:** सांख्यिकी से संबंधित विशेष कानूनों के तहत संबंधित सांख्यिकीय गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इन कानूनों में **जनगणना अधिनियम 1948; जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969;** तथा **सांख्यिकी संग्रह अधिनियम**[28]**, 2008** शामिल हैं।

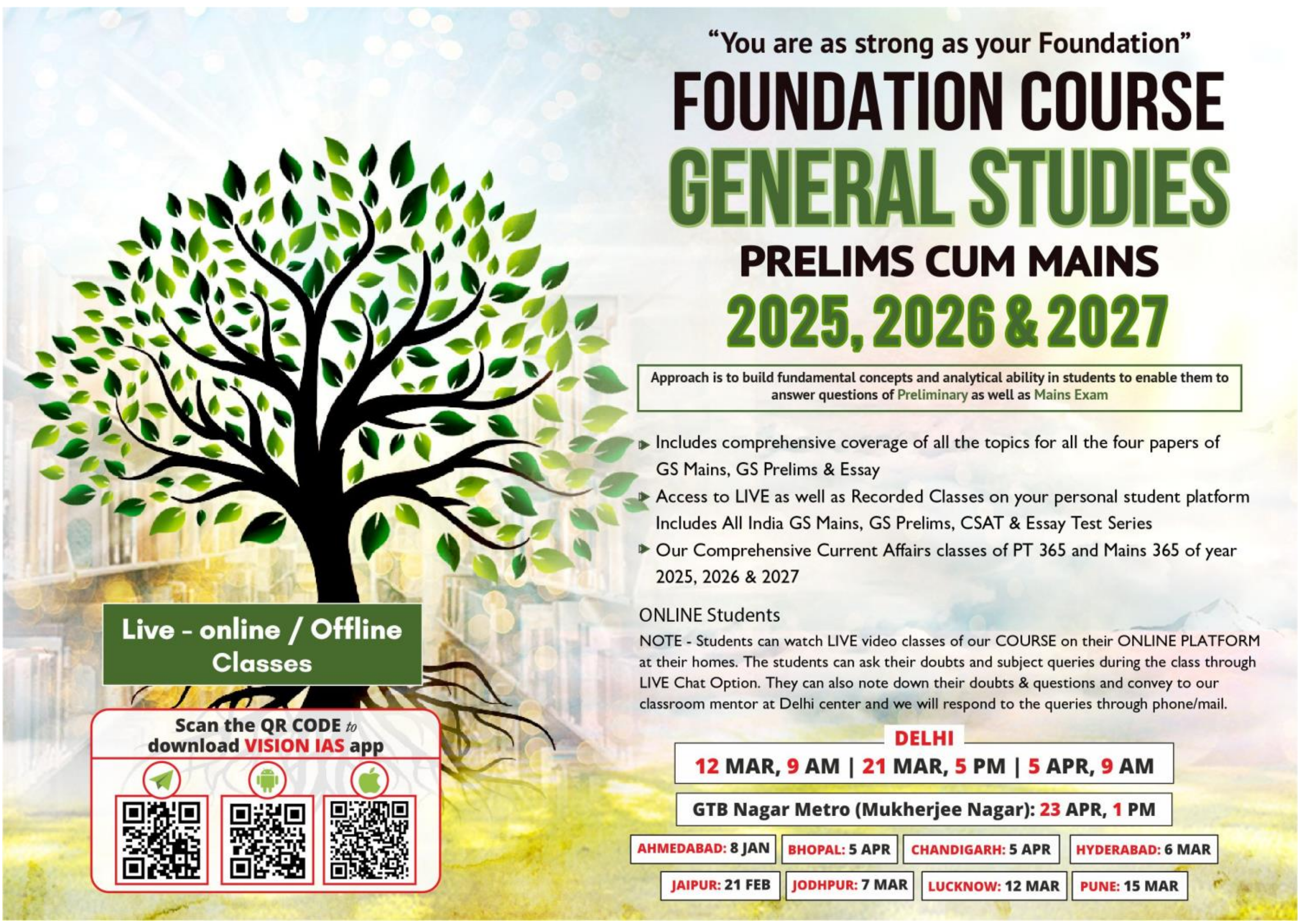

[26] Directorates of Economics & Statistics

[27] National Statistical Commission

[28] Collection of Statistics Act

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ-साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न-पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

UPSC प्रीलिम्स 2024: अगले 3.5 महीनों हेतु प्रभावी रणनीति" देखने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर-की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची | सीकर

3. श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास (Labour, Employment and Skill Development)

3.1. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey: PLFS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2022-23** जारी किया गया। **पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में LFPR 55.2% से बढ़कर 57.9% (पुरुष - 78.5% और महिला - 37%) हो गया है।**

LFPS के प्रमुख निष्कर्ष

संकेतक		2017-18	2022-23	ट्रेंड
LFPR	कुल	49.8 %	57.9 %	↑
	ग्रामीण	50.7 %	60.8 %	↑
	शहरी	47.6 %	50.4 %	↑
	पुरुष	75.8 %	78.5 %	↑
	महिला	23.3 %	37.0 %	↑
WPR	कुल	46.8 %	56.0 %	↑
UR	कुल	6 %	3.2 %	↓

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के बारे में

- **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) ने अप्रैल, 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) को आरंभ किया गया था।**
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) का मुख्य **उद्देश्य रोजगार एवं बेरोजगारी संबंधी मुख्य संकेतकों {**जैसे कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR)[29], श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)[30], बेरोजगारी दर (UR)[31]} **का वार्षिक आधार पर अनुमान लगाना।** इसके मूल्यांकन की गतिविधि की स्थिति पर किया जाता है-
  - शहरी क्षेत्रों के लिए 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS)[32] के आधार पर केवल तीन महीने के अंतराल के लिए।
  - वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में **'सामान्य स्थिति (Usual Status)'** (प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति + सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति) तथा **'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) दोनों के आधार पर रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।**

PLFS में प्रयुक्त प्रमुख संकेतक:

- **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):** यह कुल आबादी में **श्रम बल में शामिल व्यक्तियों** का प्रतिशत है। इसमें कार्यरत या काम की तलाश में लगे लोग या काम करने के लिए उपलब्ध लोग शामिल हैं।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):** कुल जनसंख्या में **रोजगार प्राप्त व्यक्तियों** का प्रतिशत।
- **बेरोजगारी दर (UR):** इसे **श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत** के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **कार्यकलाप की स्थिति (Activity Status):** यह निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा **की गई कार्य गतिविधियों** के आधार पर निर्धारित की जाती है।
  - **सामान्य स्थिति (Usual Status)-** कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक **पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि** के आधार पर किया जाता है।
  - **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS)-** कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक **पहले के सात दिनों की संदर्भ अवधि** के आधार पर किया जाता है।

---
29 Worker Population Ratio

30 Labour Force Participation Rate

31 Unemployment Rate

32 Current Weekly Status

© Vision IAS

लैंगिक वेतन अंतराल पर PLFS के निष्कर्ष

- वर्ष 2023 में, **स्व-रोज़गार आधारित श्रमिकों के लिए काम के घंटों में अंतर सबसे अधिक (पुरुषों के मामले में यह 50% अधिक)** था, जबकि यह **नियमित वेतनभोगी श्रमिकों** (19%) के मामले में **सबसे कम** था।
- **सभी प्रकार के कार्यों में पुरुष, महिलाओं की तुलना में अधिक कमाते हैं।** स्व-रोज़गार के मामले में भी यह अंतर सबसे अधिक है।
    - 2023 में, **स्व-रोज़गार वाले पुरुष श्रमिकों ने महिलाओं की तुलना में 2.8 गुना अधिक कमाया,** जबकि **नियमित वेतनभोगी पुरुष श्रमिकों ने 24% अधिक कमाया** था।
- **ग्रामीण महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में वृद्धि हुई** है। साथ ही, स्व-रोज़गार वाली महिलाओं के अनुपात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
    - हालांकि, **ग्रामीण स्व-रोज़गार वाली महिलाओं** के लिए **प्रति सप्ताह काम करने के औसत घंटे** 2019 के 37.1 से गिरकर 2023 में 30.1 हो गए हैं।

3.2 अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (2023): श्रम बल में महिलाएं (Nobel Prize in Economics: Women in Labour Force)

सुर्ख़ियों में क्यों?

“अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार[33] 2023” **क्लाउडिया गोल्डिन** को देने की घोषणा की गई। गोल्डिन को यह पुरस्कार **“श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के आउटकम्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने”** के लिए दिया गया है।

नोबेल पुरस्कार के बारे में

- नोबेल पुरस्कार एक **अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार** है। इनका प्रशासन **स्टॉकहोम (स्वीडन) में स्थित नोबेल फाउंडेशन** करता है। ये पुरस्कार **अल्फ्रेड नोबेल** की वसीयत (1895) द्वारा स्थापित किए गए थे।
- ये पुरस्कार पहली बार **1901** में दिए गए थे। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने **पिछले वर्ष के दौरान** मानव जाति के सर्वाधिक कल्याण में योगदान दिया है। ये पुरस्कार **प्रतिवर्ष** पांच श्रेणियों, यथा- **भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य** और **शांति** के लिए दिए जाते हैं।
    - गौरतलब है कि छठी श्रेणी, **अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार “रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन” ने 1968** में स्थापित किया था। इसे **पहली बार 1969** में दिया गया था।
- **कौन-सी संस्थाएं पुरस्कार देती हैं?**
    - **भौतिकी, रसायन विज्ञान** और **अर्थशास्त्र** के नोबेल पुरस्कार **रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज** प्रदान करती है।
    - **साहित्य** का नोबेल पुरस्कार **स्वीडिश एकेडमी, स्टॉकहोम (स्वीडन)** प्रदान करती है।
    - **चिकित्सा** या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार **कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम (स्वीडन)** प्रदान करती है।
    - नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का चयन **नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी (नॉर्वेजियन संसद द्वारा गठित)** करती है।
- **पुरस्कार के तौर पर विजेताओं को क्या मिलता है?**
    - एक **नोबेल डिप्लोमा:** प्रत्येक डिप्लोमा एक अनूठी कलाकृति होती है;
    - एक **नोबेल पदक;** और
    - **पुरस्कार राशि:** 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार के तौर पर 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की धनराशि प्रदान की गई।
- नोबेल संविधि (Nobel statutes) के अनुसार, विजेताओं के चयन में शामिल **जजों को 50 वर्ष तक अपने निर्णय पर सार्वजनिक विचार-विमर्श की मनाही है।**

[33] Sveriges Riskbank Prize

© Vision IAS

महिला श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक

गोल्डिन के U-आकार के कर्व ने प्रदर्शित किया कि **श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक संवृद्धि के बीच ऐतिहासिक रूप से कोई सुसंगत संबंध नहीं है।** श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित से प्रभावित हैं-

- **सामाजिक मानदंड:** कानून या रीति-रिवाज जिन्हें **"विवाह के बाद प्रतिबंध (Marriage bars)"** के रूप में जाना जाता है। ये अक्सर विवाहित महिलाओं को श्रम की बढ़ती मांग के बावजूद रोजगार में बने रहने से रोकते हैं।
- **पेरेंटहुड प्रभाव:** बच्चों की देखभाल (केयर इकोनॉमी) में **पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक जिम्मेदारी उठाती** हैं। इससे उनके करियर में प्रगति करना और आय में वृद्धि करना कठिन हो जाता है।
- **तकनीकी नवाचार:** गर्भनिरोधक दवाओं का सेवन बढ़ने से महिलाएं देर से विवाह करने लगी हैं और विवाहित महिलाएं भी बच्चों के जन्म में जल्दबाजी करने से बच रही हैं। **इसके चलते उनकी शिक्षा और करियर की संभावनाओं में वृद्धि हुई है।**

U-आकार का संबंध: विकास प्रक्रिया में, महिला श्रम शक्ति की भागीदारी पहले घटती है और फिर बढ़ती है।
निम्न आय वाले देशों में **महिलाओं की श्रम बल भागीदारी अधिक** (कृषि में अधिक हिस्सेदारी) होती है, **मध्यम आय वाले देशों में भागीदारी कम हो जाती है,** और **उच्च आय वाले देशों में यह भागीदारी फिर अधिक** हो जाती है।

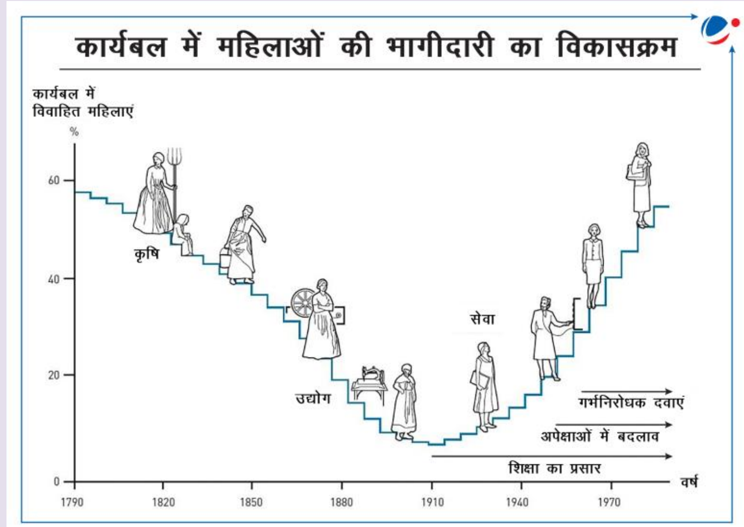

भारत में लैंगिक अंतराल (असमानता) को कम करने के लिए उठाए गए कदम

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020:** इसके तहत सवैतनिक मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। साथ ही, 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा जैसे प्रावधान किए गए हैं।
- **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा पर संहिता[34], 2020:** भूमि के ऊपर की खदानों में तथा जमीन के नीचे जहां निरंतर उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, वहां तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों में महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है।
- **वेतन संहिता 2019:** इसके अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान में लैंगिक आधार पर महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है।

3.3. गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के दिनों में गिग श्रमिकों से जुड़े हुए कई मुद्दे सामने आए हैं जिनमें ब्लिंकिट कंपनी के श्रमिकों की हड़ताल, जोमैटो और स्विगी डिलीवरी राइडर्स द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन शामिल हैं।

गिग अर्थव्यवस्था और गिग श्रमिकों के बारे में

- **गिग अर्थव्यवस्था** एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें रोजगार सामान्यतः अस्थायी होता है। इसके अंतर्गत संगठन **अल्पकालिक नियुक्तियों के लिए मुक्त श्रमिकों के साथ** कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
- **गिग श्रमिक** ऐसे श्रमिक होते हैं, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी व्यवस्था से अलग, अन्य रोजगार गतिविधियों में संलग्न होते हैं। **इन्हें व्यापक तौर पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है:**

[34] Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions

- **प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक**[35]**:** ऐसे श्रमिक जिनके **कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऐप या फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म** आदि पर आधारित होते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स में शामिल हैं- जोमैटो, स्विगी, ओला आदि।
- **नॉन-प्लेटफ़ॉर्म गिग श्रमिक**[36]**:** ये सामान्यतः पारंपरिक क्षेत्रक में नियोजित **सामयिक वेतन धारी तथा ओन-अकाउंट वर्कर्स**[37] होते हैं। ये पार्ट-टाइम या फुल-टाइम कार्य करते हैं।

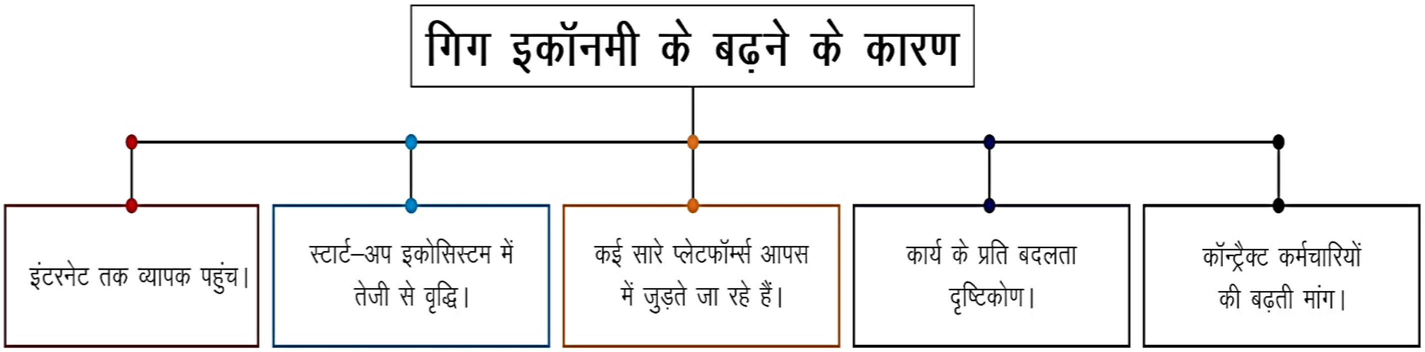

भारत में गिग अर्थव्यवस्था से संबद्ध विनियामकीय ढांचा

- **मजदूरी संहिता, 2019:** यह गिग श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में नियोजित सभी श्रमिकों को यूनिवर्सल न्यूनतम वेतन तथा फ्लोर वेज (Floor Wage) हेतु प्रावधान करती है।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** यह गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उनके अधिकारों की रक्षा करती है।
  - इसमें **गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों** की पात्रताओं की व्याख्या कर उन्हें परिभाषित करने का प्रयास किया गया।
  - यह एक **सामाजिक सुरक्षा कोष और एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड** की स्थापना का भी प्रस्ताव करती है। यह बोर्ड गिग और प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं की निगरानी करेगा तथा योजनाओं के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा।

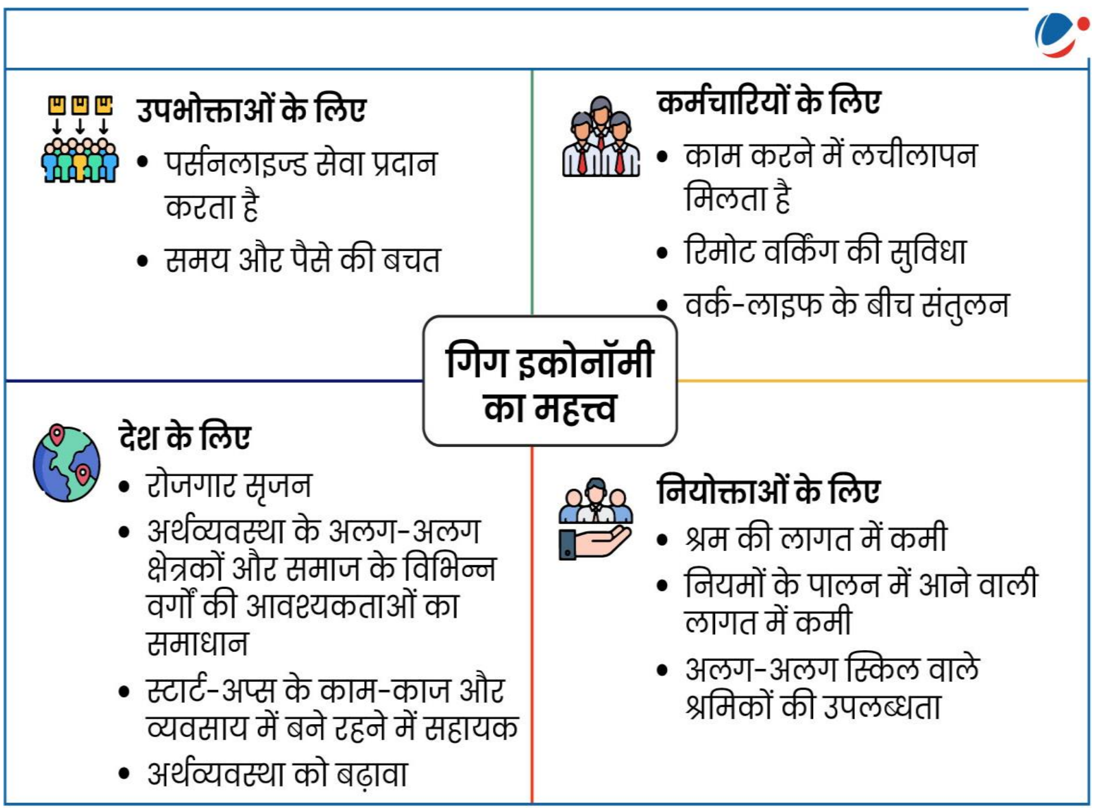

---

[35] Platform Gig Workers

[36] Non-Platform Gig Workers

[37] Own-account workers

© Vision IAS

गिग इकोनॉमी और गिग श्रमिकों के बेहतरी के लिए हाल ही में हुए कुछ अन्य सकारात्मक विकास

- हाल ही में, **श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति** ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से देश में गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने तथा उन्हें लागू करने का आग्रह किया है।
- इसके अलावा, हाल ही में G-20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक (2023) संपन्न हुई। इस बैठक में **"गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए स्थायी सामाजिक सुरक्षा"** पर एक आउटकम दस्तावेज़ को अपनाया गया।
- राजस्थान सरकार ने **"प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023"** पारित किया है। इस प्रकार **राजस्थान सरकार** ने गिग श्रमिकों के लिए **एक कल्याणकारी विधेयक लाने** में अग्रणी भूमिका निभाई है।

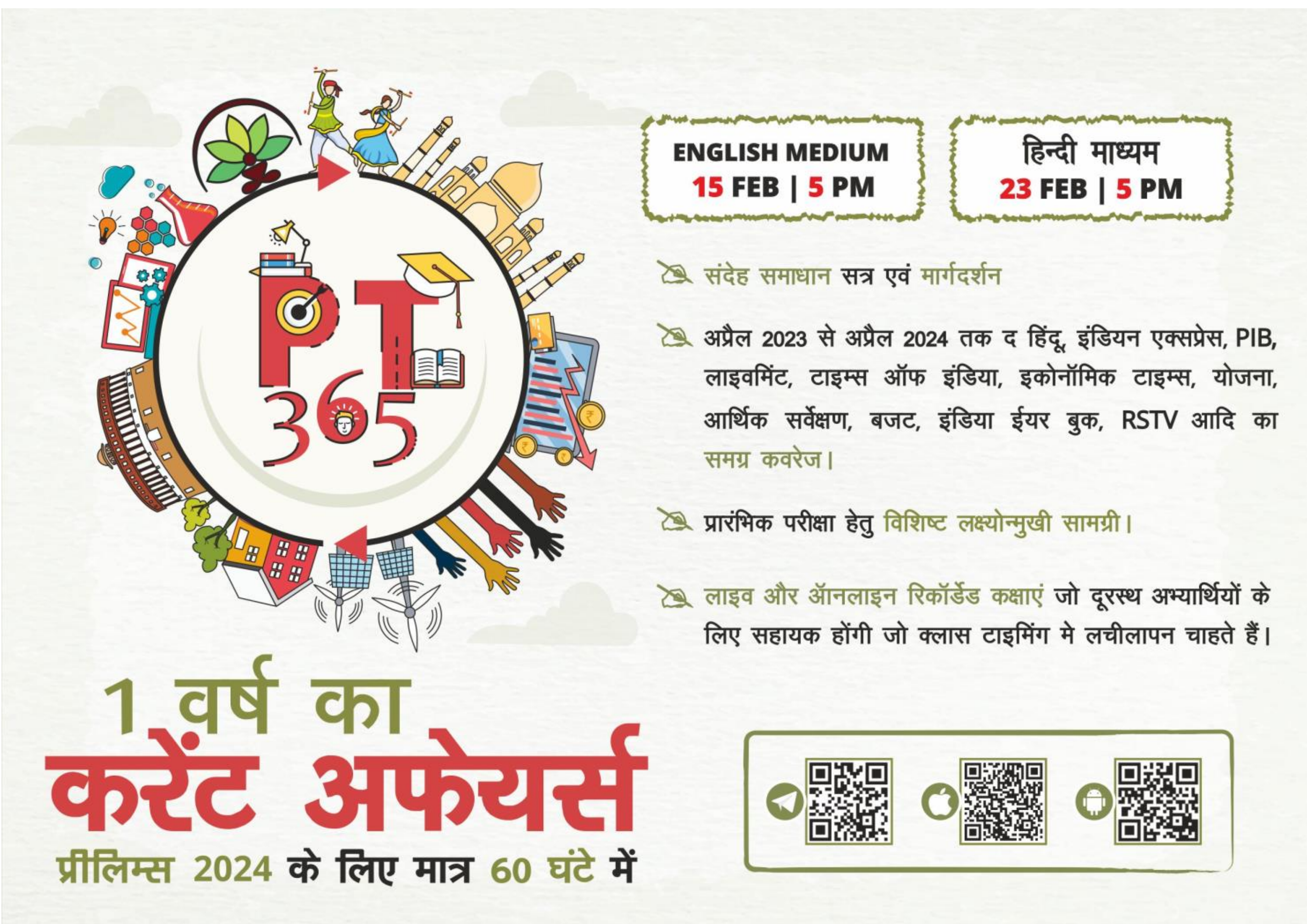

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

Vision IAS का त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

4. बैंकिंग और मौद्रिक नीति (Banking and Monetary Policy)

4.1. वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (Incremental Cash Reserve Ratio: ICRR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए ICRR का उपयोग किया था। बाद में, जब नकदी की स्थिति स्थिर हो गई, तो ICRR को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (ICRR)

- **CRR:** बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास नकद के तौर पर रखना पड़ता है, जिसे CRR कहा जाता है। बैंकों के लिए अपनी **NDTL अर्थात् नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी** का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास CRR के रूप में बनाए रखना आवश्यक है।
  - **निवल मांग और मीयादी देयताएं (NDTL):** यह किसी बैंक की डिमांड और टाइम लायबिलिटीज या ODTL[38] तथा सार्वजनिक क्षेत्रक के या किसी और बैंक में उसके द्वारा रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में जमा राशि के बीच के अंतर को दर्शाता है।
  - **RBI अधिनियम, 1934** के अनुसार, सभी **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** (जिनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक शामिल हैं) के लिए **CRR बनाए रखना अनिवार्य है।**
- **ICRR:** ICRR वस्तुतः नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के समान है। इसमें बैंकों को अपने धन का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास अलग रखना पड़ता है। **इस राशि पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता है।** इसके निम्नलिखित अंतर हैं-
  - RBI के पास CRR के अलावा ICRR को भी लागू करने का विकल्प है।
  - वसूली जाने वाली यह ब्याज दर CRR से अलग होती है।

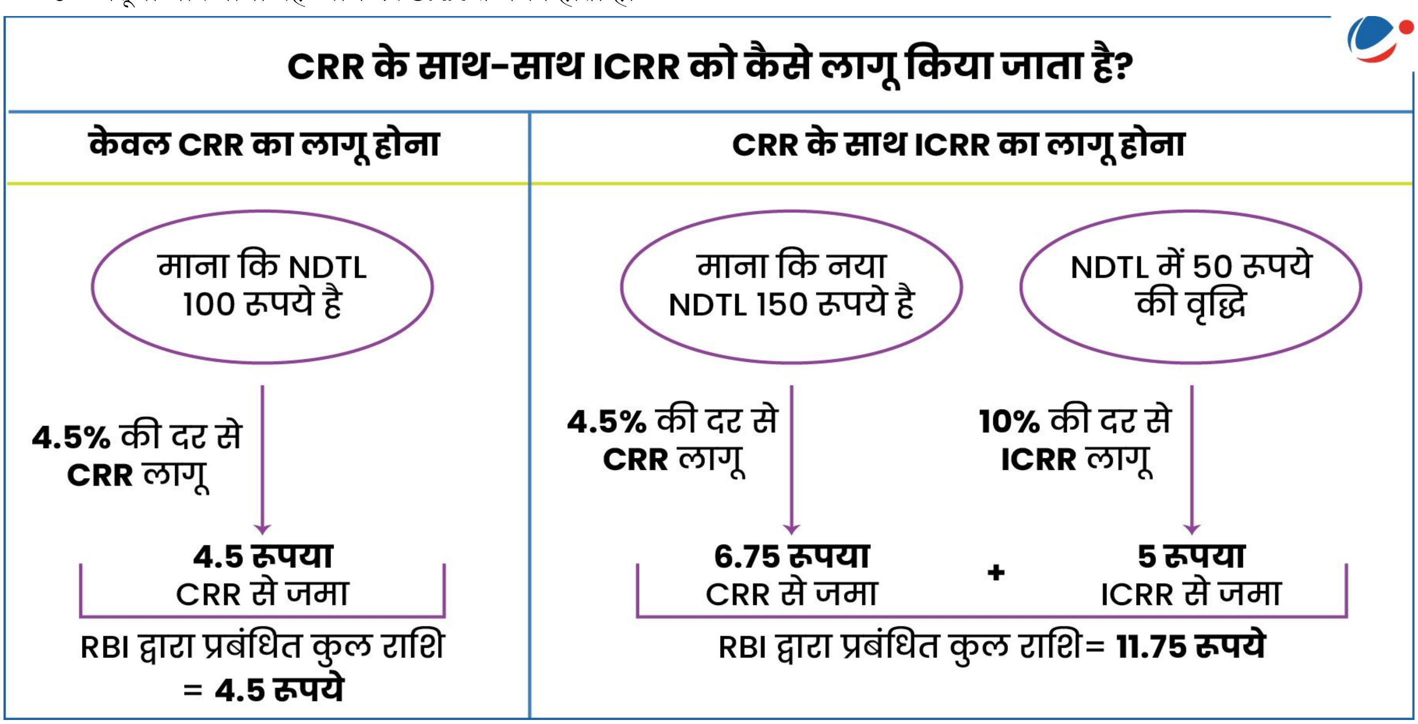

ICRR का प्रभाव

- **तरलता में हुई वृद्धि को संभालने के लिए:** हाल ही में **सरकारी व्यय में बढ़ोतरी, विदेशी निवेश में वृद्धि, 2000 रुपये के नोट की वापसी** आदि कारणों से **अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि** दर्ज की गई है।

---
38 Other Demand and Time Liabilities

© Vision IAS

- **मुद्रास्फीति पर नियंत्रण: CPI**[39] आधारित भारत की **खुदरा मुद्रास्फीति जून के 4.9% की तुलना में जुलाई 2023 में बढ़कर 7.5%** हो गई थी। इसे नियंत्रण में लाने के लिए **सख्त मौद्रिक नीति अपनाने की आवश्यकता** है।
- **बैंकिंग को मजबूत बनाना:** CRR में वृद्धि से **'नकदी का बफर'** बनता है। इससे आर्थिक संकट के समय बैंक रन जैसे जैसे खतरों से निपटने में मदद मिलती है।
    - **बैंक रन:** किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के दिवालिया होने के डर से जब बड़ी संख्या में उसके ग्राहक अपनी जमा राशि निकालने लगते हैं तो इसे बैंक रन कहते हैं।
- **ऋण वितरण में कमी:** ऋण वितरण में कमी से, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आएगी। इससे **अर्थव्यवस्था में कुल/ समग्र मांग कम** हो जाएगी।

तरलता प्रबंधन के अन्य उपाय

- **स्थायी जमा सुविधा (SDF)**[40]**:** इसके तहत RBI बैंकों को कोई सरकारी प्रतिभूति दिए बिना उनसे तरलता (जमा) अवशोषित कर लेता है।
- **रेपो और रिवर्स रेपो दरों में बदलाव:** इन दरों में बदलाव से **बैंकों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर के साथ-साथ ऋण देने की दरों पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव** पड़ता है।
- **खुला बाजार परिचालन (OMO)**[41]**:** RBI द्वारा **सरकारी प्रतिभूतियों (बॉण्ड्स) की बिक्री या खरीद** को खुला बाजार परिचालन कहा जाता है।
- **अर्थोपाय अग्रिम (WMA)**[42]**:** यह केंद्र और राज्य सरकारों को **अस्थायी तौर पर ऋण** देने की एक सुविधा है।

4.2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशेष अंतरण (Surplus Transfer by RBI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। यह 2021-22 से 188% अधिक है।

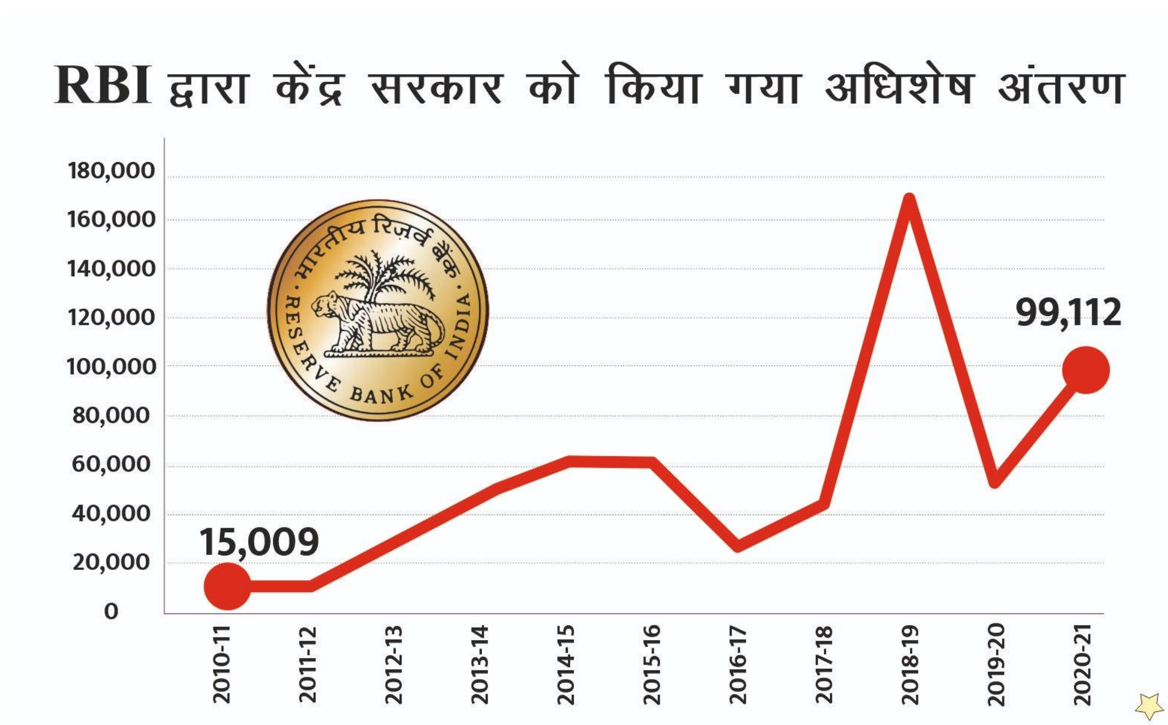

अन्य संबंधित तथ्य

- चूंकि, **RBI को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है,** इसलिए यह RBI अधिनियम, 1934 की **धारा 47 (अधिशेष लाभ का आवंटन) के अनुसार, अधिशेष राशि सरकार को अंतरित** करता है।
    - RBI का कुल व्यय **ब्याज से प्राप्त होने वाले इसके कुल आय की तुलना में काफी कम** है। इससे RBI के पास अतिरिक्त पैसा (अर्थात् अधिशेष) बच जाता है।

[39] Consumer Price Index/ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

[40] Standing Deposit Facility

[41] Open Market Operation

[42] Ways and Means Advances

- इससे पहले, **RBI इस अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा** अपनी आकस्मिकता निधि (CF)[43] और परिसंपत्ति विकास निधि (ADF)[44] के रूप में **अपने पास** रखता था।
- हालांकि, **मालेगाम समिति (2013)** की सिफारिशों के पश्चात् और आगे चलकर **बिमल जालान समिति** द्वारा पेश की गई **संशोधित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क**[45] **(2014-15)** के तहत **RBI द्वारा सरकार को किए जाने वाले अधिशेष के अंतरण में वृद्धि** हुई है।

4.3. 'लंदन इंटरबैंक ऑफ़र्ड रेट (LIBOR)' पर निर्भरता की समाप्ति {Transition From (London Interbank Offered Rate: LIBOR)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **बैंकों और RBI द्वारा विनियमित अन्य संस्थाओं के लिए एक एडवाइजरी** जारी की है। इसमें उन्हें LIBOR से पूर्णतः बाहर निकलने के लिए कदम उठाने हेतु कहा गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- LIBOR और मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (MIFOR) का इस्तेमाल **चरणबद्ध तरीके से बंद** कर दिया जाएगा।
    - **MIFOR, घरेलू ब्याज दर के लिए एक बेंचमार्क है।** इसे वर्तमान में **फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL)** द्वारा जारी किया जाता है।
- बैंकों/ वित्तीय संस्थानों (FIs) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि उनके या उनके ग्राहकों द्वारा किया गया कोई भी **नया ट्रांजैक्शन या किसी ट्रांजैक्शन का मूल्य-निर्धारण 'अमेरिकी डॉलर आधारित LIBOR' या 'MIFOR' पर निर्भर न हो।**
- गौरतलब है कि 2017 में ब्रिटिश वित्तीय अधिकारियों को एक जांच से यह पता चला था कि **कुछ बड़े बैंकों ने गलत डेटा प्रदान करके "संदर्भ दर (Reference Rate)" को ज्यादा या कम** किया है। इस हेर-फेर के बाद यह आवश्यक हो गया था कि **वैश्विक आर्थिक प्रणाली में LIBOR का उपयोग समाप्त किया जाए।**

लंदन इंटरबैंक ऑफ़र्ड रेट (LIBOR) के बारे में

- **बेंचमार्क दर:** LIBOR एक **वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर** है। सरल शब्दों में, LIBOR का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर ब्याज दर को तय करने के लिए एक बेंचमार्क (या संदर्भ दर) के तौर पर किया जाता है। इसी दर पर प्रमुख वैश्विक बैंक अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक-दूसरे को ऋण देते हैं। ये ऋण अल्पावधि के लिए दिए जाते हैं।
    - **वित्तीय बेंचमार्कः** मूल्य निर्धारण, निपटान और वित्तीय अनुबंधों के मूल्यांकन के उद्देश्य से उपयोग में लाए जाने वाले सूचकांकों, मूल्यों या संदर्भ दरों को वित्तीय बेंचमार्क कहा जाता है।
- **विनियमन:** 2014 से पहले, LIBOR को **ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन (BBA)** द्वारा तय किया जाता था। बाद में, बेंचमार्क के रख-रखाव को **यू.के. फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA)** के दायरे में लाया गया।
- **गणना:** 31 दिसंबर, 2021 से पहले, **LIBOR की गणना पांच मुद्राओं (अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक और जापानी येन)** के लिए की जाती थी। इसके अलावा, इसकी गणना इनमें से प्रत्येक मुद्रा के संबंध में **सात अवधियों** (ओवरनाइट/ स्पॉट नेक्स्ट, एक सप्ताह, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, छह महीना और 12 महीना) के लिए की जाती थी।
    - मार्च 2021 में इसे चरणबद्ध रूप से वापस लेने की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद केवल **यू.एस. डॉलर आधारित LIBOR को जारी करने की अनुमति** दी गई थी।

[43] Contingency Fund

[44] Asset Development Fund

[45] Economic Capital Framework

LIBOR पर निर्भरता को खत्म करने से भारत को मिलने वाले लाभ

- **वित्त-पोषण की लागत में कमी:** LIBOR पर निर्भरता की समाप्ति के परिणामस्वरूप वित्त-पोषण की लागत में कई तरीकों से कमी आ सकती है, क्योंकि इसके बाद **संदर्भ दरों** की गणना अधिक बेहतर और पारदर्शी तरीके से होगी।
- **ऋण लेने की लागत में कमी:** इसके परिणामस्वरूप, **उधार देने वालों और निवेशकों द्वारा कम ब्याज दर (या ब्याज दर स्प्रेड)** की मांग की जा सकती है।
- **अधिक प्रतिस्पर्धा:** वैकल्पिक **संदर्भ दरों** की शुरुआत से संदर्भ दरों के लिए बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है। इससे **वित्तीय उत्पादों का अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण** हो सकता है।

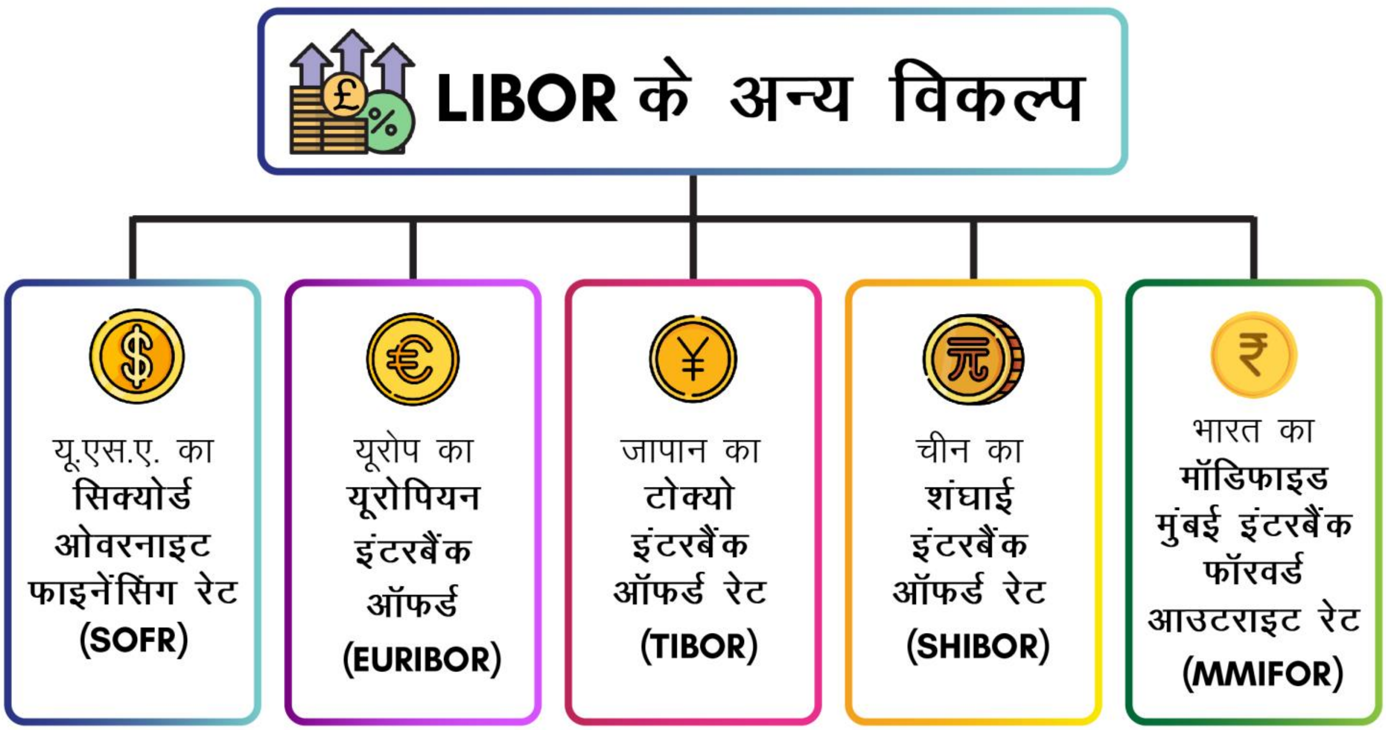

भारत के संदर्भ में होने वाला बदलाव

- **वैकल्पिक संदर्भ दरें (ARRs)[46]:** RBI ने ARR की एक प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन के लिए ब्रिटिश पाउंड के बजाय मुद्राओं की एक बास्केट से दरें चुनने की सुविधा प्रदान करती है।
  - **MIFOR, घरेलू ब्याज दर के लिए एक बेंचमार्क है।** इसे वर्तमान में **फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL)** द्वारा जारी किया जाता है।
- **फॉलबैक क्लॉज़:** RBI ने उन सभी पुराने वित्तीय अनुबंधों में फॉलबैक क्लॉज़ को शामिल करने पर जोर दिया है, जिनमें संदर्भ दर के तौर पर LIBOR या MIFOR का प्रयोग हुआ है।
  - चूंकि इस संदर्भ दर का अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए फॉलबैक क्लॉज **संशोधित शर्तों** के लिए एक समझौता के समान होगा। यह पारदर्शिता और निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है।

[46] Alternative Reference Rates

फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL)

- **उत्पति: FBIL का गठन 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था।**
    - इसका स्वामित्व संयुक्त रूप से फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA), फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के पास है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **भारत में मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा से संबंधित बेंचमार्क विकसित करना तथा उस पर नजर रखना है।**
- **विनियमन:** FBIL को **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है।**

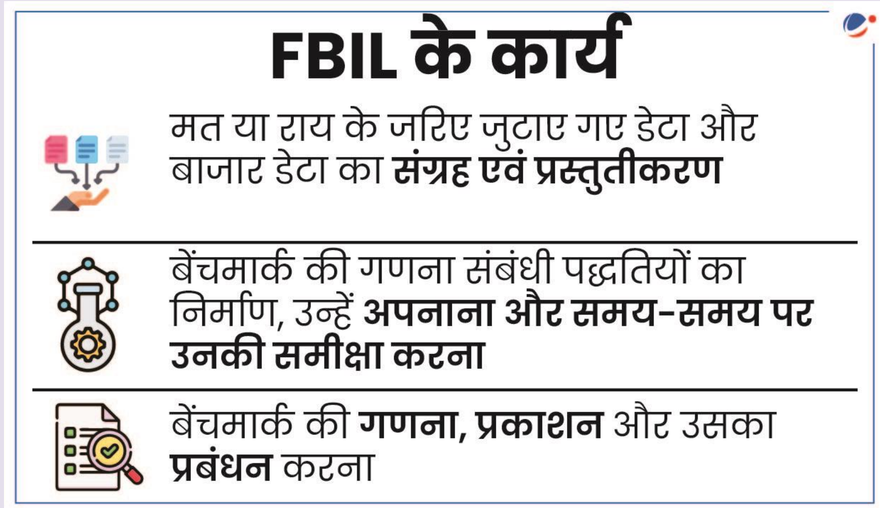

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

5. भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (Payment Systems and Financial Markets)

5.1. सीमा-पार भुगतान (Cross Border Payments)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) इनोवेशन हब ने **G20 टेक-स्प्रिंट 2023** का आयोजन किया। इसका उद्देश्य **सीमा-पार भुगतान में सुधार** के लिए नवीन समाधानों को बढ़ावा देना है।

***नोट:** G20 से संबंधित टॉपिक को PT 365 श्रृंखला के अंतर्राष्ट्रीय संबंध (IR) वाले संस्करण में विस्तार से शामिल किया जाएगा।*

सीमा-पार भुगतान के बारे में

- यह एक प्रकार का वित्तीय लेन-देन है, जो वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच होता है। इस प्रकार के लेन-देन में **प्रेषक (Sender)** और **प्राप्तकर्ता (Recipient) अलग-अलग देशों में स्थित** होते हैं।
- **2030 तक** सीमा-पार भुगतान बाजार के **290 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना** है।

सीमा-पार भुगतान के सामान्य प्रकार

इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र (International Wire Transfers): स्विफ्ट (SWIFT) कोड का उपयोग कर एक बैंक से किसी अन्य देश में स्थित दूसरे बैंक में धन का हस्तांतरण।	**इंटरनेशनल मनी ऑर्डर:** किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जा सकता है।
डिजिटल वॉलेट: इसमें पे-पाल (PayPal), गूगल पे (Google Pay) या एप्पल पे (Apple Pay) जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।	**अन्य:** इसमें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन-देन, क्रिप्टोकरेंसी आदि शामिल हैं।

सीमा-पार भुगतान की प्रक्रिया

दोनों जगह के बैंक खातों का उपयोग करके सरलता से सीमा-पार भुगतान

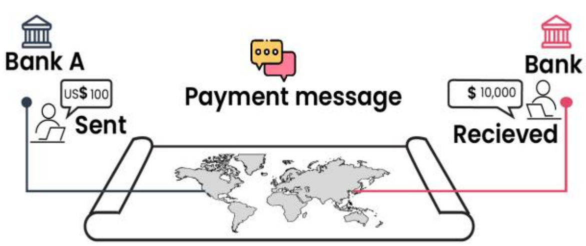

- इसके तहत **अंतर्राष्ट्रीय बैंक एक-दूसरे के पास अपना-अपना खाता खोलते हैं**, और उसी के जरिए **विदेशी मुद्रा में भुगतान** करते हैं।

प्रतिनिधि बैंक (Correspondent Bank) का उपयोग करके सीमा-पार भुगतान

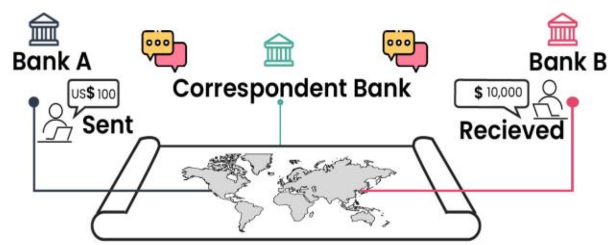

- इसके तहत **अंतर्राष्ट्रीय बैंक एक-दूसरे के पास अपना-अपना खाता नहीं खोलते हैं।** इसके बजाए किसी मध्यस्थ या प्रतिनिधि बैंक में अपना-अपना खाता रखते हैं और वे उसी के जरिए **विदेशी मुद्रा में भुगतान** करते हैं।

सीमा-पार भुगतान का महत्त्व

- **वैश्वीकरण:** सीमा-पार भुगतान वैश्वीकरण प्रक्रिया का एक मूलभूत तत्व है।
  - **वैश्विक बाजारों तक पहुंच:** यह व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अपना विस्तार करने और नए ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करता है।
- **वित्तीय समावेशन:** यह वंचित समुदायों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

- **भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सीमा-पार भुगतान का विशेष महत्त्व**
  - **विप्रेषण को भेजने में आसानी (Ease Remittances):** 2016 के बाद से, भारत का सीमा-पार विप्रेषण 8% की CAGR[47] से बढ़ रहा है।
  - **यात्रा और पर्यटन को सुविधाजनक बनाना:** 2021 में, भारत में यात्रा और पर्यटन उद्योग ने देश की GDP में लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था।
  - **विदेशी निवेश में तेजी:** वित्त वर्ष 2023 में भारत को कुल 70.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI[48] प्राप्त हुआ।

सीमा-पार भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा किये गए उपाय

- **RBI पेमेंट विजन 2025:** इसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों या व्यवस्थाओं का उपयोग करके सीमा-पार भुगतान को सुगम बनाने पर ध्यान दिया गया है।
- **NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL)** ने **BHIM UPI-QR कोड के माध्यम से सीमा-पार भुगतान को बढ़ावा देने** के लिए अलग-अलग देशों, वहां की कंपनियों व व्यापारिक संस्थाओं के मिलकर कई पहलें शुरू की हैं।
  - वर्तमान में, **सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, नेपाल** और **भूटान** में BHIM UPI-QR कोड के माध्यम से भुगतान को स्वीकृति मिल गई है।
- RBI ने भारत आने वाले **विदेशी नागरिकों और NRIs को UPI[49] के इस्तेमाल की अनुमति** दी है।
- **सीमा-पार भुगतान के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के उपयोग पर भारत-UAE समझौता ज्ञापन** हुआ।

5.2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {Securities and Exchange Board of India (SEBI)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस (IRRA) प्लेटफॉर्म शुरू** किया है।

IRRA प्लेटफॉर्म के बारे में

- सेबी ने IRRA प्लेटफ़ॉर्म को मुख्य रूप से **ट्रेडिंग के समय आने वाले टेक्निकल ग्लिच से निवेशकों को बचाने के लिए** आरंभ किया है। ट्रेडिंग के समय टेक्निकल ग्लिच के चलते निवेशक अपना आर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इसमें दो फेस होते हैं- एक प्राइमरी साइट और एक डिजास्टर रिकवरी साइट।
  - यह प्लेटफ़ॉर्म सभी **ट्रेडिंग केंद्रों से ट्रेडिंग मेंबर्स के ट्रेड्स** को डाउनलोड करता है। साथ ही, **इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग या वायरलेस तकनीक का उपयोग करने वाले निवेशकों को IRRA एक्सेस** करने के लिए एक लिंक के साथ SMS/ ईमेल भेजता है।
  - इसे देश के सभी स्टॉक एक्सचेंजों- **BSE, NSE, NCDEX, MCX और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित** किया है।

सेबी के बारे में

- **स्थापना: सेबी की स्थापना** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार **12 अप्रैल, 1992** को हुई थी। इस कानून के जरिए इसे एक **सांविधिक निकाय** बना दिया गया। हालांकि, इसे भारत सरकार के एक संकल्प (Resolution) के माध्यम से 1988 में गठित किया गया था।
- **संगठनात्मक संरचना:** बोर्ड में **नौ सदस्य** होते हैं:
  - **अध्यक्ष,** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

[47] Compounded Annual Growth Rate/ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

[48] Foreign Direct Investment/ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

[49] यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस

© Vision IAS

- ○ **4 पूर्णकालिक सदस्य** और **4 अंशकालिक सदस्य** होते हैं। इनमें से बोर्ड के **एक सदस्य को RBI** नियुक्त करता है और **2 बोर्ड सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा तथा 5 सदस्य केंद्र सरकार** द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

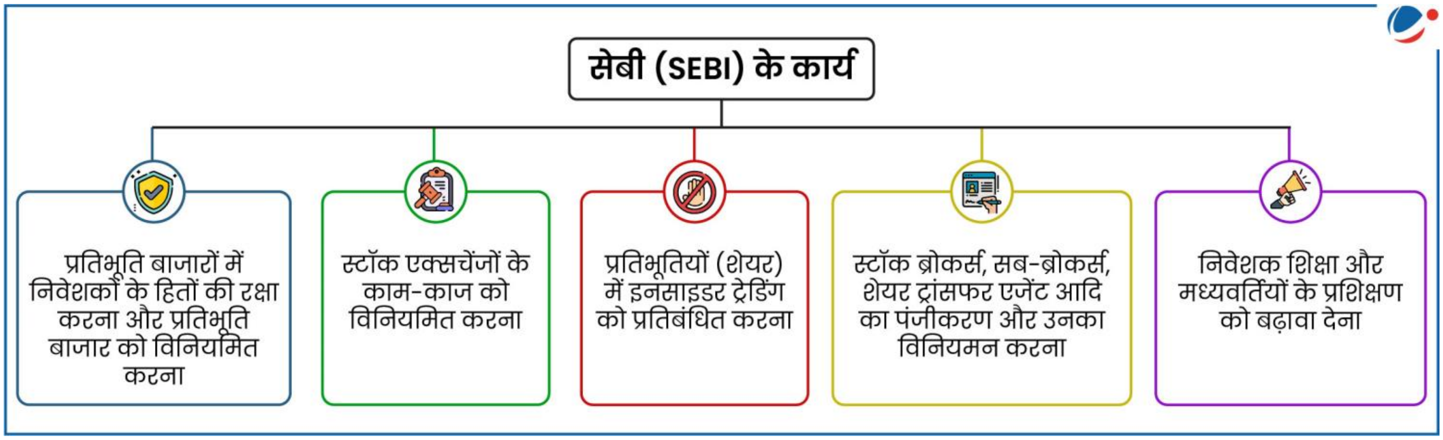

सेबी की शक्तियां

- **सेबी एक अर्द्ध-विधायी और अर्द्ध-न्यायिक निकाय** है। यह प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के काम-काज को विनियमित करने के लिए विनियम तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियमों को पारित कर सकता है और जुर्माना लगा सकता है।
- **प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 2014** के आधार पर सेबी **100 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य की किसी भी मनी पूलिंग योजना को विनियमित** कर सकता है। साथ ही, नियमों के गैर-अनुपालन के मामलों में यह परिसंपत्तियों को अटैच कर सकता है।
- सेबी, किसी भी प्रतिभूति लेन-देन के संबंध में जांच के दौरान **किसी भी व्यक्ति या संस्था से टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड जैसी जानकारी मांग** सकता है।
- जुर्माना लगाने, किसी संस्था या व्यक्ति को अस्थायी या स्थायी रूप से बाजार से प्रतिबंधित करने जैसी **कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही** कर सकता है।
- निवेशकों के हित में ऐसे किसी भी **मध्यवर्ती या व्यक्ति का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश** जारी कर सकता है।

सेबी द्वारा हाल ही में शुरू की गई कुछ पहलें

<table>
<tr><td>इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए संशोधित समय-सीमा {Revised Timeline for Initial Public Offering (IPO)}</td><td>• भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI/ सेबी) ने कंपनियों की IPO लिस्टिंग की समय सीमा छह दिन से घटाकर तीन दिन कर दी है। इसे T+6 की जगह T+3 कर दिया गया है।
○ IPO का तात्पर्य प्राथमिक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री से है।
○ यह कंपनियों के लिए धन जुटाने के सबसे बड़े स्रोत के रूप में कार्य करता है।
• सेबी का नया कदम IPO जारीकर्ताओं के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा। साथ ही, यह कंपनियों को पूंजी और तरलता तक त्वरित पहुंच प्रदान करेगा।</td></tr>
<tr><td>BRSR कोर - फ्रेमवर्क</td><td>• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी/ SEBI) ने "BRSR कोर- आश्वासन के लिए फ्रेमवर्क और मूल्य श्रृंखला के लिए ESG प्रकटीकरण" की शुरुआत की।
• पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) एक फ्रेमवर्क है,जो हितधारकों को यह समझने में मदद करता है कि कोई संगठन ESG मानदंडों से संबंधित जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन कैसे कर रहा है।
• सेबी ने इसके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में संशोधन किया है। संशोधन के जरिए निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
<table><tr><td>BRSR (बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट) कोर और अपडेटेड BRSR</td><td>• BRSR कोर, BRSR का एक सब-सेट है। इसमें 9 ESG विशेषताओं के तहत मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) का एक सेट शामिल है।
○ BRSR रिपोर्टिंग के माध्यम से, सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए मानकीकृत तरीके से ESG प्रकटीकरण को परिभाषित किया है।</td></tr></table></td></tr>
</table>

		• भारतीय/ उभरते हुए बाजारों की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए **छोटे शहरों में रोजगार सृजन, व्यवसाय का खुलापन, महिलाओं को भुगतान किया जाने वाला सकल वेतन** जैसे आश्वासन के लिए कुछ नए KPIs की पहचान की गई है।
	मूल्य श्रृंखला के लिए ESG प्रकटीकरण	• वित्त वर्ष 2024-25 से **सूचीबद्ध शीर्ष 250 कंपनियों (बाजार पूंजीकरण के आधार पर) पर लागू** होगा। • सूचीबद्ध कंपनी **अपनी वार्षिक रिपोर्ट में BRSR कोर के अनुसार** मूल्य श्रृंखला के लिए प्रकटीकरण करेंगी। ○ मूल्य श्रृंखला में किसी सूचीबद्ध कंपनी के **शीर्ष अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साझेदारों को भी शामिल** करना होगा, जो कुल मिलाकर क्रमशः इसकी **खरीद/ बिक्री के 75 प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) हिस्से को कवर** करते हैं।

संबंधित सुर्ख़ियां

डब्बा (बॉक्स) ट्रेडिंग {Dabba (Box) Trading}

- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने **डब्बा ट्रेडिंग में शामिल संस्थाओं का नाम लेते हुए एक नोटिस जारी** किया है।
- डब्बा ट्रेडिंग एक **अनौपचारिक ट्रेडिंग** है। यह **स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से बाहर** होती है।
    - इसके तहत ट्रेडर्स **किसी विशेष स्टॉक का भौतिक स्वामित्व लेने के लिए वास्तविक लेन-देन किए बिना ही स्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर दांव** लगाते हैं। यह एक्सचेंज में होने वाली ट्रेडिंग के समान ही है।
- **इसके अंतर्गत आय या लाभ का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं** होता है। इसके परिणामस्वरूप, **व्यापारियों को कराधान से बचने** में मदद मिलती है।
- इसे **प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम[50], 1956** के तहत एक अपराध माना गया है।

5.3. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment: FPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सेबी (SEBI)[51] ने **उच्च जोखिम वाले कुछ चिन्हित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs)[52] की ओर से अतिरिक्त प्रकटीकरण** को अनिवार्य करने का प्रस्ताव पेश किया है। इस फ्रेमवर्क या प्रस्ताव को एक परामर्श पत्र के तौर पर जारी किया गया है।

भारत में FPI के लिए मौजूदा प्रावधान

- **सेबी द्वारा विनियमित:** यह **सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 (FPI विनियम)** के तहत विनियमित है।
    - सेबी ने भारतीय प्रतिभूतियों/ शेयर में FPI द्वारा किए जाने वाले **निवेश पर कुछ सीमाएं निर्धारित** की हैं।
- **कानूनी प्रावधान: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999[53]** भारत में FPI को प्रबंधित करने वाला प्राथमिक कानून है।
    - **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)[54], 2002** और धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड्स का रख-रखाव नियम), 2005[55]

[50] Securities Contracts (Regulation) Act: SCRA

[51] Securities and Exchange Board of India/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

[52] Foreign Portfolio Investors

[53] Foreign Exchange Management Act: FEMA/ फेमा

[54] Prevention of Money Laundering Act

[55] Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records Rules), 2005 (PML Rules)

© Vision IAS

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) की तुलना

FDI		FPI
FDI का आशय विदेशी निवेशकों द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित उद्यम में पर्याप्त ब्याज प्राप्त करने के लिए किए गए निवेश से है।	**परिभाषा**	FPI का आशय विदेशी निवेशकों द्वारा किसी दूसरे देश की वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश से है, जैसे– स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर या बॉण्ड में निवेश।
सक्रिय निवेशक	**निवेशकों की भूमिका**	निष्क्रिय निवेशक
प्रत्यक्ष निवेश	**प्रकार**	अप्रत्यक्ष निवेश
अत्यधिक नियंत्रण	**नियंत्रण की मात्रा**	बहुत कम नियंत्रण
दीर्घकालिक निवेश	**अवधि**	अल्पकालिक निवेश
विदेशी भौतिक परिसंपत्तियों या उद्यमों में	**कहां निवेश किया जाता है**	दूसरे देश की वित्तीय परिसंपत्तियों में
कठिन	**प्रवेश और निकास**	अपेक्षाकृत आसान
स्थिर	**शामिल जोखिम**	परिवर्तनशील

FPI से संबंधित समस्याएं

* **प्रेस नोट 3 (PN3) की शर्तों का उल्लंघन/ दुरुपयोग: PN3** के तहत यह अनिवार्य बनाया गया है कि **भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश की कोई कंपनी केवल सरकारी मार्ग के जरिए ही भारत में निवेश** कर सकती है।
    * चूंकि PN3 विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर लागू नहीं होता है, **इसलिए PN3 की शर्तों से बचने के लिए FPI मार्ग का दुरुपयोग किया जा सकता है।**

- **संबंधित पार्टी लेन-देन (RPTs)[56] के प्रकटीकरण में विफलता:** RPT का तात्पर्य दो पक्षों/ कंपनियों के बीच किए गए किसी सौदे या व्यवस्था से है, जो पहले से मौजूद व्यावसायिक संबंध या सामान्य हित के चलते एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाल ही में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में RPT के गैर-प्रकटीकरण पर आपत्ति उठाई गई थी।
  - FPI के लिए जो वर्तमान फ्रेमवर्क है, उससे FPIs को RPT प्रकटीकरण (Disclosure) की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से दरकिनार करने की अनुमति मिली हुई है।

FPIs के विनियमन के लिए सेबी का प्रस्ताव

- **FPI का वर्गीकरण: FPI** को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - **कम जोखिम वाले FPIs:** सरकार से संबंधित इकाइयां/ कंपनियां, जैसे- केंद्रीय बैंक, सॉवरेन वेल्थ फंड्स आदि।
  - **मध्यम जोखिम वाले FPIs**: जैसे- पेंशन फंड्स या पब्लिक रिटेल फंड्स। ऐसे फंड्स के निवेशक बहुत अधिक संख्या में होते हैं और उनकी पहचान सरल नहीं होती है।
  - **उच्च जोखिम वाले FPIs:** अन्य सभी निवेशक जो उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- **उच्च जोखिम वाले FPIs के लिए अधिक पारदर्शिता संबंधी उपाय:** पारदर्शी तरीके से पहचाने गए उच्च जोखिम वाले FPIs के लिए अपने फंड के स्वामित्व, आर्थिक हित और नियंत्रण के बारे में अतिरिक्त प्रकटीकरण को अनिवार्य किया जा सकता है।
- **अतिरिक्त प्रकटीकरण:** उपर्युक्त **जोखिम वाले FPIs** के लिए अग्रलिखित दशाओं में अतिरिक्त प्रकटीकरण अनिवार्य होगा। यदि **किसी कंपनी में उनका निवेश या किसी कंपनी की AUM[57]** में उनकी समग्र हिस्सेदारी एक सीमा से अधिक है।

5.4. कॉर्पोरेट ऋण बाजार (Corporate Debt Market)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सेबी (SEBI) ने **कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास फंड (CDMDF)[58]** को शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है।

CDMDF के बारे में

- **कोष:** इसका गठन एक **वैकल्पिक निवेश फंड** (AIF)[59] के रूप में किया गया है। इसके तहत **बाजार में संकट/ दबाव** के दौरान **निवेश-ग्रेड वाली कॉर्पोरेट-ऋण प्रतिभूतियों[60]** की खरीद की जाएगी।
  - **वैकल्पिक निवेश फंड (AIF)** वस्तुतः निजी तौर पर एकत्र किए गए फंड्स होते हैं। इन्हें भारत में निवेश करने के लिए स्थापित या निगमित किया जाता है। ऐसे फंड के लिए आवश्यक धनराशि अनुभवी निवेशकों (जैसे- एंजेल निवेशक, वेंचर कैपिटलिस्ट्स आदि) से जुटाई जाती है।
  - **इंवेस्टमेंट ग्रेड** एक प्रकार की रेटिंग है जो दर्शाती है कि नगरपालिका या कॉर्पोरेट बॉण्ड में डिफ़ॉल्ट का जोखिम बहुत कम है।
- **CDMDF को शुरू करने का उद्देश्य:** प्रायः बाजार में संकट/ दबाव के दौरान ऋण बाजार को कई दबावों का सामना करना पड़ता है। ऐसे संकट के समय सबसे पहले खुले बाजार में बॉण्ड्स और प्रतिभूतियों (विशेष रूप से लंबी परिपक्वता अवधि वाले बॉण्ड्स और प्रतिभूतियां) की बिक्री होने लगती है, जिससे तरलता संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समय में CDMDF तरलता पहुंच प्रदान करके बाजार की मदद करेगा।
  - जिस प्रकार संकट आने पर RBI बैंकों के लिए तरलता उपलब्ध कराता है, उसी प्रकार यह **फंड** कॉर्पोरेट ऋण बाजार की मदद करेगा।

---

56 Related Party Transactions

57 Assets Under Management/ प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों

58 Corporate Debt Market Development Fund

59 Alternate Investment Fund

60 Investment-grade corporate-debt securities

© Vision IAS

- **योगदान (Contribution):** कुछ विशेष ऋण-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (AMCs)[61] के लिए इस फंड में योगदान करना अनिवार्य होगा।
- **अवधि (Tenure):** इसकी अवधि शुरुआत में 15 वर्ष होगी। हालांकि, इसे सेबी के निर्देशों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है।

कॉर्पोरेट ऋण बाजार के बारे में

- **ऋण बाजार** को प्रायः बॉण्ड बाजार या **फिक्स्ड-इनकम मार्केट या क्रेडिट मार्केट** कहा जाता है।
    - ऋण बाजार को मोटे तौर पर **सरकारी ऋण/ बॉण्ड बाजार** और **कॉर्पोरेट ऋण/ बॉण्ड बाजार** में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- **इश्यू/ जारी करना:** कंपनियां प्रायः अपने काम-काज को बढ़ाने, नए उत्पाद बनाने या नई विनिर्माण सुविधाएं खोलने के लिए **कॉर्पोरेट बॉण्ड** जारी करती हैं।
- **प्रकृति:** कॉर्पोरेट बॉण्ड्स आमतौर पर लंबी अवधि के ऋण लिखत (Debt instruments) होते हैं। इनकी परिपक्वता अवधि (Maturity) एक वर्ष से अधिक होती है।
- **विनियमन: कॉर्पोरेट ऋण बाजार** के विनियमन का अधिकार **सेबी (SEBI)** के पास है।
    - 2002 में सेबी और RBI के बीच नियामकीय क्षेत्राधिकार को **प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम[62], 1956** में संशोधन करके स्पष्ट किया गया था।
    - इसके बाद, **मुद्रा बाजार और सरकारी प्रतिभूतियों** को RBI के विनियामकीय क्षेत्राधिकार में स्पष्ट रूप से लाया गया था।
- **भारत में बॉण्ड बाजार की स्थिति:** मार्च 2022 तक, भारत में **आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉण्ड्स** GDP के लगभग 17 प्रतिशत के बराबर था।
    - अन्य उभरती हुई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए यही आंकड़े काफी अधिक हैं: **साउथ कोरिया (80 प्रतिशत से अधिक), मलेशिया (50 प्रतिशत से अधिक), चीन (लगभग 40 प्रतिशत)।**

कॉर्पोरेट ऋण बाजार का महत्त्व

- **निवेश के लिए आवश्यक:** आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में इस बात पर बल दिया गया था कि भारत को **उपभोग-आधारित अर्थव्यवस्था** से **निवेश-आधारित अर्थव्यवस्था** में बदलने की जरूरत है।
- **संसाधनों का कुशल आवंटन:** यह कॉर्पोरेट्स हेतु लागत-प्रभावी ढंग से धन जुटाने और बैंक वित्त पर निर्भरता कम करने के लिए अतिरिक्त मार्ग के रूप में कार्य करता है।
- **कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में सुधार:** अच्छी तरह से विकसित **कॉर्पोरेट ऋण बाजार** से **बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECBs)[63]** पर कॉर्पोरेट जगत की निर्भरता में कमी आती है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ECBs पर अधिक निर्भरता को अस्थिरता का सूचक भी माना जाता है।

5.5. निवेशक सेवा कोष और निवेशक सुरक्षा कोष {Investor Services Fund (ISF) and Investor Protection Fund (IPF)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सेबी** (SEBI) ने स्टॉक एक्सचेंज एवं डिपॉजिटरी द्वारा देख-रेख किए जाने वाले **निवेशक सुरक्षा कोष (IPF)** और **निवेशक सेवा कोष (ISF)** के लिए **व्यापक दिशा-निर्देश** प्रस्तुत किए हैं।

निवेशक सुरक्षा कोष (IPF)

IPF की स्थापना का उद्देश्य स्टॉक एक्सचेंज के **भागीदारों (जैसे- स्टॉकब्रोकर और निवेशक) के हितों की रक्षा** करना है।

- **स्थापना:** सभी स्टॉक एक्सचेंज एवं डिपॉजिटरी एक **IPF की स्थापना** करेंगे।

[61] Asset Management Companies

[62] Securities Contract (Regulation) Act

[63] External Commercial Borrowing

- **डिपॉजिटरी (Depository):** डिपॉजिटरी एक वित्तीय संस्थान या संगठन होता है, जो व्यवसायों और व्यक्तियों से वित्तीय लिखतों की डिपॉजिट स्वीकार करता है। वह स्टॉक तथा बॉण्ड जैसे वित्तीय लिखतों को खरीदने और बेचने में सहायता भी करता है।
  - उदाहरण के लिए डीमैट खाते भारत में केवल अग्रलिखित डिपॉजिटरी में ही खोले जा सकते हैं- सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL)

- **प्रशासन:** स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के IPF के प्रशासनिक काम-काज की देख-रेख इसी उद्देश्य से बनाए गए **अलग-अलग ट्रस्टों** द्वारा की जाएगी।
- **पृथक्कृत निधि (Segregated Funds):** स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी यह सुनिश्चित करेंगे कि **IPF में धनराशि पूरी तरह से अलग** रहे। साथ ही, उन्हें यह भी देखना होगा कि उनके **IPF** क्रमशः **स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी** की किसी भी देयता (Liabilities) से मुक्त हो।
- **समीक्षा:** स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी यह सुनिश्चित करने के लिए **अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा** करेंगे कि IPF की राशि अपने उचित स्तर पर है या नहीं।

	IPF में अंशदान	IPF का उपयोग
स्टॉक एक्सचेंज	• प्राप्त हुए **लिस्टिंग शुल्क का 1 प्रतिशत।** • आम जनता के समक्ष सब्सक्रिप्शन के लिए प्रतिभूतियों की पेशकश के समय जारीकर्ता कंपनियों द्वारा रखी गई 1 प्रतिशत सिक्यूरिटी डिपॉजिट पर **प्राप्त ब्याज का 100 प्रतिशत।** • सेबी (SEBI) के नियमों का पालन न करने पर **ट्रेडिंग करने वाले सदस्यों और सूचीबद्ध कंपनियों से वसूला गया जुर्माना।** • IPF से किए गए **किसी भी निवेश से प्राप्त ब्याज या आय का कम-से-कम 70 प्रतिशत।**	• डिफॉल्ट होने वाले **ट्रेडिंग मैनेजर्स (TMs)** के ग्राहकों के **वैध निवेश दावों** का निपटान करने में। • **निवेशकों को अंतरिम राहत संबंधी** भुगतान करने में।
डिपॉजिटरी	• डिपॉजिटरी के काम-काज से उन्हें प्राप्त **लाभ का 5 प्रतिशत।** • डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और अन्य सदस्यों से **प्राप्त सभी जुर्माने व दंड।** • IPF से किए गए **किसी भी निवेश से प्राप्त ब्याज या आय।**	• **निवेशक शिक्षा और निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों** को बढ़ावा देने में। ○ इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार (या शेयर मार्केट) संबंधी साक्षरता को बढ़ाना और प्रतिभूति बाजार में खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देना है। • **बेनिफिशियल ऑनर के वैध दावों को पूरा करने में।**

निवेशक सेवा कोष (ISF) के बारे में

ISF का उद्देश्य **निवेश करने वाली जनता को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करना है,** जैसे- निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम, कंपनियों की जानकारी का प्रसार करना आदि।

- **वित्त-पोषण:** स्टॉक एक्सचेंज को ISF के लिए प्राप्त **लिस्टिंग शुल्क का कम-से-कम 20%** निवेश करने वाली जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग रखना होगा।
- **पर्यवेक्षण (Supervision):** ISF की निगरानी **विनियामकीय निरीक्षण समिति**[64] द्वारा की जाएगी।
  - विनियामकीय निरीक्षण समिति, **स्टॉक एक्सचेंजों** और **क्लियरिंग कॉर्पोरेशन विनियम, 2018** द्वारा घोषित **बाजार अवसंरचना संस्थानों (MII)**[65] के लिए **सात समितियों में से एक** है।
    - **मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (MII):** यह एक प्रकार की **वित्तीय संस्था है। यह स्टॉक मार्केट / पूंजी बाजार में दैनिक संचालन या काम-काज के लिए आवश्यक अवसंरचना प्रदान करती है।** स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग हाउस सभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के उदाहरण हैं।
- **स्टॉक एक्सचेंज के ISF का उपयोग:**
  - **निवेशक शिक्षा और निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों** को बढ़ावा देने में।

[64] Regulatory Oversight Committee

[65] Market Infrastructure Institutions

- कोष का कम-से-कम **50% हिस्सा टियर-II और टियर-III** शहरों में खर्च किया जाएगा।
- **मध्यस्थों के प्रशिक्षण** पर होने वाले खर्च में।

- **खर्च न हो पाए IPF/ ISF का ट्रांसफर:** यदि कोई स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी बंद हो जाता/ जाती है या उसकी मान्यता समाप्त हो जाती है या वह अपना काम-काज बंद कर देता है, तो स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के पास खर्च में न आने वाली IPF और/ या ISF की शेष राशि सेबी के **निवेशक संरक्षण एवं शिक्षा कोष (IPEF)**[66] में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

निवेशक संरक्षण एवं शिक्षा कोष (IPEF)

- IPEF की स्थापना **सेबी द्वारा 2007** में की गई थी। इसे **सेबी (IPEF) विनियम, 2009** के तहत विनियमित किया जाता है।
- इसका उपयोग **निवेशकों की सुरक्षा तथा निवेशक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा** देने के लिए किया जाता है।
- इसे सेबी द्वारा दिए गए अंशदान, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अनुदान एवं दान, सुरक्षा जमा (Security Deposits) और गैर-मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के IPF/ ISF में जमा राशि आदि के माध्यम से वित्त-पोषित किया जाता है।

5.6. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी/ SEBI) ने **सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) से जुड़े फ्रेमवर्क को लचीला बनाने की सिफारिश को मंजूरी** प्रदान की है।

फ्रेमवर्क को लचीला बनाने से पता चलता है कि SSE का वित्त-पोषण निम्नलिखित के माध्यम से किया जा सकता है:

- **NPOs के मामले में: म्यूचुअल फंड** के माध्यम से दान देकर और **जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) बॉण्ड्स** जारी करके।
    - **ZCZPs को केवल SSE पर पंजीकृत NPO ही जारी** कर सकता है। इन **बॉण्ड्स की एक विशेष अवधि** होती है।
    - ZCZP बॉण्ड की **परिपक्वता अवधि पर मूलधन का भुगतान नहीं** किया जाता है। इस तरह के दान के पीछे का उद्देश्य कल्याण एवं कर संबंधी लाभ प्राप्त करना है।
- **FPEs के मामले में: इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जारी करके।**

वे उद्यम / संगठन जो सामाजिक उद्यम के तौर पर पात्र नहीं हैं

कॉर्पोरेट फाउंडेशन	राजनीतिक अथवा धार्मिक संगठन या गतिविधियां	पेशेवर या व्यापार संघ	बुनियादी ढांचा हाउसिंग कंपनियां (वहनीय आवास परियोजनाओं को छोड़कर)

सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में

- SSE वस्तुतः **स्टॉक एक्सचेंज का ही एक अलग सेगमेंट** है। यह **सामाजिक उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र** के जरिए जनता से धन जुटाने में मदद करता है। जैसे- यहां **लाभ अर्जक सामाजिक उद्यम (FPEs) और NPOs** सामाजिक उद्देश्यों से धन जुटा सकते हैं।

[66] Investor Protection and Education Fund

- सेबी के दिशा-निर्देशों के तहत SSE में सूचीबद्ध होने के लिए **सामाजिक उद्यमों** को निर्धारित सूचीबद्ध सामाजिक कार्यों में से किसी एक **सामाजिक कार्य में शामिल** होना होगा। **इनमें शामिल कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:**
  - भुखमरी, गरीबी, कुपोषण और असमानता को समाप्त करना;
  - स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना;
  - शिक्षा का समर्थन करना;
  - वित्तीय समावेशन करना,
  - स्लम क्षेत्र का विकास करना आदि।
- एक सामाजिक उद्यम के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक संगठन को **निम्नलिखित मानदंड को पूरा करना होगा:**

राजस्व	व्यय	ग्राहक आधार/ लाभार्थी
पिछले 3 वर्षों के औसत राजस्व का कम-से-कम 67% हिस्सा, लक्षित आबादी के सदस्यों को **पात्र गतिविधियां** प्रदान करने से आया हो।	**पिछले 3 वर्षों के औसत व्यय का कम-से-कम 67% हिस्सा,** लक्षित आबादी के सदस्यों को पात्र गतिविधियां प्रदान करने के लिए खर्च किया गया हो।	**पिछले 3 वर्षों में** जितने ग्राहकों और/ या लाभार्थियों को पात्र गतिविधियां प्रदान की गई हैं, उनमें से **लक्षित आबादी के सदस्य कम-से-कम 67% हों।**

© Vision IAS

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए

न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है

टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्खियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

6. बाह्य क्षेत्रक (External Sector)

6.1. भारत में विनिमय दर प्रबंधन (Exchange Rate Management in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रुपये का सापेक्ष मूल्य (Valuation) भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं की तुलना में **लगभग दो साल के उच्चतम स्तर** पर पहुंच गया है। केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप और घरेलू मुद्रास्फीति के अधिक रहने के कारण ऐसा हुआ है।

करेंसी वैल्यूएशन (Currency Valuation) क्या है?

- यह **एक मुद्रा के किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष कीमत या मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया** है।
- मुद्रा का मूल्य जानने का सबसे आम तरीका **विनिमय दर** है।
  - यह मूल्य या कीमत **कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है।** इन कारकों में **ब्याज दर, मुद्रास्फीति, पूंजी निवेश** और **मुद्रा की आपूर्ति,** इत्यादि शामिल हैं।

भारत में विनिमय दर का निर्धारण

वर्तमान में **नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (NEER) और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (REER)** प्रणालियों का उपयोग किया जाता है

NEER द्विपक्षीय विनिमय दरों का एक भारित औसत है। इसके जरिए अन्य विदेशी मुद्राओं की एक बास्केट की तुलना में घरेलू मुद्रा के औसत या सापेक्ष मूल्य का माप किया जाता है।	**REER** भी घरेलू मुद्रा का अन्य देश की मुद्राओं की एक बास्केट के सापेक्ष भारित औसत होता है, लेकिन इसमें घरेलू देश और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच वस्तुओं के मूल्य स्तर या मुद्रास्फीति दरों में अंतर को भी समायोजित किया जाता है।

विनिमय दर निर्धारण की विधियां

- **नियत (यानी निश्चित/ स्थिर/ तय) विनिमय दर (Fixed Exchange Rates):** इस प्रणाली में **एक मुद्रा का मूल्य** किसी अन्य मुद्रा, मुद्राओं की एक बॉस्केट या सोने जैसी वस्तु के मूल्य से **निर्धारित या तय किया जाता** है।
  - इस प्रणाली में केंद्रीय बैंक मुद्रा की **नियत दर** को बनाए रखने के लिए समय-समय पर **हस्तक्षेप** करता रहता है।
- **लचीली (या तिरती) विनिमय दर (Flexible Exchange Rates):** इसे फ्लोटिंग या तिरती विनिमय दरों के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मुद्रा की विनिमय दर **बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित** होती है। इसका आशय है कि विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मुद्रा की मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा **निर्धारित होती** है।
  - इस प्रणाली में केंद्रीय बैंक विनिमय दर के स्तर को प्रभावित करने के लिए **प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करता** है।

- **प्रबंधित विनिमय दर (Managed Exchange Rates):** यह एक ऐसी प्रणाली है जहां **मुद्रा का मूल्य मुख्य रूप से बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है,** लेकिन केंद्रीय बैंक **कभी-कभी विनिमय दरों को स्थिरता प्रदान करने या प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप कर** सकता है।

अन्य प्रमुख आर्थिक चरों (घटकों) पर विनिमय दर का प्रभाव

- **मुद्रास्फीति: अधिमूल्यन यानी अधिक मूल्य वाली मुद्रा**[67] आयातित वस्तुओं और सेवाओं की लागत को कम करके **मुद्रास्फीति को कम करने** में योगदान कर सकती है।
- **ब्याज दरें: स्थानीय मुद्रा की मजबूती को नियंत्रित करने के लिए** केंद्रीय बैंक **ब्याज दरों को कम** कर सकता है। केंद्रीय बैंक के इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य **आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा** देना और **निर्यात को प्रोत्साहित करना** होता है।
- **आर्थिक संवृद्धि:** मजबूत मुद्रा भले ही मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करती हो, लेकिन यह निर्यात पर निर्भर क्षेत्रकों के विकास को कम कर सकती है। इससे **समग्र आर्थिक संवृद्धि में कमी आ सकती** है।
- **व्यापार:** देश की मुद्रा के मजबूत होने से **व्यापार घाटा बढ़** सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे **निर्यात की जाने वाली वस्तुएं महंगी होकर कम प्रतिस्पर्धी** हो जाती हैं एवं **आयातित वस्तुएं सस्ती** होने के कारण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए **आकर्षक** हो जाती हैं।
- **पूंजी प्रवाह:** एक मजबूत मुद्रा **अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती है,** क्योंकि निवेशक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से उच्च रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं।

क्या आप जानते हैं?

> **ग्रेशम का नियम (Gresham's law):** इस नियम के अनुसार एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली को अपनाने से **"बैड मनी, गुड मनी को चलन से बाहर कर देती है"**। ऐसे में जिस मुद्रा के मूल्य का निर्धारण **बाजार मूल्य से कम पर होता है, वह मुद्रा प्रचलन से बाहर** हो जाती है। इसके अलावा, **अधिक मूल्य वाली मुद्रा** प्रचलन में तो रहती है, लेकिन उसे **पर्याप्त खरीदार नहीं मिलते हैं।**

6.2. विदेश व्यापार नीति 2023 (Foreign Trade Policy 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने **विदेश व्यापार नीति-2023 (FTP 2023)** को अधिसूचित किया है।

FTP 2023 के बारे में

- **अधिसूचना:** FTP 2023 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992**[68] की **धारा 5** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की है।
- **सिद्धांत:** यह समय के साथ **अनुकूलित योजनाओं की निरंतरता** पर आधारित है। इसमें **व्यापार की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही** और **निर्यातकों के साथ 'विश्वास' एवं 'साझेदारी'** जैसे सिद्धांतों को अपनाया गया है।
- **FTP 2015-20:** कोविड-19 महामारी और अस्थिर भू-राजनीतिक परिदृश्य के कारण FTP 2015-20 को **मार्च 2023 तक बढ़ा दिया** गया था।
  - इस दौरान भारत का **निर्यात अपने उच्च स्तर** पर पहुंच गया।
- **नए FTP दृष्टिकोण के चार स्तंभ**
  - इसमें प्रोत्साहन से लेकर **कर छूट** सभी शामिल हैं।
  - प्रौद्योगिकी, ऑटोमेशन और री-इंजीनियरिंग की निरंतर प्रक्रिया के जरिए **अधिक-से-अधिक व्यापार सुविधा।**
  - **निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उचित सहयोग:** निर्यातक, राज्य और जिले।
  - **उभरते क्षेत्रों पर विशेष फोकस, जैसे- ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात,** निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों का विकास करना, SCOMET (स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, सामग्री, उपकरण एवं प्रौद्योगिकियों का निर्यात) मदों के निर्यात को सुव्यवस्थित करना।

67 Over-valued currency

68 Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992

© Vision IAS

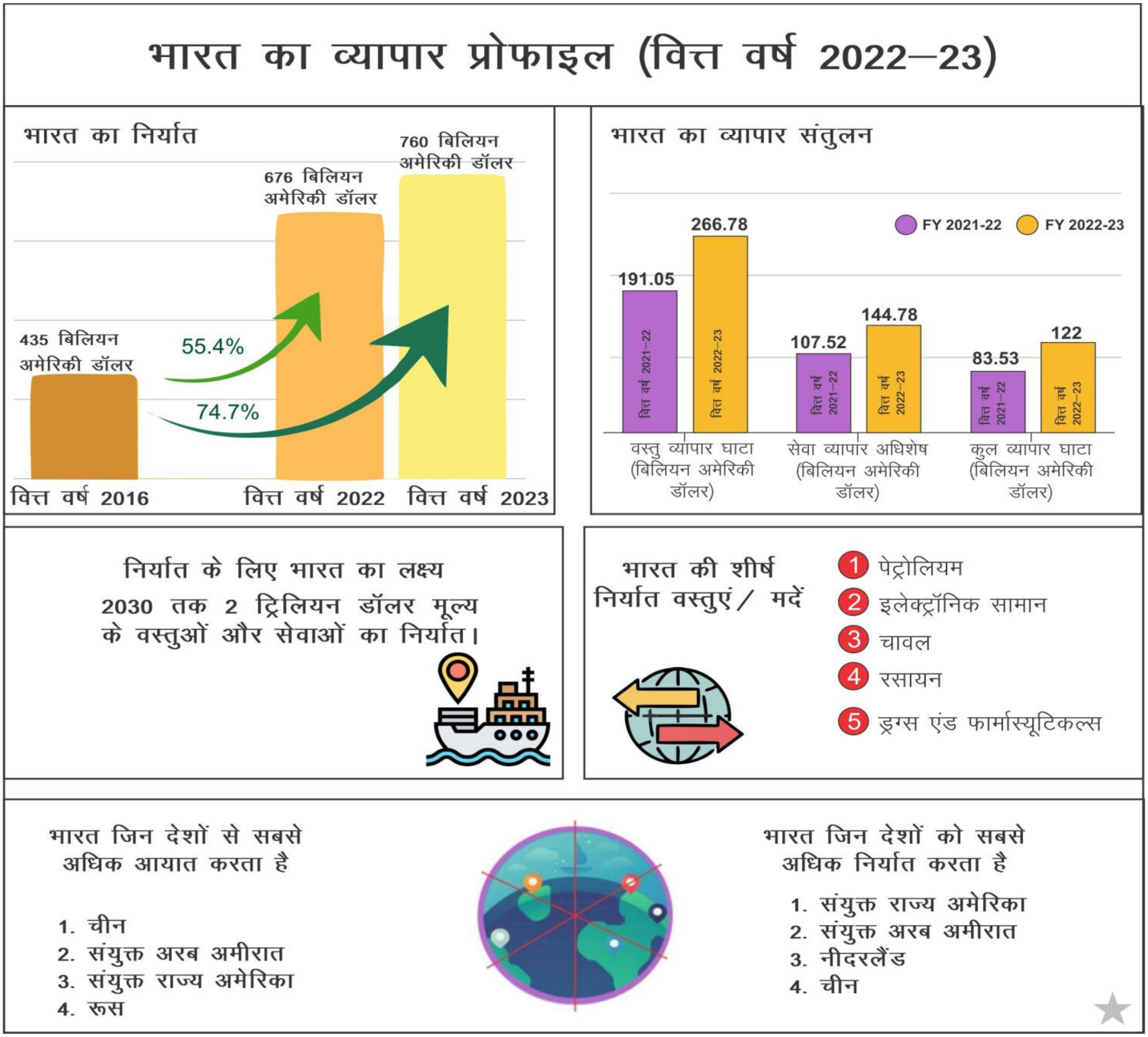

नोट: कृपया ध्यान दें कि दिए गए इन्फोग्राफिक में शामिल आंकड़े 2022-23 से संबंधित हैं। हालांकि, इन क्षेत्रों से जुड़े आंकड़े मासिक आधार पर अपडेट होते हैं। 2023-24 के लिए वार्षिक संकलन अभी तक उपलब्ध नहीं है।

अगले तीन आर्टिकल्स में, FTP 2023 के संबंध में शुरू की विविध पहलों को कवर किया गया है।

6.2.1. व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता, FTP 2023 (Trade Facilitation and Ease of Doing Business, FTP 2023)

व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता (EoDB) के लिए शुरू की गई पहलें

- **व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति (NCTF)[69]:** इस समिति की स्थापना विश्व व्यापार संगठन (WTO) के व्यापार सुविधा समझौते (TFA)[70] के कार्यान्वयन और इससे संबंधित समन्वय को सरल बनाने के लिए की गई है।

---

[69] National Committee on Trade Facilitation

[70] Trade Facilitation Agreement

- **WTO के TFA को 2017** में लागू किया गया था। **इसका उद्देश्य सीमाओं के पार 'लालफीताशाही'** के मुद्दे को **हल करना** और वस्तुओं की सुगम आवाजाही को सुनिश्चित करना है।

- **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)[71] द्वारा शुरू की गई पहलें:** DGFT, निर्यात और आयात के संचालन की दिशा में समन्वयक/सहायक के रूप में कार्य करता है। यह अलग-अलग निर्यात संवर्धन परिषदों[72] और व्यापार एवं उद्योग निकायों से परामर्श भी करता है।
  - **निर्यात बंधु योजना:** इसे नए और संभावित निर्यातकों को सलाह देने के लिए लागू किया जा रहा है।
  - **इलेक्ट्रॉनिक-आयातक निर्यातक कोड (e-IEC)[73] जारी करना:** IEC किसी निकाय को आवंटित 10 अक्षरों की एक अल्फा-न्यूमेरिक संख्या होती है। यह संख्या **किसी भी निर्यात/ आयात गतिविधि के लिए अनिवार्य होती है।**
  - **मूल स्थान का ई-प्रमाणपत्र (e-Certificate of Origin: e-CoO):** CoO को प्राप्त करने के लिए यह एक ऑनलाइन सुविधा है। e-CoO में विशिष्ट संख्या होती है, अर्थात् इसमें **विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (UDIN)[74]** होती है जो **सत्यापन के लिए एक QR कोड** की तरह काम करती है।

- **निर्यात उत्कृष्टता शहर (Towns of Export Excellence: TEE):** इन्हें निर्यात उत्पादन केंद्रों के विकास और संवृद्धि के लिए चुना गया है।
  - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, **750 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सामान का उत्पादन** करने वाले शहरों को TEE के रूप में मान्यता दी जा सकती है। हालांकि, हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रकों हेतु TEE में शामिल होने के लिए **न्यूनतम सीमा 150 करोड़ रुपये निर्धारित** की गई है।

- **स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट के मापदंडों का युक्तिकरण:** "स्टेटस होल्डर" सर्टिफिकेट ऐसी निर्यातक फर्मों को **बिजनेस लीडर्स** के रूप में मान्यता देता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और देश के विदेश व्यापार में योगदान दिया है।

प्रमाण–पत्र का महत्त्व

- अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में **भारतीय निर्यातकों की विश्वसनीयता** बढ़ेगी।
- **कस्टम क्लीयरेंस** में प्राथमिकता मिलेगी और **कुछ छूट** प्राप्त होगी।

  - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने **विदेश व्यापार नीति, 2023** के तहत **तंत्र आधारित स्वचालित 'स्टेटस होल्डर' प्रमाण-पत्र** जारी करने की पहल शुरू की है।

6.2.2. विदेश व्यापार नीति-2023 के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें (Export Promotion Initiatives by FTP 2023)

'निर्यात हब के रूप में जिले' पहल (Districts as Export Hubs Initiative)

- सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य/ जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। इसके लिए सरकार ने **राज्य निर्यात प्रोत्साहन समिति (SEPC)[75]** और **जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति (DEPC)[76]** का गठन किया है।
  - **DEPCs द्वारा जिला निर्यात कार्य योजना (DEAP)[77]** को तैयार की जायेगी और उनकी ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।
- चिह्नित उत्पादों और सेवाओं की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन एवं मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिलों में **निर्यात संवर्धन आउटरीच कार्यक्रम** की शुरुआत की गई है।
- इन पहलों का समर्थन करने के लिए **चल रही योजनाओं में भी आपसी समन्वय स्थापित** किया जाना है।

---

[71] Directorate General of Foreign Trade

[72] Export Promotion Council

[73] Electronic–Importer Exporter Code

[74] Unique Document Identification Number

[75] State Export Promotion Committee

[76] District Export Promotion Committee

[77] District Export Action Plans

© Vision IAS

पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (Export Promotion of Capital Goods: EPCG) योजना

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए **पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुगम बनाना** है। इससे भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।
    - इस योजना के तहत **पूंजीगत वस्तुओं के आयात** के लिए **सीमा शुल्क को शून्य** रखा गया है।
- **पूंजीगत वस्तुएं (Capital Good):** इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन अथवा सेवाओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी **संयंत्र, मशीनरी, उपकरण या सहायक उपकरण** शामिल होते हैं।
- **पात्रता:** इस योजना के तहत उन **विनिर्माता निर्यातकों, व्यापारी निर्यातकों** और **सेवा प्रदाताओं** को शामिल किया जाता है जिन्हें DGFT द्वारा सामान्य सेवा प्रदाता (CSP)[78] के रूप में प्रमाणित किया गया है।
    - **विनिर्माता निर्यातक (Manufacturer Exporter):** जो व्यक्ति स्वयं द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है या निर्यात करने का इरादा रखता है, उसे विनिर्माता निर्यातक कहते हैं।
    - **व्यापारी निर्यातक (Merchant Exporter):** जो व्यक्ति व्यापार संबंधी गतिविधियों और साथ-साथ निर्यात या वस्तुओं के निर्यात में संलग्न है, उसे व्यापारी निर्यातक कहते हैं।
- **निर्यात दायित्व:** EPCG के तहत किए जाने वाले आयात को औसत निर्यात दायित्व (AEO)[79] के अधीन रखा गया है। हालांकि, कुछ क्षेत्रकों को **AEO की शर्तों से छूट** प्राप्त है।

निर्यात संवर्धन इकाइयां (Export Promotion Units)

- **उद्देश्य:** इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
    - **निर्यात को बढ़ावा देना,**
    - **विदेशी मुद्रा (आय) में वृद्धि करना,**
    - निर्यात के लिए उत्पादन हेतु **निवेश आकर्षित करना,** और
    - रोजगार सृजित करना।
- **पात्र इकाइयां:** वे इकाइयां जो अपनी **वस्तु और सेवाओं के संपूर्ण उत्पादन का निर्यात** करती हैं, उन्हें निम्नलिखित योजनाओं के तहत स्थापित किया जा सकता है:
    - **निर्यातोन्मुख इकाई (Export Oriented Unit: EOU) योजना;**
    - **इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना (EHTP);**
    - **सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना (STP); या**
    - **जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना (BTP)।**
        - इन योजनाओं के तहत **ट्रेडिंग इकाइयां शामिल नहीं** हैं।

डीम्ड एक्सपोर्ट्स

- **परिभाषा:** डीम्ड एक्सपोर्ट उन लेन-देन को संदर्भित करता है जिसमें **आपूर्ति** (निर्यात) **की गई वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती हैं।** ऐसी आपूर्ति के लिए **भुगतान या तो भारतीय रुपये में** या **विदेशी मुद्रा** में होता है।
    - सरल शब्दों में डीम्ड एक्सपोर्ट के तहत, वस्तु को भारत में ही किसी ऐसे व्यक्ति को बेचा जा सकता है जिसके पास इन मूल वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस है।
        - ऐसा विक्रेता **डीम्ड निर्यातक** है और खरीदार **डीम्ड आयातक** कहलाता है। इसके लिए खरीदार के पास इम्पोर्ट लाइसेंस होना जरूरी होता है।
- **उद्देश्य: घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करना** और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना।

6.2.3. विदेश व्यापार नीति-2023 के तहत शुरू की गई अन्य पहलें (Other initiatives by FTP 2023)

डिजिटल इकोनॉमी के लिए सीमा-पार व्यापार को बढ़ावा देने हेतु पहलें

- **ई-कॉमर्स निर्यात हब (E-Commerce Export Hubs: ECEHs):** निर्दिष्ट क्षेत्रों को ECEHs के रूप में स्थापित किया जाएगा। ECEHs **अनुकूल व्यावसायिक अवसंरचना के लिए एक केंद्र** के रूप में कार्य करेंगे और सीमा-पारीय ई-कॉमर्स गतिविधियों के लिए **उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करेंगे।**

[78] Common Service Providers

[79] Average Export Obligation

- ECEH की स्थापना: ECEH को निजी क्षेत्रक की पहल के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership: PPP) मोड में स्थापित किया जा सकता है।
- **ECEH संचालन की प्रकृति:** ECEH, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए **समूह आधारित लाभ (Agglomeration benefits)** अर्जित करने का कार्य करेगा। ECEH निम्नलिखित सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा:
    - निर्यात के लिए **प्रमाणन एवं परीक्षण** और अन्य सामान्य सुविधाएं,
    - निकटतम लॉजिस्टिक्स हब/ हबों से जुड़ने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए **समर्पित लॉजिस्टिक्स अवसंरचना।**
- **वित्तीय सहायता:** ECEH को बाजार पहुंच पहल (MAI)[80] योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- **डाक मार्ग (Postal Route) से ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना:** इसके लिए पूरे देश में **डाक घर निर्यात केंद्रों** को संचालित किया जाएगा। ये निर्यात केंद्र विदेशी डाकघरों (FPOs) के साथ मिलकर **हब-एंड-स्पोक मॉडल** की तर्ज पर काम करेंगे। इससे सीमा-पारीय ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

शुल्क में छूट/ छूट से संबंधित योजनाएं

- **अग्रिम प्राधिकरण (Advance Authorisation: AA):** AA के तहत आयात को निम्नलिखित भुगतान (जहां भी लागू हों) से छूट दी गई है:
    - बुनियादी सीमा शुल्क,
    - अतिरिक्त सीमा शुल्क,
    - शिक्षा उपकर,
    - एंटी-डंपिंग ड्यूटी,
    - काउंटरवेलिंग ड्यूटी,
    - सेफगार्ड ड्यूटी,
    - ट्रांजिशन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी।
- **शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (Duty-Free Import Authorization: DFIA):** DFIA को केवल **बुनियादी सीमा शुल्क (BCD)[81] के भुगतान से छूट** दी जाएगी।
- **निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजनाएं (Schemes for Remission of Duties and Taxes on Exported Products: RoDTEP):** इसका उद्देश्य केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर निर्यात किए गए उत्पाद पर वर्तमान में **रिफंड नहीं किए गए शुल्कों/ करों/ आरोपित अन्य राशियों को वापस** करना है।
    - इसे **वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा अधिसूचित** किया गया था। इसे **राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय)** द्वारा प्रशासित किया जाता है।

स्कोमेट (SCOMET) अर्थात् विशेष रसायन, जीव, सामग्रियां, उपकरण तथा प्रौद्योगिकियां (Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies: SCOMET)

- **दोहरे उपयोग की वस्तुओं का विनियमन:** हाल ही में, भारत ने स्कोमेट सहित सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी जैसे **दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं** और परमाणु संबंधी वस्तुओं के निर्यात को **विनियमित** किया है। यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और दायित्वों के साथ-साथ बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं (MECRs)[82] के दिशा-निर्देशों तथा नियंत्रण सूचियों के अनुसार किया गया है।
    - दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध है। हालांकि, विशेष छूट और उचित प्राधिकरण से अनुमति के बाद इनके निर्यात की अनुमति है।
- **स्कोमेट सूची:** यह भारत की **राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची**[83] है। यह सूची सभी MECRs और अभिसमयों की नियंत्रण सूचियों के अनुरूप है।

[80] Market Access Initiative

[81] Basic Customs Duty

[82] Multilateral Export Control Regimes

[83] National Export Control List

- स्कोमेट मदों को **सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम्स (गैर-कानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005** के तहत विनियमित किया जाता है।
- स्कोमेट सूची के अंतर्गत आने वाली आयातित वस्तुओं के **निर्यात की अनुमति नहीं** है।

- **स्कोमेट पर आउटरीच कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम को DGFT द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों और व्यापार संघों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य व्यापार और विनिर्माण से संबंधित निर्यातकों/ आयातकों के बीच विशेष रूप से स्कोमेट मदों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है।

SCOMET श्रेणी	SCOMET मदें	लाइसेंस देने वाला प्राधिकरण
0	परमाणु सामग्री; परमाणु संबंधी अन्य सामग्री, उपकरण और तकनीक	परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)
1	विषाक्त रासायनिक कारक और अन्य रसायन	विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)
2	सूक्ष्म सजीव, विषाक्त पदार्थ	DGFT
3	सामग्री, सामग्रियों के प्रसंस्करण संबंधी उपकरण और संबंधित प्रौद्योगिकियां	DGFT
4	श्रेणी '0' के तहत नहीं आने वाले परमाणु संबंधी अन्य उपकरण और प्रौद्योगिकियां	DGFT
5	एयरोस्पेस सिस्टम, उपकरण (जिसमें उत्पादन और टेस्ट उपकरण शामिल हैं) तथा संबंधित प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से डिजाइन किए गए घटक एवं सहायक उपकरण	DGFT
6	युद्धक सामग्री की सूची	रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) / रक्षा मंत्रालय
7	'आरक्षित'	DGFT
8	विशेष सामग्री और संबंधित उपकरण, सामग्री प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, दूरसंचार, सूचना सुरक्षा, सेंसर तथा लेजर, नेविगेशन और एवियोनिक्स, समुद्री, एयरोस्पेस एवं प्रणोदन (प्रोपल्शन)	DGFT

6.3. भारत के मुक्त व्यापार समझौते {Free Trade Agreements (FTA) of India}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी प्रदान की।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के बारे में

- BIT एक **देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश की सुरक्षा के लिए एक पारस्परिक समझौता** है।

नोट: PT 365 अंतर्राष्ट्रीय संबंध' डॉक्यूमेंट में BIT एवं भारत-यू.ए.ई. संबंधों की विस्तार से चर्चा की जाएगी।

मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बारे में

- FTA एक प्रकार की संधि है, जो **दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार में बाधाओं को कम या समाप्त** करती है।
- सामान्यतः FTA में **वस्तुओं या सेवाओं के व्यापार** को शामिल किया जाता है।
    - इसके अलावा, देश FTA में **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs), निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धा संबंधी नीतियों** को भी शामिल कर सकते हैं।
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मूल सिद्धांत के विपरीत FTA मूलतः एक भेदभावपूर्ण प्रणाली है।**
    - हालांकि, FTAs **विश्व व्यापार संगठन के तहत मान्य** हैं। कोई देश FTA में तभी प्रवेश कर सकता है, जब वह WTO समझौतों के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित कुछ शर्तों का पालन करता हो।

FTAs के प्रकार

- **आर्थिक संघ (Economic Union):** आर्थिक संघ में सदस्य देश अपनी राजकोषीय/ मौद्रिक नीतियों को एकीकृत करते हैं।
- **साझा बाजार (Common Market):** साझा बाजार मुख्य रूप से सीमा शुल्क संघ का ही एक रूप है। इसमें सदस्य श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही की अनुमति देते हैं।
- **सीमा शुल्क संघ (Custom Union):** सीमा शुल्क संघ के तहत सदस्य देश गैर-सदस्य देशों के साथ सामान्य बाह्य प्रशुल्क बनाए रख सकते हैं।
- **मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement: FTA):** सदस्य देश मुख्य रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर आरोपित सीमा शुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम या समाप्त करते हैं।
- **अधिमान्य व्यापार समझौता (Preferential Trade Agreement: PTA):** इसमें भागीदार देश स्वीकृत उत्पादों के लिए प्रशुल्क कम करने पर सहमत होते हैं।

भारत द्वारा किए गए FTAs

- भारत ने **कई देशों/ व्यापारिक ब्लॉक्स के साथ 13 FTAs** पर हस्ताक्षर किए हैं।
    - इन देशों/ व्यापारिक ब्लॉक्स में शामिल हैं- श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, आसियान और साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया (SAFTA)।
- भारत ने जिन देशों/ व्यापारिक ब्लॉक्स के साथ FTA जैसे व्यापार समझौते किए हैं, वहां पर **पिछले पांच वर्षों में निर्यात में 20.75% की वृद्धि** दर्ज की गई है।
- **भारत के FTAs से जुड़े हालिया घटनाक्रम:**
    - **इनोवेटिव डिजाइन:** भारत ने पहली बार **संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने FTA के दायरे में डिजिटल व्यापार** को शामिल किया है।
    - **NTBs का समाधान करना:** हाल ही में, हस्ताक्षरित FTAs (जैसे कि ऑस्ट्रेलिया-भारत के बीच) में नॉन-टैरिफ बैरियर (NTBs) से जुड़ी हुई समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास किया गया है।
    - **सेवा क्षेत्र पर फोकस:** पिछले समझौतों में सेवाओं के व्यापार पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था।
    - **नेचुरल व्यापारिक भागीदार[84]:** इन राष्ट्रों की ट्रेड बास्केट अच्छी मात्रा में पूरकता दर्शाती हैं। इस प्रकार उन्हें नेचुरल व्यापारिक साझेदारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
    - **भारत-आसियान FTA:** भारत और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (आसियान/ ASEAN) ने **2025 तक मौजूदा FTA (वस्तुओं) की समीक्षा** पूरी करने पर सहमति जताई है।

6.4. वैश्विक ट्रेड बैरियर्स (Global Trade Barriers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ते बिखराव या विखंडन** की बात कही है। WTO के अनुसार, 2015 और 2022 के बीच **व्यापार संबंधी शिकायतों की संख्या में नौ गुना वृद्धि** हुई है।

[84] Natural trading partners

© Vision IAS

ट्रेड बैरियर्स (व्यापार संबंधी बाधाएं) क्या होते हैं?

- **परिभाषा:** ट्रेड बैरियर्स **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने वाली नीतियां या विनियम** होती/ होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाए जाने वाले प्रशुल्क (टैरिफ), कोटा, लाइसेंस आदि को मुख्यतः ट्रेड बैरियर्स का हिस्सा माना जाता है।
- **प्रकार:** व्यापार में टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर्स हो सकते हैं।
    - **टैरिफ बैरियर्स:** सरल शब्दों में, टैरिफ बैरियर **एक प्रकार का कर है, जो आयातित उत्पादों** पर लगाया जाता है। इस कर के कारण उत्पाद की लागत बढ़ जाती है और इस बढ़ी हुई लागत का उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है।
    - **नॉन-टैरिफ बैरियर्स (NTBs):** नॉन-टैरिफ उपाय (NTMs)[85] टैरिफ के अतिरिक्त वे नीतिगत उपाय हैं, जो किसी देश में आयात को प्रभावित करते हैं। जब NTMs तार्किक औचित्य से परे व मनमाने ढंग से काम करने लगते हैं और व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें NTBs कहा जाता है।
        - संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD/ अंकटाड) ने **16 प्रकार के गैर-टैरिफ बैरियर्स को वर्गीकृत किया है, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-**
            - ✓ **तकनीकी बैरियर्स:** जैसे कि सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय आदि।
            - ✓ **गैर-तकनीकी बैरियर्स:** जैसे कि व्यापार-सुरक्षात्मक उपाय, उत्पत्ति के नियम (RoO)[86], व्यापार से संबंधित निवेश उपाय आदि।
            - ✓ **निर्यात** संबंधी उपाय।

ट्रेड बैरियर्स का भारतीय उद्योग पर प्रभाव

- एक आकलन के अनुसार, **भारत का 80% व्यापार किसी-न-किसी प्रकार के NTB के अधीन** है।
- **भारत से निर्यात** किए जाने वाले निम्नलिखित उत्पाद नियमित रूप से **उच्च NTBs का सामना** कर रहे हैं:
    - **यूरोपीय संघ** को निर्यात की जाने वाली **चाय, बासमती चावल, पशु उत्पाद, रसायन उत्पाद** आदि;
    - **जापान** को निर्यात किए जाने वाले **तिल के बीज, झींगा, दवाइयां, परिधान** आदि;
    - **चीन** को निर्यात किए जाने वाले **मांस, मछली, डेयरी और औद्योगिक उत्पाद;**
    - **संयुक्त राज्य अमेरिका** को निर्यात किए जाने वाले **फल और झींगा;**
- **सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय** उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय निर्यात के समक्ष मुख्य बाधाएं हैं।

अन्य सुर्ख़ियां

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड/ UNCTAD) ने **"व्यापार और विकास रिपोर्ट-2023"** जारी की गई।

- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - **वैश्विक परिदृश्य में: 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर 2.4% रहने का अनुमान** है।
    - **भारत की आर्थिक संवृद्धि दर** 2023 में 6.6% और 2024 में 6.2% रहने का अनुमान है।

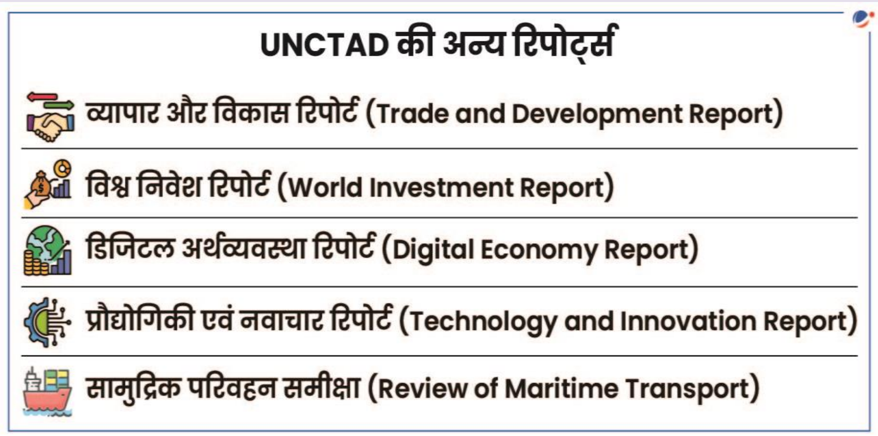

- **UNCTAD के बारे में:**
    - **उत्पत्ति:** यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर-सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी।
    - **सदस्य:** भारत सहित 195 सदस्य देश।
    - **सौंपे गए कार्य (Mandate): अंकटाड के कार्य मुख्यतः निम्नलिखित चार क्षेत्रकों पर केंद्रित हैं-**

[85] Non-Tariff Measures

[86] Rules of Origin

- व्यापार और विकास,
- निवेश और उद्यम,
- प्रौद्योगिकी और नवाचार, तथा
- समष्टि अर्थशास्त्र एवं विकास संबंधी नीतियां।

- **कार्य (Function):**
  - **विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक न्यायसंगत रूप से भाग लेने में मदद करना।**
  - **व्यापार, निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** की सहायता से विकासशील देशों में **समावेशी एवं संधारणीय विकास** को बढ़ावा देना।

6.5. विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation: WTO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अपीलीय निकाय (Appellate Body) में विवाद निपटान निकाय के एक फैसले के खिलाफ अपील की है। विवाद निपटान निकाय के फैसले में कहा गया था कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (ITA) के तहत अपनी शून्य-प्रशुल्क (Zero-tariff) प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है।

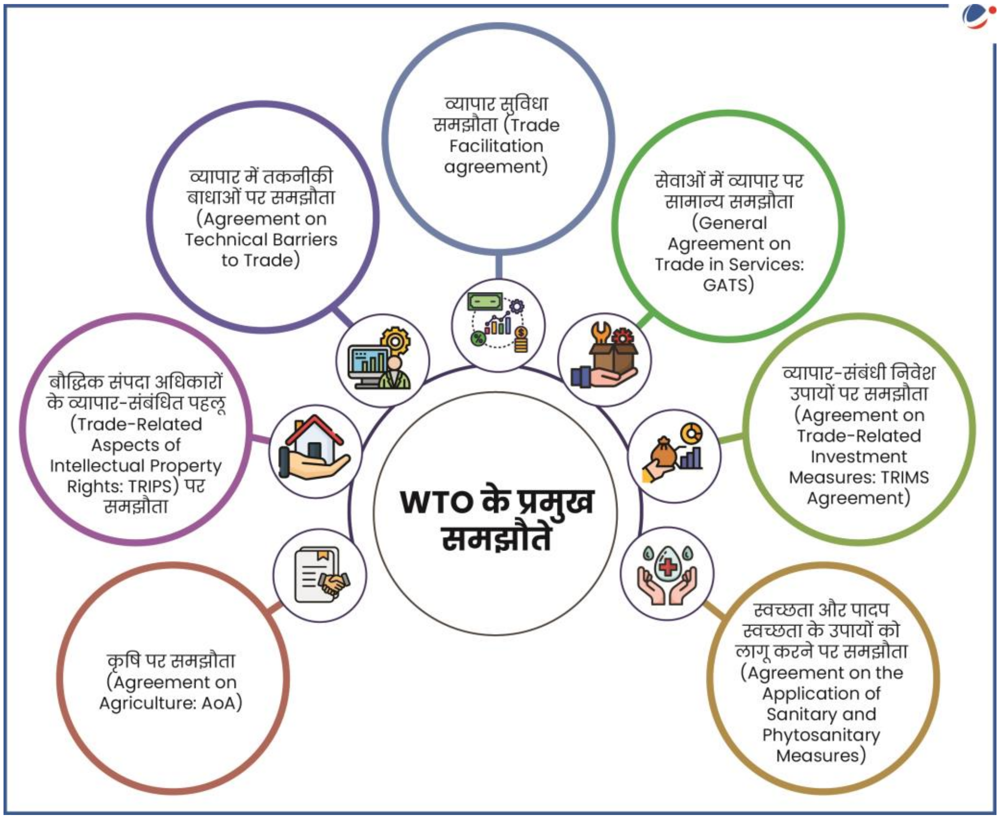

WTO में विवाद को निपटाना

- **WTO में शिकायत दर्ज होने के बाद विवाद को निपटाने के निम्नलिखित दो मुख्य तरीके हैं:**
  - **पक्षकार** (विशेष रूप से द्विपक्षीय विचार-विमर्श के चरण के दौरान) **परस्पर सहमति वाले समाधान खोजने का प्रयास करते हैं;** तथा
  - **अधिनिर्णयन के माध्यम से, जिसमें बाद में पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्ट का कार्यान्वयन भी शामिल है।**
- **WTO विवाद निपटान प्रक्रिया के तीन मुख्य चरण हैं-**
  - **पक्षकारों के बीच विचार-विमर्श:**
    - **यदि दोनों पक्ष परामर्श के माध्यम से मामले को हल करने में सक्षम नहीं हैं,** तो उनमें से कोई भी WTO से **विवाद निपटान पैनल गठित** करने के लिए आग्रह कर सकता है।
  - **विवाद निपटान पैनल द्वारा निर्णय:** इसके फैसले या रिपोर्ट को **WTO के अपीलीय निकाय में चुनौती** दी जा सकती है;
    - वर्तमान में, **संयुक्त राज्य अमेरिका** द्वारा **अपीलीय निकाय में नियुक्तियों को रोकने** के कारण **अपीलीय निकाय का कामकाज प्रभावित** हो रहा है।
  - **निर्णय का कार्यान्वयन:** इसमें यदि **हारने वाला पक्षकार निर्णय को लागू करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ आगे की कार्यवाही** की जा सकती है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

- WTO **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाने वाला एकमात्र वैश्विक मंच** है।

© Vision IAS

- ○ यह व्यापार वार्ता को सुविधाजनक बनाता है, व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों को लेकर 1987 से 1994 तक बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का उरुग्वे दौर आयोजित किया गया था। वर्ष 1994 में इस वार्ता के समापन पर **मारकेश समझौते पर हस्ताक्षर** किए गए थे। इस समझौते के जरिए ही WTO को स्थापित किया गया था। यह समझौता 1 जनवरी, 1995 को लागू हुआ था।
    - ○ WTO को **जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (GATT)** के स्थान पर लाया गया है। गौरतलब है कि GAIT एक व्यापारिक समूह था। इसे 1948 में स्थापित किया गया था। इसके नियमों ने आधुनिक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की शुरुआत की थी।
- **सदस्य:** इस संगठन में **भारत सहित 164 सदस्य** हैं।
- **WTO में निवेश सुविधा समझौता (Investment Facilitation Agreement):**
    - ○ **विकासशील एवं सबसे कम विकसित WTO सदस्यों के एक समूह द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया।** यह एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य विकास के लिए निवेश सुविधा पर एक बहुपक्षीय समझौता तैयार करना है जो निवेश और व्यापार माहौल में सुधार करेगा।
    - ○ **इसमें भारत शामिल नहीं है।**

संबंधित सुर्ख़ियां

विकासशील देश का दर्जा

- अमेरिकी सीनेट की एक समिति ने चीन के **'विकासशील देश' के दर्जे को समाप्त करने के लिए कानून** को मंजूरी दे दी है। यह कानून एक अमेरिकी नीति का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसके तहत भविष्य में होने वाली संधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में **चीन के साथ एक विकासशील देश के रूप में व्यवहार नहीं** किया जाएगा।
- इस कानून के तहत यह दावा किया गया है कि **चीन को अब एक विकासशील देश नहीं माना** जा सकता है।
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने 'विकसित' और 'विकासशील' देशों को परिभाषित नहीं** किया है। इस कारण **सदस्य देश स्वयं ही यह घोषणा करने के लिए स्वतंत्र हैं** कि वे 'विकसित' हैं या 'विकासशील'।
    - ○ संयुक्त राष्ट्र ने भी विकासशील देशों की कोई औपचारिक परिभाषा निर्धारित नहीं की है। फिर भी वह **निगरानी संबंधी कार्यों के लिए इस शब्द का उपयोग** करता रहता है।

6.6. वि-डॉलरीकरण (De-dollarization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ब्रिक्स देश (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान के लिए एक **नई मुद्रा विकसित करने** का प्रयास कर रहे हैं।

वि-डॉलरीकरण (De-dollarization) क्या है?

जब कोई देश आरक्षित मुद्रा, विनिमय के माध्यम और यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में **अमेरिकी डॉलर (USD) पर अपनी निर्भरता को कम** करता है तो उसे **वि-डॉलरीकरण** कहा जाता है।

वैश्विक मुद्रा के निर्धारक	
खुली अर्थव्यवस्था	राजनीतिक-आर्थिक स्थिरता
पूंजी खाता में परिवर्तनीयता	स्वीकार्यता और विश्वास

अन्य संबंधित तथ्य

- **ब्रिक्स मुद्रा** का उपयोग **सीमा-पारीय व्यापार** के लिए किया जाएगा।

- इसके अतिरिक्त, भारत और मलेशिया भुगतान के अन्य वर्तमान माध्यमों के अलावा **भारतीय रुपये में व्यापार का भुगतान करने के लिए सहमत हुए हैं।**
- इन कदमों को **वि-डॉलरीकरण** की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

वि-डॉलरीकरण की आवश्यकता/ कारण

- **व्यापार का शस्त्रीकरण (Weaponization of Trade):** ऐसे देश जिन पर **प्रतिबंध** लगाए गए हैं और जिन्हें **विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसायटी (SWIFT)**[87] से बाहर कर दिया गया है, उन्हें व्यापार करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए- **यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे।**
- **नई उभरती अर्थव्यवस्थाएं: आर्थिक महाशक्ति के रूप में एशिया के उदय ने भारतीय रुपये और युआन** जैसी मुद्राओं के महत्व को बढ़ा दिया है।
- **विविधता:** यदि विदेशी मुद्रा भंडार विविध मुद्राओं से परिपूर्ण होगा, तो बाहरी क्षेत्रकों पर दबाव कम पड़ेगा।
- **अमेरिका द्वारा वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हेर-फेर:** अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व से अमेरिका को अपने **निजी लाभ** के लिए **वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हेर-फेर करने** का भी मौका मिल जाता है। इससे प्रायः अन्य देशों को नुकसान उठाना पड़ता है।

भारत के लिए विडॉलरीकरण के लाभ					
इससे वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में **प्रणालीगत जोखिमों में कमी** आती है।	**निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता** में वृद्धि होती है।	**ऋण प्रबंधन** पर बेहतर नियंत्रण स्थापित होता है।	**उधार लेने की लागत में कमी** आती है।	**विदेशी निवेश** आकर्षित करने में आसानी होती है।	**मौद्रिक नीति में लचीलेपन** को बढ़ाता है।

वि-डॉलरीकरण की दिशा में शुरू की गई कुछ पहलें

- 2021 में, **पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना** ने **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स** में **"ग्लोबल सॉवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस" प्रस्ताव** प्रस्तुत किया था।
- **अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA)**[88] **स्थानीय मुद्राओं** का उपयोग करके **अंतर-अफ्रीकी व्यापार** को बढ़ावा दे रहा है।
- 2007 में यूरोपीय केंद्रीय बैंकों ने **ट्रांस-यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम (TARGET)-2** को प्रस्तुत किया था। यह प्रणाली यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को यूरो में व्यापार और वित्तीय लेन-देन करने में सक्षम बनाती है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए की गई पहलें

रुपये में सीमा-पार उधार

रुपये में मूल्यवर्गित या मसाला बॉण्ड्स की शुरुआत की गई है; 2014 से भारतीय कॉर्पोरेट को विदेशों में रुपये में मूल्यवर्गित बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई।

रुपये में व्यापार निपटान

एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, जुलाई 2022 में RBI ने **विशेष वोस्ट्रो खातों** के माध्यम से रुपये में व्यापार निपटान की अनुमति देने के लिए एक व्यापक रूपरेखा जारी की थी।

करेंसी स्वैप

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, सार्क सदस्य देशों सहित अन्य देशों के साथ **वर्ष 2018 से 23 करेंसी स्वैप समझौतों पर सहमति** बनी है।

अन्य उपाय

- **एशियन क्लीयरिंग यूनियन** में क्षेत्रीय व्यापार निपटान के लिए **घरेलू मुद्राओं के उपयोग** की संभावना तलाशी जा रही है।
- घरेलू रुपये **ब्याज दरों** और **मुद्रा बाजार** को **विदेशों में स्थित रुपये के बाजारों से जोड़ने के लिए परिस्थितियों को अनुकूल** बनाया जा रहा है।
- बाजार की तरलता में सुधार के लिए **प्राथमिक डीलरों** को **विदेशी मुद्रा बाजारों में बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है।**

[87] Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

[88] African Continental Free Trade Area

© Vision IAS

6.7. रेमिटेंस/ विप्रेषण (Remittances)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक ने **"माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ: निजी पूंजी जुटाने के लिए प्रवासियों के वित्त का लाभ उठाना**[89]शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **वैश्विक रेमिटेंस/ विप्रेषण (Global Remittance):** 2023 में विश्व में रेमिटेंस के रूप में **860 बिलियन डॉलर** भेजे जाने का अनुमान है। यह वर्ष 2022 की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है।
- **निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs)[90] को रेमिटेंस:** 2023 में **LMICs** को रेमिटेंस के रूप में 669 बिलियन डॉलर प्राप्त होने का अनुमान है। यह 2022 की तुलना में 3.8 प्रतिशत अधिक है।
    - **2023 में भी LMICs** में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** और **आधिकारिक विकास सहायता** (ODA)[91] की तुलना में रेमिटेंस **विदेशी स्रोतों से वित्त प्राप्ति का मुख्य स्रोत** बना रहा है।
    - 2024 में सभी LMICs में दक्षिण एशिया में रेमिटेंस में सर्वाधिक वृद्धि (89 बिलियन डॉलर) होने का अनुमान है। इस अनुमानित वृद्धि का कारण भारत को अधिक रेमिटेंस प्राप्त होना है।

रेमिटेंस/ विप्रेषण का महत्त्व

- परिवारों की प्रयोज्य आय (Disposable Income) बढ़ने के साथ-साथ रेमिटेंस से अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ती है। इससे **GDP वृद्धि को आगे बढ़ाने** में मदद मिलती है।
    - भारत की **GDP का 3% रेमिटेंस** के रूप में आता है। जब भारत का व्यापार घाटा बढ़ता है, तो रेमिटेंस एक बहुत जरूरी सहारा प्रदान करता है।
    - **प्रयोज्य आय (Disposable income)** वह धनराशि है जिसे किसी व्यक्ति या परिवार को आयकर में कटौती के बाद खर्च करना या बचाना होता है।

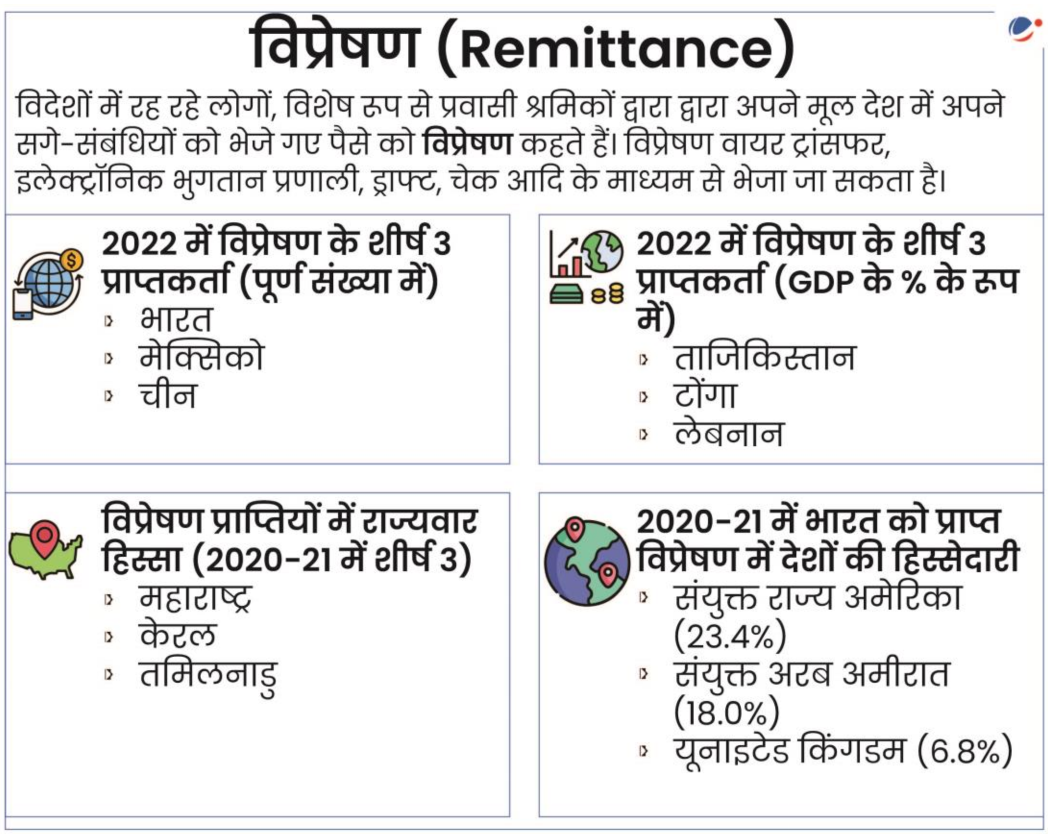

- **रेमिटेंस विकासशील देशों के लिए बाह्य वित्त (External Finance) का एक प्रमुख स्रोत है।**
    - सेवाओं के निर्यात के बाद रेमिटेंस **बाह्य वित्त-पोषण का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है। (आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23)।**

[89] Migration and Development Brief: Leveraging Diaspora Finances for Private Capital Mobilization"

[90] Low and Middle-income Countries

[91] Official development assistance

विश्व बैंक समूह

- **अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD)[92]:** यह एक **वैश्विक विकास सहकारी संस्था** है। इसमें **189** सदस्य देश शामिल हैं।
  - यह **दुनिया के सबसे बड़े विकास बैंक** के रूप में कार्य करता है। यह मध्यम-आय और उधार प्राप्त करने योग्य निम्न-आय वाले देशों को ऋण, गारंटी, जोखिम प्रबंधन उत्पाद और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करके विश्व बैंक समूह के मिशन में मदद करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)[93]:** यह विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है, जो **दुनिया के सबसे निर्धन देशों** की मदद करता है।
  - IDA को 1960 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य **शून्य अथवा कम ब्याज दर पर ऋण** प्रदान करके (जिन्हें **'क्रेडिट्स'** कहा जाता है) तथा आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने वाले; असमानताओं को कम करने वाले तथा लोगों की जीवन दशाओं में सुधार लाने वाले कार्यक्रमों को अनुदान प्रदान करके गरीबी को कम करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)[94]:** यह विश्व बैंक समूह की **निजी क्षेत्रक संबंधी शाखा** है। यह अपने कार्यक्रमों के जरिए वैश्विक गरीबी को कम करने में मदद करता है।
- **बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA)[95]:** विकासशील देशों में गैर-व्यावसायिक जोखिमों के प्रति **निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक** के लिए MIGA का गठन किया गया था।
- **अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र (ICSID)[96]:** यह एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसे **"कन्वेंशन ऑन द सेटेलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटविन स्टेट्स एंड नेशनल्स ऑफ अदर स्टेट्स"** के तहत गठित किया गया था। इस कन्वेंशन को **ICSID या वाशिंगटन कन्वेंशन** भी कहा जाता है।

विश्व बैंक समूह द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट्स		
डूइंग बिजनेस रिपोर्ट	ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स	ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट
कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक	पावर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पैरिटी	वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट

6.7.1. उदारीकृत विप्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme: LRS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने **भारतीय निवासियों द्वारा विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च** को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 'उदारीकृत विप्रेषण योजना' (LRS)[97] में शामिल कर दिया है। गौरतलब है कि LRS के तहत **एक वित्तीय वर्ष में 2,50,000 डॉलर तक विप्रेषण (विदेशों में पैसा भेजने या खर्च करने)** की अनुमति है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **वर्तमान स्थिति:** अब तक निवासी भारतीय द्वारा विदेशों में क्रेडिट कार्ड के उपयोग को **विप्रेषण संबंधी 2,50,000 डॉलर की सीमा से बाहर** रखा गया था। क्रेडिट कार्ड धारकों को यह छूट **विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेन-देन) {FEM(CAT)} नियम, 2000**[98] के तहत मिली थी।
  - गौरतलब है कि **विदेशों में 'डेबिट कार्ड' से होने वाले लेन-देन को LRS में पहले ही शामिल** किया जा चुका है।
- **FEM(CAT) नियम:** इन नियमों को **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम[99], 1999** के तहत जारी किया गया है।

[92] International Bank for Reconstruction and Development

[93] International Development Association:

[94] International Finance Corporation

[95] Multilateral Investment Guarantee Agency

[96] International Centre for Settlement of Investment Disputes

[97] Liberalised Remittance Scheme

[98] Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) (FEM(CAT)) Rules, 2000: फेमा/ FEMA

[99] Foreign Exchange Management Act

© Vision IAS

- फेमा के तहत, **सभी निवासी भारतीय किसी भी चालू खाते के लेन-देन हेतु विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।** इसमें ऐसे लेन-देन शामिल नहीं होते हैं जिनके लिए केंद्र सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा की निकासी पर प्रतिबंध लगाया गया हो।
- **इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति:** यह विनियमन **धनाढ्य व्यक्तियों (HNIs)**[100] द्वारा विदेश यात्राओं के दौरान **किए जाने वाले खर्च** को प्रभावित करेगा।

स्रोत पर एकत्रित कर (TCS)[101] किस पर लागू होता है?

- TCS एक प्रकार का कर है जो **विक्रेता द्वारा चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से वसूला जाता** है। विदेशी विप्रेषण लेन-देन के संदर्भ में, यह कर तब वसूला जाता है **जब कोई व्यक्ति विदेश में पैसा भेजता है।**
- केंद्रीय बजट 2023-24 में **शिक्षा और चिकित्सा उपचार हेतु** 7 लाख रुपये से अधिक के विदेशी विप्रेषण के लिए **5% TCS को लागू करने का प्रस्ताव है।**
  - इसी तरह, इसमें वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से शिक्षा के लिए 7 लाख रुपये से अधिक के **विदेशी विप्रेषण पर 0.5% TCS में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव है।**
  - हालांकि, LRS के तहत अन्य उद्देश्यों हेतु **विदेशी विप्रेषण** और **विदेश यात्रा संबंधी खर्च** के लिए 7 लाख रुपये की सीमा को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए **TCS को 5% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव** है।

LRS की पृष्ठभूमि

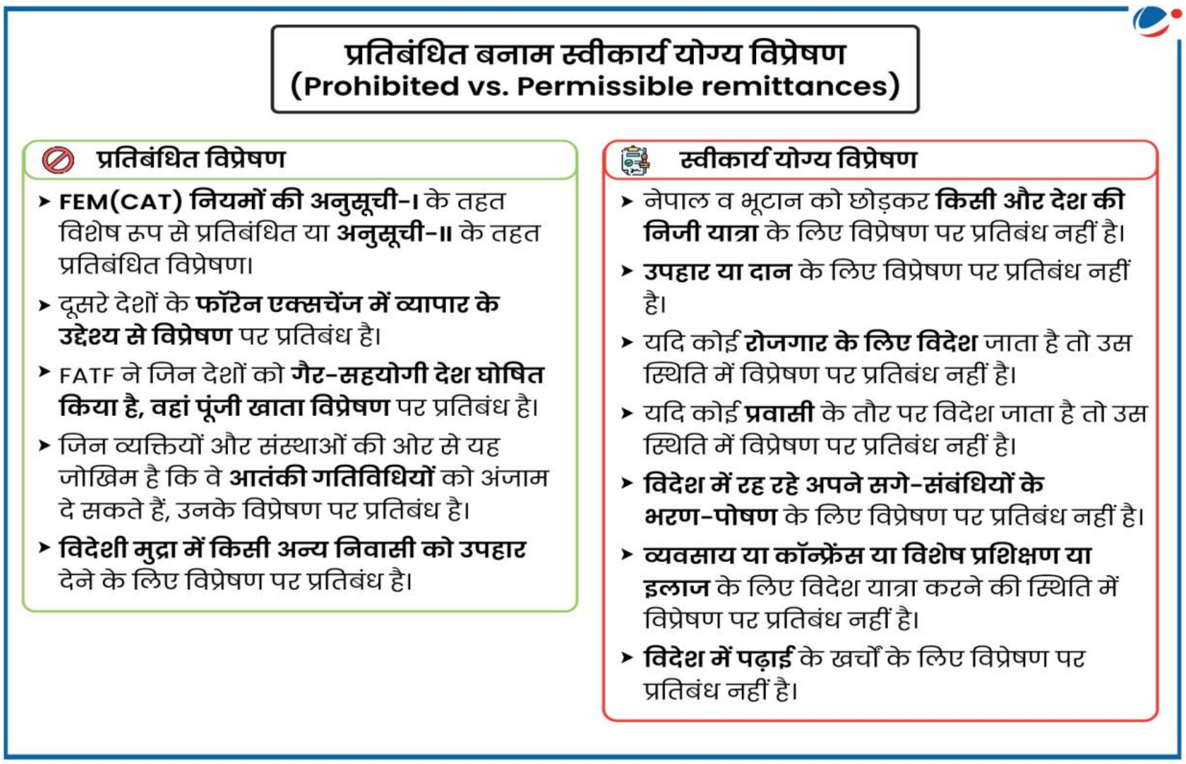

- **LRS योजना:** LRS योजना **2004 में शुरू** की गई थी।
- **उद्देश्य:** इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा **विदेशी मुद्रा विनियमों को उदार बनाना और विदेशों में भारतीय निवासियों द्वारा धन के सुचारू हस्तांतरण** की सुविधा प्रदान करना है।
- **उपयोग:** LRS के तहत, सभी निवासी व्यक्तियों को अनुमति प्राप्त किसी भी **चालू या पूंजी खाता लेन-देन या दोनों के जरिए प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 2,50,000 डॉलर के विप्रेषण** की अनुमति है।
  - **इस सीमा से ऊपर** कोई भी विप्रेषण करने के लिए **RBI की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।**
  - यह योजना **कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, HUF, ट्रस्टों आदि के लिए उपलब्ध नहीं** है।
  - विप्रेषण किसी भी मुक्त रूप से **परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में किया** जा सकता है।

6.8. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (Credit Rating Agencies: CRAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी **'मूडीज'** ने भारत की **Baa3 रेटिंग** की पुष्टि की है और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर **"स्थिर"** दृष्टिकोण बनाए रखा है।

[100] High Net-worth Individuals

[101] Tax Collected at Source

रेटिंग सिंबल (Rating Symbols) पर एक नज़र

- **AAA** – यह ऋण दायित्वों में मामले में सबसे उच्च दर्जे की रेटिंग है। इसमें समय पर ऋण चुकाने (मूलधन तथा ब्याज का भुगतान) के संबंध में उच्चतम स्तर की सुरक्षा (**Highest degree of security**) की संभावना व्यक्त की जाती है।
- **AA** – उच्च स्तर की सुरक्षा (**high degree of security**)।
- **A** – पर्याप्त स्तर की सुरक्षा (**Adequate degree of security**)।
- **BBB** – मध्यम स्तर की सुरक्षा (**Moderate degree of security**)।
- **BB** – डिफ़ॉल्ट होने का मध्यम स्तर का जोखिम (**Moderate risk of default**)।
- **B** – डिफ़ॉल्ट होने का उच्च स्तर का जोखिम (**High risk of default**)।
- **C** – डिफ़ॉल्ट होने का अत्यधिक उच्च स्तर का जोखिम (**Very high risk of default**)।
- **D** – डिफ़ॉल्ट घोषित या जल्द ही डिफ़ॉल्ट होने की आशंका।

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (CRAs)

- **सॉवरेन या संप्रभु रेटिंग** के जरिए निवेशक किसी देश में निवेश करते समय उस देश की **ऋण चुकाने की क्षमता (Creditworthiness)** को मुख्य पैमाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से मिलने वाली रेटिंग का असर **66 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के संप्रभु ऋण (Sovereign debt)** पर पड़ता है। ऐसे में वे **वैश्विक पूंजी** के लिए गेटकीपर के रूप में कार्य करती हैं।

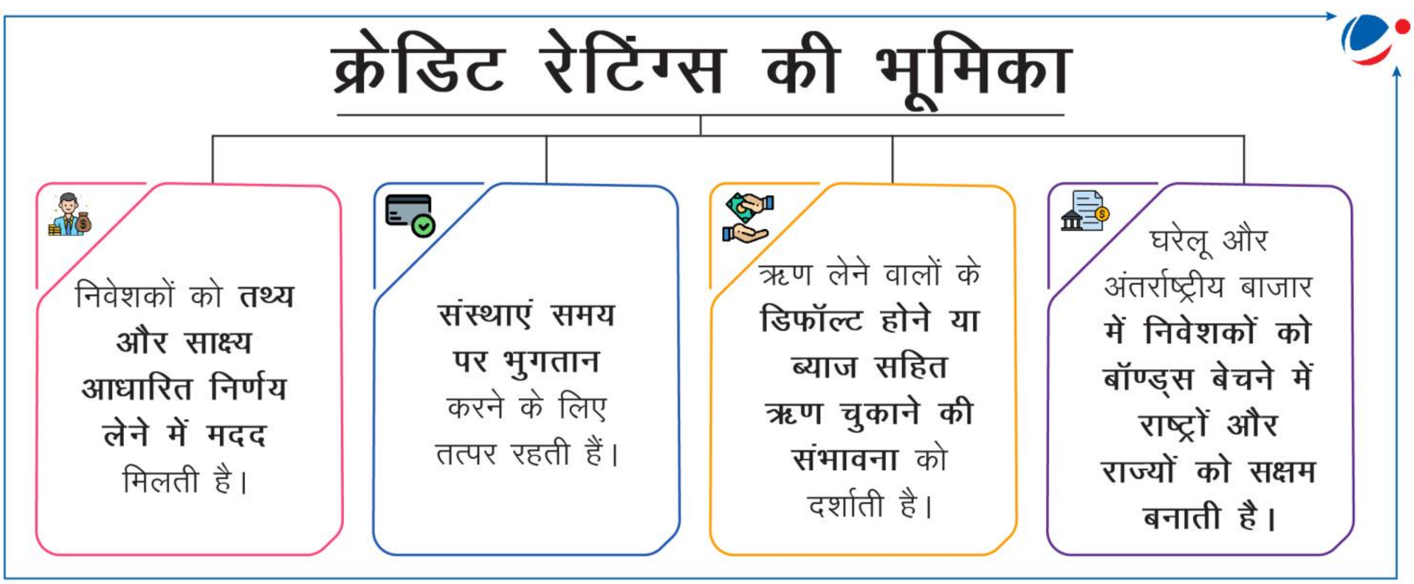

- वर्तमान में, **तीन प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों {स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P), मूडीज और फिच}** ने भारत को **निवेश-ग्रेड की रेटिंग** प्रदान की हुई है।
- किसी सरकार की **ऋण चुकाने की क्षमता** का आकलन करने के लिए **कई मानदंड** होते हैं। इनमें से कुछ मुख्य **मानदंड निम्नलिखित हैं:**
  - **राजनीतिक जोखिम, कर व्यवस्था, राष्ट्रीय मुद्रा की वैल्यू,** और **श्रम कानून;**
  - **संप्रभु जोखिम** (जहां किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा विनियमों को बदल सकता है) आदि।

© Vision IAS

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

- भारत में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI/ सेबी) **"सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियम, 1999"** के तहत **सभी क्रेडिट रेटिंग फर्मों को विनियमित** करता है।
- **भारत में निम्नलिखित सात क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं:**
  - क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (CRISIL);
  - क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च (CARE) लिमिटेड;
  - इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ICRA);
  - एक्वाइट रेटिंग्स एंड रिसर्च;
  - ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड;
  - इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड; तथा
  - इंफोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड।
- **ये एजेंसियां निम्नलिखित कार्य करती हैं?**
  - ये समय पर जानकारी उपलब्ध कराकर और निष्पक्ष राय देकर **बाजार भागीदारों को सशक्त** करती हैं,
  - **वित्तीय बाजार के विकास और उसे अधिक कुशल बनाने** में मदद करती हैं,
  - किसी **व्यक्ति या कंपनी की ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन और आकलन** करती हैं, आदि।

6.9. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कोटे में वृद्धि (Increase in IMF Quota)

सुर्ख़ियों में क्यों?

IMF के कार्यकारी बोर्ड ने सदस्य देशों के कोटे में वृद्धि करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

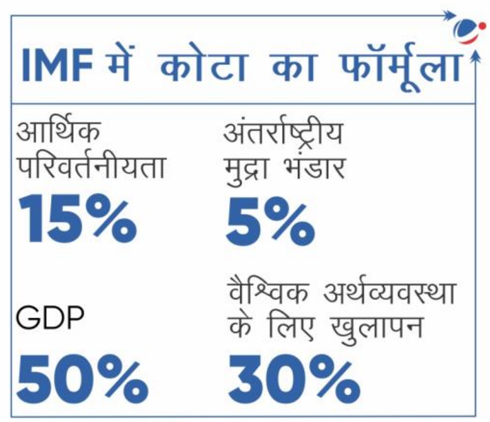

अन्य संबंधित तथ्य

- कार्यकारी बोर्ड ने सदस्य देशों के वर्तमान कोटे में **50% की वृद्धि** का प्रस्ताव दिया है। यह वृद्धि देशों के **मौजूदा कोटे के अनुपात** में होगी।
  - मंजूरी के बाद, इस प्रस्ताव पर **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा विचार और मतदान** किया जाएगा। इसके उपरांत इसे प्रभावी बनाया जाएगा।
- **कोटे में बढ़ोतरी का महत्त्व:**
  - इसके जरिए IMF के **स्थायी संसाधनों को बढ़ाया** जा सकेगा। इससे **वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने** में मदद मिलेगी।
  - इससे ऋण के माध्यम से जुटाए जाने वाले संसाधनों पर **निर्भरता कम होगी।**
    - वर्तमान में, IMF **बाइलेटरल बॉरो अरेंजमेंट्स** पर निर्भर है। अब वह **'न्यू अरेंजमेंट्स टू बॉरो' (NAB)** नामक एक संकटकालीन ऋण निधि बनाने पर विचार कर रहा है। इसमें वह अपने जुटाए गए संसाधनों का **60 प्रतिशत** हिस्सा रखेगा।

IMF कोटे के बारे में:

- कोटा IMF की **वित्तीय और शासी संरचना** का प्रमुख भाग हैं।
  - कोटे को **विशेष आहरण अधिकार (SDRs)**[102] के रूप में दर्शाया जाता है। यह **IMF का यूनिट ऑफ़ अकाउंट है।**
- **कोटे का उपयोग निम्नलिखित के निर्धारण में किया जाता है:**
  - इससे पता चलता है कि किसी सदस्य **देश ने IMF को कितने संसाधन का योगदान** दिया है।
  - इससे **IMF में लिए जाने वाले निर्णयों में सदस्य देश की मतदान शक्ति** तय होती है।

---

[102] Special Drawing Rights

- सदस्यों को कोटे के **प्रति SDR100,000 पर एक वोट और मूल वोट** मिलता है। यह सभी सदस्यों के लिए समान हैं।
  - इससे यह भी तय होता है कि **एक सदस्य IMF से कितना ऋण प्राप्त** कर सकता है।
  - **SDRs का सामान्य आवंटन** निर्धारित होता है।
- वर्तमान में, **भारत को 2.63% मतदान अधिकार और SDR कोटा का 2.75%** प्राप्त है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

- **उत्पत्तिः** इसे 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापित किया गया था।
  - विश्व बैंक समूह में शामिल होने के योग्य होने के लिए देशों को पहले IMF में शामिल होना चाहिए।
- **मुख्यालय:** वाशिंगटन डी.सी.
- **भूमिकाः** IMF के तीन महत्वपूर्ण मिशन हैं:
  - अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को आगे बढ़ाना,
  - व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करना, और
  - ऐसी नीतियों को हतोत्साहित करना, जो समृद्धि को नुकसान पहुंचाएं।
- **सदस्य:** भारत सहित 190 देश
- **संपर्कः** यह G20 सहित अन्य समूहों के साथ निकटता से सहयोग करता है और अपनी पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बनाए रखने के लिए G20 के प्रयासों का समर्थन करता है।
- **मुख्य रिपोर्टः** वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

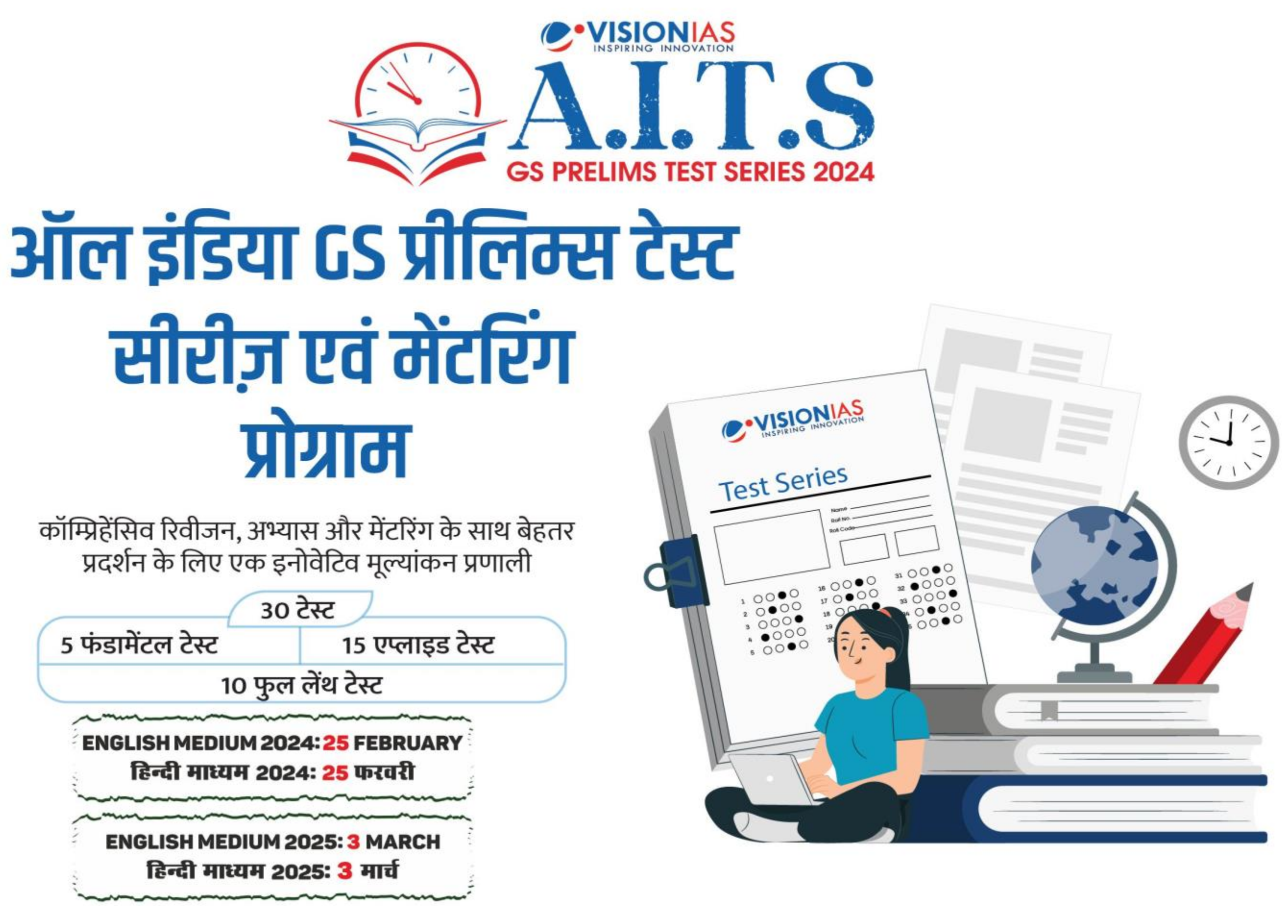

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

wwww.visionias.in
8468022022, 9019066066

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

PT365 की विशेषताएं

व्यापक कवरेज

- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी

- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

QR आधारित स्मार्ट क्विज

- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स

- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

सरकारी योजनाएं और नीतियां

- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

नया क्या है?

- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्त्व

रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्ख़ियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

7. कृषि (Agriculture)

7.1. भारत में उर्वरक क्षेत्रक (Fertilisers Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने **किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक विशेष पैकेज को मंजूरी** दी है। इस पैकेज के तहत कुल परिव्यय (Total outlay) 3.70 लाख करोड़ रुपये है।

स्वीकृत योजनाओं के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **पी.एम. प्रणाम (PM-PRANAM): PM-PRANAM**[103]को 2023-24 के बजट में घोषित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना है।
- **गोबर-धन (GOBAR-Dhan)**[104] **संयंत्रों के प्राप्त जैविक उर्वरकों** के लिए **बाजार विकास सहायता (MDA)** हेतु स्वीकृत किए गए हैं।
    - **गोबर-धन योजना** को **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (SMB-G) के तहत 2018 में शुरू** किया गया था। इसका उद्देश्य गांव की स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव डालना और **मवेशियों से उत्पन्न अपशिष्ट एवं अन्य जैविक अपशिष्ट से धन व ऊर्जा पैदा** करना है।
- **सल्फर लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड) की शुरुआत: मृदा में सल्फर की कमी को दूर करने और किसानों के लिए इनपुट लागत को कम करने हेतु** पहली बार **सल्फर लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड)** के उपयोग की शुरुआत की गई है।
    - **यूरिया गोल्ड** वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले **नीम-लेपित यूरिया** की तुलना में अधिक किफायती और दक्ष है।
- सरकार ने **यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025** यानी अगले दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। इसका उद्देश्य **2025-26 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए** यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करना है।

भारत में उर्वरक उद्योग

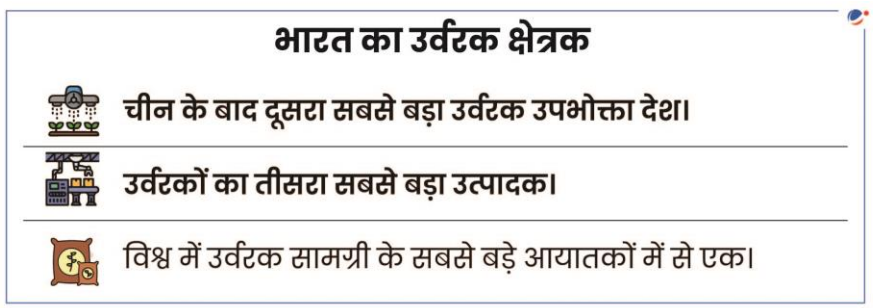

- यह **आठ कोर उद्योगों में से एक** है।
    - **कुल उर्वरक खपत में यूरिया की हिस्सेदारी 2/3 से अधिक** है।
    - भारत में **पोटाश की आवश्यकता को आयात के जरिए** पूरा किया जाता है।
- उर्वरकों को **प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
    - **प्राथमिक उर्वरकों** को पुनः मृदा को आपूर्ति किए जाने वाले पोषक तत्वों के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें **नाइट्रोजन-युक्त उर्वरक (यूरिया),** फॉस्फेटिक उर्वरक {डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP)} और पोटाश {म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP)} आदि शामिल हैं।
    - **द्वितीयक उर्वरकों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर** शामिल हैं, जबकि **सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड** आदि शामिल हैं।

7.1.1. फास्फोरस (Phosphorus)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कई सर्वेक्षण और शोध यह दर्शाते हैं कि भारत को फास्फोरस प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

---

103 PM Programme for Restoration, Awareness Generation, Nourishment and Amelioration of Mother Earth/ धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधान मंत्री कार्यक्रम

104 Galvanizing Organic Bio-Agro Resources-Dhan

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारत विश्व में फॉस्फोरस का सबसे बड़ा आयातक है।** इसका अधिकतर हिस्सा **पश्चिम अफ्रीका के कैडमियम से भरे भंडारों** से आता है।
  - भारत में फॉस्फेट की चट्टानें मुख्य रूप से केवल दो राज्यों **राजस्थान और मध्य प्रदेश** में पाई जाती हैं।
  - कुछ निक्षेप **प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग** में भी मौजूद हैं। जैसे **ललितपुर (उत्तर प्रदेश), मसूरी अभिनति (Syncline) और कड़प्पा बेसिन (आंध्र प्रदेश) आदि।**
- **फॉस्फोरस की उपलब्धता को लेकर चिंताएं:**
  - अधिकतर स्थानों पर फॉस्फोरस **कैडमियम** के साथ मौजूद होता है। कैडमियम एक **भारी धातु** है, जिसे अलग करना एक महंगी प्रक्रिया है।
  - मोरक्को, पश्चिमी सहारा (गैर-स्वशासी राज्यक्षेत्र), चीन, अल्जीरिया **जैसे कुछ ही देशों का फॉस्फोरस के अधिकतर वैश्विक भंडार पर नियंत्रण होना** एक प्रमुख भू-राजनीतिक चिंता का विषय है।

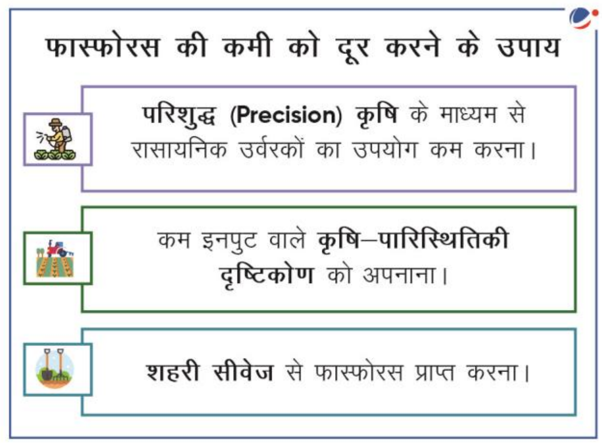

- **फॉस्फोरस के हानिकारक प्रभाव:**
  - अधिकतर फॉस्फोरस **कृषि अपवाह के रूप में और सीवेज के माध्यम से सीधे जल निकायों में पहुंच** जाता है। इससे **विषाक्त शैवालों की वृद्धि** होती है।
  - अक्सर **कैडमियम युक्त उर्वरकों** को मिट्टी में डाला जाता है। **फसलें इन्हें अवशोषित कर लेती हैं।** जब मनुष्य ऐसी फसलों का उपभोग करता है तो, इससे उनके शरीर में इनका **जैव संचय** होने लगता है। इससे **हृदय रोग में वृद्धि** होती है।

7.2. लघु सिंचाई (Minor Irrigation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय ने **लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट** जारी की है। लघु सिंचाई योजनाओं की **पहली गणना संदर्भ वर्ष 1986-87 के साथ** की गई थी। इस गणना की रिपोर्ट **नवंबर 1993 में प्रकाशित** की गई थी।

लघु सिंचाई (MI) के बारे में

- **वर्गीकरण:** भारत में सिंचाई परियोजनाओं को तीन श्रेणियों अर्थात् **प्रमुख, मध्यम** और **लघु सिंचाई**[105] में वर्गीकृत किया गया है।
  - **प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं:** 10,000 हेक्टेयर से अधिक का **कृषि योग्य कमान क्षेत्र (CCA)**[106]
    - **कृषि योग्य कमान क्षेत्र (CCA)**[107]**:** यह किसी सिंचाई योजना के तहत भौतिक रूप से सिंचित और खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र होता है।
  - **मध्यम सिंचाई परियोजनाएं:** 2,000 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 10,000 हेक्टेयर से कम का CCA
  - **लघु सिंचाई परियोजनाएं:** 2,000 हेक्टेयर या उससे कम का CCA
- **स्रोत:** लघु सिंचाई परियोजनाओं में **सतही और भूजल दोनों तरह के जल स्रोतों** को शामिल किया जाता है, वहीं **प्रमुख तथा मध्यम परियोजनाओं में** अधिकतर **सतही जल संसाधनों का दोहन** किया जाता है।
- **लघु सिंचाई (MI) क्षेत्रक** संबंधी योजनाएं **समग्र रूप से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों की स्वयं की राज्य-विशिष्ट लघु सिंचाई योजनाएं** होती हैं।
- **लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण (RMIS):**
  - इसकी शुरुआत 1987-88 में की गई थी। यह **एक केंद्र प्रायोजित योजना** है।

---

105 Major, Medium and Minor Irrigation

106 Cultivable Command Area

107 Cultivable Command Area

© Vision IAS

- हालांकि, यह योजना बाद में **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक **योजना "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" (DWRIS)**[108] का हिस्सा बन गई।
- RMIS योजना का मुख्य उद्देश्य **प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए लघु सिंचाई (MI) क्षेत्रक में एक व्यापक तथा विश्वसनीय डेटाबेस का निर्माण** करना है।

लघु सिंचाई योजनाओं की श्रेणियां

भूजल योजनाएं	सतही प्रवाह योजनाएं
◆ इसमें कुएं, बोरवेल, कम गहराई वाले ट्यूबवेल, मध्यम गहराई वाले ट्यूबवेल और अत्यधिक गहराई वाले ट्यूबवेल शामिल हैं।	◆ इसमें संरक्षण–सह–भूजल पुनर्भरण के लिए टैंक, चेक–डैम और अन्य संरचनाएं शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **जल निकायों की पहली गणना:** इसे **छठी लघु सिंचाई योजनाओं के सहयोग** से किया गया है। गणना के लिए **संदर्भ वर्ष के रूप में 2017-18** का इस्तेमाल किया गया है।
  - इसका उद्देश्य जल निकायों के लिए एक **राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना है।**
- **भारत में लघु सिंचाई योजनाएं:**
  - देश के 695 जिलों में **23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं** विद्यमान हैं।
  - **94.8%** लघु सिंचाई योजनाएं **भूजल आधारित** हैं, जबकि **शेष 5.2% सतही जल आधारित योजनाएं** हैं।
  - **उत्तर प्रदेश (17.2%) में सबसे अधिक** लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इसके बाद **महाराष्ट्र (15.4%), मध्य प्रदेश (9.9%) और तमिलनाडु (9.1%)** का स्थान हैं।
  - **MI योजनाओं में कुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक** है। इसके बाद **कम गहरे ट्यूबवेल्स, मध्यम गहरे ट्यूबवेल्स और गहरे ट्यूबवेल्स** का स्थान है।
- पांचवीं गणना की तुलना में छठी गणना में **लघु सिंचाई योजनाओं में 1.42 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है।**
- **लघु सिंचाई योजनाओं का स्वामित्व: 96.6 निजी स्वामित्व** के अधीन हैं जबकि **3.4% सार्वजनिक स्वामित्व** के अधीन हैं।
  - व्यक्तिगत स्वामित्व वाली सभी योजनाओं में से **18.1% का स्वामित्व महिलाओं** के पास है।
- **योजनाओं का उपयोग: 97% सिंचाई योजनाएं 'उपयोग में' हैं।**

7.3. भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (Bharatiya Beej Sahakari Samiti Ltd: BBSSL)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2023 में, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की गई। इसका मकसद देश के प्रत्येक किसान को **प्रमाणित और वैज्ञानिक** रूप से तैयार बीज उपलब्ध कराना है।

BBSSL के बारे में

- इसकी स्थापना **बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (MSCS)**[109] **अधिनियम, 2002 के तहत 2023** में की गई थी।

[108] Development of Water Resources Information System

[109] Multi-State Cooperative Societies

- इससे **परंपरागत बीजों के संरक्षण, संवर्धन और अनुसंधान** में मदद मिलेगी।
    - **परंपरागत बीजों** का संरक्षण कर उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाया जाएगा, जिससे स्वास्थ्यपूर्ण अन्न, फल और सब्ज़ियों का उत्पादन निरंतर होता रहे और यह काम BBSSL करेगी।
- इसे निम्नलिखित के द्वारा **संयुक्त रूप से प्रोत्साहित** किया जा रहा है:
    - भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd: IFFCO)
    - कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (Krishak Bharati Cooperative Ltd: KRIBHCO)
    - भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India: NAFED)
    - राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (National Dairy Development Board: NDDB)
    - राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation: NCDC)
- गौरतलब है कि BBSSL और अन्य सहकारी समितियां **किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।**

7.4. बीज प्रमाणीकरण (Seed Certification)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) ने साथी (सीड ट्रेसेब्लिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री: साथी/SATHI) **पोर्टल** लॉन्च किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह एक **केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली** है। इसे **बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों से निपटने के लिए** डिज़ाइन किया गया है।
    - इसके अंतर्गत **QR कोड प्रणाली के माध्यम से बीजों की प्रामाणिकता का पता** लगाया जा सकता है।
    - यह पोर्टल **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने MoA&FW** के सहयोग से विकसित किया है। इसका विकास **'उत्तम बीज- समृद्ध किसान'** की थीम पर किया गया है।
    - इसमें **बीज श्रृंखला के अग्रलिखित एकीकृत 7 वर्टिकल शामिल होंगे-** अनुसंधान संगठन, बीज प्रमाणन, बीज लाइसेंसिंग, बीज सूची, डीलर से किसान को बिक्री, किसान पंजीकरण और बीज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)।
- भारत में, **बीज प्रमाणीकरण को कानूनी दर्जा, बीज अधिनियम, 1966** द्वारा दिया गया था। भारत में **बीज प्रमाणन स्वैच्छिक है, लेकिन इसकी लेबलिंग अनिवार्य है।**
- भारत में **किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता** सुनिश्चित करने हेतु **पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (PPV&FR) प्राधिकरण** की स्थापना की गई है। इस प्राधिकरण को **PPV&FR अधिनियम, 2001** के तहत स्थापित किया गया है।

7.5. भारत में खाद्य भंडारण (Food Storage In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **"सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना[110]"** के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) के गठन और उसे सशक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

[110] World's Largest Grain Storage Plan in the Cooperative Sector

© Vision IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- **उद्देश्य:** इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है:
    - **खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना,**
    - खाद्यान्न बर्बादी को कम करना, तथा
    - किसानों को सशक्त बनाना।
    - इसके लिए **प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS)**[111] के स्तर पर **गोदामों और कृषि अवसंरचना** का निर्माण किया जाएगा।
        - पैक्स (PACS) **ग्राम-स्तरीय सहकारी ऋण समितियां** हैं। ये राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों (SCB)[112] के शीर्ष नेतृत्व वाली **त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना** में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।
        - **पैक्स (PACS) किसानों को कृषि कार्यों के लिए अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि** के कृषि ऋण प्रदान करती हैं। इस ऋण को **फसल ऋण** के रूप में भी जाना जाता है।
- **कार्यान्वयन: सहकारिता मंत्रालय** अलग-अलग राज्यों के कम-से-कम 10 चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना लागू करेगा। इससे पेशेवर तरीके से योजना का समय पर और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा।
- **अलग-अलग योजनाओं में समन्वय (Convergence):** अनाज भंडारण योजना के तहत समन्वय के लिए कई योजनाओं की पहचान की गई है (इन्फोग्राफिक देखें)।

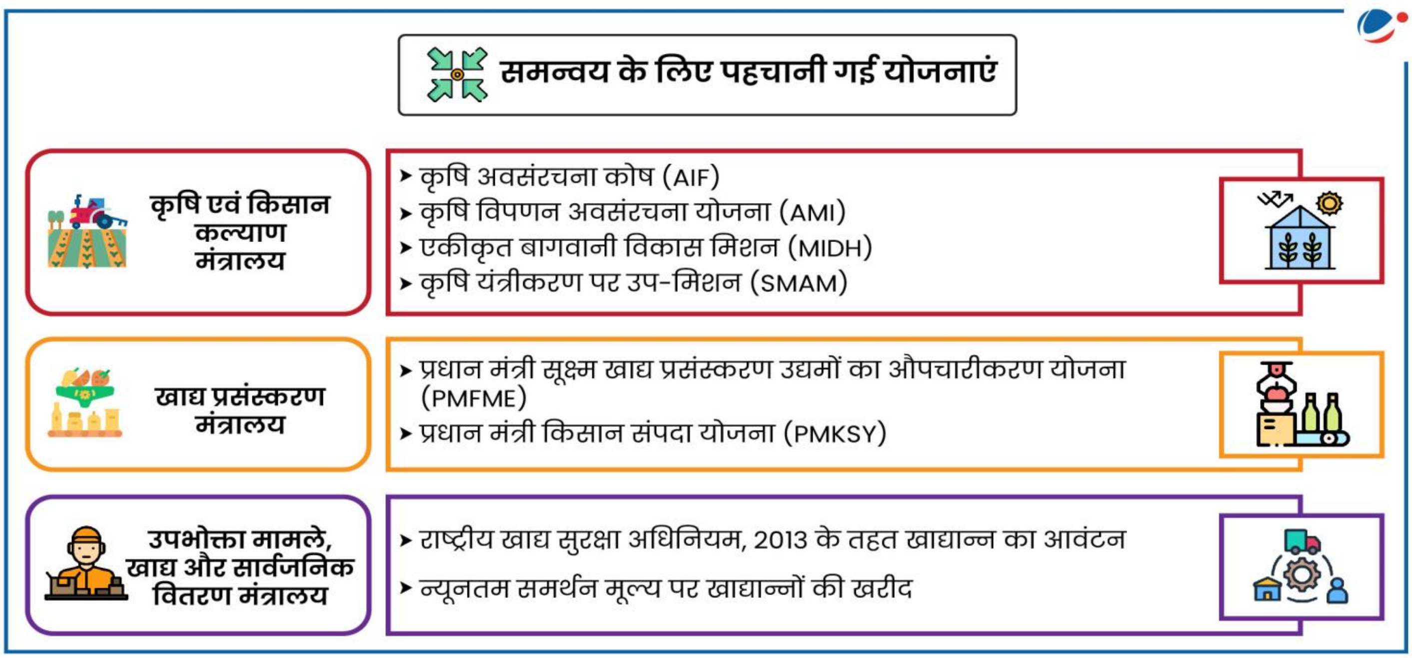

भारत में अनाज/ खाद्यान्न प्रबंधन

- **कुल उत्पादन:** सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में प्रतिवर्ष करीब **3,100 लाख टन** अनाज का उत्पादन होता है।
- **अनाज की खरीद के लिए सरकारी व्यवस्था:**
    - **केंद्रीकृत खरीद प्रणाली**[113]**:** केंद्रीय पूल में, अनाज की खरीद या तो सीधे **भारतीय खाद्य निगम (FCI)**[114] द्वारा या **राज्य सरकार की एजेंसियों** द्वारा की जाती है। हालांकि, राज्य सरकार की ऐसी एजेंसियां जो अनाज खरीदती हैं, उन्हें FCI को सौंप दिया जाता है।

---

[111] Primary Agricultural Credit Societies

[112] State Cooperative Banks

[113] Centralized Procurement System

[114] Food Corporation of India

- **विकेंद्रीकृत खरीद योजना**[115]: इस योजना को 1997-98 में शुरू किया गया था। इसके तहत अनाज की खरीद और वितरण का कार्य स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

- **खाद्यान्न का वितरण:**
  - **केंद्र सरकार** FCI के जरिए खाद्यान्न की खरीद, भंडारण व परिवहन संबंधी कार्य-कलापों को देखती है। इसके बाद राज्य सरकारों को खाद्यान्न का थोक आवंटन किया जाता है।
  - **लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों** को सौंपी गई है। इसके लिए राज्य सरकारें निम्नलिखित कार्य करती हैं:
    - राज्य के भीतर खाद्यान्न आवंटन संबंधी कार्य;
    - पात्र परिवारों की पहचान करना;
    - राशन कार्ड जारी करना; तथा
    - उचित मूल्य की दुकानों के काम-काज की देख-रेख करना।

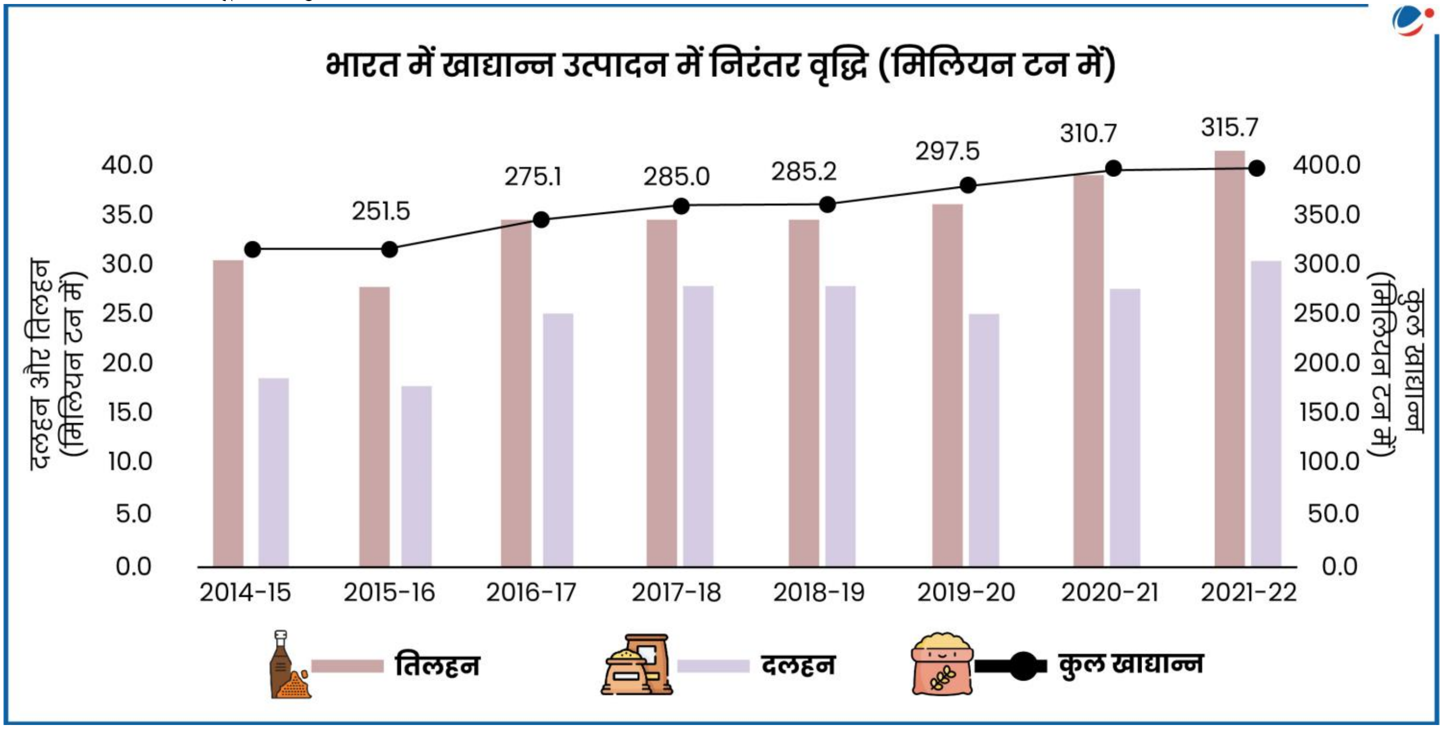

7.6. भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन (Managing Food Inflation in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (ICRIER) के एक अनुमान के अनुसार, **2023 में अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से किसानों को कम-से-कम 45,000 करोड़ रुपये की हानि** हुई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए**, सरकार ने खाद्य वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और आपूर्ति बढ़ाने के लिए निर्यात कर लगा दिया, जिससे किसानों की आय में कमी आई है।
- सरकार द्वारा अपने अनाज के स्टॉक को बाजार दर से काफी कम कीमत पर जारी करने से **किसानों को अतिरिक्त 548 रुपये प्रति क्विंटल का संभावित नुकसान** हुआ।

[115] Decentralized Procurement Scheme

भारत में मुद्रास्फीति की माप

- **थोक मूल्य सूचकांक (WPI)** के तहत थोक कीमतों पर मुद्रास्फीति की माप की जाती है, जबकि **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)** में खुदरा कीमतों पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है।
- **WPI में केवल वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है, जबकि CPI में वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मूल्य को ध्यान में रखा जाता है।**
- **WPI में विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्त्व दिया जाता है, जबकि CPI में खाद्य पदार्थों को अधिक महत्त्व दिया जाता है।**
- **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार द्वारा WPI जारी किया जाता है।**
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत आने वाला **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक** जारी करता है।

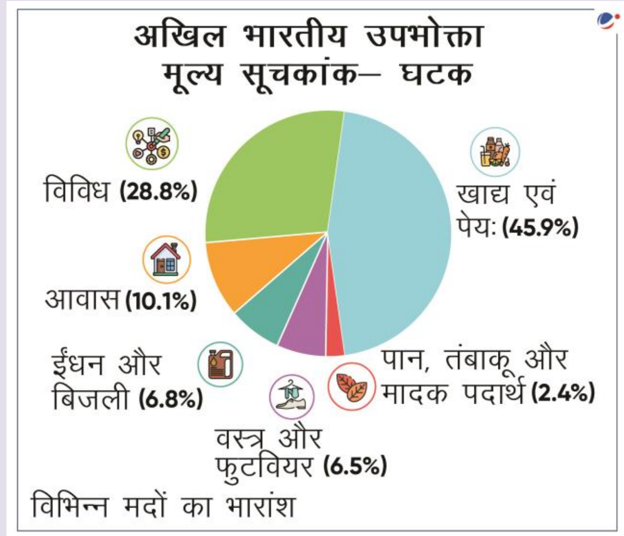

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति

- अगस्त 2023 में **खुदरा मुद्रास्फीति 6.83%** और **खाद्य मुद्रास्फीति 9.2%** थी। इसे साल-दर-साल (Y-O-Y) आधार पर **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)**[116] द्वारा मापा जाता है।
- वर्तमान खाद्य मुद्रास्फीति प्रमुख रूप से **टमाटर, प्याज, अनाज (गेहूं और चावल), मसाले एवं दूध और डेयरी उत्पाद की बढ़ती कीमतों के कारण** देखी गई है।
  - **गेहूं की कीमतों में वृद्धि** के लिए जिम्मेदार घरेलू कारकों में आंशिक रूप से **हीट वेव्स तथा बेमौसम बारिश** शामिल हैं, जबकि इसके बाह्य कारकों में **रूस-यूक्रेन युद्ध** जैसे कारणों से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में परिवर्तन शामिल हैं।

भारत की खाद्य मुद्रास्फीति को दीर्घावधि में प्रभावित करने वाले कारक

- **मानसून की अनियमितता,** जो जलवायु परिवर्तन से और भी बढ़ जाती है।
- **वैश्विक कमोडिटी की कीमतें,** जिनमें खाद्य पदार्थों के साथ-साथ कच्चे तेल की कीमतें भी शामिल हैं।
- **सरकारी नीतियां,** जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी शामिल है।
- **अवसंरचना की उपलब्धता,** जिसमें भंडारण और वितरण प्रणालियां भी शामिल हैं।
- **विनिमय दर में उतार-चढ़ाव,** जिससे कृषि-व्यापार और अंततः कृषि वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होती हैं।
- **कीटों और रोगों का प्रकोप** फसल की पैदावार और कीमतों को प्रभावित कर सकता है।

मूल्य निगरानी और नियंत्रण के लिए तंत्र

- **मूल्य निगरानी प्रभाग (Price Monitoring Division: PMD):** उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत गठित मूल्य निगरानी प्रभाग चयनित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करता है।
  - यह मूल्य की स्थिति का विश्लेषण करता है। साथ ही, यह **निवारक उपाय करने के लिए अग्रिम फीडबैक** भी देता है।
  - यह कमोडिटी-विशिष्ट **बाजार हस्तक्षेप योजनाओं** को लागू करता है ताकि अस्थायी राहत दी जा सके।
  - केंद्र ने 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी के लिए **750 मूल्य निगरानी केंद्रों (PMCs)**[117] **की स्थापना का लक्ष्य** निर्धारित किया है। इसका अर्थ है कि **लगभग प्रत्येक जिले में एक PMC की स्थापना की जाएगी।**

[116] Consumer Price Index

[117] Price Monitoring Centres

 © Vision IAS

* **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:** यह केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं के उत्पादन, उनकी आपूर्ति, वितरण, व्यापार एवं वाणिज्य को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है।
    * इस अधिनियम के तहत बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता को विनियमित करने के लिए उनके भंडारण की सीमा निर्धारित की जा सकती है।

मूल्य निगरानी के लिए 22 अनिवार्य वस्तुएं/ मदें

खाद्यान्न	दालें	खाद्य तेल	सब्जियां	अन्य वस्तुएं
चावल गेहूं आटा	चना तुअर उड़द मूंग मसूर	मूंगफली का तेल सरसों का तेल वनस्पति सोयाबीन का तेल सूरजमुखी का तेल पाम ऑयल	आलू प्याज टमाटर	चीनी गुड़ दूध चाय नमक

खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

* **ऑपरेशन ग्रीन्स:** इसे ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में टमाटर, प्याज़, और आलू (TOPs/ टॉप्स) की आपूर्ति को स्थिर करना है। टॉप उत्पादन क्लस्टरों और उनके FPOs को मजबूत करना और उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए लक्षित हस्तक्षेप से टॉप्स का उत्पादन करने वाले किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है।
* **मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF):** इसका उद्देश्य चुनिंदा उपजों की खरीद करके, बफर स्टॉक का रखरखाव करके तथा बाजार में उपजों को नियंत्रित रूप से जारी करके मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकना करना है।
* **निर्यात को नियंत्रित** किया गया है, जैसे- निर्यात पर प्रतिबंध, न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) तय करना, आदि।
* **किसानों को प्रत्यक्ष सहायता:** सब्सिडी, आय सहायता और MSP के जरिए।
* **आपूर्ति-पक्ष से संबंधित उपाय**, जैसे- कृषि उत्पादकता में सुधार करना, विविधीकरण को बढ़ावा देना आदि।

7.7. जलीय कृषि क्षेत्रक (Aquaculture Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने लोक सभा में **तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023** पेश किया।

भारत का मत्स्य पालन क्षेत्रक

* अंतर्देशीय (Inland) मछली उत्पादन में **पहला स्थान**।
* जलीय कृषि (Aquaculture) मछली उत्पादन में **दूसरा स्थान**।
* कुल मिलाकर मछली उत्पादन में **तीसरा स्थान**।
* मछली और मत्स्य उत्पादों के निर्यात में **चौथा स्थान**।

अन्य संबंधित तथ्य

* इस विधेयक का उद्देश्य **तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (CAA)**[118] **अधिनियम, 2005** में संशोधन करना है। साथ ही, इसके तहत आने वाले **अपराधों का गैर-अपराधीकरण करना** भी इसका उद्देश्य है।

[118] Coastal Aquaculture Authority

© Vision IAS

- 2005 के इस अधिनियम ने तटीय जलकृषि को विनियमित करने के लिए **CAA की स्थापना** की थी।
- इसका उद्देश्य **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** को बढ़ावा देना और तटीय जलकृषि प्राधिकरण की **परिचालन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना है।**

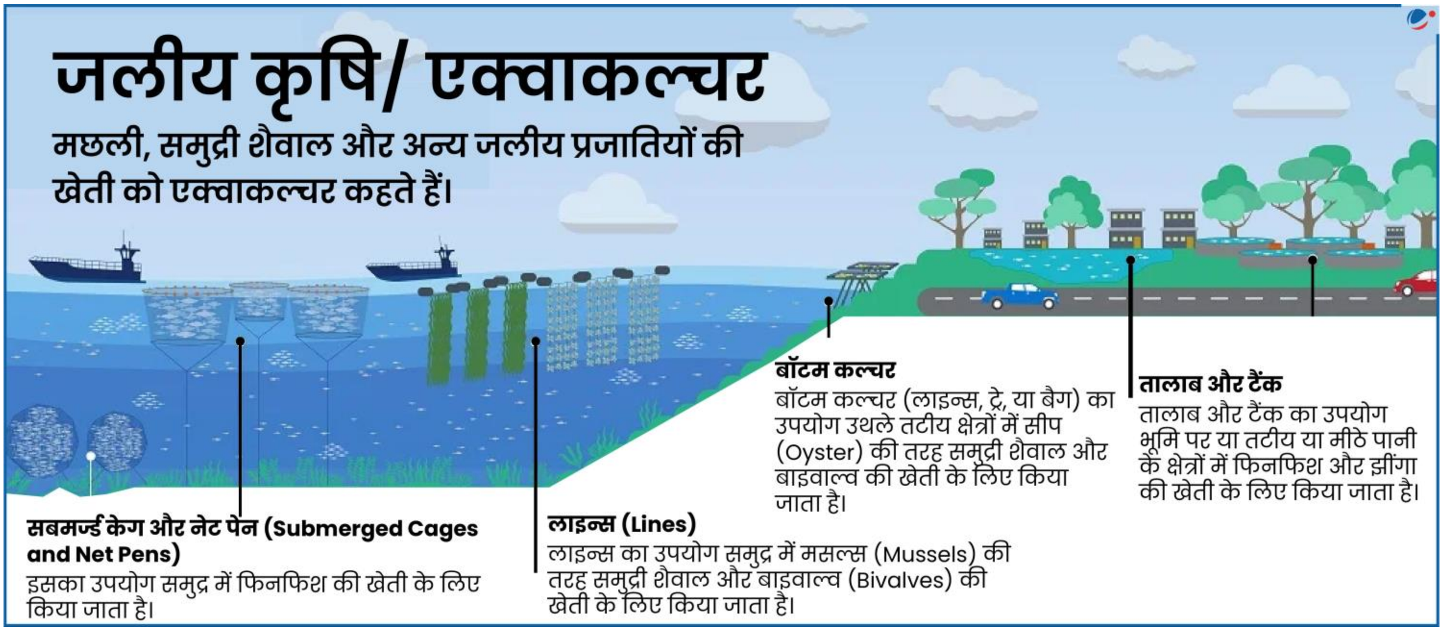

अधिनियम के मुख्य प्रावधान/ बिंदु

- **तटीय जलीय कृषि (Coastal Aquaculture):** संशोधित विधेयक में "तटीय एक्वाकल्चर/ जलीय कृषि" को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, लवणीय या खारे जल में एक **नियंत्रित परिवेश में मत्स्य पालन और संग्रहण** को तटीय एक्वाकल्चर कहा जाता है। परिभाषा के अंतर्गत इस कृषि में इनडोर या आउटडोर, दोनों तरह की प्रक्रियाएं शामिल हैं। साथ ही, इसके तहत क्रस्टेशियन, मोलस्क, फिनफिश, समुद्री शैवाल या अन्य जलीय जीवों को भी शामिल किया गया है।
  - इसमें ब्रूडस्टॉक, बीज और ग्रो-आउट के उत्पादन जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं, लेकिन **ताजे जल की जलीय कृषि शामिल नहीं** है।
- **दायरा:** इसका उद्देश्य CAA अधिनियम के दायरे को बढ़ाना है। इस प्रकार इसमें **जलीय कृषि 'फार्मों' के साथ** तटीय एक्वाकल्चर के सभी **कार्यक्षेत्रों और गतिविधियों को कवर किया जाएगा।** इससे इनका संधारणीय विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
- **संबद्ध तटीय एक्वाकल्चर गतिविधियों का विनियमन:** यह विधेयक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, नो-डेवलपमेंट जोन (NDZ) और तटीय विनियमन क्षेत्रों (CRZ)[119] के भीतर **तटीय एक्वाकल्चर गतिविधियों** पर रोक लगाता है।
  - हालांकि, कुछ संबद्ध गतिविधियों, जैसे- समुद्री शैवाल की कृषि, न्यूक्लियस प्रजनन केंद्र आदि को इन नियमों से छूट दी गई है।
- **CAA में परिवर्तन:**
  - **CAA की संरचना:** इस विधेयक में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को CAA में सदस्य के रूप में जोड़ा गया है।
  - **दायरे में वृद्धि:** यह कानून अब उन सभी इकाइयों को भी विनियमन के दायरे में लाता है, जो **समुद्री तट पर मछली पालन या उससे जुड़े किसी भी काम में लगी हैं।** इन्हें "तटीय जलीय कृषि इकाई" माना जाएगा।
  - **विस्तारित कार्य:** विधेयक में कहा गया है कि CAA, तटीय जलीय कृषि आदानों को विनियमित करेगा, जलीय कृषि यूनिट की निगरानी करेगा और पर्यावरणीय मानकों को तय करेगा।
- **गैर-अपराधीकरण:** यह विधेयक अधिनियम के उल्लंघन के लिए कारावास के प्रावधानों को समाप्त करता है तथा उन्हें उपयुक्त मौद्रिक और अन्य दंडों से प्रतिस्थापित करता है।
- **अधिनिर्णय और अपील:** विधेयक के अंतर्गत, केंद्र सरकार **कम-से-कम अंडर सेक्रेट्री स्तर के अधिकारी को जुर्माने के अधिनिर्णय के लिए अधिकृत** कर सकती है।

[119] Coastal Regulation Zones

7.8. अंतर्देशीय मात्स्यिकी (Inland Fisheries)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत अंतर्देशीय जल में मछली उत्पादन के मामले में **चीन को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष देश** बन गया है। इसके साथ ही, भारत मछली उत्पादन के मामले में **दुनिया के शीर्ष तीन देशों** में शामिल हो गया है।

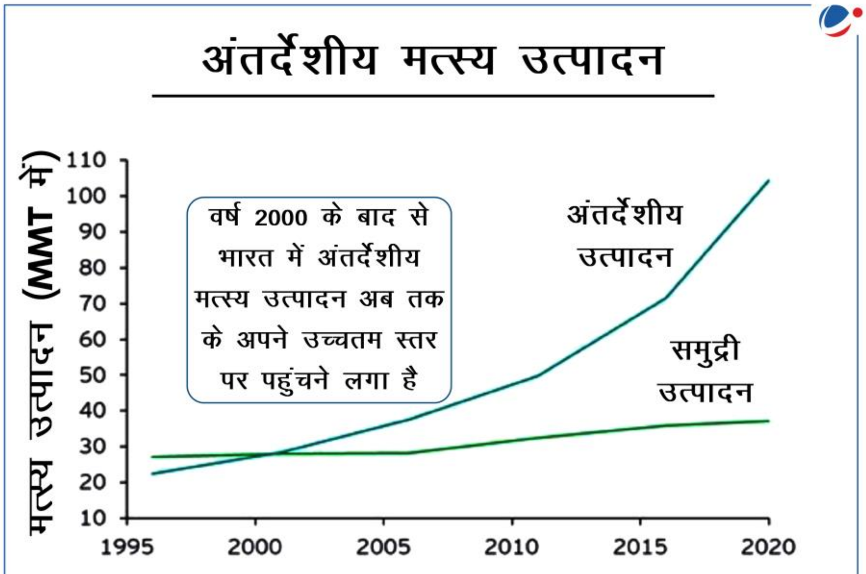

पिछले 9 वर्षों में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन दोगुना होकर 131 लाख टन तक पहुंच गया है।

अंतर्देशीय मात्स्यिकी के बारे में

- देश के भीतर स्थित नदियों, झीलों, जलाशयों, तालाब जैसे जल निकायों में **मछलियों के उत्पादन, प्रबंधन और संरक्षण** को "अंतर्देशीय मात्स्यिकी" कहा जाता है।
- **यह मुख्यतः दो तरीकों से किया जाता है:-**
  - **मछली पकड़ना (Capture fisheries):** इसके अंतर्गत मछली पकड़ने के उपकरणों; गियर या जाल आदि की मदद से झीलों, नदियों या तालाबों से प्रत्यक्ष रूप से मछली पकड़ी जाती है।
  - **मत्स्य-पालन (Culture fisheries):** इसके अंतर्गत जल निकायों में मछली की ब्रीडिंग, चारा प्रबंधन आदि के माध्यम से नियंत्रित परिवेश में मत्स्य पालन किया जाता है।
- **अंतर्देशीय मात्स्यिकी के प्रकार:**
  - **टैंक और तालाब:** इनमें मत्स्य-पालन गतिविधियों का प्रभुत्व है।
  - **शीत-जल मात्स्यिकी (Cold Water Fisheries):** यह हिमालयी राज्यों में ओमेगा-समृद्ध ट्राउट (एक प्रकार की मछली) मात्स्यिकी के लिए अवसर प्रदान करती है।
  - **केज कल्चर छोटे और मध्यम आकार के जलाशयों में मत्स्य-पालन गतिविधियों** को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
  - **पश्च-जल (Brackish) और लवणीय जलीय-कृषि (Saline Aquaculture):** इनका उपयोग मुख्य रूप से झींगा जलीय-कृषि (Shrimp aquaculture) और 'बंजर भूमि को आर्द्र भूमि में बदलने' के लिए किया जाता है।
  - **सजावटी मछली पालन (Ornamental Fisheries):** भारत में ऐसी मछलियों की 195 से अधिक प्रजातियां हैं।
  - **नदी मात्स्यिकी:** रिवर रेंचिंग का उपयोग देशी मत्स्य संसाधनों (प्रजातियों) के संरक्षण में किया जा सकता है।

7.9. पशुधन क्षेत्रक के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme for The Livestock Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD)**[120] ने **पशुधन क्षेत्रक के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना** शुरू की है। DAHD मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **DAHD** ने 750 करोड़ रुपये के **क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट** की स्थापना की है। यह MSME को प्रदान किए जाने वाले ऋण के अधिकतम **25% भाग का क्रेडिट गारंटी कवरेज** प्रदान करेगा।

120 Department of Animal Husbandry and Dairying

© Vision IAS

- इसका उद्देश्य ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना तथा **पशुधन क्षेत्रक में संलग्न MSME** को सुचारू रूप से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना है।
- यह योजना **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)**[121] के अधीन होगी।

AHIDF के बारे में

- यह **आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज** के तहत स्थापित **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- यह व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) तथा **धारा 8 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों** को स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **दुग्ध प्रसंस्करण** एवं मूल्य वर्धित अवसंरचना
  - **मांस प्रसंस्करण** एवं मूल्य वर्धित अवसंरचना
  - **पशु आहार संयंत्र**
  - **नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल गुणन फार्म**
  - **पशु चिकित्सा एवं औषधि उत्पादन सुविधा केंद्रों की स्थापना**
  - **पशु फार्म के अपशिष्ट से धन प्रबंधन (कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन)**
- **इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता:**
  - **ब्याज में 3% की छूट प्रदान की गई है।**
  - **परियोजना की कुल लागत का 90%** तक ऋण किसी भी अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा प्रदान किया जाएगा।

पशुधन क्षेत्रक के बारे में

- पशुपालन **राज्य सूची का एक विषय** है।
- **20वीं पशुधन जनगणना** के अनुसार, पशुधन जनगणना 2012 की तुलना में **कुल पशुधन में 4.8% की वृद्धि** हुई।
- पशुपालन के प्रकार-
  - **डेयरी फार्मिंग** (गायों, भैंसों, भेड़ और बकरियों जैसे डेयरी जानवरों की देखभाल);
  - **कुक्कुट पालन** (पक्षियों का व्यावसायिक पालन और प्रजनन),
  - **मछली पालन**;
  - **मधुमक्खी पालन;** आदि।

क्या आप जानते हैं?

- भारत में श्वेत क्रांति के जनक पद्म विभूषण सम्मानित डॉ. वर्गीज कुरियन हैं।
- उन्होंने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया था।

बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023[122]: सर्वेक्षण (2018-19 से 2022-23 तक) के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

कमोडिटी	ग्रोथ स्टेटस	मेजर कंट्रीब्यूटर
दूध उत्पादन (श्वेत क्रांति)	22.81% की वृद्धि	**उत्तर प्रदेश** पहले स्थान पर है। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का स्थान आता है।
अंडा उत्पादन (रजत क्रांति)	33.31% की वृद्धि	**आंध्र प्रदेश** पहले स्थान पर है। इसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना पश्चिम बंगाल का स्थान आता है।
मांस उत्पादन (गुलाबी क्रांति)	20.39% की वृद्धि	**उत्तर प्रदेश** पहले स्थान पर है एवं उसके बाद पश्चिम बंगाल है
ऊन उत्पादन	16.84% की कमीं	पहले स्थान पर **राजस्थान** है, उसके बाद जम्मू और कश्मीर

121 Animal Husbandry Infrastructure Development Fund

122 Basic Animal Husbandry Statistics 2023

भारत के पशुधन क्षेत्रक से जुड़ी समस्याएं

- **निम्न उत्पादकता:** भारतीय मवेशियों का औसत वार्षिक दुग्ध उत्पादन 1172 किलोग्राम है जो **वैश्विक औसत का मात्र 50%** है।
- **पशु आहार एवं चारे की कमी:** विश्व के कुल पशुधन का लगभग 10.7% भाग भारत में है, जबकि इनके भरण पोषण के लिए भारत के पास विश्व के कुल भू-भाग का केवल 2.3% ही उपलब्ध है।
- **पशु स्वास्थ्य: विदेशी बीमारियों (Exotic diseases)** के साथ-साथ विभिन्न बीमारियों के प्रति पशुधन की सुभेद्यता बढ़ी है।
- **राज्य द्वारा पर्याप्त सहायता उपलब्ध न होना:** कुल कृषि-GDP में पशुधन क्षेत्रक का योगदान 25.6% है। वहीं दूसरी ओर, **कृषि और संबद्ध क्षेत्रक पर किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय का केवल लगभग 12% भाग** ही पशुधन क्षेत्रक को प्राप्त होता है।
- **विपणन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन:** आवश्यक अवसंरचनाओं, जैसे- दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, मांस प्रसंस्करण संयंत्रों, पशु-शव उपयोग केंद्रों (Carcass utilization centres) आदि का अभाव है।
- **पशुधन और पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग** का इस क्षेत्रक पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इन प्रभावों में हीट स्ट्रेस (Heat Stress), तटीय क्षेत्रों में जीवों के पर्यावास की क्षति और वेक्टर-जनित रोगों के महामारी विज्ञान पैटर्न में परिवर्तन शामिल हैं।

7.10. राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (National Turmeric Board: NTB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने **तेलंगाना** में **राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (NTB)** के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है।

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में

- इसे निम्नलिखित के लिए स्थापित किया गया है:
  - हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत बढ़ाना,
  - निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करना।
- यह बोर्ड **वाणिज्य मंत्रालय के अधीन** काम करेगा।

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की संरचना

अध्यक्ष	सचिव	चार सदस्य	अन्य सदस्य
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त	वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त	वाणिज्य, कृषि और आयुष मंत्रालयों तथा औषध विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार सदस्य	अनुसंधान में शामिल राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय संस्थानों के सदस्य, हल्दी की खेती में लगे किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधि।

बोर्ड के प्रमुख उद्देश्य

- **नए उत्पाद और मूल्य वर्धन** को बढ़ावा देकर **घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्दी की मांग** पैदा करना।
- हल्दी और हल्दी से संबंधित उत्पादों के निर्यात के लिए **अवसंरचना तथा लॉजिस्टिक्स का निर्माण करना एवं उन्हें बेहतर बनाना।**
- हल्दी की आपूर्ति श्रृंखला में **गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सुरक्षा मानकों का निर्धारण करना।**
- हल्दी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित **पारंपरिक ज्ञान का लिखित प्रमाण तैयार करना।**
- हल्दी के औषधीय गुणों, स्वास्थ्य और आरोग्य को बढ़ाने वाले गुणों का **अध्ययन, नैदानिक परीक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।**

 © Vision IAS

7.11. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) {National Bank for Agriculture and Rural Development: NABARD}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD/ नाबार्ड) ने सामाजिक प्रभाव बॉण्ड्स (SIBs) के माध्यम से 1,041 करोड़ रुपये जुटाए।

सामाजिक प्रभाव बॉण्ड्स (SIBs)

- SIBs एक प्रकार का **वित्त-पोषण तंत्र** है। इसमें **सरकारें सामाजिक क्षेत्रक की पूर्व-निर्धारित सेवाओं** के वितरण हेतु भुगतान करने के लिए **सामाजिक सेवा प्रदाताओं** (जैसे- NGOs) एवं **निवेशकों के साथ समझौते** करती हैं।
- **पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड नगर निगम (PCMC) ने भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बॉण्ड (SIB)** के सह-सृजन हेतु **UNDP इंडिया** के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

नाबार्ड के बारे में

- **उत्पत्तिः** इसका गठन 1982 में बी. शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम, 1981 के तहत किया गया था। इसे निम्नलिखित संस्थाओं से कार्य सौंपे गए थे-
  - कृषि ऋण से संबंधित RBI के कार्य, और
  - तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (Agricultural Refinance and Development Corporation: ARDC) के पुनर्वित्त संबंधी कार्य ।
- **मंत्रालयः** वित मंत्रालय द्वारा प्रशासित।
- **स्वामित्वः** पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में।
- **विजनः** ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में कार्य करना।
- **मिशनः** सहभागी वित्तीय और गैर-वित्तीय हस्तक्षेपों के माध्यम से संधारणीय एवं न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।

नाबार्ड के कार्य	
ऋण संबंधी कार्य	**गैर ऋण संबंधी कार्य**
• ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने वाली संस्थाओं को **पुनर्वित्त (Refinance) उपलब्ध कराना।** • कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प एवं अन्य ग्रामीण शिल्प के प्रचार व विकास के लिए **ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना।** • **सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs),** प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) या इसी तरह के संस्थानों को ऋण उपलब्ध कराना।	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के **वित्तीय समावेशन के प्रयासों का समर्थन करना।** • **आजीविका के अवसरों** और सूक्ष्म उद्यमों **को बढ़ावा देने** पर जोर देना। • **अनुसंधान एवं विकास,** ग्रामीण नवाचार आदि **का समर्थन करना।**

नाबार्ड द्वारा शुरू की गई पहलें

- **प्रोत्साहन एवं विकास:** देश की **ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF)**[123] के तहत लगभग 5 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। RIDF को नाबार्ड के तहत सृजित किया गया है।
- **वाटरशेड विकास निधि और जनजातीय विकास निधि** आजीविका हेतु किए गए अन्य महत्वपूर्ण प्रयास हैं।
  - **जैसे- वाडी मॉडल (Wasteland Development: Wadi Model):** यह जनजातीय जनसंख्या की आजीविका के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
- **पुनर्वित्तीयन:** पिछले 42 वर्षों में, नाबार्ड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में **20 लाख करोड़ रुपये का पुनर्वित्त (Refinance)** प्रदान किया है। ज्ञातव्य है कि **मौजूदा ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण लेना पुनर्वित्त कहलाता है।**

[123] Rural Infrastructure Development Fund

- **ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (RFIs) को मजबूत बनाना:** नाबार्ड **ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs)**[124] और **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs)**[125] का निरीक्षण (Supervise) करता है।

7.12. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research: ICAR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन **ICAR**[126] और **CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म** ने संयुक्त रूप से किया था। इस सम्मेलन की थीम थी- **अनुसंधान से प्रभाव तक: न्यायसंगत और अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणालियों की ओर**[127]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में

- **मंत्रालयः** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत संगठन।
- **उत्पत्तिः** इसे पहले इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता था।
  - इसे रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के आधार पर **1929 में स्थापित** किया गया था। इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया है।
- **कार्यः** यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है।
- **अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:** देश भर में फैले 113 ICAR संस्थानों और 74 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है।

बेहतर और अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणालियों के लिए ICAR की भूमिका

- **फसल की किस्में:** ICAR ने **अधिक उपज देने वाली** अलग-अलग फसलों की **नई किस्मों** को विकसित करके **हरित क्रांति** लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - **धान की किस्में,** जैसे- जया, स्वर्णा, पूसा बासमती 1121 आदि;
    - **जया:** यह भारत में जारी की गई धान की पहली संकर किस्म है।
    - **पूसा बासमती 1121:** इसमें विश्व की धान की सभी किस्मों में सबसे लंबा दाना निकलता है अर्थात् चावल का दाना लंबा होता है।
  - **गेहूं की किस्में,** जैसे- HD 2967, DBW 187, HD 3086 आदि;
  - **फलों की किस्में,** जैसे- आम्रपाली, भगवा अनार आदि।
- **बीज कार्यक्रम:** ICAR ने बीजों को सेफ्टी डुप्लीकेट्स के रूप में सुरक्षित रखने के लिए उन्हें **स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट** में जमा किया है।
- **जीनोमिक्स:** ICAR ने **नई दिल्ली** में **राष्ट्रीय जीन बैंक** स्थापित करने में मदद की है। यह **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक** है।
  - ICAR ने वैश्विक स्तर पर **धान, गेहूं, टमाटर और आलू** के **जीनोम अनुक्रमण**[128] में भागीदारी की है। इसके अतिरिक्त इसने अपने स्तर पर **अरहर, जूट, आम और मछलियों के जीनोम** को भी अनुक्रमित किया है।
- **जलवायु स्मार्ट कृषि में योगदान:** इसे **वर्षा जल संचयन, फसलों की जलवायु अनुकूल किस्मों** की सहायता से बढ़ावा दिया जा रहा है। फसलों की जलवायु अनुकूल किस्मों में **रति ML 365; अरहर BRG 1, BRG 2 और BRG 5** आदि शामिल हैं।
- **जैव-प्रौद्योगिकी समाधान:** बायोफोर्टिफाइड फसलों में **सोलापुर लाल (बायोफोर्टिफाइड अनार की पहली किस्म), मूंगफली गिरनार 4 व 5, पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 31** आदि शामिल हैं। पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 31 **कैनोला गुणवत्ता वाली सरसों की पहली भारतीय किस्म है।**

124 Rural Cooperative Banks

125 Regional Rural Banks

126 Indian Council of Agricultural Research/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

127 From Research to Impact: Towards Just and Resilient Agri-food Systems

128 Genome sequencing

 © Vision IAS

- कृषि अपशिष्ट/ पराली जलाने की समस्या को कम करने के लिए फसल अवशेष के स्व-स्थाने (In situ/ यानी खेत में ही) और बाह्य-स्थाने (Ex situ/ यानी खेत से बाहर) अपघटन हेतु **पूसा डीकम्पोजर** विकसित किया है।
- भारत ने दुनिया की पहली **क्लोन भैंस** विकसित की है। साथ ही, भारत ने विश्व में पहली बार **इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से भैंस के बच्चे** का जन्म करवाया है। इसका नाम **'प्रथम'** रखा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार समूह (Consultative Group on International Agricultural Research: CGIAR)

- इसे **1971** में स्थापित किया गया था। यह **दानदाताओं की एक रणनीतिक साझेदारी** है। यह उन 15 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों का समर्थन करता है, जो सरकार, नागरिक समाज संगठनों और निजी व्यवसायों के सहयोग से कार्य करते हैं।
- CGIAR एक **वैश्विक अनुसंधान साझेदारी** है। इसका मुख्य उद्देश्य **खाद्य-सुरक्षित भविष्य** सुनिश्चित करना है। यह जलवायु संकट की स्थिति में भोजन, भूमि और जल प्रणालियों का पुनरुद्धार करने के प्रति समर्पित है।
- यह **पांच प्रभाव क्षेत्रों** पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

प्रभाव क्षेत्र

पोषण, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा	गरीबी उन्मूलन, आजीविका और नौकरियां	लैंगिक समानता, युवा और सामाजिक समावेशन	जलवायु अनुकूलन और शमन	पर्यावरण की स्थिति और जैव विविधता

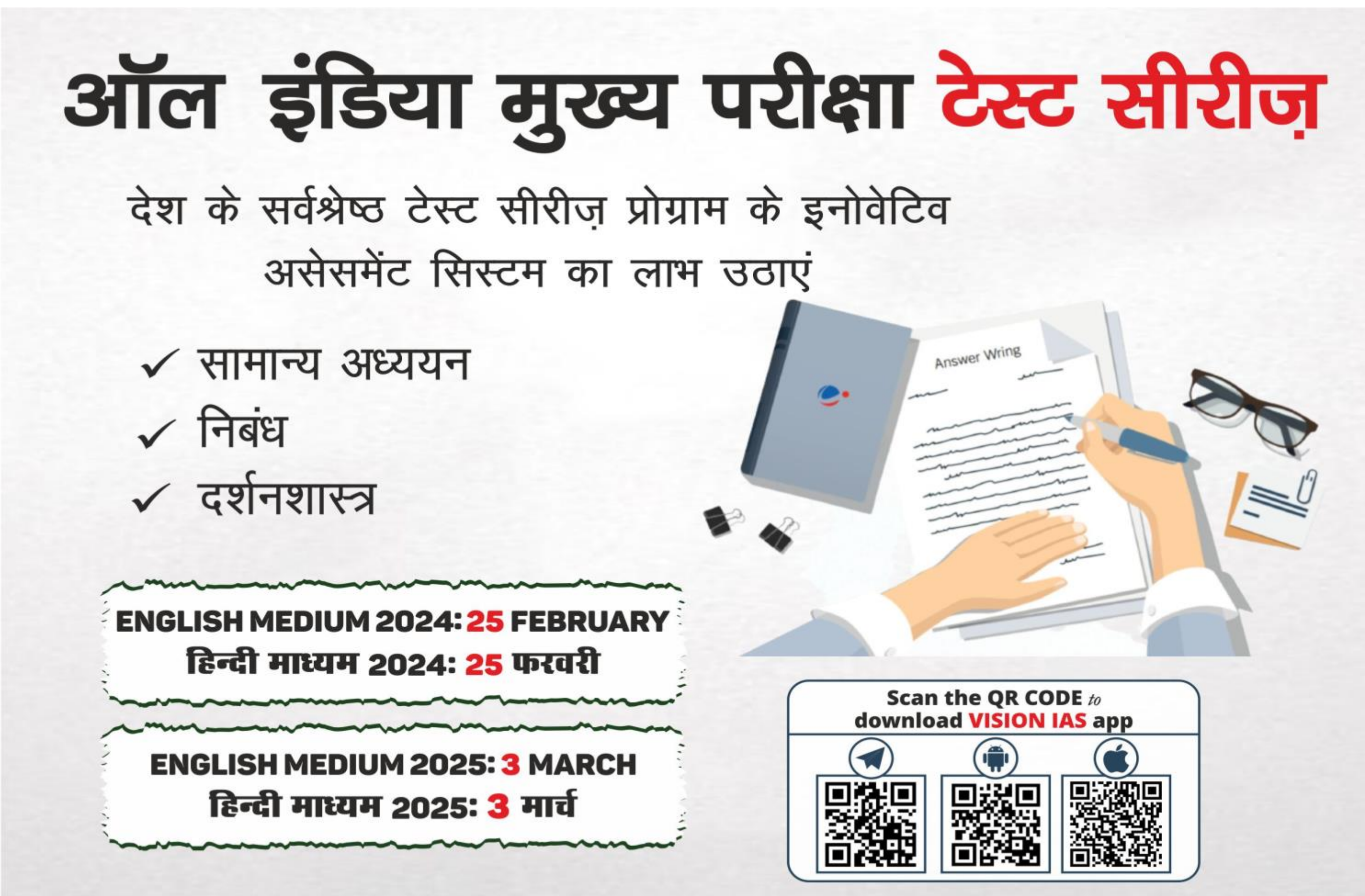

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

8. खनन और उद्योग (Mining and Industry)

8.1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 {The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023** पारित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह विधेयक **खान और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957** में संशोधन करेगा।
- खनिज क्षेत्रक में कई प्रकार के सुधार लाने के लिए **2015 में MMDR अधिनियम में व्यापक संशोधन** किए गए थे। इन संशोधनों द्वारा **जिला खनिज फाउंडेशन** और **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट** की स्थापना की गई थी।
- इस क्षेत्रक में अन्य सुधारों हेतु अधिनियम को **2016, 2020** और **2021** में भी **संशोधित** किया गया था। इन सुधारों में शामिल हैं:
  - कैप्टिव और मर्चेंट खानों (Mines) के बीच के **अंतर को समाप्त करना,**
  - खनिज खनन लाइसेंस या लीज (Mineral concessions) के हस्तांतरण पर लगे **प्रतिबंध को हटाना।**

संशोधन विधेयक, 2023 के मुख्य प्रावधान

I. गहराई में पाए जाने वाले और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस (Exploration Licence: EL) की शुरुआत:

- **लाइसेंस:** यह महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) और गहराई में पाए जाने वाले खनिजों का पता लगाने के लिए संभावित स्थल की **जांच तथा सर्वेक्षण करने की अनुमति** देगा।
- **नीलामी:** MMDR अधिनियम की सातवीं अनुसूची में **सूचीबद्ध खनिजों के लिए नीलामी के द्वारा अन्वेषण लाइसेंस** (EL) दिया जाएगा।
  - **सातवीं अनुसूची** में **29 खनिज शामिल** हैं, जिनमें **लिथियम-युक्त खनिज, तांबा-युक्त खनिज, पोटाश** और **जस्ता-युक्त खनिज** शामिल हैं।
- **अन्वेषण लाइसेंस की वैधता: यह लाइसेंस पांच वर्ष के लिए दिया जाएगा।**
  - **राज्य सरकार के पास आवेदन कर** लाइसेंस को **दो अतिरिक्त वर्षों** के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- **खनन पट्टा:** लाइसेंस-धारक द्वारा खोजे गए ब्लॉक को निर्धारित समय सीमा के भीतर **खनन हेतु पट्टे पर देने के लिए नीलाम** किया जाएगा। इससे राज्य सरकारों को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा।
  - अन्वेषण एजेंसी खनन पट्टा धारक द्वारा देय **नीलामी प्रीमियम में एक हिस्सा पाने की हकदार** होगी।

II. परमाणु खनिजों की सूची में शामिल 12 खनिजों में से 6 खनिजों को बाहर किया गया:

- **परमाणु खनिजों की सूची से कुछ खनिजों को बाहर करना:** MMDR अधिनियम की पहली अनुसूची के **भाग-B में सूचीबद्ध 12 परमाणु खनिजों की सूची से 6 खनिजों को हटाने का प्रस्ताव** किया गया है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - इन खनिजों का अंतरिक्ष उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, संचार आदि में उपयोग किया जाता है। ये **भारत की नेट जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।**
- **महत्वपूर्ण खनिजों के खनन हेतु निजी क्षेत्रक को अनुमति देना:** किसी खनिज के परमाणु खनिजों की सूची में शामिल होने से उसका **खनन और अन्वेषण सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित हो जाता है।**
  - इन खनिजों को परमाणु खनिज की सूची से हटाने से निजी क्षेत्रक द्वारा भी इनकी खोज और खनन का कार्य किया जा सकेगा।

III. महत्वपूर्ण खनिजों को खनन लाइसेंस/ पट्टे (कन्सेशन) पर देने हेतु नीलामी करने का विशेषाधिकार केंद्र सरकार को दिया गया:

- **केंद्र सरकार की भूमिका:** नए संशोधन में केंद्र सरकार को MMDR अधिनियम की पहली अनुसूची के नए **भाग-D** में **सूचीबद्ध कुछ महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) खनिजों के खनन पट्टे और समेकित लाइसेंस की नीलामी का विशेषाधिकार** दिया गया है।

© Vision IAS

- पहली अनुसूची के भाग-D में 'महत्वपूर्ण खनिज' की सूची में शामिल खनिज हैं;
  - टंगस्टन, कैडमियम, दुर्लभ भू-तत्व (Rare earth) समूह के खनिज, उर्वरक खनिज और परमाणु खनिजों की सूची से बाहर किए गए खनिज।
- **राज्य सरकार की भूमिका:** भले ही महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी केंद्र सरकार करेगी, लेकिन सफल बोलीदाताओं को इन खनिजों के लिए खनन पट्टा अथवा समेकित लाइसेंस **केवल राज्य सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाएगा।**
  - साथ ही, राज्य सरकार को नीलामी प्रीमियम और अन्य वैधानिक भुगतान प्राप्त होते रहेंगे।

8.2. महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **खान मंत्रालय ने "भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज[129]"** पर देश की पहली रिपोर्ट जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- खान मंत्रालय ने **महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहचान के लिए** एक समिति का गठन किया है।
- इस सूची में **17 दुर्लभ भू-धातुओं (REEs)[130]** और **6 प्लैटिनम-ग्रुप एलिमेंट्स (PGE)** के साथ कुल **30 महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल** किया गया है।
  - REEs में शामिल हैं- **15 लैंथेनाइड्स {आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 (लैंथेनम) - से 71 तक}, स्कैंडियम** (परमाणु संख्या 21) और **इट्रियम (39)**।
    - REEs को **हल्के REEs (LREE)[131]** और **भारी REEs** (HREE)[132] के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
  - कोई खनिज कितना महत्वपूर्ण है, इसका आकलन मुख्य रूप से **दो मापदंडों** के आधार पर किया जाता है (इंफोग्राफिक देखें)।
- यह सूची खनन क्षेत्रक में **नीति निर्माण, रणनीतिक योजना और निवेश संबंधी निर्णय लेने में एक मार्गदर्शक फ्रेमवर्क** के रूप में काम करेगी।

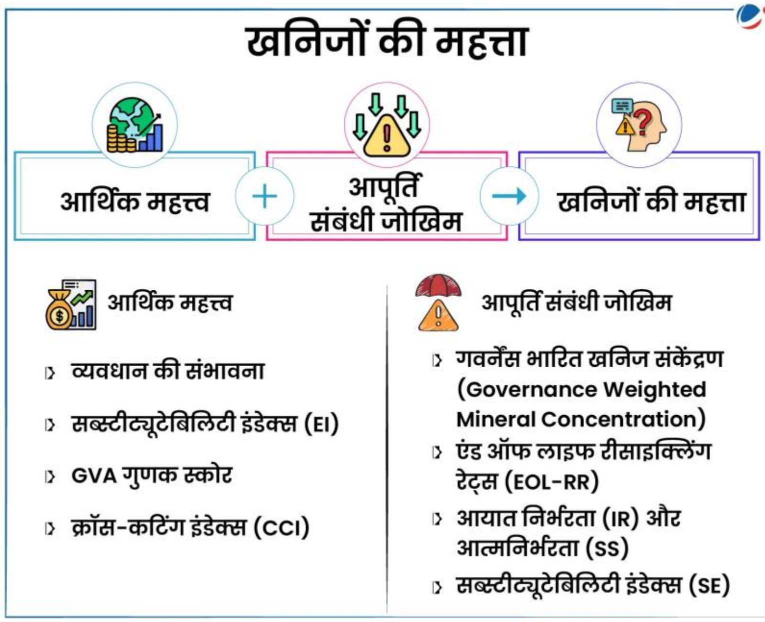

महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?

- महत्वपूर्ण खनिज ऐसे तत्व हैं, जो आज अनिवार्य हो चुकी **आधुनिक प्रौद्योगिकियों के निर्माण** हेतु **आधार** हैं। साथ ही, अक्सर इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान होने का खतरा बना रहता है। महत्वपूर्ण खनिज के कुछ उदाहरण अग्रलिखित हैं- एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा आदि।
  - भारत के लिए,
    - **कोबाल्ट** के प्रमुख आयात स्रोत **चीन, अमेरिका** व **जापान** हैं;
    - **लिथियम** के प्रमुख आयात स्रोत **चिली, रूस व चीन** हैं; और
    - **निकेल** के प्रमुख आयात स्रोत **स्वीडन, चीन** आदि हैं।
- इन खनिजों का इस्तेमाल अब हर जगह किया जाता है। उदाहरण के लिए- **मोबाइल फोन, कंप्यूटर से लेकर बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन तथा सौर पैनल और पवन टरबाइन जैसी हरित प्रौद्योगिकियों** के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है।
- प्रत्येक देश **अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रणनीतिक विचारों के आधार** पर, इन खनिजों की अपनी अलग-अलग सूची बनाता है।

129 Critical Minerals for India

130 Rare Earth Elements

131 Light Rare Earth Element

132 Heavy Rare Earth Element

PT 365 - अर्थव्यवस्था

महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में की गई प्रमुख पहलें

- **भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप:** यह ऑस्ट्रेलिया में संसाधित महत्वपूर्ण खनिजों के आधार पर नई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करेगा।
- **खनिज सुरक्षा साझेदारी (Minerals Security Partnership: MSP):** यह अमेरिका के नेतृत्व में 14 देशों का साझेदारी मंच है। **भारत भी MSP में शामिल हो गया है।** इस मंच का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर **महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देना** है।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (Supply Chain Resilience Initiative: SCRI):** भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को बढ़ाने तथा चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए SCRI आरंभ किया है।

8.3. अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 {Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Amendment Act, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने **अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023** को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके जरिए **अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002** में संशोधन किया जाएगा।
  - यह भारत के **प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय मग्न तट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)**[133] और **अन्य समुद्री क्षेत्रों** में **खनिज संसाधनों के विकास तथा विनियमन का प्रावधान** करता है।
- **अपतटीय खनिज संसाधनों** को "संघ" द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है।
  - 200 मीटर से अधिक की गहराई पर गहरे समुद्र तल से **खनिज भंडार को प्राप्त करने** की प्रक्रिया **अपतटीय खनन** कहलाती है।

अधिनियम में किए गए मुख्य बदलाव

क्षेत्र	अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002	अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023
लाइसेंस	पूर्व-परीक्षण, अन्वेषण और उत्पादन[134] के लिए **अलग-अलग लाइसेंस।**	अन्वेषण के साथ-साथ उत्पादन का अधिकार देने के लिए एक **समग्र लाइसेंस (Composite licence)।**
वैधता	उत्पादन पट्टा (Production lease) **30 वर्ष की अवधि के लिए** दिया जाता है, जिसे आगे 20 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।	समग्र लाइसेंस के तहत **उत्पादन पट्टा 50 वर्ष के लिए वैध होगा।**
नीलामी की प्रक्रिया	प्रशासनिक आवंटन के तहत **रियायतें प्रदान करने का प्रावधान** है।	यह **प्रतिस्पर्धात्मक बोली (Bidding) द्वारा निजी क्षेत्रक को दो प्रकार के परिचालन अधिकार (Operating rights)** प्रदान करता है, जैसे- **उत्पादन पट्टा** और **समग्र लाइसेंस।**
आरक्षित क्षेत्रों में खनन	**यह विधेयक सरकार को उन अपतटीय क्षेत्रों को आरक्षित करने** की अनुमति देता है जो किसी परिचालन अधिकार के तहत नहीं आते हैं।	**यह प्रशासनिक प्राधिकारी** को अनुमति देता है कि वह सरकार या सरकारी कंपनी को एक समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा दे सकता है।

133 Exclusive Economic Zone

134 Reconnaissance, exploration, and production

© Vision IAS

2023 के अधिनियम में किए गए नए प्रावधान

- **परमाणु खनिजों का खनन: केवल सरकार या सरकारी कंपनियों** को ही अन्वेषण, उत्पादन और समग्र लाइसेंस दिए जाएंगे।
- **अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट (Offshore Areas Mineral Trust):** यह **भारत के लोक लेखा** के तहत फंड्स का प्रबंधन करेगा। यह फंड **गैर-व्यपगत (Non-lapsable)** प्रकृति का होगा।
    - इस फंड का उपयोग अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण आदि के साथ-साथ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा।

8.4. नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल (National Geoscience Data Repository Portal: NGDRP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय खान मंत्री ने **"नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल (NGDRP)"** शुरू किया है।

NGDRP के बारे में

- इसे **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति (NMEP), 2016** के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है।
- यह पोर्टल एक ही **डिजिटल भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म पर सभी भू-वैज्ञानिक, भू-रासायनिक, भू-भौतिकीय और खनिज अन्वेषण संबंधी डेटा सार्वजनिक रूप से** उपलब्ध कराएगा।
- इस पोर्टल के विकास की जिम्मेदारी **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** को दी गई थी।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति (NMEP), 2016 के बारे में

- इस नीति का उद्देश्य **निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाकर देश में खनिज अन्वेषण कार्यों में तेजी** लाना है।
- **NMEP के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - पहचाने गए अन्वेषण ब्लॉक्स को अन्वेषण हेतु निजी क्षेत्र को सौंपने के लिए ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी। निजी क्षेत्रों को ये अन्वेषण ब्लॉक्स **राजस्व-साझा** करने की नीति के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।
    - **बेसलाइन भूवैज्ञानिक डेटा को पब्लिक गुड** माना जाएगा।
    - अधिक गहराई में पाए जाने वाले तथा छिपे हुए स्वर्ण, चांदी, तांबे जैसे खनिज भंडार की पहचान के लिए **कम ऊंचाई से और क्लोज स्पेस फ्लाइट** की मदद ली जाएगी। इसके लिए **राष्ट्रीय एयरोजियोफिजिकल मैपिंग कार्यक्रम** शुरू किया जाएगा।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India)

- **उत्पत्तिः** इसकी स्थापना 1851 में हुई थी।
- **मंत्रालयः** यह खान मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- **कार्यः**
    - राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा संग्रह करना और अपडेट करना,
    - खनिज संसाधनों का आकलन करना,
    - हवाई और समुद्री सर्वेक्षण करना।
- **क्षेत्रीय कार्यालयः** लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता

8.5. विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones: SEZs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** ने **विशेष आर्थिक क्षेत्र (पांचवां संशोधन) नियम, 2023** अधिसूचित किए। ये नियम **SEZ अधिनियम, 2005** की **धारा 55 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग** करके अधिसूचित किए गए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **SEZs (पांचवां संशोधन) नियम, 2023** के जरिए **SEZ नियम, 2006 में संशोधन** किए गए हैं।

© Vision IAS

- संशोधित नियम के तहत **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) या सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (ITES)**[135] **वाले SEZ** में **"बिल्ट-अप एरिया" के एक हिस्से को 'नॉन-प्रॉसेसिंग एरिया'** घोषित किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए शर्त यह होगी कि ऐसे क्षेत्र को जो कर रियायतें मिली हुई थीं, उनका पुनर्भुगतान करना होगा।
    - गौरतलब है कि SEZ में स्थित **प्रॉसेसिंग एरिया में वस्तुओं का उत्पादन या सेवा प्रदान करने संबंधी कार्य** किए जाते हैं। वहीं, **नॉन-प्रॉसेसिंग एरिया में सहायक अवसंरचना उपलब्ध** कराई जाती है।
    - जिन SEZs में **नॉन-प्रॉसेसिंग एरिया घोषित करने के बाद बचा हुआ प्रॉसेसिंग एरिया कुल SEZ एरिया के पचास प्रतिशत से कम या तय क्षेत्र** से कम हो जाता है, उनमें **नॉन-प्रॉसेसिंग एरिया नहीं** बनाया जाएगा।
- IT/ ITES गतिविधियों वाले SEZ के **नॉन-प्रॉसेसिंग एरिया** में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को SEZ यूनिट्स के समान कोई अधिकार या अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के बारे में

- SEZ **एक प्रकार का शुल्क-मुक्त अधिसूचित क्षेत्र** होता है। व्यापार संबंधी गतिविधियों के संचालन तथा कर एवं प्रशुल्क के मामले में यह एक प्रकार का **"विदेशी क्षेत्र"** माना जाता है। उदाहरण के लिए-

SEZ के उद्देश्य

अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना	वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना	घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना	रोजगार के नए अवसर पैदा करना	अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना

- **कोई भी निजी/ सार्वजनिक/ जॉइंट सेक्टर या राज्य सरकार या उसकी एजेंसियां** SEZ स्थापित कर सकती हैं।
    - गौरतलब है कि भारत के अलावा चीन, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रूस जैसे **कई देशों ने भी SEZ** स्थापित किए हैं।
- **SEZ अधिनियम, 2005** के लागू हो जाने के बाद **SEZ नियम** अधिसूचित किए गए थे। ये नियम 2006 में लागू हुए थे।
- **'SEZ' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार के ज़ोन** शामिल होते हैं। इनमें निर्यात प्रसंस्करण ज़ोन (EPZ)[136], फ्री-ज़ोन (FZ), इंडस्ट्रियल एस्टेट्स (IE), मुक्त व्यापार ज़ोन (FTZ)[137], मुक्त बंदरगाह, शहरी उद्यम ज़ोन आदि शामिल हैं।
- भारत में फिलहाल **276 SEZs** कार्यरत हैं।
    - 2022-23 में **SEZs से कुल निर्यात 155.8 बिलियन डॉलर** का रहा। SEZs से **61.6 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात** और **94.2 अरब डॉलर का सेवा निर्यात** हुआ।

SEZs के लिए मिलने वाले विशेष प्रोत्साहन

SEZ इकाइयों के विकास, संचालन और रख-रखाव के लिए बिना किसी शुल्क के वस्तुओं के आयात/ घरेलू खरीद की अनुमति दी गई है।	SEZs को केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर और राज्य बिक्री कर से छूट दी गई है। हालांकि, ये कर अब GST में शामिल हो गए हैं।	संबंधित राज्य सरकारों ने SEZ इकाइयों को कई अन्य शुल्कों (Levy) से भी छूट दी है।	SEZs में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं पर IGST अधिनियम, 2017 के तहत शून्य कर यानी कोई कर नहीं लगाया जाता है।	केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था की गई है।

135 Information Technology Enabled Services

136 Export Processing Zones

137 Free Trade Zones

8.6. उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना {Production-Linked Incentives (PLI) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने अब किसी नए क्षेत्रक के लिए **उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू नहीं करने का निर्णय** लिया है। इसके अलावा जिन क्षेत्रकों में यह योजना शुरू हो चुकी है, उनमें से कुछ क्षेत्रकों में योजना के स्तर पर सुधार की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा।

PLI योजना के बारे में

- इसे पहली बार **मार्च 2020** में शुरू किया गया था। PLI अलग-अलग क्षेत्रकों में विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु **उत्पादकों/विनिर्माताओं के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना** है।
    - ये प्रोत्साहन किसी कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं अर्थात् सरकार **वृद्धिशील बिक्री (Incremental sales) पर प्रोत्साहन** देती है।
- PLI योजना को **कई क्षेत्रकों को ध्यान में रखकर** तैयार किया गया है। इसका कुल परिव्यय 1.97 लाख करोड़ रुपये (लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। इसका उद्देश्य **अलग-अलग क्षेत्रकों की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना** और उन्हें **वैश्विक चैंपियन (विनिर्माता) बनाने में मदद करना** है।

PLI योजना के लाभ

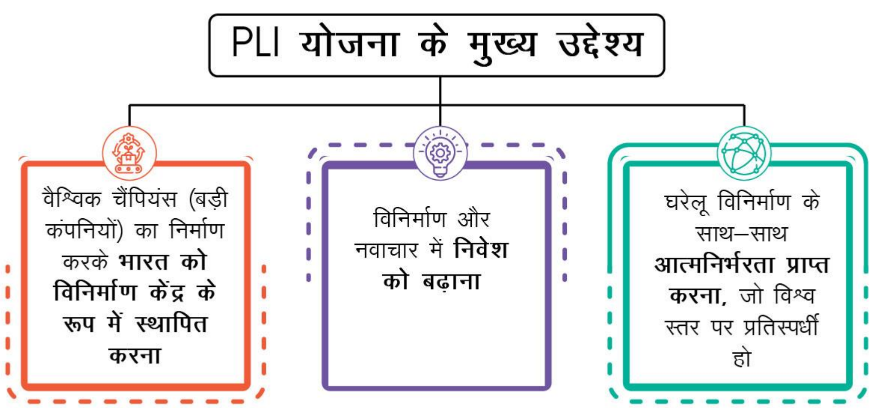

- **विनिर्माण क्षेत्रक को मजबूत बनाना:** PLI **भारत के घरेलू विनिर्माण परिवेश में सुधार ला सकती** है। इससे देश की GDP में विनिर्माण क्षेत्रक की हिस्सेदारी बढ़कर **25 प्रतिशत** के स्तर पर पहुंच सकती है।
- **आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और निर्यात में वृद्धि करना।**
- **पूंजीगत व्यय:** योजना अवधि के दौरान PLI योजना को लागू करने में **2.5-3 लाख करोड़ रुपये** तक का पूंजीगत व्यय हो सकता है।
    - प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रकों में **औसत वार्षिक निवेश व्यय में इसकी हिस्सेदारी 13-15 प्रतिशत होगी।**
- **हरित निवेश को बढ़ावा:** इस योजना के तहत **लगभग 55 प्रतिशत** निवेश इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर फोटोवोल्टिक जैसे हरित क्षेत्रकों में होने की संभावना है।

8.6.1. आई.टी. हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन 2.0 (PLI 2.0) योजना (PLI 2.0 for IT Hardware Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आई.टी. हार्डवेयर के लिए **PLI 2.0 योजना** को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य भारत की **विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाना** है।

अन्य संबंधित तथ्य

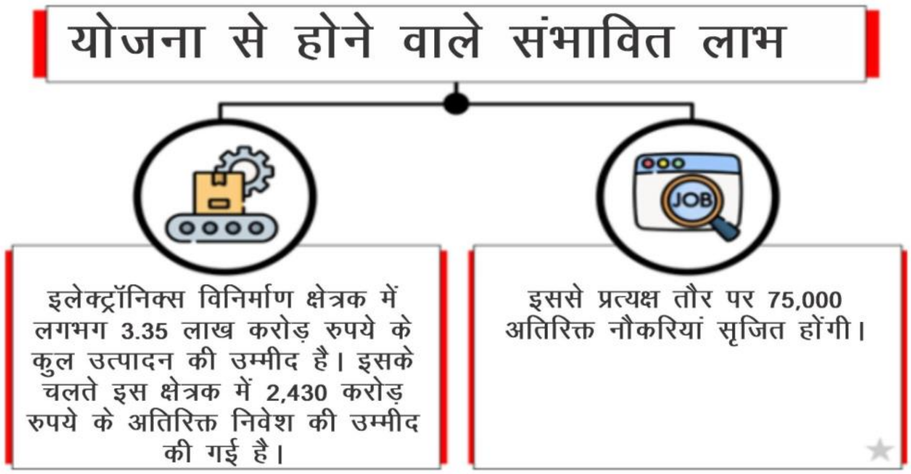

- **वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण** में भारत की हिस्सेदारी 2014 में 1.2% थी, जो बढ़कर **2021-22 में 3.75%** हो गई थी।
- **योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**
  - **उद्देश्य:** घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मूल्य श्रृंखला में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए **वित्तीय प्रोत्साहन** का प्रस्ताव किया गया है।
  - **लक्ष्य क्षेत्र:** लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन-वन पीसी, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (USFF) आदि।
  - **अवधी:** योजना की अवधि **छह साल** की है।
  - **बजटीय परिव्यय:** 17,000 करोड़ रुपये।
  - **प्रति कंपनी प्रोत्साहन:** एक आधार वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23) निर्धारित करते हुए विनिर्मित वस्तुओं की **निवल वृद्धिशील बिक्री** के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

8.7. भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग (Semiconductor Industry in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **संशोधित सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम** के तहत भारत में **सेमीकंडक्टर फैब्स**[138] **और डिस्प्ले फैब्स**[139] स्थापित करने के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

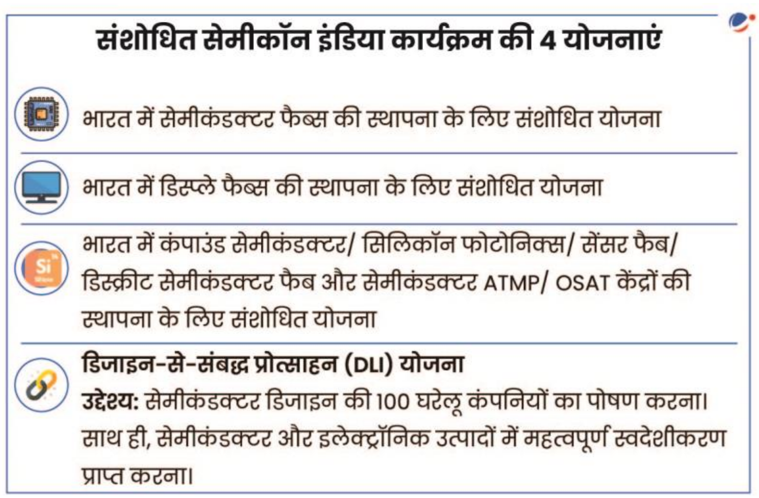

संशोधित सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के बारे में

- **मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)**[140] ने 2021 में **सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम** शुरू किया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य उन **कंपनियों/ भागीदारों को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता** प्रदान करना है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डिजाइन के कार्य में लगे हुए हैं।
  - इस योजना के तहत **छह वर्षों के लिए** सहायता प्रदान की जाएगी।
- MeitY के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन** इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए नामित **नोडल एजेंसी** है।

[138] Semiconductor fabrication facility

[139] Display fabrication facility

[140] Ministry of Electronics and Information Technology

© Vision IAS

भारत का सेमीकंडक्टर बाजार

- **बाजार का आकार:** एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का सेमीकंडक्टर बाजार **2026 तक लगभग 64 बिलियन डॉलर तक पहुंच** जाएगा। यह आंकड़ा **वर्ष 2019 की तुलना में तीन गुना अधिक वृद्धि** को दर्शाता है।
- **चिप विनिर्माण:** भारत सेमीकंडक्टर डिजाइन का केंद्र बन गया है। यहां **हर साल लगभग 2,000 चिप्स डिजाइन किए जा रहे** हैं।
- **उद्योग में अनुसंधान एवं विकास (R&D):** इस उद्योग ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तथा एम्बेडेड सिस्टम सहित R&D में **लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व** प्राप्त किया है।

वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य और भारत की भूमिका

- **प्रमुख विनिर्माता:** वर्तमान में, **ताइवान माइक्रोचिप्स के विनिर्माण में विश्व में अग्रणी** है। यह दुनिया के 60% से अधिक सेमीकंडक्टर और 90% से अधिक सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है।
- **भारत की भूमिका:** भारत ने खुद को क्रिटिकल **सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक प्रमुख पक्ष** के रूप में स्थापित किया है। यह कंपनियों को उनके उत्पादन केंद्र को चीन के बाहर अन्य देशों में स्थापित कर आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने का अवसर प्रदान करता है।
  - 2022 में, भारत ने **'इंडिया-US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (iCET)'** समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  - भारत ने 2021 में **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)** शुरू किया था। इसके अलावा, सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए **उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** आरंभ की गई है।

8.8. राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 (National Pharmacy Commission Bill 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने **राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2023** का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य **फार्मेसी अधिनियम, 1948** को प्रतिस्थापित करना और मौजूदा **फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI)** की जगह **राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग**[141] की स्थापना करना है।

प्रस्तावित विधेयक के अन्य उद्देश्य हैं:

- **स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय लक्ष्यों को बढ़ावा** देना।
- **गुणवत्तापूर्ण और वहनीय फार्मास्युटिकल शिक्षा तक पहुंच** में सुधार लाना।
- **पर्याप्त संख्या में और उच्च गुणवत्ता वाले फार्मेसी पेशेवरों की उपलब्धता** सुनिश्चित करना।
- प्रासंगिक मामलों के लिए एक **प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र** की स्थापना करना।
- फार्मेसी संस्थानों का **पारदर्शी आकलन सुनिश्चित** करना और **भारत के लिए फार्मेसी रजिस्टर के रख-रखाव को सुगम** बनाना।

141 National Pharmacy Commission

फार्मेसी अधिनियम, 1948

- इसे भारत में फार्मेसी के पेशे को **विनियमित करने के लिए लागू किया गया है।**
- इसके तहत फार्मेसी के पेशे में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए **समान प्रशिक्षण और शिक्षा का मानकीकरण** किया गया है।
- इसमें यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार **फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI)** नामक एक **केंद्रीय परिषद का गठन** करेगी।
  - इस अधिनियम में **फार्मासिस्टों के पंजीकरण के लिए 'राज्य फार्मेसी काउंसिल'** के गठन और उसके कार्यों का भी प्रावधान किया गया है।

भारतीय फार्मेसी परिषद (PCI)

- **उत्पत्ति:** इसे **फार्मेसी अधिनियम, 1948** के प्रावधानों के तहत एक **वैधानिक निकाय** के रूप में स्थापित किया गया है।
- **मंत्रालय:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **फार्मेसी शिक्षा** और **फार्मेसी के पेशे एवं पेशे से जुड़े कार्यों का विनियमन** करना है।
- **कार्य:**
  - **शैक्षिक मानकों** का निर्धारण करना तथा उनके कार्यान्वयन में एकरूपता लाना।
  - फार्मेसी संस्थानों का **निरीक्षण करना**, फार्मासिस्टों के अध्ययन और परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम को मंजूरी प्रदान करना।
  - **फार्मासिस्टों के एक केंद्रीय रजिस्टर** का रख-रखाव करना।

राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 के मसौदे में शामिल प्रमुख प्रावधान

- केंद्र सरकार **राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग** का गठन करेगी। **आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं:**
  - फार्मेसी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए **नीतियां तैयार करना प्रशासनिक मानकों का विनियमन** करना।
  - अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए **उद्योग एवं अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना।**
  - विभिन्न बोर्ड के निर्णयों के संबंध में **अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग** करना।
- केंद्र सरकार **NPS के अधीन कार्य करने वाले तीन बोर्ड्स का गठन** करेगी। ये हैं-
  - **फार्मेसी शिक्षा बोर्ड (Pharmacy Education Board),**
  - **फार्मेसी आकलन और रेटिंग बोर्ड (Pharmacy Assessment and Rating Board),**
  - **फार्मेसी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड (Pharmacy Ethics and Registration Board)**।

8.9. राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 (National Devices Policy, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 को मंजूरी दी।

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

- भारत को अगले 25 वर्षों में **चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और नवाचार में विश्व में अग्रणी देश** बनाना है।
- वर्ष 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को वर्तमान 11 बिलियन डॉलर से **बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने में मदद** करना है।
- चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के **व्यवस्थित विकास में मदद** करना है। इससे **लोक स्वास्थ्य के 'पहुंच, वहनीयता, गुणवत्ता और नवाचार' से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ती** हो सकेगी।

चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक के बारे में

- **भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग** वर्तमान में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद **चौथा सबसे बड़ा एशियाई चिकित्सा उपकरण बाजार है।**
- हालांकि, भारत में **कई बहु-राष्ट्रीय कंपनियां उपस्थित भी हैं, जिनकी कुल बिक्री में आयातित चिकित्सा उपकरणों की हिस्सेदारी लगभग 75-80% है।**

© Vision IAS

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 की मुख्य विशेषताएं

इस नीति के तहत **नीतिगत उपायों के लिए निम्नलिखित छः व्यापक क्षेत्रकों** को शामिल किया गया है:

विनियामकीय तंत्र को सुव्यवस्थित करना	• इसके तहत लाइसेंसिंग के लिए **सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम का निर्माण किया जाएगा; BIS जैसे भारतीय मानकों की भूमिका बढ़ाई जाएगी तथा एक सुसंगत मूल्य निर्धारण विनियमन** तैयार किया जाएगा।
सक्षमकारी बुनियादी ढांचा	• **आर्थिक क्षेत्र (Economic zones)** के निकट विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित **बड़े चिकित्सा उपकरण पार्क्स और क्लस्टर्स की स्थापना** की जाएगी और उन्हें मजबूती प्रदान की जाएगी।
अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा नवाचार में सहायता करना	• इसके तहत **अकादमिक और शोध संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, **नवाचार केंद्रों और 'प्लग एंड प्ले' अवसंरचनाओं की भी स्थापना की जाएगी तथा स्टार्ट-अप्स को समर्थन** दिया जाएगा।
चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना	• इसके तहत **निजी निवेश, उद्यम पूंजीपतियों से निरंतर वित्त-पोषण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** को बढ़ावा दिया जाएगा।
मानव संसाधन विकास	• चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में पेशेवरों के कौशल विकास, पुनर्कौशल विकास तथा कौशल उन्नयन के लिए कौशल **विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में उपलब्ध संसाधनों का लाभ** उठाया जाएगा। • **विदेशी अकादमिक/उद्योग संगठनों के साथ साझेदारी विकसित की जाएगी।** • मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों के प्रति समर्पित **बहु-विषयक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।**
ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता सृजन	• चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक के लिए **एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद** स्थापित की जाएगी। • विनिर्माण और कौशल विकास के लिए **सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने पर बल** दिया जाएगा।

संबंधित सुर्ख़ियां

"सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर हेतु सहायता (Assistance for Medical Devices clusters for Common Facilities: AMD-CF)" योजना

- हाल ही में शुरू **AMD-CF योजना का उद्देश्य** वित्तीय सहायता प्रदान करके **चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स** को मजबूत करना है। साथ ही, चिकित्सा उपकरणों के लिए **अधिक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना और उन्हें मजबूत करना** भी इसका उद्देश्य है।
- AMD-CF **योजना की शुरुआत** रसायन और उर्वरक मंत्रालय के **औषध विभाग** के तहत की जाएगी।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक
- **AMD-CF योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं:**

घटक	उद्देश्य	आर्थिक प्रोत्साहन
सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता	सामान्य अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करके **चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स के सतत विकास के लिए उनकी क्षमताओं को मजबूत करना।**	• आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा **स्वीकृत परियोजना लागत की 70 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये, जो भी कम हो,** होगी। • **हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों** के लिए सहायता अनुदान **20 करोड़ रुपये प्रति क्लस्टर या परियोजना लागत का 90%,** जो भी कम हो, होगा।

परिक्षण सुविधाओं की लिए सहायता	गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए **अधिक चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता सुनिश्चित** करना।	• आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा **स्वीकृत परीक्षण प्रयोगशाला परियोजना लागत की 70 प्रतिशत या 5 करोड़ रुपये, जो भी कम हो,** होगी। • **हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों** के लिए सहायता अनुदान **5 करोड़ रुपये प्रति क्लस्टर या परियोजना लागत का 90%,** जो भी कम हो, होगा।

9. अवसंरचना (Infrastructure)

9.1. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure: DPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री ने भारत के नेतृत्व में **"ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी (GDPIR)" और "सोशल इम्पैक्ट फंड (SIF)"** नामक पहलों की शुरुआत की घोषणा की। इन पहलों की घोषणा G-20 लीडर्स के एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- G-20 के **नई दिल्ली लीडर्स घोषणा-पत्र** में **DPI** को अमल में लाने के लिए **तीन पहलों की घोषणा** की गई थी। **GDPRI** उन **तीन पहलों में से एक** है।
- **अन्य दो हैं:**
  - **DPI के निर्माण के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना,** तथा
  - निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों (LMICs)[142] में **DPI के विकास हेतु वित्त जुटाना।**

ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी (GDPIR)	सोशल इम्पैक्ट फंड (SIF)

• **विकास:** इसका विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है।
• **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य DPIs के डिजाइन, निर्माण, उपयोग और गवर्नेंस के लिए आवश्यक विकल्पों एवं तकनीक के स्तर पर **ज्ञान की कमी को दूर** करना है।
• **घटक:** GDPIR उन देशों से प्राप्त जानकारी को मानकीकृत प्रारूप में प्रदर्शित करेगी, जिन्होंने मैच्योरिटी स्केल, सोर्स कोड व गवर्नेंस फ्रेमवर्क को शामिल करते हुए **बड़े पैमाने पर DPIs विकसित** किए हैं।
  ○ वर्तमान में, **GDPIR में 16 देशों के 54 DPIs शामिल हैं।**
	• **उद्देश्य: SIF** सरकार के नेतृत्व वाली एक **बहु-हितधारक पहल** होगी। यह **ग्लोबल साउथ में DPIs को तेजी से अमल में लाने में** मदद करेगा।
	  ○ यह सभी प्रासंगिक हितधारकों को इस फंड में योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। साथ ही, यह DPI के जरिए निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** की प्राप्ति में **तेजी लाने** में मदद भी करेगा।
	• **वित्त-पोषण:** भारत ने SIF के लिए शुरू में **25 मिलियन अमेरिकी डॉलर** देने की घोषणा की है।
	  ○ यह DPI प्रणाली विकसित करने के लिए **देशों को तकनीकी और गैर-तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय मदद** करेगा।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के बारे में

- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर** वस्तुतः **साझा डिजिटल प्रणालियों का एक सेट** होता है। यह **सुरक्षित और इंटर-ऑपरेबल** होता है। इसे सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक और/ या निजी सेवाएं उपलब्ध कराने तथा इस तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु **खुले मानकों व विनिर्देशों** के आधार पर तैयार किया जाता है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

डिजिटल
- दूरस्थ क्षेत्रों में भी कागज–रहित और भौतिक उपस्थिति के बिना सेवा उपलब्ध कराना
- लागत में कमी और पहुंच में वृद्धि
- डिजिटल रेलरोड

पब्लिक
- लोक प्रशासन और जनता के प्रति जवाबदेही
- जनहित के लिए
- सरकार द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों को सतर्कता से लागू करने हेतु

इंफ्रास्ट्रक्चर
- **राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार को सक्षम बनाने वाला:** बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधानों के विकास के लिए बुनियादी घटक के रूप में कार्य करना।
- **आवश्यकता के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना:** निजी क्षेत्रक या सार्वजनिक–निजी क्षेत्रक या सार्वजनिक क्षेत्रक के नेतृत्व वाला **DPI**
- **संपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रक पर प्रभाव:** सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, दोनों से लाभ उठाया जाना।

[142] Low and Middle Income Countries

- **DPI के प्रमुख स्तंभों में शामिल हैं:**
  - ओपन, इंटर-ऑपरेबल, विस्तार योग्य और मापनीय **तकनीक**[143]।
    - इंटर-ऑपरेबल का आशय है- कोई भी चीज़ (जैसे- कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर) जो पारस्परिक रूप से उपयोग या संचालन में सक्षम हो।
  - पारदर्शी कानूनी तंत्र, डेटा संरक्षण तंत्र, शिकायत निवारण और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा सहित **मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क।**
  - **लचीला स्थानीय इकोसिस्टम** जो आर्थिक, तकनीकी या सामाजिक बाधाओं को दूर करता हो तथा सामुदायिक भागीदारी और सततता सुनिश्चित करता हो।
- **DPI के लिए अनिवार्य तत्व:** एक मजबूत DPI में तीन मूलभूत प्रणालियां शामिल होती हैं- **पहचान प्रणाली, भुगतान प्रणाली** और **डेटा एक्सचेंज।**
  - भारत के **DPI आर्किटेक्चर को "इंडिया स्टैक"** के नाम से जाना जाता है। इसमें शामिल हैं-
    - **पहचान प्रणाली (Identity system):** आधार संख्या,
    - **भुगतान प्रणाली (Payment system):** UPI, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, तथा
    - **डेटा एक्सचेंज:** डिजिलॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर।

9.2. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy: NLP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत की **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) की शुरुआत का एक वर्ष** पूरा हुआ।

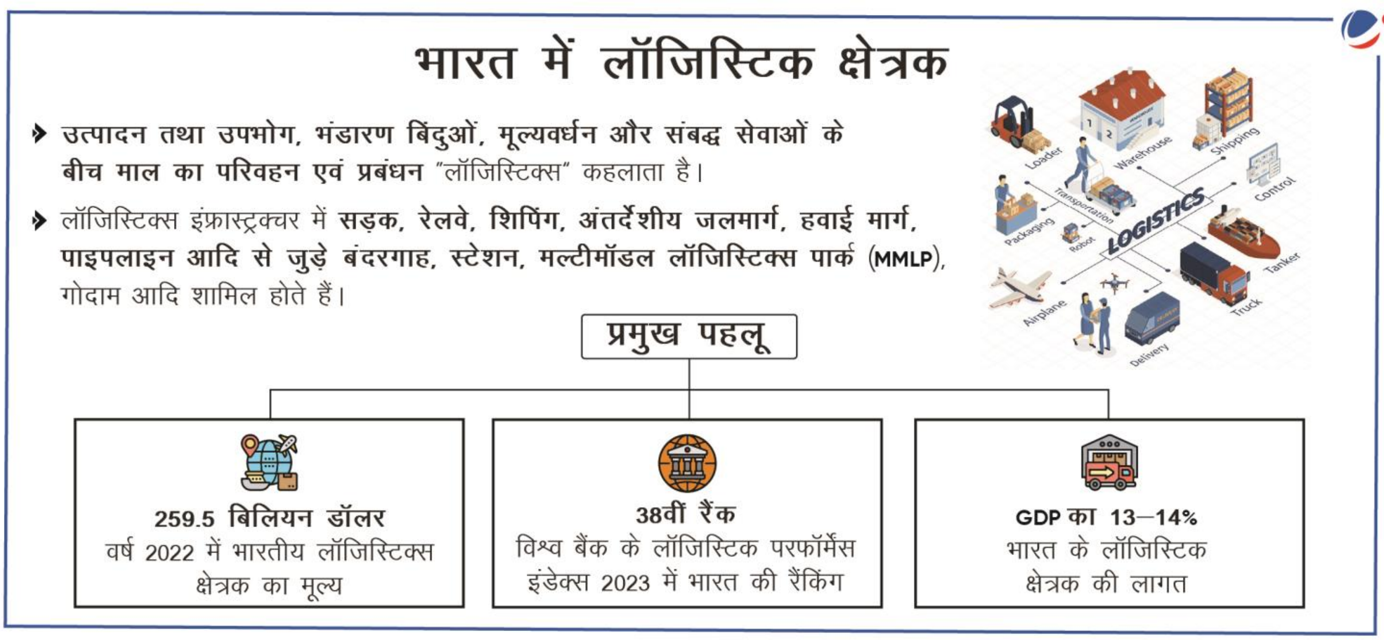

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) के बारे में

- NLP सितंबर, 2022 में जारी की गई थी। इसके उद्देश्य हैं: देश भर में वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना तथा घरेलू और वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना।
- **इसके विजन हैं: एकीकृत, निर्बाध, दक्ष, विश्वसनीय, हरित, संधारणीय और लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क** के माध्यम से आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना। इसके लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और कुशल जनशक्ति का लाभ उठाया जा रहा है।
- **NLP के लक्ष्य:**
  - **भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को 2030 तक** वैश्विक मानकों के **अनुरूप करना।**
  - **लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करना** तथा 2030 तक भारत को शीर्ष 25 देशों में शामिल करना।
  - एक दक्ष लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की स्थापना के लिए **डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली** का विकास करना।

---

143 Open, interoperable, extensible, and scalable technology

© Vision IAS

- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का कार्यान्वयन: NLP के लक्ष्यों** को प्राप्त करने के लिए एक **व्यापक लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान** (CLAP)[144] शुरू किया गया है। इसमें कुछ निर्धारित कार्य क्षेत्रों के लिए अलग-अलग उपायों की पहचान की गई है (इन्फोग्राफिक देखें)।

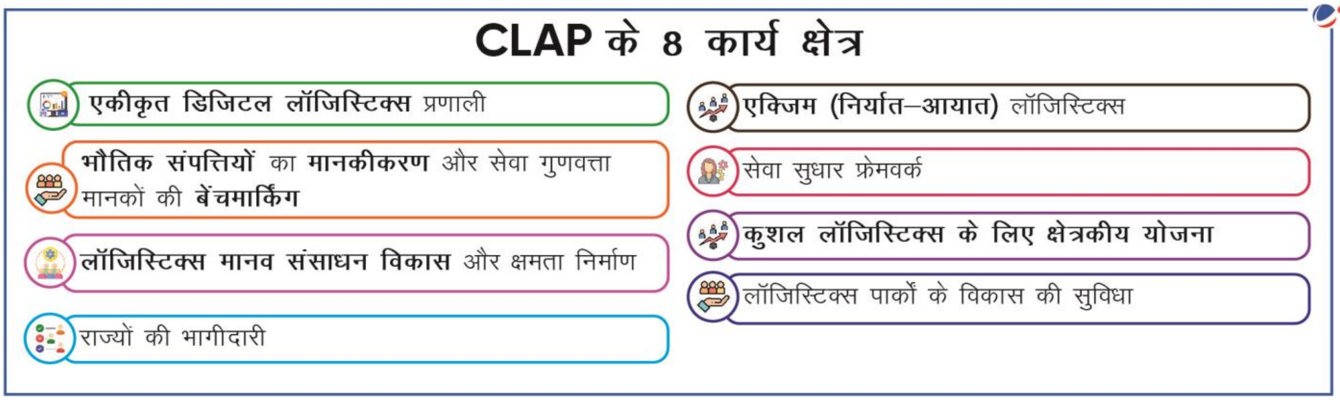

NLP के तहत अब तक हुई प्रगति

- **डिजिटलीकरण: उद्योग जगत के 614 से अधिक भागीदारों** ने **यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (ULIP)** पर पंजीकरण कराया है।
  - यह **एक डेटा आधारित प्लेटफ़ॉर्म** है। यह **विभिन्न विभागों में GST डेटा सहित लॉजिस्टिक्स-से-संबद्ध 34 डिजिटल सिस्टम को एकीकृत करता** है।
- **राज्यों की भागीदारी: अब तक 22 राज्यों** ने अपनी लॉजिस्टिक नीतियों को अधिसूचित किया है।
- **मुद्दे एवं शिकायत निवारण: ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विस (E-logs) पोर्टल** शुरू किया गया है, जिस पर अब तक **लगभग 29 व्यावसायिक संघों को सूचीबद्ध** किया जा चुका है।

9.2.1. लीड्स रिपोर्ट 2023 (Leads Report 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने **"अलग-अलग राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज (LEADS)[145]"** रिपोर्ट 2023 जारी की।

LEADS (लीड्स) के बारे में

- इसे विश्व बैंक के **लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI)** की तर्ज पर **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** ने **2018** में शुरू किया था।
  - विश्व बैंक की LPI 2023 रिपोर्ट में **139 देशों में भारत 38वें स्थान पर** है।
    - **LPI 2023 व्यापार के छह आयामों पर देशों को रैंक** प्रदान करता है। ये हैं: सीमा शुल्क, बुनियादी ढांचा, शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी, लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग तथा समयबद्धता[146]।
- LEADS **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** को उनके **लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की दक्षता के आधार पर रैंक** प्रदान करता है।
- लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख स्तंभ:
  - **वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन (Objective assessment)**
    - लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की नीति और प्रक्रिया में सुधार के लिए **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किया गया समर्थन।**
    - लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने वाले **भौतिक अवसंरचना** का निर्माण।
  - **धारणा मूल्यांकन (Perception Assessment)**
    - लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर,
    - लॉजिस्टिक सेवाएं,
    - परिचालन और विनियामकीय व्यवस्था।

---

[144] Comprehensive Logistics Action Plan

[145] Logistics Ease Across Different States

[146] Customs, Infrastructure, Ease of arranging shipments, Quality of logistics services, Tracking and Tracing, and Timeliness

- **LEADS रिपोर्ट 2023 के अन्य मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू की गई पहलें:**
    - 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी-अपनी **लॉजिस्टिक नीतियों** को अधिसूचित किया है।
    - 15 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने **लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को उद्योग का दर्जा** दिया है।
  - 2014-15 के बाद से **सड़कों और रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई** लगभग क्रमशः **21% और 9%** बढ़ी है।

9.3. पी.एम. गति शक्ति पहल (PM Gati Shakti Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पी.एम. गति शक्ति पहल ने अपनी शुरुआत के **दो वर्ष पूरे कर लिए हैं।** इसकी शुरुआत अक्टूबर, 2021 में हुई थी। इसने **लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाया है और लॉजिस्टिक्स लागत में काफी कमी** आई है।

गति शक्ति से संबंधित पहलों का प्रभाव

- **कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में तेजी लाना:** इस पहल के माध्यम से सभी परियोजनाओं में तेजी आयी है। उदाहरण के लिए- अवसंरचना परियोजनाओं के लिए रुपरेखा को स्वीकृति देने की अवधि 3-4 महीने से घटकर अब **1 माह** हो गई है।
- **सूचना की उपलब्धता में वृद्धि:** इसके तहत आगामी कनेक्टिविटी परियोजनाओं, व्यापार केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है।
  - उदाहरण के लिए- **भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान** (BISAG-N)[147] द्वारा डायनेमिक भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) पर आधारित **डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल** बनाया गया है। इसका उपयोग सभी मंत्रालयों/ विभागों द्वारा किया जा रहा है।
- **मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स तंत्र विकसित करना:** उदाहरण के लिए- **भारतमाला, सागरमाला,** अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/ भूमि बंदरगाह जैसी अवसंरचनात्मक योजनाओं को एकीकृत किया गया है।

पी.एम. गति शक्ति योजना के बारे में

- **पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP)** का उद्देश्य भारत के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों (Economic zones) के लिए **मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना** का निर्माण करना है।
  - **आर्थिक क्षेत्र** का आशय ऐसे क्लस्टर से है जहां विनिर्माण या मूल्य संवर्धन सेवाओं या अन्य सेवाओं के रूप में कई आर्थिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
- **पी.एम. गति शक्ति योजना के उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य **PMGS-NMP** में टेक्सटाइल्स क्लस्टर, फार्मास्युटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क जैसे **आर्थिक क्षेत्रों** को शामिल करना है।
  - एक **एकीकृत पोर्टल** शुरू किया गया है। रेलवे, सड़क परिवहन सहित 16 मंत्रालयों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
- **प्राथमिक फोकस:** योजना के अंतर्गत मुख्य ध्यान रणनीतिक योजना, वित्त-पोषण के नवाचार तरीकों, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और योजना संचालित करने की प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर जोर दिया जाएगा।
- **दायरा:** इसके तहत राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)[148] के सात इंजन शामिल होंगे। ये हैं: **सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, मास ट्रांसपोर्टेशन, जलमार्ग** और **लॉजिस्टिक्स अवसंरचना।**

[147] Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-informatics

[148] National Infrastructure Pipeline

© Vision IAS

पी.एम. गति शक्ति पहल के छह स्तंभ

समग्रता (Comprehensive)	अलग–अलग **मंत्रालयों** की सभी मौजूदा या भावी पहलों को **एकीकृत करना।**
प्राथमिकता (Prioritization)	अलग–अलग क्षेत्रकों के साथ मिलकर **परियोजनाओं को प्राथमिकता देना।**
सुधार (Optimisation)	मुख्य कमियों की पहचान करने के बाद **संशोधन** या **विस्तार करने** के लिए योजना बनाने में अलग–अलग **मंत्रालयों की सहायता** करना।
समन्वय (Synchronisation)	विभागों के मध्य कार्यों के मामले में ताल–मेल बिठाना, ताकि योजनाओं में होने वाले विलंब और विभागों के बीच होने वाले टकराव को कम किया जा सके।
विश्लेषण (Analytical)	**GIS आधारित स्थानिक नियोजन** और **विश्लेषणात्मक टूल** की सहायता से संपूर्ण डेटा को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना।
गतिशीलता (Dynamic)	**विभागों के मास्टर प्लान** में सुधार और अपडेट करने के लिए **महत्वपूर्ण उपायों** को तलाशना।

9.4. समर्पित माल ढुलाई गलियारा (Dedicated Freight Corridors: DFCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अक्टूबर, 2023 में **ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC)** का निर्माण कार्य पूरा हो गया।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है?

- यह एक प्रकार का **रेलवे कॉरिडोर** है। इसे वस्तुओं और अन्य कमोडिटी के तीव्र और दक्ष परिवहन के लिए बनाया जा रहा है। ये रेलवे कॉरिडोर्स **उच्च गति और उच्च ढुलाई क्षमता** से युक्त होंगे।
- **उद्देश्य:** DFCs का उद्देश्य भारत के रेलवे नेटवर्क पर **माल ढुलाई यातायात** को **यात्री यातायात** से अलग करके मौजूदा रेलवे नेटवर्क पर भीड़भाड़ को कम करना है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस परियोजना का क्रियान्वयन **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL)** कर रही है।
  - DFCCIL का गठन **2006** में किया गया था। DFCCIL **रेल मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व** वाला उद्यम है। यह DFC के निर्माण, रख-रखाव और संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- **डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर:** इन्हें **समर्पित माल भाड़ा गलियारों** की तर्ज पर बनाया जाएगा। DCCs के माध्यम से **ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़** जैसे राज्यों से देश के अन्य भागों में **अनन्य रूप से कोयले का ही परिवहन** किया जाएगा।

DFCCIL का प्रोजेक्ट मैप

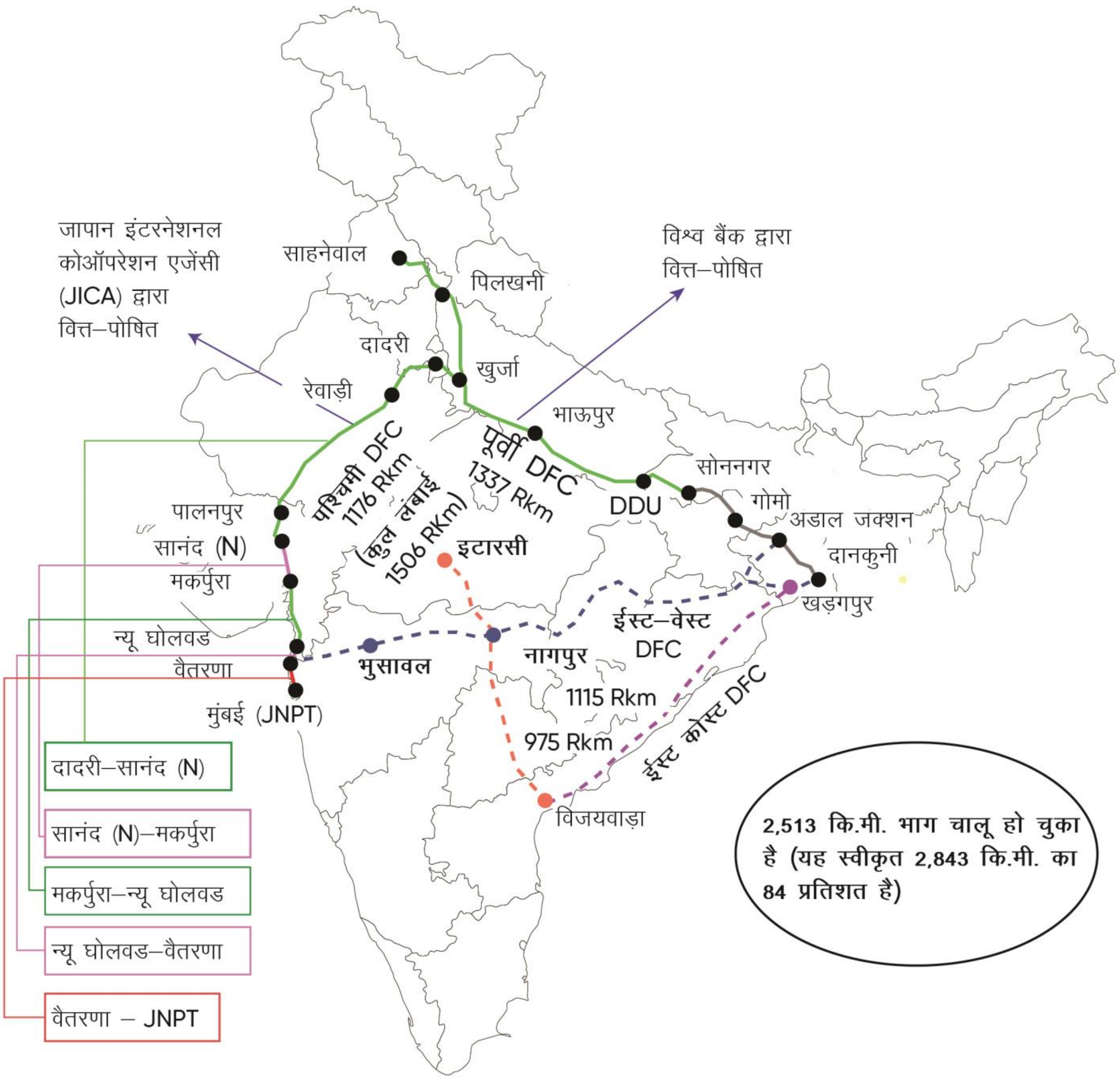

नए प्रस्तावित कॉरिडोर

कॉरिडोर	कहाँ से	कहाँ तक
ईस्ट कोस्ट कोरिडोर	खड़गपुर	विजयवाड़ा
ईस्ट–वेस्ट सब–कॉरिडोर–I	पालघर	दानकुनी
ईस्ट–वेस्ट सब–कॉरिडोर– II	राजखरसावां	अंडाल
नार्थ–साउथ सब–कॉरिडोर	विजयवाड़ा	इटारसी

9.5. रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना {Regional Rapid Transit System (RRTS) Project}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS)** की शुरुआत हुई। इसके तहत उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक **'नमो भारत रैपिडएक्स ट्रेन**[149] का परिचालन आरंभ हुआ।

RRTS परियोजना के बारे में

- यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने वाली **एक नई, समर्पित, हाई स्पीड, उच्च क्षमता वाली और आरामदायक रेल यात्री परिवहन सेवा** है।
- इसमें रेलगाड़ियों की गति **160 कि.मी./ घंटा** होगी। हालांकि, RRTS को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये **180 कि.मी./ घंटा** तक की गति से यात्रा तय कर सकती हैं।
- **यह परिवहन साधन मेट्रो और भारतीय रेलवे से निम्नलिखित प्रकार से अलग है:**
  - **मेट्रो की तुलना** में RRTS के तहत कम स्टेशन होते हैं, ट्रेन की **गति अधिक** होती है तथा यह **अपेक्षाकृत लंबी दूरी की यात्रा** करने वाले यात्रियों को सेवा प्रदान करता है।
  - **पारंपरिक रेलवे परिवहन की तुलना में RRTS** एक डेडिकेटेड मार्ग पर **उच्च गति के साथ विश्वसनीय, कम समय अंतराल पर, पॉइंट-टू-पॉइंट क्षेत्रीय परिवहन सेवा की सुविधा** प्रदान करेगा।
- NCR में RRTS के विकास का जिम्मा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC)[150] को सौंपा गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (National Capital Region Transport Corporation: NCRTC)

- **NCRTC के बारे में:** इसे **केंद्र सरकार तथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त उद्यम कंपनी** के रूप में 2013 में स्थापित किया गया था।
  - यह **आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के प्रशासनिक नियंत्रण** के अधीन है।
- **उद्देश्य:** NCR में **रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना** को लागू करना।
- **सरचना:**
  - शहरी कार्य विभाग का सचिव इसके निदेशक मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है।
  - प्रबंध निदेशक, MOHUA द्वारा मनोनीत होता है।
  - प्रत्येक भागीदार राज्य की ओर से 1-1 मनोनीत निदेशक
  - भारत सरकार से 4 मनोनीत निदेशक
- **कार्य और जिम्मेदारियां:**
  - RRTS का डिज़ाइन, विकास, कार्यान्वयन, वित्त पोषण, संचालन और रखरखाव ।
  - बेहतर कनेक्टिविटी और उपलब्धता के जरिए संतुलित एवं संधारणीय शहरी विकास सुनिश्चित करना।

9.5.1. कोच्चि वाटर मेट्रो (Kochi Water Metro)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **कोच्चि वाटर मेट्रो (KWM)** का औपचारिक उद्घाटन किया। यह **भारत की पहली जल-आधारित मेट्रो सेवा** है।

कोच्चि वाटर मेट्रो (KWM) के बारे में

- कोच्चि वाटर मेट्रो **परिवहन का एक अभिनव और संधारणीय तरीका** है। इसके अंतर्गत जलमार्गों के जटिल नेटवर्क के माध्यम से शहर के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ा गया है।
- बोट्स में **लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड (LTO) बैटरी** का इस्तेमाल किया गया है। इन बैटरियों को विशेष रूप से निर्मित चार्जिंग सिस्टम की मदद से केवल 15 मिनट में चार्ज किया जा सकता है।

[149] Namo Bharat RapidX train

[150] National Capital Region Transport Corporation

- LTO बैटरी न केवल **दुनिया में सबसे सुरक्षित व्यावसायिक रूप से सुलभ बैटरी हैं**, बल्कि ये दुनिया में सबसे लंबे समय (7-10 वर्ष) तक काम करने वाली बैटरी भी हैं।
- पिछले साल **कोच्चि वाटर मेट्रो ने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक यात्री इलेक्ट्रिक बोट** के लिए **फ्रांस का प्रतिष्ठित गसीज़ अवार्ड** जीता था।

भारत में ऐसी अन्य अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) सेवाएं

- जलमार्गों पर वाहनों और यात्रियों की आवाजाही के लिए **रो-रो (रोल-ऑन, रोल-ऑफ) फेरी सेवा** शुरू की गई है। यह सेवा अलग-अलग स्थानों जैसे कि मुंबई, गोवा, केरल और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर उपलब्ध हैं।
- मुंबई और मांडवा (महाराष्ट्र) के बीच ईस्टर्न वाटरफ्रंट डेवलपमेंट के तहत **रो-पैक्स (रोल ऑन-रोल ऑफ कम पैसेंजर) फेरी सेवा** विकसित की गई।
- **रिवर क्रूज सेवा:** भारत में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज **'गंगा विलास'** को हाल ही में शुरू किया गया है। यह भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों के जरिये 3,200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा।

9.6. नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (National Common Mobility Card: NCMC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने NCMC आधारित रुपे प्रीपेड कार्ड[151] शुरू किया है।

NCMC से संबंधित अन्य तथ्य

- NCMC को **2019 में शुरू** किया गया था। इसे **वन नेशन, वन कार्ड** के रूप में भी जाना जाता है, जो देश के लोगों के आवागमन को आसान बनाता है।
  - इसके तहत उपभोक्ता **मेट्रो सेवा, बस सेवा, उपनगरीय रेलवे, टोल, पार्किंग, स्मार्ट सिटी और खुदरा सहित सभी क्षेत्रकों में भुगतान के लिए एक ही कार्ड का उपयोग** कर सकते हैं।
- ये **चिप आधारित कार्ड बैंक द्वारा जारी** किए जाते हैं। इन्हें डेबिट/ क्रेडिट/ प्रीपेड कार्ड प्लेटफॉर्म पर ही जारी किया जाता है।
- अन्य चिप आधारित कार्डों के विपरीत, NCMCs **दोहरे इंटरफ़ेस आधारित कार्ड** होते हैं। ये **संपर्क आधारित तथा संपर्क रहित दोनों तरह के लेन-देन की सुविधा** प्रदान करते हैं।
- इसे **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय** द्वारा **नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC)** और **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** के सहयोग से विकसित किया गया है।

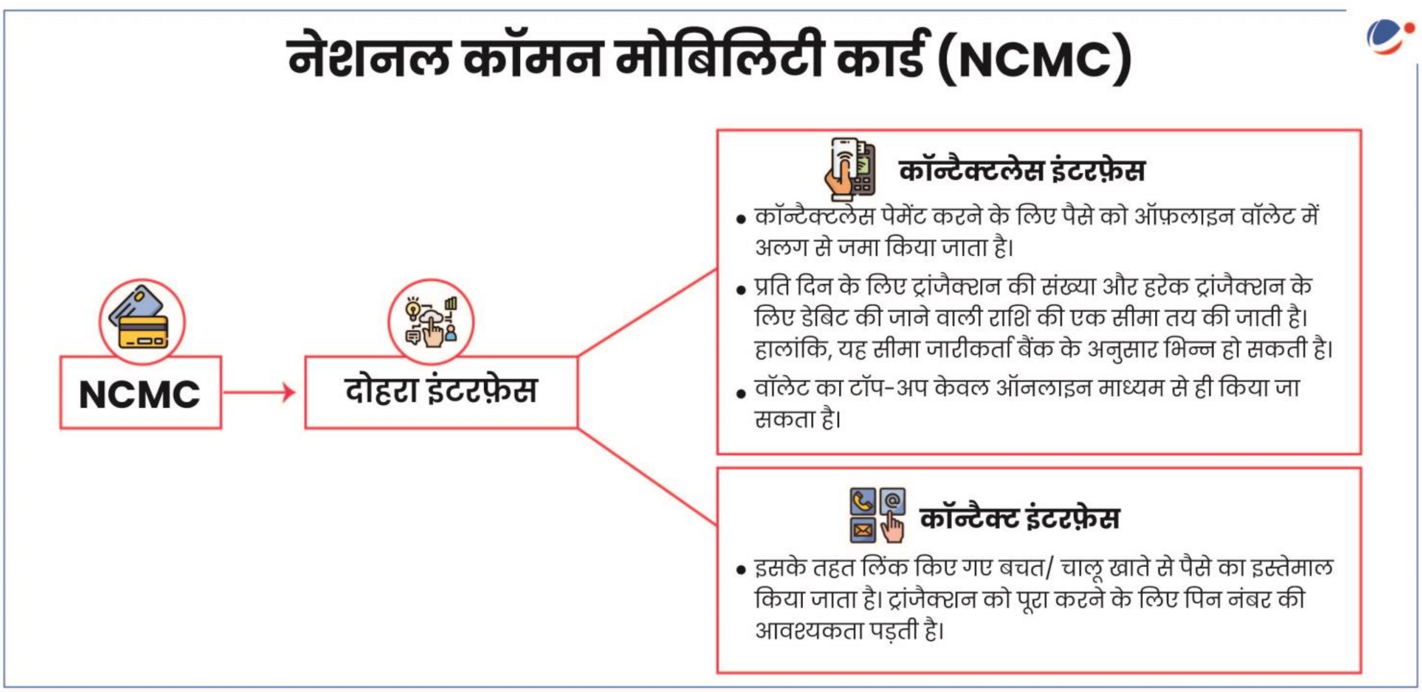

151 NCMC Rupay prepaid card

यह कैसे कार्य करता है?

- यह कार्ड परिवहन के लिए **स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान इको-सिस्टम** का उपयोग करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-
  - **NCMC कार्ड** (रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसी भुगतान प्रणालियों द्वारा जारी),
  - **स्वीकार (SWEEKAR)** (स्वचालित किराया: स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली) को **C-DAC द्वारा** विकसित किया गया है।
  - **स्वागत (SWAGAT)** (स्वचालित दरवाजे) को **BEL** द्वारा विकसित किया गया है।
- NCMC चिप कार्ड में एक इनबिल्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना होता है। इसमें भुगतान करने के लिए **स्वीकार (SWEEKAR)** और **स्वागत (SWAGAT)** के सहयोग से एक सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करने हेतु **नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक का उपयोग** किया जाता है।
  - **NFC कम दूरी की एक वायरलेस कनेक्टिविटी तकनीक है।** इसमें उपकरणों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण (Magnetic field induction) का उपयोग किया जाता है। इसमें दो डिवाइसेज के बीच संचार स्थापित करने के लिए संपर्क में लाया जाता है या कुछ सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है।

9.7. मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 (Maritime Amrit Kaal Vision 2047)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (2023)** के **तीसरे संस्करण** का आयोजन **मुंबई** में किया गया। इस समिट में **मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047** दस्तावेज जारी किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसे 2047 तक भारत को ग्लोबल मैरीटाइम में अग्रणी बनाने के लिए **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** ने तैयार किया था।
- **पहला मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2016 में मुंबई में आयोजित** किया गया था, जबकि **दूसरा वर्ष 2021 में** आयोजित किया गया था।

मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 के बारे में

इसमें भारत के समुद्री क्षेत्रक को पूरी तरह से बदलने के लिए **11 व्यापक थीम (या विषयों)** से जुड़ी **रणनीतिक पहलों** की रूपरेखा तैयार की गई है। इनमें शामिल हैं:

- **संधारणीय और हरित समुद्री क्षेत्रक:** इसका उद्देश्य सभी **14 प्रमुख पत्तनों (Major ports)** को **कार्बन न्यूट्रल** बनाना है। साथ ही, इसका लक्ष्य **हरित ईंधन को अपनाने** और भारत को **हाइड्रोजन के उत्पादन और वितरण का केंद्र** बनाना भी है।
  - एक **अंतर्देशीय पोत ग्रीन ट्रांजिशन कार्यक्रम**[152] शुरू किया जाएगा।
  - 3 पत्तनों पर **ग्रीन हाइड्रोजन बंकर** स्थापित किए जाएंगे। इसमें शामिल हैं- पारादीप पत्तन (ओडिशा), दीनदयाल पत्तन (गुजरात) और वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन (तमिलनाडु)।
- **पत्तनों का आधुनिकीकरण:** परिचालन संबंधी दक्षता, डिजिटलीकरण में तेजी लाने आदि के जरिए प्रमुख पत्तनों को **स्मार्ट, स्वचालित और भविष्य की आवश्यकता के अनुकूल** बनाया जाएगा। इसके अलावा, भारतीय पतनों को **विश्व के शीर्ष 25 पतनों** में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसमें **जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण के लिए वैश्विक भागीदारी में शामिल होने की बात कही गई है।** इससे भारत को शीर्ष 5 वैश्विक जहाज निर्माण केंद्रों में जगह बनाने में मदद मिलेगी।
- **भारत के पत्तनों की परिवहन क्षमता में सुधार करना:** प्रमुख पत्तनों पर **100% PPP**[153] मॉडल को लागू किया जाएगा। इसके जरिए प्रमुख पत्तनों की **परिवहन क्षमता में चार गुना वृद्धि** करके 10,000 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **महासागर, तटीय और नदी क्रूज क्षेत्रक:** भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में **क्रूज पर्यटन क्षेत्रक** में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 25 क्रूज टर्मिनल विकसित करने की योजना है।

---

[152] Inland Vessel Green Transition Program

[153] Public Private Partnership/ सार्वजनिक-निजी भागीदारी

* **लॉजिस्टिक्स क्षमता में वृद्धि:** प्रमुख पत्तनों पर ठहरने वाले जलयानों की संख्या और अंतर्देशीय जलमार्गों की हिस्सेदारी को **6% से बढ़ाकर 12%** तक किया जाएगा।
    * इसके तहत सरकार का लक्ष्य **जलमार्गों के परिचालन में दोगुने से अधिक की वृद्धि** करना है।
* **अन्य विषय:**
    * समुद्री कानून, वित्त क्षेत्रक आदि में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर **पेशेवर समुद्री सेवा प्रदान करना।**
    * **विश्व स्तरीय शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की उपलब्धता** सुनिश्चित की जाएगी।
    * **समुद्री क्लस्टर का विकास करना:** संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
    * वैश्विक मैरीटाइम में उपस्थिति के लिए भारत में समर्पित IMO सेल का गठन किया गया है।
    * **दक्षता में सुधार:** प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचार से जुड़े एक इकोसिस्टम का निर्माण करके दक्षता में सुधार किया जाएगा।

9.7.1. हरित पत्तन दिशा-निर्देश 2023 (Green Port Guidelines 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने **"हरित सागर"** नाम से हरित पत्तन दिशा-निर्देश 2023 जारी किए हैं।

दिशा-निर्देशों के मुख्य उद्देश्य

* हरित सागर दिशा-निर्देश- 2023 में **पत्तन विकास, संचालन और रख-रखाव में इकोसिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ाने की परिकल्पना** की गई है। साथ ही, **'प्रकृति के साथ कार्य करने' की अवधारणा को अपनाने और पत्तन इकोसिस्टम के जैविक घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने** की बात भी कही गई है।
* इसमें **पत्तन के संचालन में स्वच्छ/ हरित ऊर्जा के उपयोग** पर बल दिया गया है। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल/ इथेनॉल जैसे हरित ईंधनों के भंडारण, कुशल प्रबंधन और बंकरिंग के लिए **पत्तन की क्षमता को विकसित करने पर भी जोर** दिया गया है।

दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

* पत्तनों को अपने संचालन के लिए विद्युत की जरूरतों का **2030 तक 60 प्रतिशत तथा 2047 तक 90 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा** करना होगा।
* **2030** तक पत्तनों के पास कम-से-कम **एक LNG बंकरिंग स्टेशन** अवश्य होना चाहिए।
* **2025** तक पत्तन के भीतर और उसके आसपास के क्षेत्रों में **इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशंस** की स्थापना करनी होगी।
* इसमें **ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (GRI) मानकों को अपनाने** का प्रावधान किया गया है।
* **राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के पत्तनों से संबंधित पहलुओं** का भी उल्लेख किया गया है।

हरित पत्तन से संबंधित पहलें

प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट्स की शुरुआत की गई है। इसके दो घटक हैं: हरित पत्तन पहल और स्वच्छ भारत अभियान।	नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग (NCoEGPS) की स्थापना की गई है।	भारत में IMO ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट के तहत एक पायलट परियोजना चलाई जा रही है।	हरित पत्तन नीति का ड्राफ्ट जारी किया गया है।

9.8. भारत में रेलवे सुरक्षा (Railway Safety in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ओडिशा के बालासोर जिले में हुई रेल दुर्घटना ने भारत में रेलवे सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को फिर से **चर्चा का विषय** बना दिया है।

© Vision IAS

भारतीय रेलवे

- भारतीय रेलवे यू.एस.ए., चीन और रूस के बाद **विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क** है। इसका पूरा ट्रैक 67,000 कि.मी. से अधिक की रूट लंबाई को कवर करता है।

भारत में रेलवे सेफ्टी इकोसिस्टम	
परिचालन स्तर पर: • अग्निशामक • ट्रैक प्रबंधन प्रणाली • कवच (KAWACH) • ट्रैक सुरक्षा के लिए HOTS-3X • ट्रैक रिकॉर्डिंग कार • ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम (BMS), • इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और अल्ट्रासोनिक से त्रुटि का पता लगाना	**प्रशासनिक स्तर पर:** • रेलवे सुरक्षा आयोग (CRS) • रेलवे मूल्यह्रास आरक्षित निधि (Railways' Depreciation Reserve Fund: DRF) • राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष • रेलवे सुरक्षा बल (RPF)

भारत में रेलवे सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

- ऐसे में **नकारात्मक परिचालन अनुपात** के कारण रेलवे में अपग्रेडेशन और सुरक्षा पर कम खर्च हो पाता है।
    - 2021-22 में भारतीय रेलवे का परिचालन अनुपात **107.4 प्रतिशत** था। साधारण भाषा में, इसका मतलब यह है कि 2021-22 में रेलवे ने यात्री परिवहन एवं माल की ढुलाई से **100 रुपये कमाने के लिए 107 रुपये खर्च किए।**
- **पटरी से उतरना:** भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार, चार साल की अवधि (2018-2021) में **रेलवे से संबंधित 69 प्रतिशत दुर्घटनाएं** ट्रेनों के पटरी से उतरने के कारण हुई थीं।
- **पटरियों पर क्षमता से अधिक रेल:** देश भर में **लगभग 10,000 कि.मी. रेलवे पटरियों का उनकी क्षमता से अधिक उपयोग (125 प्रतिशत)** होता है।

रेलवे सुरक्षा आयोग (Commission of Railway Safety: CRS)

- **उत्पति:** इसका नाम पहले रेलवे निरीक्षणालय (Railway Inspectorate) था। इसे **1961 में रेलवे सुरक्षा आयोग** के रूप में पुनः नामित किया गया था।
- **मुख्यालय:** लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- **मंत्रालय:** नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)
    - इसे नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रखने का कारण CRS को रेलवे प्रतिष्ठान (अर्थात् भारतीय रेलवे के संस्थानों) के प्रभाव से अलग रखना और हितों के टकराव को रोकना है।
- **सौंपे गए कार्य:**
    - यह **रेल** यात्रा और परिचालन **सुरक्षा से संबंधित मामलों** के निवारण में मदद करता है।
    - **रेलवे अधिनियम, 1989** के तहत **सांविधिक कार्य** निरीक्षणात्मक, जांच संबंधी और सलाहकारी कार्य।
    - यह गंभीर रेल दुर्घटनाओं की **जांच** करता है।

रेलवे सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष (RRSK):** इसे **2017-18 में रेलवे के लिए एक समर्पित कोष** के रूप में स्थापित किया गया था। इस कोष का उद्देश्य **रेलवे के महत्वपूर्ण सुरक्षा और संबंधित कार्यों के बैकलॉग** को पूरा करना है।
- **लिंके हॉफमैन बुश (LHB) डिब्बों के उपयोग को बढ़ाना: LHB** डिब्बे पुराने ICF (इंटीग्रल कोच फैक्ट्री) डिब्बों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित माने जाते हैं।
    - LHB डिब्बों की विशेषताओं में उच्च वहन क्षमता, कम ढुलाई लागत, उच्च गति, कम संक्षारण, रख-रखाव की कम लागत, बेहतर यात्री सुविधा, बेहतर सुरक्षा आदि शामिल हैं।
- **ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम (BMS):** यह वेब आधारित एक आई.टी. एप्लिकेशन है। इसे पुल से संबंधित जानकारी की 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है।

- **इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग:** इंटरलॉकिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **गलत सिग्नल न भेजे जाएं।**
- **कवच प्रणाली की शुरुआत:** यह एक सुरक्षा उपकरण है जो ट्रेनों के एक-दूसरे से टकराने से रोकने का काम करता है (बॉक्स देखें)।

कवच के बारे में

- 'कवच' भारतीय रेलवे की एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जिसे 2012 में विकसित किया गया था। पहले इसका नाम **ट्रेन कॉलीजन एवॉयडेंस सिस्टम (TCAS)** था। बाद में इसका नाम बदलकर **कवच (Armour)** रख दिया गया।
- यह भारतीय उद्योग के सहयोग से **अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन** (RDSO)[154] द्वारा विकसित **एक स्वदेशी तकनीक** है।
- यह **सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल-4 (SIL-4)** मानकों वाला एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है।
- **कवच की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर:**
  - यह ट्रेनों को **लाल सिग्नल** (खतरे का संकेत) पार करने से रोकने में मदद करता है।
  - यदि लोको पायलट ट्रेन को निर्धारित गति सीमा में नियंत्रित रखने विफल रहता है तो कवच **स्वचालित ब्रेक को सक्रिय करके रेलगाड़ी की गति को नियंत्रित कर देता है।**
  - यह कार्यशील अवस्था वाले कवच सिस्टम से लैस **दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकता** है।
  - यह आपात स्थिति में **SOS यानी आपात संदेश भेजता** है।
  - इसने **नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम** के जरिए ट्रेनों की आवाजाही की **लाइव निगरानी** को केंद्रीकृत बनाया है।
  - कवच में **त्रुटि की संभावना नहीं के बराबर (10,000 साल में 1 गलती की संभावना)** है।

9.9. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat New Car Assessment Program: Bharat NCAP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)[155] ने वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में सेफ्टी टेस्ट के लिए एक स्वदेशी स्टार-रेटिंग प्रणाली शुरू की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस प्रणाली के तहत भारतीय कार विनिर्माता **फाइव स्टार रेटिंग (एक से पांच स्टार) स्केल पर** अपने वाहनों का क्रैश सेफ्टी **टेस्ट और सुरक्षा का आकलन** करवा सकते हैं। यह रेटिंग **ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS)-197** के अनुरूप है।
  - AIS-197 में **समग्र मूल्यांकन पद्धति, वाहन चयन की प्रक्रिया, अलग-अलग टेस्ट और उनके आकलन** से संबंधित प्रोटोकॉल शामिल हैं।
- यह प्रणाली **ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Global NCAP)** पर आधारित है। यह ग्लोबल प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र के मोटर वाहन सुरक्षा मानकों को दुनिया भर में सार्वभौमिक रूप से अपनाने को बढ़ावा देता है।
  - ग्लोबल-NCAP **'टुवड्‌र्स जीरो फाउंडेशन'** की एक प्रमुख परियोजना है। यह फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत एक चैरिटी संस्था है।

वैश्विक मानकों के साथ तुलना

मापदंड	भारत NCAP	वैश्विक NCAP	यूरो NCAP
फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट	✓	✓	✓
साइड इम्पैक्ट टेस्ट	✓	✓	✓
पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट	✓	✓	✓
व्हिपलैश टेस्ट	✗	✓	✓
AOP	✓	✓	✓
COP	✓	✓	✓
सुरक्षा सहायता प्रौद्योगिकी	✓	✓	✓
पैदल–यात्री सुरक्षा	✗	✓	✗
असुरक्षित सड़क पर उपयोगकर्ता की सुरक्षा	✗	✗	✓

[154] Research Design and Standards Organisation

[155] Ministry of Road Transport and Highways

© Vision IAS

भारत NCAP के मुख्य बिंदु

- **किस पर लागू होगा:** यह प्रणाली ऐसे यात्री वाहनों पर लागू होगी, जिनमें **ड्राइवर सीट के अलावा आठ (8+1) से अधिक सीटें नहीं हों** और वाहन का कुल वजन 3,500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो। साथ ही, ये वाहन भारत में विनिर्मित या भारत में बिकने वाले होने चाहिए।
    - इस कार्यक्रम के तहत **दहन इंजन वाहनों के साथ-साथ सी.एन.जी. और इलेक्ट्रिक वाहनों** का परीक्षण भी किया जा सकता है।
- **टेस्ट प्रोटोकॉल:** इसके अंतर्गत **एडल्ट ऑक्युपेंट सेफ्टी (AOP), चाइल्ड ऑक्युपेंट सेफ्टी (COP)** और कार में लगाई गई **सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी** का आकलन किया जाएगा।
    - **इसके लिए तीन टेस्ट किए जाएंगे:** फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट, साइड इम्पैक्ट टेस्ट और साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट।
    - आकलन के आधार पर, AOP और COP के लिए **दो अलग-अलग स्टार रेटिंग** प्रदान की जाएगी।
    - **पोल इम्पैक्ट टेस्ट** केवल 3 स्टार और उससे अधिक रेटिंग प्राप्त करने वाली कारों का किया जाएगा।
- **टेस्ट का प्रारूप:** वैसे तो यह टेस्ट **स्वैच्छिक** प्रकृति का है, लेकिन कार विनिर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे AIS-197 मानदंडों के अनुरूप अपने वाहन मॉडल का सेफ्टी टेस्ट करवाएं।
    - भारत NCAP की टीम रैंडम सैंपलिंग के जरिए **वाहन मॉडल के बेस वैरिएंट का चयन** करेगी।
    - इस योजना के तहत वाहनों के सेफ्टी टेस्ट का कार्य **ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI)** को सौंपा गया है। ARAI पुणे और चाकन में स्थित अपनी प्रयोगशालाओं में वाहनों का टेस्ट करेगी।

संबंधित सुर्ख़ियां

NHAI[156] ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर **दुर्घटना संभावित स्पॉट्स को ठीक करने के लिए दिशा-निर्देश** जारी किए हैं। NHAI ने ये दिशा-निर्देश अल्पकालिक उपायों के रूप में जारी किए हैं।

ब्लैक स्पॉट्स

- **ब्लैक स्पॉट: रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 500 मीटर की वह दूरी है, जहां-**
    - पिछले 3 वर्षों में या तो 5 सड़क दुर्घटनाएं (जिनमें मृत्यु हुई है/ गंभीर चोटें आई हैं) हुई हैं, या
    - पिछले 3 वर्षों में कुल 10 मौतें हुई हैं।

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर

- इसके लिए **NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स** को **दुर्घटना संभावित स्पॉट्स को ठीक करने** का काम सौंपा गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स इस प्रकार के **एक स्पॉट** को ठीक करने/ सुधारने के लिए **अधिकतम 10 लाख रुपये** खर्च कर सकते हैं।
    - ऐसे दुर्घटना संभावित स्पॉट्स/ स्थानों की पहचान और सिफारिश संबंधित राज्य पुलिस प्रमुख या जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा की जाएगी।
- प्रति स्पॉट **10 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक की लागत वाले अल्पकालिक उपायों** का अधिकार संबंधित **क्षेत्रीय कार्यालय** को सौंपा गया है।
- इन **अल्पकालिक उपायों** में अग्रिम चेतावनी देने वाले संकेतों में **ज़ेबरा क्रॉसिंग, क्रैश बैरियर्स और रेलिंग, सोलर लाइट/ ब्लिंकर** जैसी पैदल यात्री **सुविधाओं को उपलब्ध कराना** शामिल हैं।

डकार घोषणा-पत्र (DAKAR Declaration)

- **सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक योजना को लागू करने पर प्रथम अफ्रीकी उप-क्षेत्रीय सम्मेलन** के बाद **21 अफ्रीकी देशों ने डकार घोषणा-पत्र को सैद्धांतिक रूप से अपनाया है।**
- यह एक मार्गदर्शक दस्तावेज है, जो **सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई के दशक 2021-2030** के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।
- इसके तहत **2030 तक सड़क यातायात में होने वाली मौतों और चोटों में कम-से-कम 50 प्रतिशत तक की कमी करने** का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

9.10. भारत में महापत्तन की कार्य-प्रणाली (Functioning of Major Ports in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति** ने **"देश में महापत्तनों की कार्य-प्रणाली[157]" पर 352वीं रिपोर्ट** पेश की है।

[156] National Highways Authority of India/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

[157] Functioning of Major Ports in the Country

भारत में पत्तन (Ports)

- भारत में पत्तन को उनके द्वारा **संभाले जाने वाले यातायात के आधार पर** सामान्य तौर पर **दो श्रेणियों में वर्गीकृत** किया गया है।
    - **महापत्तन या प्रमुख पत्तन (Major Ports):** ये केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। यह संविधान की **7वीं अनुसूची** में संघ सूची का विषय है।
    - **गौण पत्तन (Minor Ports):** ये संबंधित राज्यों के **'राज्य समुद्री बोर्ड' (State Maritime Board)** के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यह समवर्ती सूची का विषय है।
- देश में **सरकारी स्वामित्व में 12 महापत्तन** (6 पूर्वी और 6 पश्चिमी तट पर) हैं।
- महापत्तनों की कार्य-प्रणाली को प्रशासित करने वाले दो प्रमुख कानून हैं:
    - **महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (Major Port Authorities Act, 2021)**; और
    - **भारतीय पत्तन अधिनियम (Indian Ports Act)**

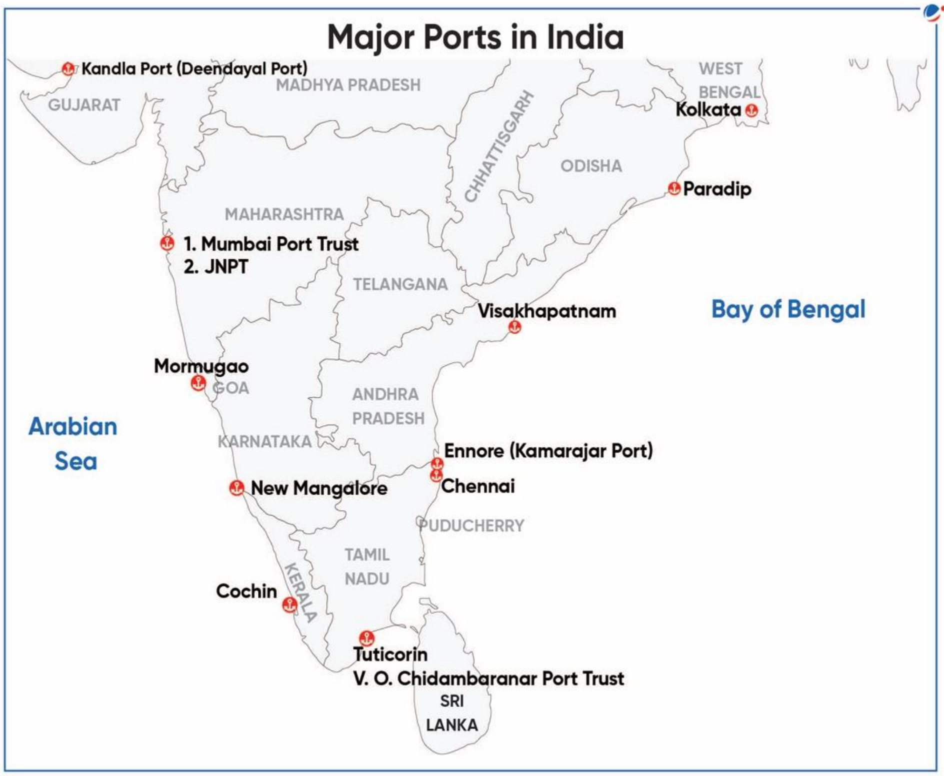

भारत में पत्तनों का प्रदर्शन

- **टर्न अराउंड टाइम (TRT):** भारतीय पत्तनों पर टर्नअराउंड समय **94 घंटे (वित्त वर्ष 2013-14) से घटकर 52 घंटे (वित्त वर्ष 2023-24)** हो गया है।
- **यातायात:** भारतीय पत्तनों पर कंटेनर यातायात में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। यह **555 मिलियन टन (वित्त वर्ष 2013-14) से बढ़कर 796 मिलियन टन (वित्त वर्ष 2023-24)** हो गया है।
- **कार्गो:** पिछले कुछ वर्षों से महापत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।
- **ऑपरेटिंग या संचालन अनुपात (Operating Ratio):** कमाए गए प्रत्येक रुपये के बदले खर्च किए गए रुपये को ऑपरेटिंग अनुपात कहा जाता है। भारत के महापत्तनों का ऑपरेटिंग अनुपात 2020-21 के 53 रुपये से घटकर 48 रुपये हो गया है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 रुपये की कमाई पर 48 रुपये खर्च किए गए।

क्या आप जानते हैं?

> भारत का **सबसे पुराना प्रमुख पत्तन कोलकाता पत्तन** है, जिसे अब **श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन** (एकमात्र प्रमुख नदी पत्तन) कहा जाता है।
>
> **मुंबई पत्तन** भारत का **सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन और बंदरगाह है।**
>
> तमिलनाडु में **कामराजार पत्तन** या एन्नोर पत्तन एक **कंपनी के रूप में पंजीकृत एकमात्र निगमित पत्तन है।**

पत्तन के कार्य-प्रणाली में सुधार के लिए किए गए प्रयास

- **समग्र निगरानी:** परियोजनाओं की नियमित निगरानी और पत्तनों के वित्तीय तथा कार्य-प्रणाली के प्रदर्शन के लिए **सागरमंथन डैशबोर्ड** विकसित किया गया है।
- **रियल-टाइम ट्रैकिंग:** बेहतर यातायात प्रबंधन हेतु जहाजों पर रियल टाइम जानकारी देने के लिए **सागर सेतु ऐप** शुरू किया गया है।

- **व्यापार सुविधा: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (NLP)** (समुद्री: Marine) नामक राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। यह आयातकों, निर्यातकों और सेवा प्रदाताओं के बीच व्यापार को सुगम बनाता है।
- **पत्तन के प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी:** सभी महापत्तनों के मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (जैसे कि टर्नअराउंड टाइम) की निगरानी के लिए **सागर उन्नति** डैशबोर्ड शुरू किया गया है।

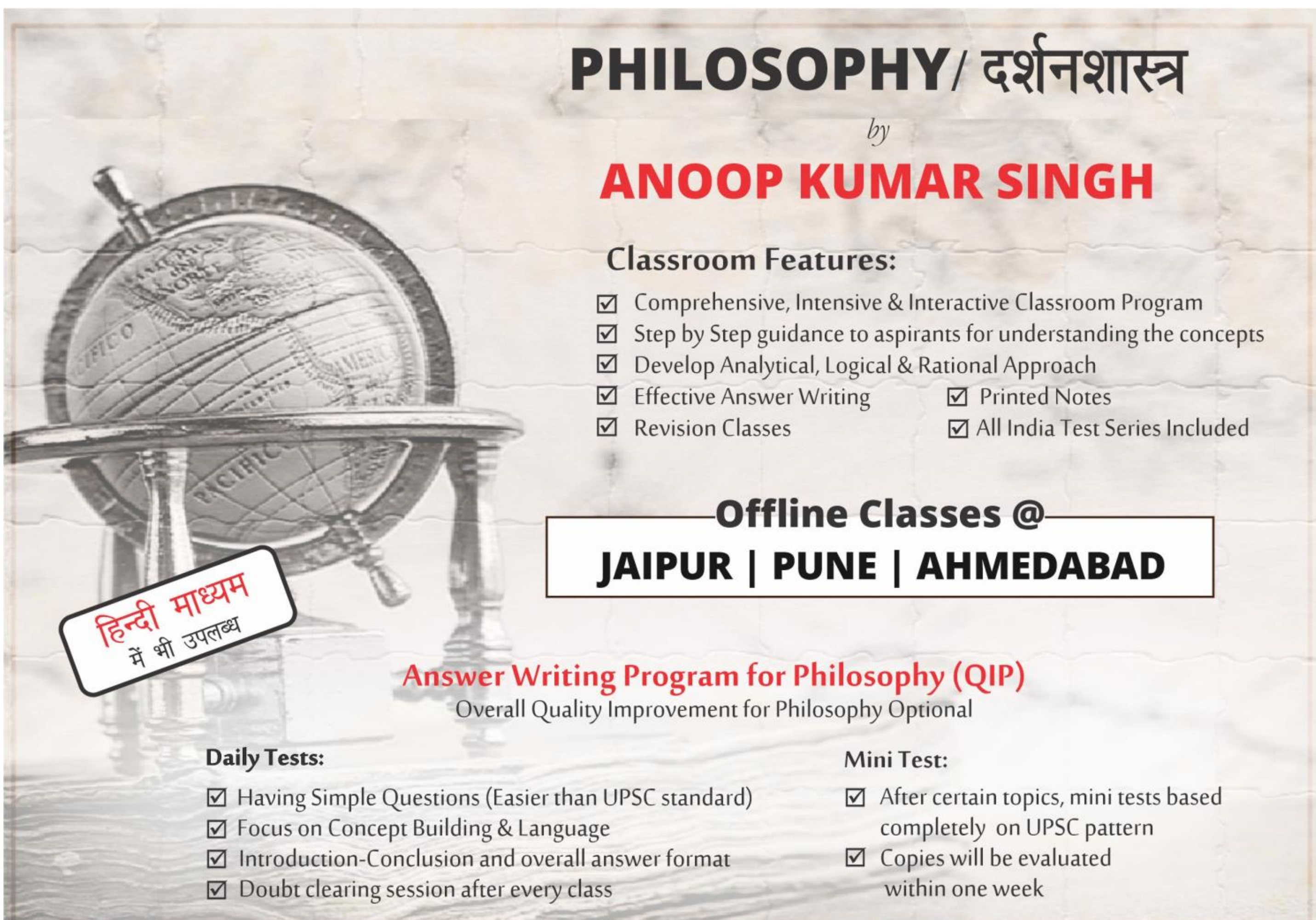

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यार्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यार्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय-वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब-हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट-टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची | सीकर

10. सेवा क्षेत्रक (Services)

10.1. बीमा क्षेत्रक (Insurance Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण **(IRDAI)**[158] **"बीमा ट्रिनिटी"** नामक एक योजना शुरू करने पर काम कर रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **बीमा ट्रिनिटी** में निम्नलिखित तीन घटक शामिल होंगे-

बीमा सुगम	• यह **बीमाकर्ताओं और वितरकों को एकीकृत करने वाला** एक प्लेटफ़ॉर्म होगा। • यह ग्राहकों के लिए **वन-स्टॉप शॉप** के रूप में कार्य करेगा। ग्राहक इसी पोर्टल की सहायता से बीमा-सेवाओं के लिए अनुरोध कर सकते हैं और दावों का निपटान करा सकते हैं।
बीमा विस्तार	• इसके तहत **जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और जनहानि या दुर्घटनाओं के संयुक्त जोखिम को कवर** किया जाएगा। • **प्रत्येक जोखिम के लिए 'लाभ' परिभाषित होंगे।** इनका भुगतान सर्वेक्षणकर्ताओं की आवश्यकता के बिना सामान्य से अधिक तेज गति से किया जा सकता है।
बीमा वाहक	• प्रत्येक ग्राम सभा में **महिला-केंद्रित** कर्मी मौजूद रहेंगी। ये प्रत्येक घर की बड़ी महिला से मिलकर उन्हें समग्र बीमा उत्पाद के लाभों के बारे में जानकारी देंगी।

भारत में बीमा क्षेत्रक की वर्तमान स्थिति

- **कुल प्रीमियम:** प्रीमियम की कुल मात्रा के आधार पर, भारत का बीमा क्षेत्रक **वैश्विक स्तर पर 10वां सबसे बड़ा बाजार** है। इसकी अनुमानित बाजार हिस्सेदारी 1.9% है।
- **बीमा घनत्व:** भारत में, यह 2001 के 11.1 डॉलर से बढ़कर 2021 में 91 डॉलर तक पहुंच गया। इसमें जीवन बीमा का हिस्सा 69 डॉलर, गैर-जीवन बीमा का हिस्सा 22 डॉलर है।
    - किसी दिए गए वर्ष में **कुल बीमा प्रीमियम और उस देश की संपूर्ण जनसंख्या के बीच अनुपात बीमा घनत्व** कहलाता है।
- **बीमा पैठ (Insurance penetration):** भारत में बीमा पैठ लगातार बढ़ रहा है। यह 2000 के 2.7% से बढ़कर 2021 में 4.2% तक पहुंच गया।
    - **किसी दिए गए वर्ष में कुल बीमा प्रीमियम का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात बीमा पैठ** कहलाता है।
    - **जीवन बीमा क्षेत्रक** में बीमा पैठ की दर 2021 में 3.2% थी। यह दर उभरते बाजारों की तुलना में दोगुनी, जबकि वैश्विक औसत से थोड़ी अधिक है।

संबंधित सुर्ख़ियां

राष्ट्रीय बीमा अकादमी (NIA) ने भारतीय बीमा क्षेत्रक की पड़ताल करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- भारत में **स्वास्थ्य सुरक्षा अंतराल (Health Protection Gap: HPG)** 73% के स्तर पर बना हुआ है। इसके कारण 40 करोड़ से अधिक लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा का अभाव है। यह देश की **कुल आबादी का 31%** से अधिक है।
    - उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल की लागत के स्तर तथा उन लागतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध धनराशि के बीच के अंतर को HPG कहा जाता है।
- **सुरक्षा अंतर:** रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 26-35 वर्ष आयु वर्ग में **जीवन बीमा सुरक्षा अंतराल 87% तथा मृत्यु बीमा सुरक्षा अंतराल (MPG)**[159] **90% से अधिक** है।

[158] Insurance Regulatory and Development Authority of India

[159] Mortality Protection Gap

© Vision IAS

- ○ किसी वेतनभोगी व्यक्ति की अचानक मृत्यु होने पर उसके परिवार के लिए आवश्यक बीमा कवर तथा उनके पास उपलब्ध संसाधनों के बीच के अंतर को MPG कहा जाता है।
- **प्राकृतिक आपदा बीमा:** देश की लगभग 95% आबादी के पास प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सुरक्षा बीमा उपलब्ध नहीं है।
- **फसल बीमा:** भारत में फसल बीमा के तहत आने वाले क्षेत्र तथा बीमा राशि में कमी आई है। साथ ही, बीमित किसानों की संख्या में भी गिरावट आई है।

10.1.1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India: IRDAI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

IRDAI ने **'जमानती बॉण्ड्स'** के मानदंडों में ढील प्रदान की है। इस कदम का उद्देश्य उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाकर **जमानती बीमा बाजार का विस्तार** करना है।

जमानती बॉण्ड्स (Surety Bonds) के बारे में

- यह एक **त्रिपक्षीय अनुबंध** है। इसमें एक पक्ष (जमानतकर्ता/ श्योरिटी) दूसरे पक्ष (प्रिंसिपल) के प्रदर्शन या दायित्वों की तीसरे पक्ष (ऑब्लिजी) को गारंटी देता है।
- यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमानती व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। साथ ही, **कान्ट्रैक्टर के साथ-साथ मूलधन** को भी सुरक्षा प्रदान करता है।
- **इंश्योरेंस स्योरिटी बॉण्ड्स (ISB) को बैंक गारंटी के बदले** में लाया गया है। इसे अप्रैल 2022 में **बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अनुमति** प्रदान की थी।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)

- **उत्पत्ति:** इसे संसद ने **IRDAI अधिनियम, 1999** के तहत एक **वैधानिक निकाय** के रूप में गठित किया है।
- **मुख्यालय:** हैदराबाद, तेलंगाना
- **मंत्रालय:** वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के तहत कार्यरत।
- **सौंपे गए कार्य:**
  - बीमा कंपनियों, पुनर्बीमा कंपनियों और बीमा मध्यवर्तियों को लाइसेंस प्रदान करना या उनके लाइसेंस का नवीनीकरण करना।
  - पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना।
  - बीमा कंपनियों, पुनर्बीमा कंपनियों व बीमा व्यवसाय से जुड़े पेशेवर संगठनों द्वारा धन के निवेश को विनियमित करना।
  - बीमा व्यवसाय से जुड़ी संस्थाओं का निरीक्षण, पूछताछ और जाँच करना।
- **IRDAI द्वारा विनियमित संस्थाएं:**
  - **जीवन बीमा कंपनियां -** सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रक की कंपनियां
  - **सामान्य बीमा कंपनियां -** सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रक की कंपनियां
  - **पुनर्बीमा कंपनियां** (ऐसी कंपनी जो दूसरी बीमा कंपनियों का बीमा करती है)
  - **एजेंसी चैनल**
  - **मध्यवर्ती संस्थाएं**, जैसे- कॉर्पोरेट एजेंट, ब्रोकर्स आदि।

10.2. चिकित्सा और आरोग्य/ कल्याण पर्यटन (Medical and Wellness Tourism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मंत्रालय ने **वीजा की एक नई श्रेणी, आयुष वीजा (AYUSH Visa)** बनाने की घोषणा की है। यह आयुष चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- **वीजा मैनुअल, 2019 के मेडिकल वीजा** के तहत एक नया अध्याय, **आयुष वीजा** शामिल किया गया है। यह भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत उपचार से संबंधित है।
- इससे भारत में **मेडिकल वैल्यू ट्रैवल** को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, **यह पारंपरिक भारतीय चिकित्सा को वैश्विक बनाने के हमारे प्रयास को मजबूत करेगा।**
- **आयुष (AYUSH) 'आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी'** (AYUSH)[160] के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। हालांकि, इसमें अन्य पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां, जैसे- सोवा रिग्पा आदि भी शामिल हैं।

डेटा बैंक

- ग्लोबल वेलनेस टूरिज्म के अनुसार, भारत वेलनेस टूरिज्म में **56 मिलियन यात्राओं** के साथ **7वें स्थान** पर है।
- आयुष आधारित हेल्थकेयर और वेलनेस अर्थव्यवस्था के 2025 तक 70 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।

चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के बारे में

- **चिकित्सा पर्यटन** एक ऐसा पद है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश के लिए **अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही का वर्णन करने के लिए** किया जाता है।
- **आरोग्य पर्यटन (Wellness Tourism)** वस्तुतः किसी व्यक्ति के कल्याण को बनाए रखने या उसे बढ़ाने से जुड़ी यात्रा है।
- पर्यटन मंत्रालय ने **चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तथा रोडमैप** तैयार किया है।
  - इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
    - **एक संस्थागत ढांचा प्रदान करना,**
    - **चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के लिए परिवेश** को मजबूत करना, तथा
    - एक ब्रांड विकसित करना तथा गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना।
  - **इस रणनीति के प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - एक ऑनलाइन **मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (MVT)** पोर्टल स्थापित करके **डिजिटलीकरण को सक्षम करना।**
    - **MVT के लिए पहुंच में वृद्धि करना,** आदि।
  - संस्थागत ढांचे के लिए **राष्ट्रीय चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन संवर्धन बोर्ड**[161] का गठन करना।

संबंधित सुर्ख़ियां

प्रथम 'WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन'

- हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** और **आयुष मंत्रालय** ने गुजरात के गांधीनगर में **प्रथम 'WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन'** आयोजित किया। इसकी थीम थी- **"सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण की ओर[162]"।**
- इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य **साक्ष्य-आधारित पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा (TCIM)[163] की क्षमता का दोहन करना** है।
- WHO ने इस शिखर सम्मेलन में **"गुजरात घोषणा-पत्र"** के रूप में **आउटकम दस्तावेज** जारी किया।

10.3. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (Open Network for Digital Commerce: ONDC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ONDCs के लिए **नेटवर्क संचालन और अनुपालन प्रणाली (NOCS)[164] प्लेटफॉर्म** लॉन्च किया गया।

[160] Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy

[161] National Medical and Wellness Tourism Promotion Board

[162] Towards health and well-being for all

[163] Traditional, complementary and integrative medicine

[164] Network Operations and Compliance System

अन्य संबंधित तथ्य

- NPCI भारत बिल पे लिमिटेड (NBBL) ने **NOCS प्लेटफॉर्म** लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म **ONDC नेटवर्क पर किए गए लेन-देन के लिए समाधान और निपटान सेवाएं** प्रदान करेगा।
    - NOCS को **भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन में विकसित** किया गया है। यह नेटवर्क प्रतिभागियों को **धन के सुचारू, सुरक्षित और समय पर अंतरण** को सक्षम करेगा।
    - यह **बैंकों, फिनटेक और ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ एकीकृत है** तथा यह बहुत जल्द ही संचालित हो जाएगा।

ONDC के बारे में

ONDC क्या है?
- बाजार और समुदाय के नेतृत्व वाली पहल
- एक खुला नेटवर्क
- यह केंद्रीय मध्यवर्ती की आवश्यकता को समाप्त करता है
- व्यापक पैमाने पर डिजिटल कॉमर्स बाजार के विस्तार को सक्षम बनाता है
- व्यापक नवाचार को सक्षम बनाता है

ONDC क्या नहीं है?
- एक सरकारी विनियामक निकाय
- एक एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म
- एक केंद्रीय मध्यवर्ती
- व्यवसाय के डिजिटलीकरण में मदद करने वाला माध्यम

- ONDC को **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के डिजिटल एकाधिकार को नियंत्रित करना है।
    - यह डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर **वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा** देता है।
    - **ONDC पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एकीकृत** करने का कार्य **भारतीय गुणवत्ता परिषद** को सौंपा गया है।
    - ONDC पर व्यापार संबंधी लेन-देन करने के लिए **खरीदार और विक्रेता द्वारा एक ही प्लेटफॉर्म/ एप्लीकेशन के उपयोग की आवश्यकता नहीं है।**

11. ऊर्जा क्षेत्रक (Energy)

11.1. राष्ट्रीय विद्युत योजना (National Electricity Plan: NEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA)**[165] ने **2022-32 की अवधि** के लिए **राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP)** को अधिसूचित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **विद्युत अधिनियम, 2003** के अंतर्गत CEA को राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार एक **NEP तैयार** करनी होगी। साथ ही, इस तरह की योजना को **पांच वर्ष में एक बार अधिसूचित** करना होगा।
- NEP में **पिछले पांच वर्षों (2017-22) की समीक्षा, अगले पांच वर्षों (2022-27) के लिए एक विस्तृत योजना और उससे अगले पांच वर्षों (2027-32) हेतु एक संभावित योजना** शामिल है। **पहली NEP वर्ष 2007 में** अधिसूचित की गई थी।

NEP की मुख्य विशेषताएं

- **ऊर्जा की बढ़ती मांग:** भारत में पिछले दशक के दौरान बिजली की मांग लगभग 4.1% की CAGR[166] से बढ़ी है।
- **स्थापित क्षमता:** वर्ष 2026-27 के लिए विद्युत की **संभावित स्थापित क्षमता 610 गीगावाट** होगी। इसमें **57.4% का योगदान गैर-जीवाश्म आधारित स्रोतों** का होगा। मार्च 2022 में कुल विद्युत स्थापित क्षमता में **गैर-जीवाश्म आधारित स्रोतों का योगदान** लगभग 40% था।
- **कार्बन उत्सर्जन:** कोयला आधारित संयंत्रों से औसत CO_2 उत्सर्जन दर में गिरावट देखी जा रही है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्रोतों का योगदान:** 2026-27 तक कुल एनर्जी मिक्स (या ऊर्जा मिश्रण) में RE स्रोतों की कुल स्थापित क्षमता लगभग 35% तक होने का अनुमान है।
- **ऊर्जा दक्षता और संरक्षण:** भारत ने 2005-2016 की अवधि में **सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 24% की कमी** की है। इसके अलावा, भारत अब **2005 के स्तर के मुकाबले 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाने** हेतु प्रतिबद्ध है।
    - उत्सर्जन तीव्रता वस्तुतः आर्थिक गतिविधियों के दौरान ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन की माप होती है। आमतौर पर, देश की GDP की तुलना में उत्सर्जन के स्तर को मापा जाता है।

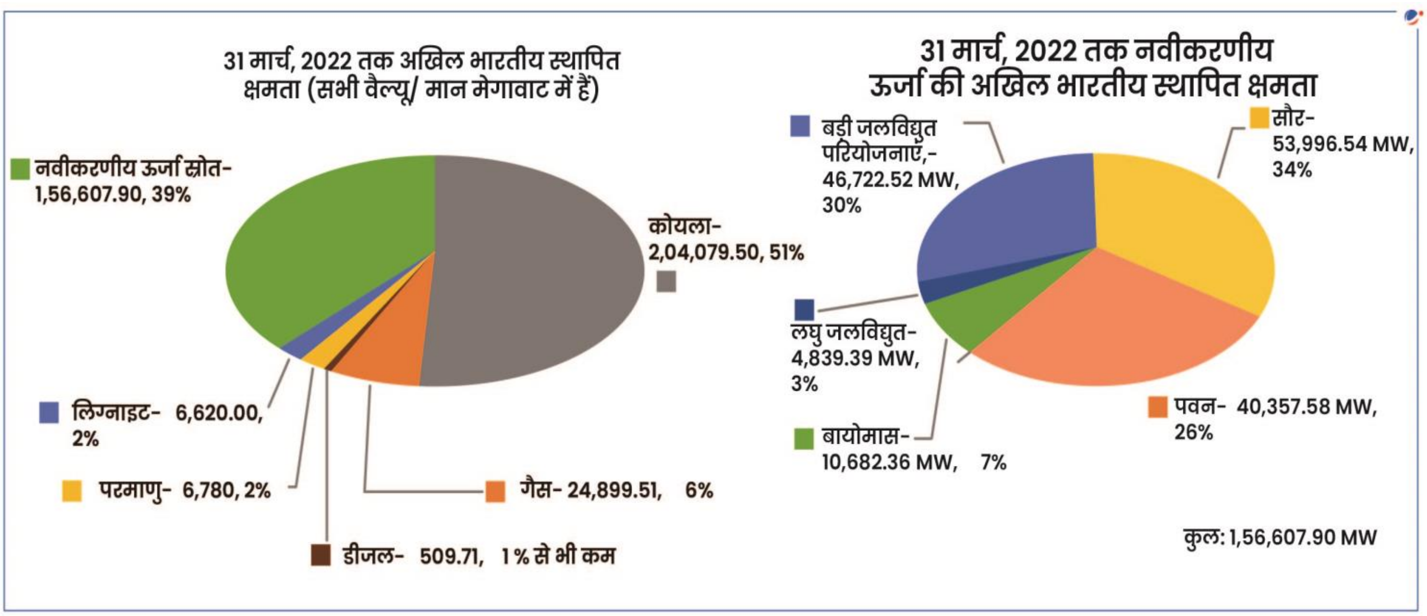

---

165 Central Electricity Authority

166 Compound annual growth rate/ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

© Vision IAS

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority: CEA)

- **CEA के बारे में:** यह **विद्युत अधिनियम, 2003** के तहत गठित की गई एक **सांविधिक संस्था** है। यह **विद्युत मंत्रालय** के तहत कार्य करता है।
- **उत्पत्ति:** मूल रूप से इसे रद्द किए जा चुके **विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948** की धारा 3 (1) के तहत गठित किया गया था।
  - इसे 1951 में एक अंशकालिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि **1975 में इसे पूर्णकालिक निकाय** के रूप में अपग्रेड कर दिया गया।
  - बाद में **विद्युत अधिनियम, 2003** की **धारा 70** में औपचारिक रूप से इसके गठन का प्रावधान किया गया।
- **उद्देश्य: देश में विद्युत क्षेत्रक के विकास** को विनियमित करना और उसकी निगरानी करना।
  - देश में सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त गुणवत्ता वाली व विश्वसनीय **24x7 विद्युत आपूर्ति** सुनिश्चित करना।
- **संरचना:** इसमें **अध्यक्ष सहित अधिकतम चौदह सदस्य** हो सकते हैं।
  - इनमें **केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम आठ पूर्णकालिक सदस्य होंगे।**
- **कार्य एवं जिम्मेदारियां:**
  - यह **केंद्र सरकार** को राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मामलों पर **सलाह** देता है।
  - यह विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के लिए **तकनीकी मानक निर्धारित** करता है।
  - यह **मीटर लगाने की शर्तें** भी निर्धारित करता है।
  - यह विद्युत उद्योग में कार्यरत **व्यक्तियों के कौशल को बढ़ाने हेतु उपायों का सुझाव देता है।**
  - यह योजनाओं एवं परियोजनाओं को **समय पर पूरा करने हेतु प्रोत्साहन एवं सहायता** उपलब्ध कराता है।

11.1.1. अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्क {Inter-State Transmission System (ISTS) Charges}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने अपतटीय पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं पर **अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्क** से 25 वर्षों के लिए छूट देने का निर्णय लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पहले, सरकार ने नई जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के पारेषण पर ISTS शुल्क माफ करने का आदेश दिया था।
- **अपतटीय पवन ऊर्जा प्रणालियां, जल निकायों में निर्मित पवन चक्कियां** हैं। ये पवन चक्कियां आमतौर पर **महासागर के महाद्वीपीय शेल्फ में स्थापित** की जाती हैं। इन्हें पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित किया जाता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर **जल से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन** कहा जाता है।
- **ग्रीन अमोनिया** ग्रीन हाइड्रोजन का उपोत्पाद है। इसका उपयोग **परिवहन और भंडारण वाहकों में ऊर्जा के रूप में, पोत परिवहन ईंधन तथा उर्वरक उत्पादन** में किया जाता है।

प्रमुख निर्णयों पर एक नजर:

- **31 दिसंबर, 2032 को या उससे पहले चालू की गई अपतटीय पवन ऊर्जा (OWP) परियोजनाओं** को ISTS शुल्क भुगतान से पूरी छूट दी गई है। यह छूट परियोजना चालू होने की तारीख से 25 वर्षों के लिए होगी।
  - हालांकि, **1 जनवरी, 2033 से चालू परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से ISTS शुल्क देना** होगा।
- **नवीकरणीय ऊर्जा (RE), पंप या बैटरी स्टोरेज सिस्टम** या इनकी किसी भी हाइब्रिड प्रणाली का उपयोग करके **ग्रीन हाइड्रोजन/ ग्रीन अमोनिया उत्पादन करने वाली यूनिट्स को ISTS भुगतान से पूरी छूट** दी गई है।
  - **31 दिसंबर, 2030 को या उससे पहले** शुरू की गई परियोजनाएं इस छूट के लिए पात्र होंगी। **31 दिसंबर, 2030 के बाद की परियोजनाओं** को **चरणबद्ध रूप से ISTS शुल्क देना** होगा।

11.1.2. विद्युत क्षेत्रक में शुरू की गई अन्य पहलें (Other initiatives in the Power sector)

11.1.2.1. विद्युत क्षेत्रक में सुधार के लिए राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन (Financial incentives to states for reforms in the power sector)

- **वित्त मंत्रालय** ने विद्युत क्षेत्रक में सुधारों के बदले **राज्यों को उनके सालाना सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 0.25-0.5% तक अतिरिक्त ऋण (या उधारी)** लेने की अनुमति दी है। (इन्फोग्राफिक्स देखिए)
- इस पहल की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में चार साल की अवधि (2021-22 से 2024-25 तक) के लिए की गई थी।

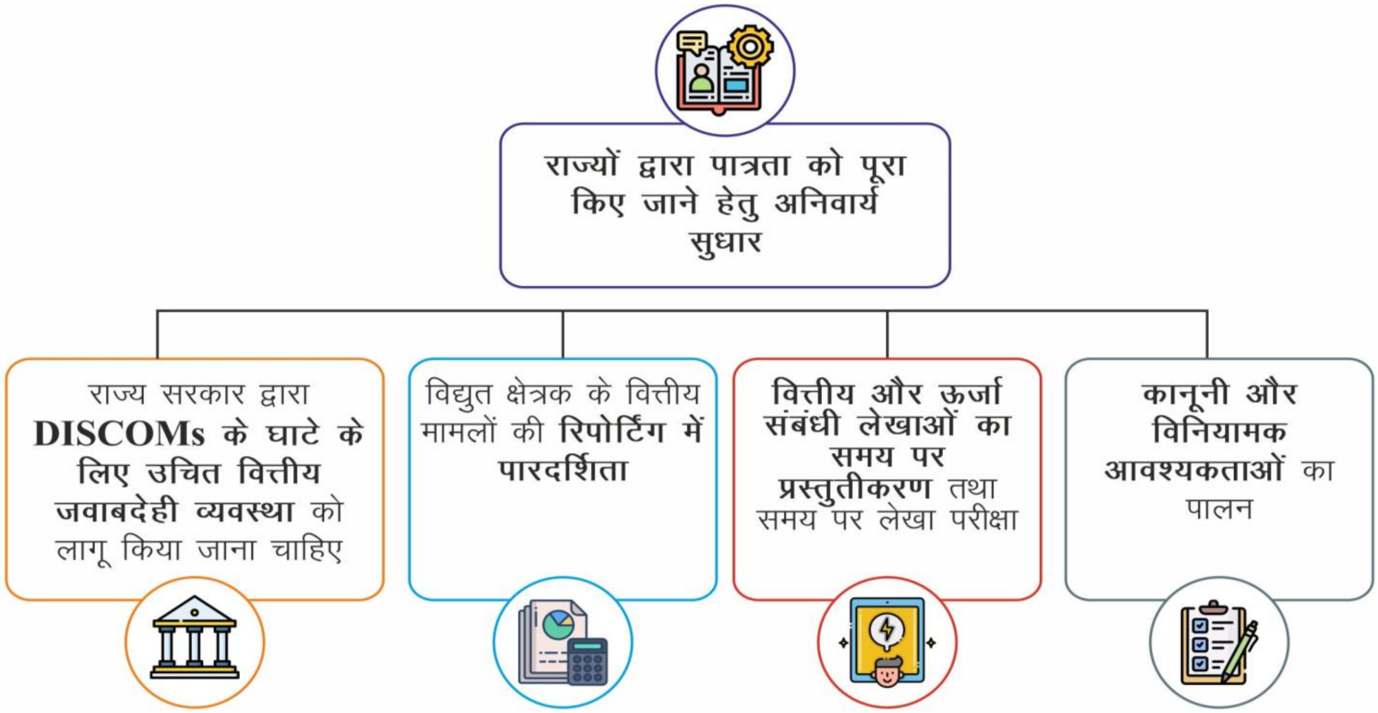

11.1.2.2. मार्केट कपलिंग (Market Coupling)

- केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने CERC[167] को **विद्युत एक्सचेंजों की "मार्केट कपलिंग"** की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य अलग-अलग विद्युत एक्सचेंजों में एक-समान कीमतें बनाए रखना है।
- मार्केट कपलिंग से आशय, **सरकार के स्वामित्व में एकल पावर ट्रेडिंग इकाई** की स्थापना से है।
  - इसके तहत, **देश के सभी विद्युत एक्सचेंजों** से खरीद और बिक्री संबंधी बोलियों को **एकीकृत किया जाएगा।** फिर इनका मिलान करके **विद्युत् के एक समान मूल्य या मार्केट क्लियरिंग प्राइस (MCP)** का निर्धारण किया जाएगा।
  - वर्तमान में, **भारत के तीन पावर एक्सचेंजों में अलग-अलग MCPs** हैं। ये **तीन पावर एक्सचेंज हैं-** इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (IEX), पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (PXIL) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड (HPX)।
  - वर्तमान में **IEX का विद्युत बाजार में एकाधिकार** है क्योंकि कुल विद्युत बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 90% है।
- **मार्केट कपलिंग से निम्नलिखित का मार्ग प्रशस्त होगा:**
  - **मार्केट-बेस्ड-इकोनॉमिक डिस्पैच (MBED) तंत्र को अपनाकर "एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी, एक कीमत" फ्रेमवर्क** को लागू किया जा सकेगा।
    - MBED तंत्र में राज्य के भीतर और राज्यों के बीच, दोनों स्तरों पर **बिजली की संपूर्ण वार्षिक खपत को पूरा करने के लिए केंद्रीकृत शेड्यूलिंग** की परिकल्पना की गई है।

[167] Central Electricity Regulatory Commission/ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

11.1.2.3. विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 {Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules, 2023}

- केंद्र सरकार ने **विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020** में संशोधन किया है। इन नियमों को उपभोक्ताओं को **विश्वसनीय सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए** सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।
- **इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि-**
  - **विद्युत के नए कनेक्शन,** रिफंड और अन्य सेवाएं **समयबद्ध तरीके** से प्रदान की जाएं।
  - **उपभोक्ता अधिकारों का जानबूझकर उल्लंघन करने** पर **सेवा प्रदाताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा**। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा।
- विद्युत मंत्रालय ने अब निम्नलिखित बदलाव करने के लिए **विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 पेश किया है:**

बदलाव	संबंधित तथ्य
टाइम ऑफ डे (ToD) प्रशुल्क की शुरुआत	• पूरे दिन के हर समय **बिजली के लिए एक ही दर पर शुल्क वसूलने के बजाय**, बिजली की कीमत **समय विशेष के अनुसार अलग-अलग** होगी। ○ **सौर घंटों** (राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित एक दिन में आठ घंटे की अवधि) के दौरान **बिजली टैरिफ 20% कम** होगा, जबकि **अधिक खपत वाले घंटों (पीक ऑवर) के दौरान यह 10-20% अधिक** होगा। • इससे उपभोक्ता अपने **बिजली का बिल कम कर सकेंगे।** साथ ही, इससे **विद्युत प्रणाली में संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करने में मदद मिलेगी।**
स्मार्ट मीटरिंग के प्रावधान में संशोधन	• **स्मार्ट मीटर लगाने के बाद,** लगाने की तिथि से पहले की अवधि के लिए स्मार्ट मीटर में दर्ज की गई अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर **कोई दंडात्मक शुल्क नहीं** लगाया जाएगा।

11.1.2.4. हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल {High Price Day Ahead Market and Surplus Power Portal (Pushp Portal)}

- केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने PUShP पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य **सीजन में पीक डिमांड के दौरान बिजली की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित** करना है।
  - विद्युत वितरण कंपनियां (DISCOMS/ डिस्कॉम्स) ब्लॉक-टाइम/ दिन/ महीने के आधार पर पोर्टल पर अपने **अधिशेष विद्युत के आंकड़े** दर्शा सकेंगी।
  - जिन डिस्कॉम्स को बिजली की जरूरत है, वे अधिशेष बिजली की मांग कर सकेंगे।
  - इससे **डिस्कॉम्स पर फिक्स्ड कॉस्ट का बोझ कम होगा और उपलब्ध उत्पादन क्षमता का उपयोग** किया जा सकेगा।
    - **फिक्स्ड कॉस्ट:** यह एक प्रकार का व्यय है, जो **बिक्री या उत्पादन की मात्रा बढ़ने या घटने पर नहीं बदलता** है।

11.2. राष्ट्रीय गैस ग्रिड (National Gas Grid)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन के बिहार वाले हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यह बिहार को **राष्ट्रीय गैस ग्रिड** से जोड़ता है।

प्राकृतिक गैस के बारे में

- प्राकृतिक गैस उन **गैसों का मिश्रण है** जो मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से युक्त **हाइड्रोकार्बन से भरपूर होती हैं।**
- **प्राकृतिक गैस के भंडार पृथ्वी के अंदर गहराई में** कोयले और कच्चे तेल जैसे **अन्य ठोस और तरल हाइड्रोकार्बन संस्तर के निकट पाए जाते हैं।**
- इसे मूल रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। इसे **संसाधित कर, खपत के लिए स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित किया जाता है।**
- भारत ने **2030 तक,** भारत में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी **मौजूदा 6.5% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य** रखा है।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विषय **संघ सूची** के अंतर्गत आते हैं।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड के बारे में

- केंद्र ने देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और मांग के सभी प्रमुख केंद्रों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड की शुरुआत की है। **प्राकृतिक गैस का यह पाइपलाइन नेटवर्क 33,764 किलोमीटर लंबा होगा।**
- इसे **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB)[168] के अंतर्गत शुरू किया गया है।**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) के बारे में

- इसकी **स्थापना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत** की गई थी।
- इसका उद्देश्य पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों में संलग्न उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा करना और प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देना है।
- **यह पेट्रोलियम उत्पाद से जुड़े पाइपलाइन के निर्माण एवं भारत में प्राकृतिक गैस के व्यापार हेतु गैस एक्सचेंज की भी देख-रेख** करता है।
- इसे भौगोलिक क्षेत्रों में **सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के विकास के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करने** का अधिकार प्राप्त है।
- यह **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन** कार्यरत एक इकाई है।

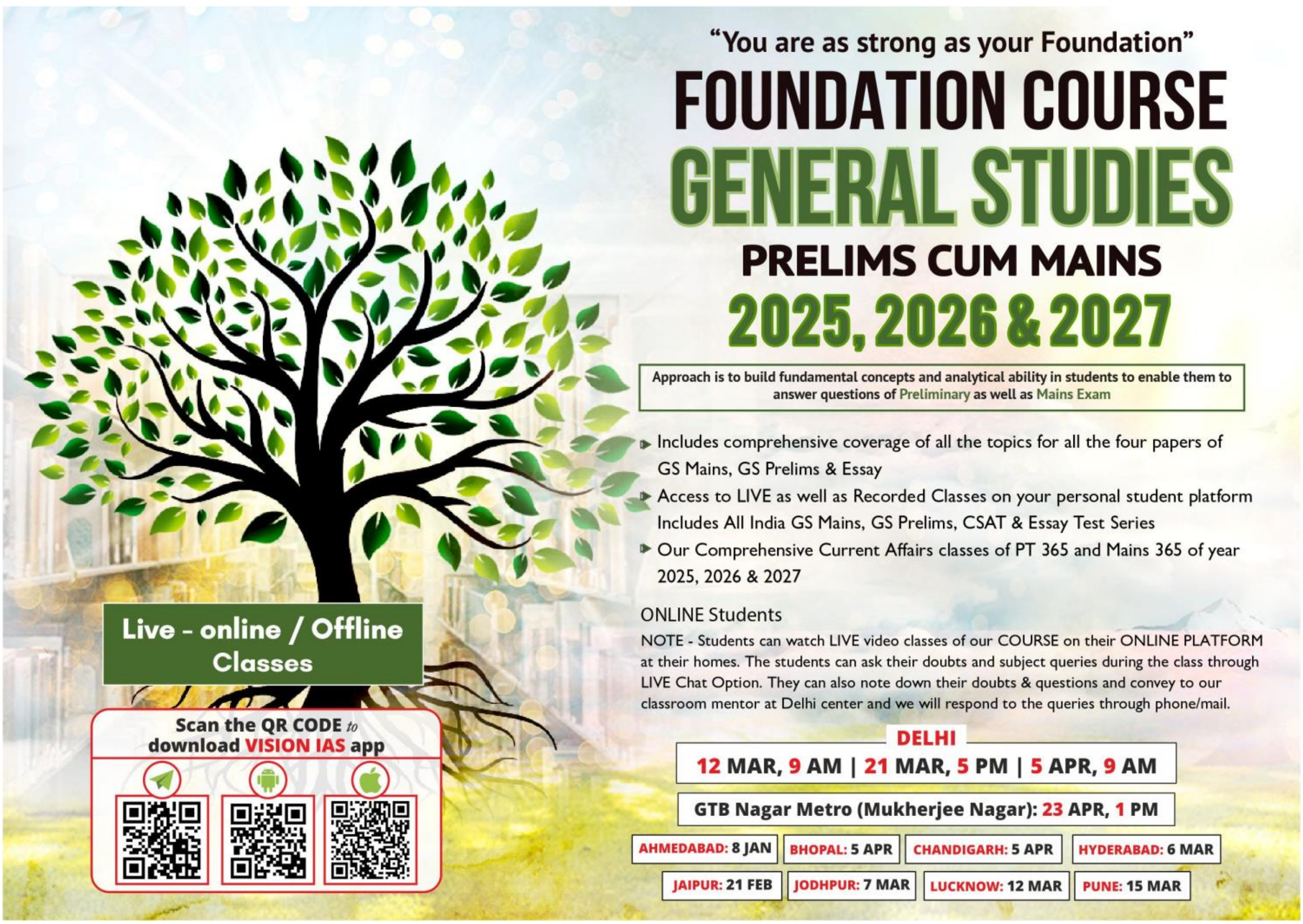

[168] Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

12. व्यवसाय, नवाचार और उद्यमशीलता (Business, Innovation and Entrepreneurship)

12.1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने अपने मासिक समाचार-पत्र में CSR के बारे में विभिन्न जानकारियां साझा की थी।

CSR निम्नलिखित मानकों के तहत आने वाली कंपनियों पर लागू होता है

- 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का **निवल लाभ**
- 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की **नेटवर्थ**
- 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का **टर्नओवर**

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के बारे में

- **सरकार निम्नलिखित के जरिए CSR की व्यापक रूपरेखा प्रदान की है:**
  - **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135** में CSR से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
  - **कंपनी अधिनियम, 2013** की **अनुसूची VII** में CSR के तहत कंपनी द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों को बताया गया है।
- जिन कंपनियों के लिए CSR लागू है, उन्हें अपने **पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का न्यूनतम 2%** CSR गतिविधियों पर खर्च करना होता है।
- ऐसी कंपनियां जिनके लिए CSR अनिवार्य है, उनके लिए अपनी CSR गतिविधियों का विवरण **वार्षिक रूप से MCA 21 रजिस्ट्री** में दर्ज कराना अनिवार्य है।
- 22 जनवरी, 2021 से **CSR से संबंधित प्रावधानों** के गैर-अनुपालन को एक **नागरिक भूल (Civil wrong)** के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- **निम्नलिखित कोष/ निधि/ फंड्स में किए गए योगदान को CSR व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है:** स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा निधि, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF), आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पी.एम. केयर्स फंड)।

CSR खर्च के रुझान

2014–15 की तुलना में CSR खर्च में **150%** की वृद्धि हुई है।	CSR के तहत 18,000 से ज्यादा कंपनियों ने **26,000 करोड़ रुपये** का निवेश किया है।	कुल खर्च में से **29.5%** और **24.5%** खर्च क्रमशः स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रक पर किया गया है।
भारत की वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के कारण पर्यावरण क्षेत्रक में खर्च **दोगुना** हो गया है।	स्वच्छ गंगा निधि, पेयजल और स्लम क्षेत्र विकास के कारण स्वच्छता पर खर्च **बढ़ा है।**	CSR की शुरुआत के बाद से टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर्स पर **0.1% से कम** खर्च हुआ है।

कंपनी (CSR नीति) संशोधन नियम, 2021

- इसमें CSR के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक रुपये खर्च करने वाली कंपनियों के लिए एक **स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रभाव मूल्यांकन** करने का प्रावधान किया गया है।
- इसके तहत खर्च न की गई CSR राशि के **अनिवार्य हस्तांतरण** का प्रावधान किया गया है।
- इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी के CSR गतिविधियों में **प्रशासनिक व्यय का हिस्सा** इसके कुल व्यय के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

- **"चालू परियोजना (Ongoing Project)"** का अर्थ ऐसी बहु-वर्षीय परियोजनाओं से है जिसकि अवधि 3 वर्ष से अधिक हो। इसमें उस वित्तीय वर्ष को शामिल नहीं किया जाता है, जिसमें इस परियोजना को शुरू किया गया हो।

कंपनी (CSR नीति) संशोधन नियम, 2022

- **खर्च न की गई CSR की राशि** के लिए **CSR समिति के गठन का प्रावधान** किया गया है।
- सामाजिक प्रभाव आकलन की लागत को CSR व्यय माना जा सकता है। हालांकि, यह लागत चालू वित् वर्ष के लिए **कुल CSR व्यय का 2% या 50 लाख रुपये, जो भी अधिक हो,** से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क

- **कंपनी अधिनियम, 2013:** यह बोर्ड और उसकी बैठकों, लेखापरीक्षा समितियों के गठन, वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले प्रकटीकरण आदि को अनिवार्य करता है।
- **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI):** यह सूचीबद्ध कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निगरानी और उनका विनियमन करता है।
- **इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI):** यह वित्तीय डेटा के प्रकटीकरण से जुड़े मार्गदर्शन के लिए दिशा-निर्देश और मानक जारी करता है।
- **भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI)[169]:** यह मुख्य रूप से "बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की बैठकों" और "जनरल मीटिंग्स" के संदर्भ में सचिव स्तरीय मानक जारी करता है।
- **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय:** यह कानून के अनुसार, कॉर्पोरेट क्षेत्रक के काम-काज का विनियमन करता है।

12.1.1. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) पर भारतीय कंपनियां (Indian Companies on International Financial Services Centre)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय कंपनियां **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC)** में सूचीबद्ध हो सकती हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान में, भारतीय कंपनियां **घरेलू स्टॉक एक्सचेंजेस में सूचीबद्ध हुए बिना अपनी प्रतिभूतियों को सीधे विदेशी स्टॉक एक्सचेंजेस में सूचीबद्ध नहीं** कर सकती हैं।
  - वर्ष 2020 में, केंद्र सरकार ने **कंपनी अधिनियम में संशोधन** किया था। इसके तहत **भारतीय कंपनियों को अपनी प्रतिभूतियों को सीधे विदेशी स्टॉक एक्सचेंजेस में सूचीबद्ध करने** की अनुमति दी गई थी।
- वर्तमान में, **भारतीय कंपनियां अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट (ADR) और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (GDR) के जरिए ही विदेशों से धन जुटा** सकती हैं।
  - डिपॉजिटरी रिसीट (DR) एक ऐसा साधन है, जिसका **घरेलू कंपनियां देश के बाहर से धन जुटाने** के लिए उपयोग करती हैं। भारतीय कंपनियां अपने शेयर्स एक **विदेशी बैंक को जारी** करती हैं, जो इन शेयर्स के बदले में **कंपनियों को डिपॉजिटरी रिसीट प्रदान** करता है।
  - **GDR और ADR, दोनों का ही उपयोग विदेशी बाजार से धन जुटाने** के लिए किया जाता है।
    - हालांकि, **ADR का व्यापार अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजेस** में होता है, जबकि **GDR का व्यापार ज्यादातर यूरोपीय एक्सचेंजेस** में होता है।

IFSC के बारे में

- एक **IFSC गृह देश की अधिकारिता से बाहर के ग्राहकों को सेवा प्रदान** करता है। ऐसे केंद्र **सीमा-पार वित्त, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह का प्रबंधन** करते हैं।
- यह **फंड जुटाने, परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने, वैश्विक पोर्टफोलियो का विविधीकरण करने, धन प्रबंधन करने** आदि सहित कई सेवाएं प्रदान करता है।

[169] Institute of Company Secretaries of India

© Vision IAS

अन्य तथ्य

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority: IFSCA)

- **स्थापना:** IFSCA की स्थापना **2020** में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम , 2019 के तहत की गई है।
  - इसका मुख्यालय गुजरात में **GIFT सिटी, गांधीनगर** में है।
- **IFSCA की भूमिका:**
  - IFSCA भारत में IFSC में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास तथा विनियमन के लिए एक **एकीकृत प्राधिकरण** है।
  - वर्तमान में, GIFT-IFSC **भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।**

12.2. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Competition (Amendment) Act 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023** को लागू कर इसके कई प्रावधानों को अधिसूचित किया है। इस संशोधन अधिनियम के जरिए **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन** किया गया है।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के बारे में

- इस अधिनियम ने **एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (MRTP) अधिनियम[170], 1969** की जगह ली है।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)**[171] की स्थापना का प्रावधान था।
- यह अधिनियम **प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों** तथा **बाजार या कॉर्पोरेट जगत में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग पर रोक** लगाता है। इसके अलावा, इस अधिनियम में **समुच्चयों के विनियमन (Regulation of Combinations)** का भी प्रावधान है। यह अधिनियम ऐसे **कॉम्बिनेशंस/ समुच्चयों** (अधिग्रहण या खरीद, किसी कंपनी या उद्यम पर नियंत्रण, विलय और समामेलन[172] पर रोक लगाता है, जिनका **भारत में प्रतिस्पर्धा पर वास्तविक रूप से नकारात्मक प्रभाव** पड़ता है या पड़ने की संभावना है।

अधिनियम में संशोधित की गई परिभाषाएं

- **कॉम्बिनेशंस या समुच्चयों (Combination) की परिभाषा: प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम (CAA)** में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के लेन-देन वाले **कॉम्बिनेशंस की परिभाषा का विस्तार** किया गया है। इसमें **उद्यमों का विलय, खरीद/ अधिग्रहण या समामेलन** शामिल हैं।
- **कॉम्बिनेशंस की मंजूरी की समय सीमा में कमी:** इसे 210 दिन से घटाकर **150 दिन** कर दिया गया है।
  - CCI के लिए अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह **किसी कॉम्बिनेशन को लेकर 30 दिनों के भीतर प्रथम दृष्टया राय** व्यक्त करे। ऐसा नहीं होने पर समुच्चय को अनुमोदित (अर्थात् मंजूरी प्राप्त) माना जाएगा।
- **"हब एंड स्पोक अरेंजमेंट्स" को शामिल करने के लिए व्यापारिक संघों (Cartels) के दायरे का विस्तार:** कई कंपनियां समान या एक जैसी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं होती हैं। यदि ऐसी कंपनियां **"हब एंड स्पोक अरेंजमेंट्स"** के लिए किसी समझौते में शामिल होती हैं या शामिल होने की इच्छुक हैं, तो उन्हें **कार्टेलाइज़ेशन** (ऊपरी स्तर पर मिलीभगत या संघ बना कर प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्य करना) के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

शिकायत निवारण और दंड व जुर्माना संबंधी प्रावधान

- **शिकायत करने की समयावधि:** जिस दिन कोई प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्य हुआ है या उसके बारे में पता चला है, उस दिन से लेकर अगले **3 साल के भीतर** CCI के समक्ष प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। हालांकि, CCI चाहे तो इस समयावधि का पालन न करने वाले शिकायतकर्ता को विलंब के लिए क्षमा कर शिकायत दर्ज कर सकता है।

[170] Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act

[171] Competition Commission of India

[172] Acquisitions, takeovers of control, and mergers and acquisitions

© Vision IAS

- **जुर्माने की राशि में वृद्धि: झूठे बयान देने/ महत्वपूर्ण सूचनाओं को छिपाने** के लिए जुर्माना 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- **वैश्विक टर्नओवर (कारोबार) के आधार पर जुर्माना:** प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों और बाजार या कॉर्पोरेट जगत में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग के लिए दोषी व्यक्ति को अब उसके **वैश्विक टर्नओवर के आधार पर दंड** दिया जाएगा। दोषी व्यक्ति या उद्यम के वैश्विक टर्नओवर की गणना उसके सभी उत्पादों और सेवाओं के आधार पर की जाएगी।
- **अपराधों का शमन (Compounding of Offences):** प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़कर कुछ अपराधों के शमन की भी अनुमति दी गई है।
  - अपराधों का शमन यह दर्शाता है कि जिस व्यक्ति के साथ अपराध किया गया है, उसने **आरोपी से कुछ मुआवजा प्राप्त किया** है।
- **कुछ अपराधों का डीक्रिमिलाइजेशन:** प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम में कुछ अपराधों के लिए कैद की सजा को आर्थिक दंड में बदल दिया गया है। इन अपराधों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों के संबंध में CCI के आदेशों और महानिदेशक के निर्देशों का पालन नहीं करना; तथा
  - बाजार या कॉर्पोरेट जगत में मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करना।
- **माफी का प्रावधान:** अगर कार्टेल की जांच में शामिल कोई पक्ष किसी संभावित उल्लंघन या किसी अन्य अज्ञात कार्टेल का **सही और बड़ा खुलासा** करता है, तो CCI को यह अधिकार है कि वह तहकीकात किए जा रहे कार्टेल को **कम दंड दे।**

CAA के अन्य प्रावधान

- **निपटान और प्रतिबद्धता तंत्र:** CAA के तहत, प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों के आधार पर CCI द्वारा उद्यमों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
- **महानिदेशक (DG) की नियुक्ति:** CAA के अनुसार, महानिदेशक की नियुक्ति अब केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से CCI द्वारा की जाएगी, जबकि पहले यह शक्ति केंद्र सरकार के पास थी।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

- **उत्पत्ति:** CCI की स्थापना केंद्र सरकार ने **2003** में की थी। इसे **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002** के तहत एक **वैधानिक निकाय** के रूप में स्थापित किया गया था।
- **सौंपे गए कार्य:** CCI को सौंपे गए मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:
  - प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना;
  - प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना;
  - उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना; तथा
  - भारत के बाजारों में व्यापार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- **मंत्रालय:** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
- **संरचना/ सदस्य:** CCI में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त **एक अध्यक्ष और 2 से 6 सदस्य** होते हैं।
  - इसके अध्यक्ष और सदस्य या तो **पांच साल या 65 साल** की आयु तक (जो भी पहले हो) काम करते हैं। वे **पुनर्नियुक्ति** के भी पात्र होते हैं।
- **शक्तियां:** CCI कंपनियों या उद्यमों के बीच हुए कुछ **समझौतों, समुच्चयों (Combinations)** और **किसी उद्यम की प्रभुत्वशाली स्थिति** की जाँच कर सकता है।
  - यह अपनी जाँच प्रक्रिया या काम-काज के तरीकों को विनियमित कर सकता है और कोई गलती हो जाने पर उसे सुधारने के लिए अपने आदेशों में संशोधन कर सकता है।
  - आयोग के आदेशों या निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर **जुर्माना** या **कारावास** हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क (International Competition Network: ICN)

- **CCI** पहली बार ICN के संचालन समूह का सदस्य बना है।
- **CCI की सदस्यता** दो साल के लिए होगी।
- **ICN 140 प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों** का एक विशिष्ट लेकिन अनौपचारिक नेटवर्क है।
- **ICN का मिशन** दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा नीति में बेहतर मानकों और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है।
- इसका मार्गदर्शन इसके शीर्ष निकाय यानी **18 सदस्यों वाले संचालन समूह** द्वारा किया जाता है।

© Vision IAS

12.3. जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 {Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023** पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य ईज ऑफ़ लिविंग[173] एवं ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस[174] को बढ़ावा देना है।

विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- इस विधेयक द्वारा **42 केंद्रीय कानूनों के दायरे में आने वाले 183 प्रकार के कृत्यों को गैर-आपराधिक बना दिया** गया है।
- **कई जुर्माने को पेनाल्टी** में बदल दिया गया है, जिसका अर्थ है कि सजा देने के लिए न्यायिक अभियोजन आवश्यक नहीं है।
- **भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898** के तहत वर्णित **सभी प्रकार के अपराधों एवं दंडों को समाप्त** कर दिया गया है।
- कुछ विशेष अधिनियमों में विभिन्न अपराधों के लिए ज़ुर्माने और दंड की **समय-समय पर समीक्षा** (प्रत्येक तीन वर्ष में न्यूनतम राशि में 10% की वृद्धि) का प्रावधान किया गया है।
- शिकायत निवारण और अपीलीय तंत्र में परिवर्तन किए गए हैं। साथ ही, कुछ कानूनों के तहत **दंड निर्धारित करने के लिए एक या अधिक निर्णय करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। इनमें शामिल हैं:**
    - सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 आदि।

12.4. ट्रांसफर प्राइसिंग (Transfer Pricing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले से भारत में ट्रांसफर प्राइसिंग (अंतरण मूल्य निर्धारण) संबंधी विवादों को हल करने के दृष्टिकोण को बदल दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले को खारिज कर दिया है।** हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी मामलों में ITAT द्वारा आर्म्स लेंथ प्राइस (ALP) का निर्धारण अंतिम होता है और इसे न्यायिक जांच के अधीन नहीं लाया जा सकता है।
    - भारत में, **ट्रांसफर प्राइसिंग** और **ALP प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय X** में शामिल हैं।
    - आर्म्स लेंथ प्राइस का निर्धारण एसेसिंग ऑफिसर द्वारा की जाती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने **यह फैसला सुनाया है कि** आयकर अधिनियम में शामिल **ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी प्रावधानों के दायरे से बाहर निर्धारित किसी भी ALP** को **'विकृत (अन्यायपूर्ण)'** माना जा सकता है और ऐसे मामलों में अधिकरण का निर्णय अंतिम नहीं होगा।
    - ऐसे मामलों में, भारतीय राजस्व अधिकारी (IRA) और करदाता दोनों ITAT के निर्णय के बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के **इस फैसले ने अन्य कर मुद्दों के समान ही भारत में ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी मुद्दों** को भी फिर से सुर्ख़ियों में ला दिया है।

आयकर अपीलीय अधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal: ITAT) के बारे में

- यह अधिकरण 1941 में स्थापित एक **अर्ध-न्यायिक संस्थान** है।
- यह प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के तहत दाखिल अपीलों का निपटान करता है।
- **ITAT द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं।** हाई कोर्ट में अपील तभी की जा सकती है जब किसी कानूनी प्रश्न या उलझनों का समाधान करना हो।
- **शुरुआत में दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में संस्थान की तीन पीठें थीं।** हालांकि, पीठों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्तमान में **ITAT** की **63 पीठें** काम कर रही हैं। ये पीठें अलग-अलग 27 केंद्रों पर कार्यरत हैं।

PT 365 - अर्थव्यवस्था

[173] Ease of living/ जीवन निर्वाह की सुगमता

[174] Ease of doing business/ व्यवसाय करने की सुगमता

© Vision IAS

ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में

- ट्रांसफर प्राइसिंग **लेखांकन की एक विधि** है। इसकी सहायता से बड़े-बड़े उद्यमों या कंपनियों के अलग-अलग अंगों, जैसे- **डिवीजनों, सहायक कंपनियों या संबद्ध कंपनियों के बीच आदान-प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों का निर्धारण** किया जाता है। सामान्यतः कर प्राधिकरण अपने रूल्स में इसकी अनुमति देते हैं।
- सामान्यतः, **कंपनियां** अपनी पैरेंट कंपनी के **समग्र कर बोझ को कम करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का उपयोग** करती हैं।
    - यह कार्य उच्च कर वाले देशों में सहायक कंपनियों के लिए अधिक मुनाफा कम करके तथा कम कर वाले देशों में सहायक कंपनियों के लिए मुनाफा बढ़ाकर किया जाता है।

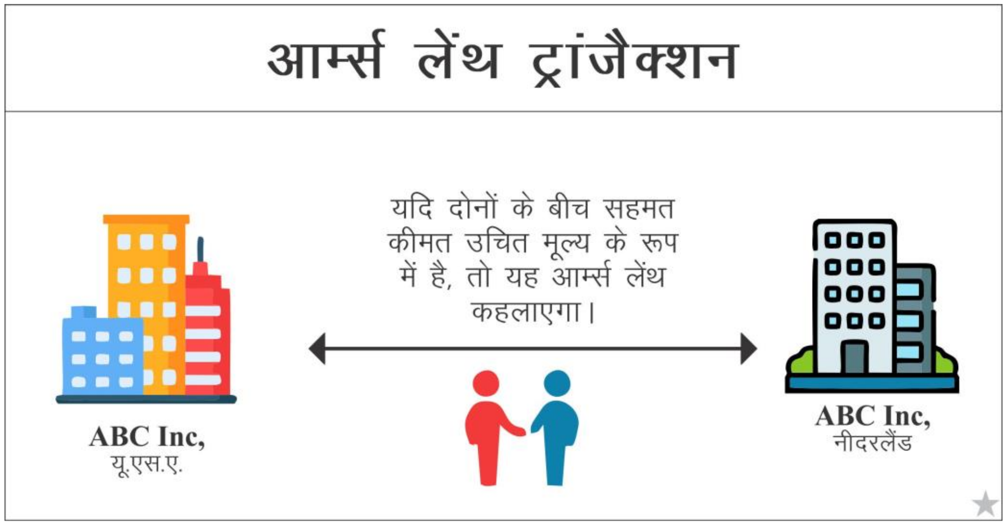

आर्म्स लेंथ सिद्धांत (Arm's Length Principle: ALP) के बारे में

- इसका अर्थ यह है कि एक **कंपनी द्वारा अपनी सहायक या संबद्ध कंपनी/ इकाई से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत वैसी ही होनी चाहिए, जैसा किसी और कंपनी से खरीदते समय भुगतान किया जाता। इसे आर्म्स लेंथ प्राइस कहा जाता है।**
    - इस सिद्धांत के अनुसार, भले ही पक्षकार एक-दूसरे से संबद्ध कानूनी संस्थाएं हैं, फिर भी उनके बीच होने वाले **लेन-देन के लिए किसी भी तरीके से मूल्य को कम या एडजस्ट नहीं किया जाना चाहिए या कोई विशेष शर्त नहीं लगाया जाना चाहिए।**
- इसका **उद्देश्य कर आधार के क्षरण** या कम टैक्स वाले देशों/ क्षेत्राधिकारों में **लाभ को ट्रांसफर करने पर रोक लगाना** है।

12.5. वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2023 {Global Innovation Index (GII), 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा जारी **"वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2023"** में भारत की **40वीं रैंक** बरकरार रही।

नवाचार को मापने के मानदंड

इनपुट स्तंभ
- संस्थाएं
- मानव पूंजी और अनुसंधान
- बुनियादी ढांचा
- बाजार की स्थिति
- व्यावसाय की स्थिति

आउटपुट स्तंभ
- ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट
- रचनात्मक आउटपुट

GII के बारे में

- GII विश्व की सरकारों के लिए अपने-अपने देशों में **सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रक में होने वाले नवाचार आधारित बदलावों का आकलन करने का एक विश्वसनीय तरीका** है।
- इसे **कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD बिजनेस स्कूल और WIPO** संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष प्रकाशित करते हैं।

सूचकांक के मुख्य बिंदु

- **स्विट्ज़रलैंड** लगातार 13वें वर्ष **GII में पहले स्थान** पर है।
- **भारत में नवाचार की स्थिति:**
    - भारत **निम्न-मध्यम आय वर्ग वाले देशों में अग्रणी देश है और स्थिर** बना हुआ है।
    - भारत ने **लगातार 13वें वर्ष नवाचार में बहुत बेहतर प्रदर्शन** करते हुए कीर्तिमान बनाया है।
    - **शोध प्रकाशन आउटपुट के मामले में भारत ने (2022 में चौथी रैंक), यूनाइटेड किंगडम (पांचवीं) को पीछे छोड़** दिया है और जर्मनी (तीसरी) से केवल एक रैंक पीछे है।
    - **शीर्ष 100 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स में भारत के 4 क्लस्टर्स शामिल हैं।** ये हैं: बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई।

© Vision IAS

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization: WIPO)

- **उत्पत्ति:** यह **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी** है। इसे **1967** में स्थापित किया गया था।
- **उद्देश्य:** एक संतुलित और सुलभ अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) प्रणाली का विकास करना।
- **सदस्यता:** 193 सदस्य (**भारत सहित**)
- **संगठनात्मक संरचना:** महासभा और समन्वय समिति
- **प्रमुख संधियां (भारत इन तीनों संधियों का पक्षकार है।)**
    - औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस कन्वेंशन (1998)
    - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन (1928)
    - पेटेंट सहयोग संधि (1998)

12.6. भारत में स्टार्ट-अप्स (Startups in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने **"भारत को लाभ पहुंचाने के लिए स्टार्ट-अप इकोसिस्टम[175]"** शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **वित्त तक पहुंच:** स्टार्ट-अप्स में निवेश की प्रकृति **चक्रीय** होती है। यह समष्टि-आर्थिक (Macroeconomic) स्थितियों, निवेशकों की भावनाओं और मौद्रिक नीतियों जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर बाजार में होने वाले बदलावों पर निर्भर होता है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** वर्तमान में 42 मंत्रालय/ विभाग/ निकाय स्टार्ट-अप्स से संबंधित विभिन्न योजनाओं और पहलों के कार्यान्वयन की देख-रेख कर रहे हैं।
- **नियामकीय सहायता:** समिति ने कहा है, कि गैर-सूचीबद्ध भारतीय स्टार्ट-अप्स की प्रत्यक्ष विदेशी लिस्टिंग की सुविधा के लिए नियामक/ कानूनी फ्रेमवर्क को आसान बनाने से आर्थिक परिवेश को बढ़ावा मिल सकता है।

भारत में स्टार्ट–अप्स

परिभाषा और मानदंड

वाणिज्य एवं **उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** द्वारा **स्टार्ट–अप इंडिया योजना** के तहत दिए गए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली किसी कंपनी या इकाई को **स्टार्ट–अप** कहा जाता है। ये मानदंड निम्नलिखित हैं–

कंपनी के संचालन की अवधि	कंपनी का प्रकार	वार्षिक टर्नओवर	मूल कंपनी	नवाचारी एवं कारोबार को बढ़ाने की क्षमता
उसका अस्तित्व और संचालन की अवधि उसके निगमन की तिथि से 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	उसका निगमन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी फर्म या 'सीमित देयता साझेदारी' के रूप में होना चाहिए।	उसके निगमन के बाद से किसी भी वर्ष के दौरान वार्षिक टर्न ओवर 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।	उसकी स्थापना पहले से मौजूद व्यवसाय को विभाजित करके या उसका पुनर्निर्माण करके नहीं की गई हो।	उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा के विकास या उसमें सुधार की दिशा में काम करना चाहिए और/ या बिजनेस मॉडल में संपदा तथा कारोबार को बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि रोजगार पैदा हो सके।

* DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स को 3 साल के लिए कर छूट प्रदान किया जाता है।

भारत में स्टार्ट-अप्स का विनियमन

- **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)** ने **कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत** एक कार्यकारी आदेश के जरिए **"स्टार्ट-अप" को परिभाषित** किया है। साथ ही यह "स्टार्ट-अप कंपनियों" के काम-काज और नियमों के पालन में कुछ छूट[176] भी प्रदान करता है।

---

[175] Ecosystem of Startups to Benefit India

[176] Operational and compliance relaxations

- **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)** स्टार्ट-अप्स की लिस्टिंग के लिए नियमों को अधिसूचित करता है।
- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** ने नियामक फ्रेमवर्क के दायरे में सीमा-पार लेन-देन करने के लिए **मार्गदर्शन/ सहायता प्रदान करने** हेतु **भारत के स्टार्ट-अप्स के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन** शुरू की है।

भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में विद्यमान मुद्दे/ चुनौतियां

- **कृषि पर कम फोकस:** कुल मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स में से **केवल 5.18% ही कृषि क्षेत्रक से संबद्ध** हैं।
- **कम संख्या में IPR:** स्टार्ट-अप्स द्वारा दायर पेटेंट आवेदनों में से **केवल 11% को ही पेटेंट** प्रदान किया गया है।
- **फ़्लिपिंग (किसी अन्य देश में पंजीकरण):** आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में स्टार्ट-अप्स में **फ़्लिपिंग की बढ़ती प्रवृत्ति** को रेखांकित किया गया है। इसमें **विदेशी ऋण तक अधिक पहुंच, एंजेल टैक्स के जोखिम को समाप्त करना, बेहतर IP सुरक्षा** आदि को इसका मुख्य कारण बताया गया है।

12.7. भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards: BIS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि, **2024 से उत्पादों की अतिरिक्त 115 श्रेणियों के लिए BIS की मंजूरी अनिवार्य होगी।**

अन्य संबंधित तथ्य

- सेलिंग फैन, स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर, एल्यूमीनियम के बर्तन, ब्लॉक बोर्ड्स, पेय पदार्थों के लिए एल्यूमीनियम केन आदि को BIS द्वारा अधिसूचित अनिवार्य गुणवत्ता मानदंडों के अंतर्गत लाया जाएगा।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के बारे में

- **उत्पत्ति:** BIS, **भारत का राष्ट्रीय मानक संगठन** है। इसे **BIS अधिनियम, 1986** के तहत स्थापित किया गया है। इसे तत्कालीन **भारतीय मानक संस्थान (ISI)** की जगह गठित किया गया था। आगे इसे **BIS अधिनियम, 2016** द्वारा पुनर्गठित किया गया।
  - यह **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के तत्वावधान में काम करता है।

भारत में अनिवार्य ISI प्रमाणीकरण के तहत आने वाले मौजूदा उत्पाद

लगभग **560 उत्पाद अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत** आते हैं, जिन्हें निम्नलिखित प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत शामिल किया गया है:

- सीमेंट (सभी श्रेणी के)
- घरेलू बिजली का सामान
- खाद्य एवं संबंधित उत्पाद
- ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज़
- चिकित्सकीय उपकरण
- लौह और इस्पात उत्पाद
- एयर कंडीशनर और उसके पुर्जे
- घरेलू गैस स्टोव और प्रेशर कुकर
- इलेक्ट्रिक और गैर-इलेक्ट्रिक खिलौने आदि

- **उद्देश्य:**
  - यह **गुणवत्ता संबंधी जरूरतों को पूरा** करता है।
  - यह मानकीकरण संबंधी गतिविधियों का **सामंजस्यपूर्ण विकास** सुनिश्चित करता है।
  - यह संवृद्धि और विकास के लिए **मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर बल देता** है।
- **संगठनात्मक संरचना:**
  - इसकी **गवर्निंग काउंसिल में 27 सदस्य** होते हैं:
    - **अध्यक्ष: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (MoCA,F&PD)**
    - **उपाध्यक्ष: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**
- **मुख्य कार्य:**
  - यह परामर्श तंत्र और तकनीकी समितियों के जरिए **मानकों का निर्धारण** करता है।
  - यह हर पांच साल में **मानकों की समीक्षा** करता है।
  - यह **भारत में प्रचलित मानकों में एकरूपता लाता है और उन्हें प्रकाशित करता है।**
  - इसके अतिरिक्त यह घरेलू व विदेशी निर्माताओं के उत्पादों का **मानकीकरण** तथा सोने और चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग करता है, आदि।

© Vision IAS

BIS की प्रमुख उपलब्धियां

- BIS ने देश में **1,000 से अधिक उत्पादों को स्वैच्छिक रूप से उत्पाद प्रमाणन** प्रदान किया है।
- BIS ने विदेशी लाइसेंस धारकों के लिए एक **ऑनलाइन कंसाइनमेंट पोर्टल (मैनकोनलाइन/ Manakonline)** विकसित किया है। इसके जरिए भारतीय मानकों के साथ इनकी एकरूपता की आसानी से जांच की जा सकती है।
- BIS ने देश में मानकीकरण की नींव के रूप में काम करने के लिए **स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान (2022-27)** जारी किया है।
- 211 उत्पादों की सूची को छोड़कर, किसी विशेष उत्पाद के विनिर्माता को **BIS मानक चिन्ह (ISI मार्क) के तहत स्व-प्रमाणन का अधिकार** प्रदान किया गया है।

भारत में विभिन्न प्रमाणीकरण चिन्ह

प्रमाणीकरण चिन्ह (Certification mark) के प्रतीक	प्रमाणीकरण चिन्ह के नाम	विवरण
	ISI मार्क	यह कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, रसोई में उपयोग होने वाले उपकरणों एवं अन्य वस्तुओं आदि के लिए BIS द्वारा जारी किया जाता है।
	एगमार्क	यह कृषिगत वस्तुओं और पशुधन उत्पादों के लिए कृषि विभाग के मार्केटिंग और निरीक्षण निदेशालय (DMI) द्वारा जारी किया जाता है।
	BIS हॉलमार्क	यह सोने के आभूषण के लिए BIS द्वारा जारी किया जाता है।
	वूलमार्क	**यह 100% शुद्ध ऊन का प्रतीक है।**
	ईको मार्क	यह पर्यावरण के प्रति अनुकूल उत्पादों के लिए BIS द्वारा जारी किया जाता है।
	FPO मार्क	यह खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी किया जाता है।
	इंडिया ऑर्गेनिक	यह जैविक कृषि के तहत उत्पादित खाद्य उत्पादों के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC TOPPERS PREPARATION APPROACH & STRATEGIES

Insights from Toppers' Talk and Answer Scripts

Ishita Kishore
Rank 1, 2022

Ishita Kishore, the UPSC topper of 2022, serves as a remarkable inspiration for her unwavering determination and relentless efforts making her as a beacon of motivation for aspiring candidates. Through her methodical preparation approach, she emerged triumphant in the esteemed Civil Services Examination securing top rank. Ishita extensively relied on VisionIAS Mains test series to refine her answer writing abilities. To gain further insights into Ishita's answer writing approaches, kindly scan the QR code provided.

TOPPER'S COPIES

+91 8468022022, +91 9019066066

/c/VisionIASdelhi | /Vision_IAS | /visionias_upsc | www.visionias.in | /VisionIAS_UPSC

UPSC CSE TOPPERS

Waseem Ahmad Bhat

7 RANK 2022

Waseem Ahmad Bhat, an exceptional achiever who secured an All India Rank 7 in his third attempt in the UPSC Civil Services Examination 2022. He also achieved All India Rank 225 in his first attempt in 2020 and currently, he is training as an Assistant Commissioner Income Tax.

Waseem was a student of the **VisionIAS Foundation Course**, Batch in 2019.

Hailing from Doru Shahabad, Anantnag, Jammu & Kashmir, he completed his schooling in Anantnag and holds a degree in Civil Engineering from NIT Srinagar.

Waseem opted for **Anthropology** as his optional subject. His topper's talk covers vital topics such as preparing for the **changing pattern of Prelims**, essay writing and strategy, writing **quote-based essays,** utilizing topper's answer scripts for preparation, and **effective revision strategies.**

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

Aniruddh Yadav

8 RANK 2022

Aniruddh Yadav, a remarkable achiever who secured an All India Rank 8 in his fourth attempt in the UPSC Civil Services Examination of 2022.

Aniruddh opted for **Anthropology** as his optional subject. He completed his dual degree course in Biochemical Engineering & Biotechnology from IIT Delhi.

His topper's talk covers crucial aspects such as **creating a schedule** and **subject-wise timetable,** honing answer writing skills through topic-based **practice, mastering the structure** and format of answers (Introduction, Body, Conclusion), **managing time effectively** during answer writing practice, and preparing **topic-wise notes** with the help of syllabus analysis and previous year questions.

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

कृतिका मिश्रा

66 RANK 2022

कृतिका मिश्रा **2022 की यूपीएससी (UPSC) हिंदी मीडियम टॉपर रही हैं,** इन्होने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में अपने **दूसरे प्रयास** में अखिल भारतीय रैंक (**AIR**) 66 हासिल किया है। इन्होने अपने पहले प्रयास में इंटरव्यू दिया था लेकिन अंतिम रूप से सफलता नहीं मिली थी।

कानपुर की रहने वाली कृतिका ने **मानविकी विषयों में स्नातक** और **हिंदी साहित्य में परास्नातक** किया है। कृतिका अपनी तैयारी के दौरान **VisionIAS के ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, लक्ष्य कार्यक्रम** और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम से जुड़ी रहीं है, जो इनकी प्रभावी तैयारी और सफलता प्राप्त करने में सहायक रहे हैं।

उनके **टॉपर टॉक्स (Topper's Talk)** में परीक्षा की प्रभावी तैयारी के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गयी है जैसे **हिंदी माध्यम के समक्ष चुनौतियाँ,** प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति, **CSAT** की रणनीति, नोट्स बनाने से संबंधित कला और प्रभावी **उत्तरलेखन की रणनीतियां** इत्यादि। कृतिका मिश्रा ने **उत्तर लेखन और प्रस्तुतिकरण** में निपुणता, तथ्यों एवं उदाहरणों का उपयोग करने की असाधारण विशेषज्ञता के आधार पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों में अच्छे अंक हासिल किये हैं। कृतिका मिश्रा की **उपलब्धियां** देश भर के महत्वाकांक्षी **अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणादायी** हैं। कृतिका के **Topper's Talk** एवं उत्तर लेखन दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कीजिये।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

भरत जयप्रकाश मीणा

85 RANK 2022

सिविल सेवा परीक्षा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले **भरत जयप्रकाश मीणा** ने 2022 की यूपीएससी (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा में अपने **तीसरे प्रयास** में अखिल भारतीय रैंक **(AIR) 85** हासिल की है। पहली बार उन्होंने **624वीं रैंक** हासिल की थी और उनका **आईआरएस** (IRS) में चयन हुआ था।

गंगापुर सिटी के पास सलावद गांव निवासी भरत जयप्रकाश सिंह मीणा ने सीकर से 12वीं पास की है। इसके बाद धनबाद आईआईटी (IIT) से **मैकेनिकल इंजीनियरिंग** की है ।

टॉपर टॉक्स (Topper's Talk) के माध्यम से भरत जयप्रकाश मीणा ने पाठ्यक्रम का महत्त्व, **Prelims Exam** की रणनीति के साथ–साथ स्टडी मटेरियल, Current Affairs के लिए योजना–कुरुक्षेत्र आदि मैगजीन का उपयोग तथा **निबंध में अच्छे अंक** कैसे हासिल किया जा सकता है आदि संदर्भों में सविस्तार चर्चा की है। **उत्तर लेखन में भूमिका एवं निष्कर्ष को प्रभावी बनाना**, तथ्यों एवं उदाहरणों का उपयोग करने के साथ–साथ मैप, डायग्राम आदि का सटीक प्रयोग करने की कला ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। भरत जयप्रकाश के **Topper's Talk** एवं उत्तर लेखन दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया दिए गए क्यूआर कोड (**QR Code**) को स्कैन कीजिये ।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

UPSC CSE TOPPERS

Gamini Singla

3 RANK 2021

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

Gamini Singla, hailing from Punjab, completed her graduation in Computer Science Engineering from Punjab Engineering College Chandigarh. Thereafter, she honed her skills through a five-month internship as a finance analyst at JP Morgan.

She secured a remarkable All India Rank of 3 in the UPSC CSE 2021 in her second attempt with **Sociology** as her optional subject.

With her strategic **approach to GS Paper IV (Ethics) and Essay,** Gamini demonstrated her ability to **critically analyze ethical issues** and effectively express her thoughts in a coherent manner.

Her expertise in answer writing provided her with a competitive edge, allowing her to convey her knowledge and insights concisely.

Aishwarya Verma

4 RANK 2021

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

Aishwarya Verma hails from Madhya Pradesh. After graduating in Electrical Engineering, he opted for Civil Services as a career of choice.

He chose **Geography** as his optional subject and achieved an All-India Rank 4 in UPSC CSE 2021 in his fourth attempt.

Apart from the hard work, determination and resilience shown by Aishwarya, his success can also be attributed to his **short and enriched self-made notes, advanced answer writing skills**, and smart preparation strategy, including S&T.

अंकित कुमार जैन

173 RANK 2022

राजस्थान के बूंदी जिले के छोटे से गांव जरखोदा के **अंकित कुमार जैन** ने UPSC परीक्षा 2022 में 173वां (AIR 173) स्थान प्राप्त किया है । यह उनका तीसरा प्रयास था। **सामान्य परिवार** से आने वाले अंकित की यह उपलब्धि उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़संकल्प का परिणाम है। अंकित कुमार जैन ने Chemical Engineering **में स्नातक** किया है। UPSC में उनका वैकल्पिक विषय (Optional Subject) हिंदी साहित्य रहा है। उन्होंने **टॉपर टॉक्स** (Topper's Talk) के माध्यम से Prelims Exam और Mains Exam की रणनीति के साथ–साथ Revision के महत्त्व तथा हिंदी साहित्य विषय की तैयारी के विभिन्न आयामों पर चर्चा की है। **उत्तर लेखन प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता**, तथ्यों एवं उदाहरणों का सटीक उपयोग करने के साथ साथ फ्लोचार्ट, डायग्राम आदि के प्रभावी प्रयोग ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी हैं। अंकित कुमार उन सभी युवाओं के लिए **प्रेरणास्रोत** हैं जो निर्भीक होकर **चुनौतियों और बाधाओं** को दूर कर अपने परिश्रम और मेहनत से स्वयं के लिए मुकाम बनाना चाहते हैं। **अंकित कुमार** के Topper's Talk एवं **उत्तर लेखन दृष्टिकोण** के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कीजिये ।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

गौरव कुमार त्रिपाठी

226 RANK 2022

गौरव कुमार त्रिपाठी ने UPSC की सिविल सेवा परीक्षा **2022 में 226 वाँ रैंक** प्राप्त किया है। इन्होंने IIT रुड़की से वर्ष 2018 में B-Tech करने के साथ ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की।

गौरव कुमार त्रिपाठी पहले वर्ष **2020 में** PCS **में भी चयनित** हुए थे किन्तु उच्चतर सफलता हेतु इन्होने चै पद पर जॉइन नहीं किया । इन्होने तैयारी की शुरुआत में भूगोल को अपना वैकल्पिक विषय बनाया था किन्तु बाद में **हिन्दी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में** अपनाया। अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए इन्होने अपनी रणनीति में **टेस्ट सीरीज** के माध्यम से अभ्यास, टेस्ट सीरीज के **मॉडल उत्तरों से नोट्स बनाना,** स्वयं द्वारा बनाए गए **नोट्स को बार बार दोहराना** तथा PYQs **का निरंतर अभ्यास** करने आदि पक्षों को शामिल किया था। गौरव अपनी तैयारी के दौरान VisionIAS के **लक्ष्य कार्यक्रम, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, अभ्यास,** Mains 365**, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एथिक्स केस स्टडीज कार्यक्रम** से जुड़े रहे हैं जो इनकी बेहतर तैयारी में सहायक रहे हैं। गौरव कुमार त्रिपाठी के Topper's Talk एवं उत्तर लेखन दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कीजिये ।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

UPSC CSE TOPPERS

Shubham Kumar

1 RANK 2020

Shubham Kumar, hailing from Katihar District in Bihar, completed his graduation in Civil Engineering from IIT Bombay. He achieved the remarkable feat of securing All India Rank 1 in the UPSC examination of 2020 in his third attempt.

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

His success can be attributed to his **unique approach and meticulous preparation.** Shubham emphasized the importance of **regular mock tests** for prelims and carefully analyzing previous years' UPSC prelims questions.

Shubham was a student of the **VisionIAS Foundation Course.**

He also **utilized topper's copies to enhance his skills in ethics answer writing** and emphasized the **use of diagrams and graphs** in GS papers.

Jagrati Awasthi

2 RANK 2020

Jagrati Awasthi, from Bhopal, Madhya Pradesh, completed her graduation in Electrical Engineering from NIT Bhopal. She gained two years of valuable work experience at BHEL.

With **Sociology** as her optional subject, she achieved an outstanding All India Rank of 2 in the UPSC examination of 2020.

She has emphasized the **importance of a well-structured daily routine** and shared a **detailed booklist** and recommended sources. Jagrati stressed the significance of thorough reading and utilizing previous years' questions to grasp the exam's demands.

Along with refined **note-making techniques,** she has provided insights on determining the optimal number of questions to attempt in the prelims and leveraging previous year's question papers for **Ethics case studies'** preparation.

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

बजरंग प्रसाद

454 RANK 2022

बजरंग प्रसाद टपेपवद IAS के फाउंडेशन कार्यक्रम के छात्र रहे हैं। बजरंग प्रसाद ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा, **2022 में 454 रैंक** प्राप्त की है । इन्होने वर्ष 2019 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया, इसके बाद इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का निर्णय लिया । ये विषम परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी रहे हैं। अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए इन्होने अपनी रणनीति में दृढ़ विश्वास, कठिन मेहनत, **सीमित अध्ययन स्रोतों के बारम्बार रिविजन पर बल,** क्लास नोट्स का निरंतर रिविजन, **PYQs का अभ्यास** तथा टेस्ट सीरीज के माध्यम से निरंतर अभ्यास इत्यादि को शामिल किया है। बजरंग प्रसाद के **Topper's Talk** एवं उत्तर लेखन दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कीजिये।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

रवि कुमार सिहाग

18 RANK 2021

रवि ने 2015 के बाद UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का निर्णय लिया और **प्रथम प्रयास वर्ष** (2018) में ही **337वीं रैंक** प्राप्त किया, अपने **द्वितीय प्रयास (2019) में 317वीं रैंक** पर चयनित हुए । IAS प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और अंततः सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 18वीं रैंक प्राप्त किया। इन्होंने अपनी रणनीति में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना, अपने **कमजोर पक्षों पर कार्य करना, प्रतिदिन उत्तर लेखन करना,** सामान्य अध्ययन और एथिक्स पेपर में **नवाचार की विधियां अपनाना** जैसे रेखाचित्र, आँकड़े आदि का प्रयोग तथा NCERT का प्रभावी उपयोग आदि को शामिल किया है । रवि, **VisionIAS के टेस्ट सीरीज कार्यक्रम** में भी शामिल थे। रवि कुमार के **Topper's Talk** एवं उत्तर लेखन दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कीजिये ।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
अपनी तैयारी से जुड़े रहिए
सोशल मीडिया पर फॉलो करें
http://bit.ly/3ueP7T7
VisionIASHindi
/VisionIAS_UPSC
vision_ias_hindi
/Vision_IAS
/visionias.upsc
www.visionias.in

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2025

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
5 मार्च | 1 PM	12–14 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए **QR कोड** को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए **QR** कोड को स्कैन कीजिए

डेली **MCQs** और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधिः 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधिः 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोटः अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन / मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन / ईमेल / लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

39 in Top 50 Selections in CSE 2022

1 AIR ISHITA KISHORE

2 AIR GARIMA LOHIA

3 AIR UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

हिंदी माध्यम टॉपर

66 AIR KRITIKA MISHRA

85 AIR BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR DIVYA

120 AIR GAGAN SINGH MEENA

173 AIR ANKIT KUMAR JAIN

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

66 AIR KRITIKA MISHRA — TOPPERS' TALK | TOPPER'S COPIES

226 AIR GAURAV KUMAR TRIPATHI — TOPPERS' TALK | TOPPER'S COPIES

18 AIR RAVI KUMAR SIHAG — TOPPERS' TALK | TOPPER'S COPIES

13 AIR NISHANT JAIN — AVAILABLE AT HINDI YOUTUBE CHANNEL

अंतरिम बजट (2024–25) चर्चा एवं विश्लेषण

UPSC 2025 के लिए व्यापक रणनीति

UPSC प्रीलिम्स 2024: 4 महीने के लिए प्रभावी रणनीति

CSAT रणनीति व PYQs पर चर्चा

DELHI

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

enquiry@visionias.in | /c/VisionIASdelhi | /visionias.upsc | /vision _ias | VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद | बेंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची